विषय-सूची

क्र. सं.	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
	आमुख		
1.	13 सितम्बर, 1991	जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा के संबंध में वक्तव्य	1
2.	20 दिसम्बर, 1991	हरारे में राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन, काराकास में जी-15 शिखर सम्मेलन तथा नेपाल और चीन लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं के बारे में वक्तव्य	4
3.	9 मार्च, 1992	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	14
4.	23 अप्रैल, 1992	बोफोर्स मामले की जांच के संबंध में वक्तव्य	30
5.	9 जुलाई, 1992	बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में कतिपय अनियमितताएं और लेन-देन का वक्तव्य	33
6.	17 जुलाई, 1992	मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव	35
7.	27 जुलाई, 1992	राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में वक्तव्य	53
8.	12 अगस्त, 1992	स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि के संबंध में वक्तव्य	57
9.	21 दिसम्बर, 1992	मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर	59
10.	11 मार्च, 1993	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	72
11.	28 अप्रैल, 1993	अनुदानों की मांग (सामान्य) 1993-94, रक्षा मंत्रालय	91
12.	28 जुलाई, 1993	मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर	104
13.	13 अगस्त, 1993	इन्सैट-2बी. उपग्रह का प्रक्षेपण के संबंध में वक्तव्य	120
14.	23 दिसम्बर, 1993	संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में लघु निर्माण कार्यक्रम योजना के संबंध में वक्तव्य	122
15.	8 मार्च, 1994	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	126
16.	4 मई, 1994	ऑगमेन्टेड सैटेलाइट लाँच व्हीकल डी-4 (ए.एस.एल.वी. डी-4) का प्रक्षेपण के संबंध में वक्तव्य	148
17.	28 अप्रैल, 1995	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	151
18.	16 मई, 1995	अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96, रक्षा मंत्रालय	165
19.	21 अगस्त, 1995	फिरोजाबाद के निकट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिन्दी एक्सप्रेस के बीच रेल दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य	179

क्र. सं.	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
20.	7 दिसम्बर, 1995	इनसेट-2 सी उपग्रह का प्रक्षेपण के संबंध में वक्तव्य	181
21.	8 मार्च, 1996	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संबंधी संकल्प	183
22.	8 मार्च, 1996	'हवाला मामले' से संबंधित प्रस्ताव	185
23.	12 मार्च, 1996	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	188
24.	12 मार्च, 1996	विदाई संबंधी उल्लेख	190

जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा के संबंध में वक्तव्य

13 सितम्बर 1991

मैंने 5 से 7 सितम्बर, 1991 तक जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा की थी। मेरी यह यात्रा असल में तो एक सद्भावना यात्रा थी और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य चांसलर हेलमट कोल के साथ जर्मनी में भारत महोत्सव का उद्घाटन करना था इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने जर्मनी के नेताओं के साथ बहुत तरह के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने राष्ट्रपति रिचर्ड वोन वाईजेकर तथा चांसलर हेलमट कोल से मुलाकात की और उनके साथ मेरी यह मुलाकात एक घंटे से अधिक चली। मैं वहां के आर्थिक सहयोग मंत्री डॉ. स्पैंगर और अर्थ मंत्री डॉ. जुएजन मोइलमान से भी मिला तथा भारत-जर्मन आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के बारे में उनसे बातचीत की।

अपनी इस यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात जर्मनी के व्यापारिक समुदाय के प्रमुख सदस्यों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों से भी हुई और वहां के प्राच्य विद्याविदों से भी मध्याह्न भोज पर मेरी भेंट हुई। जर्मनी में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मेरी मुलाकात एक स्वागत समारोह में हुई जिसका आयोजन जर्मनी में हमारे राजदूत ने किया। मेरी ये सभी मुलाकातें अपने-अपने ढंग से महत्वपूर्ण थीं।

अपनी इन बैठकों में मैंने वहां के लोगों को इस बात से अवगत कराया कि हमने अपनी आर्थिक नीतियों में हाल ही में क्या-क्या परिवर्तन किए हैं और इस बात पर बल दिया है कि सहज विकास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है जिसका आविर्भाव हमारे विकास के मौजूदा स्तर और मौजूदा अवस्थान की तार्किकता से हुआ है। यही वजह है कि इस प्रवाह को अब विपरीत दिशा में मोड़ा नहीं जा सकता। इन परिवर्तनों को भारत की जनता और भारतीय संसद का समर्थन भी प्राप्त है।

जर्मन पक्ष ने इन परिवर्तनों के स्वरूप और महत्व को पूरी तरह समझा और सराहा तथा अपनी इन नीतियों पर दृढ़तापूर्वक अग्रसर होने के भारत के संकल्प को भी सराहा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारत और जर्मनी के बीच भावी सहयोग के स्वरूप को निश्चित करने के लिए ये परिवर्तन निर्णायक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इस काबिल भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन्हें पूर्ण समर्थन मिले। जर्मनी के चांसलर ने मुझे बताया कि एकीकरण की उनकी प्रक्रिया तथा यूरोप की घटनाओं के संदर्भ में खासतौर पर सोवियत संघ की घटनाओं के संदर्भ में जर्मनी पर जो नए-नए बोझ आ गए हैं उनके बावजूद जर्मनी भारत के विकास में सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जर्मनी में भारत महोत्सव का उद्घाटन जर्मन लोगों के सांस्कृतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अपने उद्घाटन भाषण में चांसलर कोल ने इसके बारे में कहा कि **'जर्मनी की धरती**

पर किसी मित्र देश का यह अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है'। यह महोत्सव पूर्णत: सफल होगा तथा जर्मनी के लोगों के दिल और दिमाग पर इसकी एक अमिट छाप अंकित होगी।

मैंने इस महोत्सव को श्री राजीव गांधी की स्मृति में समर्पित किया जिन्होंने आज से तीन वर्ष पहले चांसलर कोल के साथ अपनी मुलाकात में इस महोत्सव के विचार को रखा था। श्री राजीव जी ने भारत-जर्मन सहयोग को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसी तर्ज पर जर्मन महोत्सव वर्ष 1993-94 में भारत में मनाया जाएगा।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के प्रति जर्मनी के लोगों में कितना आकर्षण, कितना उत्साह और कितनी ललक है और माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि भारत-जर्मन संबंधों को यह स्वरूप प्रदान करने में संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण रही है। आधुनिक काल में हमारे दोनों देशों के बीच राजनैतिक और आर्थिक कार्यकलापों के विकास से पहले संस्कृति ही सम्बन्धों का आधार थी। जर्मनी की प्राच्य विद्याविदों के साथ मेरी मुलाकात से निस्संदेह यह सिद्ध हुआ कि जर्मन के विद्वानों और बुद्धिजीवियों की भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक परम्परा में अब भी पहले जैसे ही दिलचस्पी है तथा भारत के समसामयिक परिदृश्य में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है। हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि केवल जर्मन के ही नहीं बल्कि समस्त संसार के प्राच्य विद्याविदों में भारत के विषय में ज्ञानार्जन की जो ललक है उसे प्रोत्साहित करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करें। सांस्कृतिक सम्पर्क और पारस्परिक आदान-प्रदान ही ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जिनसे एक देश दूसरे देश को और एक समाज दूसरे समाज को अच्छी तरह समझ सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें चाहिए कि अब हम दिल्ली में अथवा भारत में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर प्राच्य विद्याविदों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करें। मैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसमें अपना सहयोग दें। मुझे इस बात का विश्वास है कि इस आयोजन को भारत के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक वर्ग से भी पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा।

मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद विदेश की मेरी यह पहली यात्रा बहुत अच्छी और सफल रही और मैं जिन उद्देश्यों को लेकर गया था, उन्हें प्राप्त करने में मुझे सफलता मिली। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से भारत-जर्मन सहयोग को नया प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे इस बात की विशेष रूप से खुशी है कि इस अवसर पर मुझे चांसलर कोल से एक बार फिर मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझसे अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि वे यह चाहते हैं कि भारत उदीयमान नए यूरोप के और निकट आए और उनकी इस इच्छा का हमारे लिए विशेष महत्व है।

पश्च टिप्पण

I. जर्मन संघीय गणराज्य की यात्रा के संबंध में वक्तव्य 13 सितम्बर 1991

कोई टिप्पण नहीं।

हरारे में राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन, काराकास में जी-15 शिखर सम्मेलन तथा नेपाल और चीन लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं के बारे में वक्तव्य

20 दिसम्बर 1991

18 सितम्बर, 1991 को लोक सभा में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर होने वाली बहस के बीच में जब मैं बोला था उसके बाद से संसार में हालात बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उस अवसर पर बोलते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र का, प्रतिस्पर्धाकारी गुटों से मुक्त संसार के विषय में जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण का जिक्र किया था—एक ऐसे संसार का जिसमें तनाव न हो और जो निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर हो। तथापि, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव कम करने और अंततः इसे समाप्त कर, उप-क्षेत्रीय और क्षेत्रीय संघर्षों के समाधान के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाने के बावजूद अधिकांश देशों के विकास की बुनियादी और आधारभूत समस्याओं के समाधान हमें प्राप्त नहीं हो सके हैं।

आज संसार उथल-पुथल और स्वरूप परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहा है। विकास की आश्चर्यजनक गति, तथा समाज संचालन की नीतियों का नवीकरण और पारस्परिक कार्य-कलाप अपने आप में समस्याएं भी हैं और चुनौतियां भी । मेरी सरकार परिवर्तन की ओर उन्मुख अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुरूप अपने आपको ढ़ालने तथा अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में अपनी विदेश नीति को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तत्पर है।

विगत तीन महीने घटना प्रधान रहे हैं। भारत की विदेश नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं — (i) भारत की एकता के लिए पैदा किसी खतरे को रोकना; (ii) प्रादेशिक अखंडता को कायम रखना; (iii) अपने क्षेत्र में स्थायित्व और शांति का एक स्थायी वातावरण तैयार करके भू-राजनीतिक सुरक्षा का सुनिश्चय करना; और (iv) समूचे विश्व में राजनैतिक और आर्थिक नीतियां तैयार करने में विकास के महत्व को विश्व भर में बहाल करने की कोशिश। हमने दूसरे देशों के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को सावधानीपूर्वक पल्लवित और सुदृढ़ करके और बहुपक्षीय मंचों में जिनके कार्यों और जिनकी सफलताओं में हमारा प्रमुख योगदान रहा है, सजगता और प्रभावी ढंग से भाग लेकर इन प्राथमिकताओं की ओर ध्यान दिया है। हमने अक्तूबर में हरारे में सम्पन्न राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक और नवम्बर में काराकास में जी-15 के दूसरे शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दिसम्बर में नेपाल और चीन के प्रधानमंत्री भी भारत आए। मेरे विचार से इन घटना प्रधान कार्यकलापों के सम्बन्ध में मुझे इस सदन के समक्ष विस्तार से एक बयान देना चाहिए।

हरारे में आयोजित राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक का प्रमुख उद्देश्य यह था कि 1990 के दशक में और उसके बाद राष्ट्रमण्डल की भूमिका क्या होगी। इसका मकसद राष्ट्रमण्डल की शक्ति का पता लगाना और संसार की बदलती परिस्थितियों में इसकी सार्थकता पर विचार करना और भावी प्राथमिकताएं निश्चित करना था। भावी दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के प्रश्न पर विकसित और विकासशील देशों में फर्क होना स्वाभाविक है। कुछ विकसित देश इस बारे में इस बात के लिए उत्सुक हैं कि बहुपक्षीय कार्य-सूची में राजनीतिक बहुवाद, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक व्यवहार जैसे विषयों पर ही बल दिया जाए। इस तरह के विषय "अच्छे प्रशासन" की छत्र-अवधारणा के अंतर्गत समाहित किए जाने हैं। राजनीतिक बहुवाद और लोकतांत्रिक कार्य संचालन के क्षेत्र में भारत का कार्य ऐसा अच्छा रहा है कि उस पर हम गर्व कर सकते हैं। हमारा समाज इन्हीं बुनियादी मानवाधिकारों और मूल्यों को मानता है और इसीलिए इसी पर उसकी इमारत खड़ी है। इन विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केन्द्रित हो, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन ऐसा हम विकास और आर्थिक सहयोग जैसे बुनियादी विषयों की कीमत पर नहीं कर सकते। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विगत दशकों में विश्व के एक भाग में वहां अलग-अलग देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं, उनके मानदण्डों और स्तर में जो विकास हुआ है, उसे यों का यों ही दूसरे भाग के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह है भी देखना होगा कि इस तरह के मूल्यों को अपनाने की इच्छा की वजह से विकास सहायता पर गैर-आर्थिक शर्तें न लादी जाएं। हरारे घोषणा में भारत का यह विचार निहित है जो अन्तत: राष्ट्रमण्डल में आम सहमति के रूप में उभरा।

इसी तरह काराकास में आयोजित जी-15 के शिखर सम्मेलन में भी हमारा उद्देश्य इस बात का सुनिश्चय करना था कि बहुपक्षीय कार्यसूची में विकास सहयोग पर बल को बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमति हो, कम से कम जी-15 के देशों में तो अवश्य ही। विकास के बारे में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के विषय पर मुझे प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। राज्याध्याक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा पारित संयुक्त विज्ञप्ति से यह आवश्यकता पूर्णत: प्रतिलक्षित होती है। जी-15 की दूसरी शिखर बैठक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी कि इसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग की बहुत सी परियोजनाएं स्वीकार की गई और उनके क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश तय किए गए। इसमें "जीन बैंकों" की स्थापना और सौर ऊर्जा के प्रयोग से सम्बद्ध दो भारतीय परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आर्थिक और प्रौद्योगिक आधार प्राप्त होगा जिसे व्यापार प्रतिनिधियों की वार्षिक सभा से और आगे बढ़ाया जाएगा। काराकास में व्यापारियों की समानता बैठक से जी-15 के देशों के करीब 240 वरिष्ठ प्रतिनिधियों को परस्पर मिलने का मौका मिला।

अत: जी-15 की शिखर बैठक के परिणामों से हमारा सन्तुष्ट होना अकारण नहीं है। 1993 में यह शिखर बैठक नई दिल्ली में आयोजित करने का निमंत्रण भी दिया गया है। हमने इसे स्वीकार कर लिया।

इस महीने के शुरू में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री कोइराला की भारत यात्रा से भारत और नेपाल के बीच सहयोग के गुणात्मक रूप से एक नए युग का शुभारम्भ हुआ। उनके साथ जो बातचीत हुई और जो सहमति हुई उसमें हमारी आपस की बहुत-सी चिन्ताएं शामिल थीं और उनमें कई मसलों पर गलत-फहमी दूर हुई। उनके साथ सभी बैठकें अत्यंत हार्दिकता, सौहार्द और सद्भाव के वातावरण में हुईं। इन बैठकों के फलस्वरूप ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनका उद्देश्य नेपाल और भारत के बीच परस्पर लाभदायक सहयोग को और अधिक विस्तार देना है।

एक भारत-नेपाल व्यापार संधि पर, एक भारत-नेपाल पारगमन संधि पर तथा अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण से सम्बद्ध एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। व्यापार विषयक संधि में कई नई सुविधाएं और रियायतें शामिल हैं जिनमें, अगर नेपाल के व्यापार और उद्योग ने उनका पूरा-पूरा लाभ उठाया तो, भारत के लिए नेपाल के निर्यात में बहुत वृद्धि होनी चाहिए। पारगमन संधि में नेपाल के मार्गस्थ माल के लिए सीमा-शुल्क और दूसरी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया गया है। दोनों पक्षों ने इस बात का वचन दिया है कि तस्करी के बढ़ते हुए खतरे से निपटने में पूरी तरह एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर गम्भीर दुष्प्रभाव डाल रहा है।

जल संसाधन का विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नेपाल की अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है और जिससे भारत को भी लाभ पहुंच सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि करनाली, पंचेश्वर तथा कोगी पनबिजली परियोजनाओं के बारे में तथा बूढ़ी गण्डक, बाढ़ की पूर्व सूचना और बाढ़ से रक्षा, विद्युत शक्ति का आदान-प्रदान करने से सम्बद्ध मझोली परियोजनाओं के बारे में हमने जो बहुत-से निर्णय लिए हैं, उनमें इस क्षेत्र में शीघ्र और बहुत प्रगति होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परियोजनाएं नेपाल और भारत, दोनों ही के लोगों के लिए समान रूप से लाभकारी होंगी।

अनुमोदित भारत-नेपाल संयुक्त उद्यमों के माल के लिए भारतीय मंडी में विशेषरूप से अनुकूल प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इससे औद्योगिक सहयोग और नेपाल के औद्योगिकीकरण को बढ़ाने में सहायता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, भारत-नेपाल के मौजूदा संयुक्त उद्यमों की निष्क्रियता अथवा उनकी असफलता के कारणों का अध्ययन किया जाएगा और उनमें सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

नेपाल की सरकार के अनुरोध के अनुसार हम अपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के भीतर, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे और दूरसंचार के क्षेत्रों में अनेक नई भारतीय सहायता परियोजनाएं हाथ में लेंगे। यह हमारी लम्बे अर्से से चली आ रही परम्परा की निरन्तरता का ही प्रतीक है जिसके अन्तर्गत हम अपनी सामर्थ्य के अनुरूप नेपाल के आर्थिक विकास में उसकी भरसक मदद करते आए हैं।

नेपाल के अनुरोध पर ही कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, वाणिज्यिक फसलों का संसाधन, कृषि आधारित उद्योग आदि में सहयोग पर भी समझौता हुआ है। इन कार्यक्रमों से नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के खास उपाय भी तय किए गए।

नेपाल के महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता, स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की स्मृति में, जो भारत की आजादी की लड़ाई में भी अत्यन्त निकट से जुड़े रहे थे, दोनों देशों ने बी. पी. कोइराला भारत-नेपाल फाउन्डेशन की संयुक्त स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह फाउन्डेशन न सिर्फ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए काम करेगा, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि तथा विकासोन्मुखी अन्य क्षेत्रों में सहयोग संवर्धित करने के लिए भी कार्य करेगा। नेपाल और भारत की सरकारें इस फाउन्डेशन के न्यासी-कोष में बराबर-बराबर दो करोड़ रुपए तक की राशि अपनी-अपनी ओर से देंगी।

इस तरह दोनों देशों के बीच सहयोग का एक मजबूत ढांचा खड़ा कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पारस्परिक सम्बन्धों में एक सच्ची क्रांति आए। नेपाल के साथ अपने सम्बन्धों के क्षेत्र में आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें अनंत नई-नई सम्भावनाएं हैं। अब यह हमारी दोनों सरकारों का काम है। वे यह सुनिश्चित करें कि वे अपने देशवासियों को इस प्रकार के सहयोग से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित न होने दें क्योंकि इस पर उनका अधिकार है। जहां तक हमारा सवाल है, हमारी ओर से न प्रयत्नों में ढील आएगी और न हम अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटेंगे। मुझे विश्वास है कि नेपाल की ओर से भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ऐसे ही प्रयास होंगे। यहां मैं पुन: यह बताना चाहूंगा कि विकास के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सजग प्रयास किए गए हैं।

जैसा कि सदन को मालूम है, चीन लोक गणराज्य की राज्य परिषद के प्रधानमंत्री श्री ली फंग भारत आए थे और 11 से 16 दिसम्बर तक यहां ठहरे थे। चीन के किसी प्रधानमंत्री की 31 वर्ष के दीर्घ अंतराल के बाद होने वाली इस यात्रा से सदन में और पूरे देश में भी भारत-चीन संबंधों पर और क्षेत्रीय घटनाचक्र पर इसके प्रभाव के संदर्भ में रूचि जागृत होना बड़ा स्वाभाविक है। एशिया के चीन और भारत जैसे दो महत्वपूर्ण एशियाई देशों के पारस्परिक कार्यकलाप का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए भी बड़ा महत्व है। इस यात्रा के दौरान जो विचार-विमर्श हुआ उसके सम्बन्ध में मैं इस सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा।

प्रधानमंत्री ली फंग के साथ उनके विदेश मंत्री क्वान क्वीचन तथा वैदेशिक व्यापार एवं आर्थिक संबंध मंत्री ली लाकिग तथा चीन सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे।

श्री ली फंग द्वारा हमारे देश की यह यात्रा तथा पारस्परिक हित सरोकार के मामलों पर उनके साथ सम्पन्न विस्तृत विचार-विमर्श इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया कि उनकी यह यात्रा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में तीव्रगति से होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में हुई थी जिसमें

पूर्वी यूरोप के राज्यों और समाजों का आधारभूत रूप परिवर्तन पश्चिमी यूरोप में होने वाले एकीकरण की प्रगति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्धों में बदलते समीकरण सभी कुछ शामिल हैं। हमने द्विपक्षीय क्षेत्रीय और सार्वभौम मसलों पर भी व्यापक बातचीत की।

श्री ली फंग ने इस यात्रा से प्राप्त अवसर का लाभ उठाकर राष्ट्रपति श्री वेंकटरमन और उप-राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा के साथ भी मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री श्री माधवसिंह सोलंकी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच भी अलग से बैठकें हुईं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नेपाल के प्रधानमंत्री की भांति चीन के प्रधानमंत्री भी हमारे राजनैतिक नेताओं और कई संसद सदस्यों से मिले।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श में प्रधानमंत्री ली फंग और मैं इस बात पर सहमत हुए कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत, जिनकी शुरुआत भारत और चीन ने मिलकर 1954 में की थी, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों के संचालन के अनिवार्य मानदण्ड हैं और सभी देशों को, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, कैसी भी उनकी शक्ति हो और वे विकास के किसी भी पायदान पर क्यों न हों, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समान सदस्य हैं। हम दोनों का यह भी समान विचार था कि विवादों को निपटाने के लिए शक्ति का प्रयोग या उसका प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हरगिज नहीं किया जाना चाहिए। विकसित और विकासशील विश्व के बीच आर्थिक संतुलन ने और अधिक गम्भीर रूप धारण कर लिया है। विकासशील देशों के उत्तर के साथ अपनी बातचीत में न केवल एक समान रवैया अपनाने की जरूरत है बल्कि उन्हें सामूहिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बनने की जरूरत भी है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

दोनों देशों के बीच सीमा के शेष प्रश्न के बारे में चीन के प्रधानमंत्री और मैं दोनों इस बात पर सहमत हुए कि इस प्रश्न का शीघ्र, निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढ़ने के प्रयास तेज किए जाने चाहिए। हमने इस बात पर अपना संतोष व्यक्त किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थायित्व बनाए रखा गया है। हमने इस बात पर जोर दिया कि सीमा के प्रश्न पर हमारे मतभेद कम किए जाने चाहिएं और हमें एक-दूसरे के साथ अपने सम्पर्क बनाए रखने चाहिएं ताकि संयुक्त कार्यदल को निर्देश दिए जा सकें। जिसकी स्थापना 1988 के इस प्रश्न का समाधान ढूंढ़ने के लिए की गई थी। मैंने यह विचार व्यक्त किया कि इस प्रश्न का समाधान दोनों देशों के लिए एक उपलब्धि होगी और इससे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धान्तों की पुष्टि होगी। संयुक्त कार्यदल की अगली बैठक 1992 में यथाशीघ्र बुलाई जाएगी और स्थानीय मसलों को सुलझाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों के बीच नियमित बैठकें होंगी।

इस यात्रा के दौरान अनेक द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें शामिल हैं शंघाई और बम्बई के प्रमुख कौंसलावासों को पुन: खोलने से सम्बद्ध करार और सीमावर्ती व्यापार को पुन: शुरू करने और बाहरी अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी ज्ञापन। हम कृषि,

जन-स्वास्थ्य, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमत हुए। चीन में भारत महोत्सव आयोजित करने पर भी सहमति हुई। भारत में चीन महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा।

तिब्बत के मसले पर हमारी दीर्घकालिक और ठोस स्थिति को पुन: स्पष्ट तौर पर दोहराया गया। तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है और हम तिब्बतियों को भारत में चीन विरोधी राजनैतिक गतिविधियां चलाने की इज़ाजत नहीं देते। इससे तिब्बत के साथ हमारे सदियों से चले आ रहे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात मैंने अपनी बातचीत में भी बताई थी। धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में परम-पावन दलाई लामा के प्रति हमारा सम्मान यथावत है। इस प्रकार की स्थितियों के प्रति दृष्टिकोण राजनैतिक बातचीत के माध्यम से सर्वसम्मति बनाकर ही बनाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में चीन के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण थी। चीन के प्रधानमंत्री ने बताया कि तिब्बत की स्वतंत्रता को छोड़कर शेष सभी मसलों पर परम-पावन दलाई लामा से बातचीत की जा सकती है।

हमने पाकिस्तान को अत्युन्नत हथियारों और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों की सप्लाई तथा पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्य में आतंकवाद और विध्वंसकारी कार्यवाहियों में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में चीनी पक्ष को अपनी चिन्ताओं से अवगत कराया। चीन की सरकार आतंकवाद के खिलाफ है क्योंकि इससे समस्याएं सुलझती नहीं बल्कि मौजूदा स्थिति और बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं देखना चाहते और वे चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। म्यांमार को चीन द्वारा शस्त्र सप्लाई किए जाने के बारे में भी अपनी चिन्ताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने इस बात का उल्लेख किया कि विश्व जनमत का बाहुल्य म्यांमार में ऐसा लोकतांत्रिक शासन बहाल करने के पक्ष में है जो इसके लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

हमारी बातचीत में मानवाधिकारों का मसला भी उठा। मैंने सभी मानवाधिकारों की अविभाज्यता की संकल्पना के प्रति अपने अनुपालन पर भी जोर दिया। साथ ही मैंने हरारे और काराकास में प्रस्तुत अपना यह विचार भी व्यक्त किया कि किसी भी विकासशील देश को मानवाधिकारों के नाम पर सहायता देने से इंकार नहीं किया जाना चाहिए। विकास के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चीन के प्रधानमंत्री का विचार था कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल देशों के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है और हम इससे अनिवार्यत: भौगोलिक रूप से और ऐतिहासिक परस्पर क्रिया-कलापों की परम्परा से जुड़े हुए हैं। हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों में आशावान भविष्य की उम्मीद करते हैं। हमारी बातचीत से आपसी सूझबूझ सुदृढ़ होनी चाहिए और इससे अनसुलझे सभी मसलों का शांतिपूर्ण समाधान निकलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि चीन के प्रधानमंत्री की यह यात्रा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जियाग जैमिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है। हमारे राष्ट्रपति को चीन

यात्रा का निमंत्रण दिया गया है और प्रधानमंत्री ली फंग ने मुझे अपने देश की यात्रा पर आने का निमंत्रण भी दिया है। आज अस्थिर और बदल रही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में मुझे विश्वास है कि हमारे दोनों देश जिनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की एक तिहाई है, विश्व में शांति और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो कि उन्हें निभानी ही चाहिए।

इस यात्रा का उद्देश्य एक ओर सीमा पर विचार करना और दूसरी ओर आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचार करना था। आपसी हित के इन अन्य क्षेत्रों में दो श्रेणियां हैं: एक द्विपक्षीय और दूसरी मानव जाति के आम हित में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र। दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में भारत और चीन काफी कुछ कर सकते हैं। विश्व के प्रति यह उनका कर्तव्य भी है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यह अन्तर्राष्ट्रीय पहलू हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और हमेशा-हमेशा रहेगा भी। किन्तु इस समय जब विश्व में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि मानवजाति के प्रति यह विशेष कर्तव्य भी तात्कालिक स्वरूप का है। इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अधिकांश मानवजाति का भविष्य, जो विकासशील देशों में रह रहे हैं और गरीबी और जरूरत की स्थिति में जी रहे हैं, इस समय जितने बड़े संकट का सामना कर रहा है उतना पहले कभी नहीं था। भारत और चीन मानवजाति के इस बड़े हिस्से के प्रति यह अपना कर्तव्य समझते हैं।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख उन कारणों और तार्किकता को प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनकी वजह से हमारी विदेश नीति उन्नत हुई है, जैसाकि उन महत्वपूर्ण घटनाओं में प्रतिलक्षित है जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। यह मुख्यत: हमारी धर्मनिरपेक्ष बहुवादी शासन प्रणाली की सैद्धांतिक अखण्डता को बनाए रखने के लिए है। यह उथल-पुथल वाले विश्व में अपनी राष्ट्रीय एकता और प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा के लिए और जातीय, धार्मिक, आर्थिक और पृथक्कारी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए है। यह समूचे विश्व में विशेषकर विकासशील देशों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हमारे लोगों के बुनियादी हित कल्याण का सुनिश्चय करने के लिए है। जैसा कि मैंने पाया है हमारी विदेश नीति का निहित उद्देश्य संकीर्ण राष्ट्रवादी भावना में एक आयाम वाला नहीं है। इसका निहित उद्देश्य एक ऐसी क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना है जो मेल-मिलाप, आम सहमति और शान्ति के लिए, संघर्ष करने की सर्वसम्मत इच्छा और बुनियादी मसलों तथा मानवजाति की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने पर आधारित हो। यह तथ्य इन चारों घटनाओं के प्रति समान है, इनमें से प्रत्येक के व्यावहारिक उपायों से जो परिणाम निकलेंगे उनसे लोगों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और उनका जीवनस्तर बेहतर हो सकता है।

यह मेरी दृढ़ धारणा है कि हरारे और काराकास में दो बहु-उद्देशीय आयोजनों में हमारी भागीदारी और नेपाल और चीन के प्रधानमंत्रियों की भारत यात्रा से हमारे अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा दायित्वों की पूर्ति और हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए भी सार्थक और संरचनात्मक

दृष्टिकोण है। विदेश मंत्री माननीय सदस्यों को समय-समय पर विदेश नीति मोर्चे पर घटी घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि हम प्रमुख विदेश नीति मसलों पर राष्ट्रीय सहमति बनाते रहेंगे। उनमें माननीय सदस्यों का योगदान हमेशा मिलता रहेगा।

*** *** ***1

यह ठीक है कि कोई भी समिति जिसमें केवल अधिकारी ही सम्मिलित हो तो वह सीमा सम्बन्धी विवाद तथा दूसरे किसी विवाद को निपटाने में एक सीमा तक ही पहुंच सकती है। 1981 में हमने सरकारी समिति आरम्भ की। हमने बातचीत के सात दौर किए तथा सातवें दौर तक प्रत्येक दौर के साथ प्रगति हुई तथा मुझे दोनों सदनों में इस प्रगति के संबंध में वक्तव्य देने का अवसर मिला। सातवें दौर पर आकर उनकी गति समाप्त हो गई। उन्हें राजनैतिक संकेत की आवश्यकता थी, जिसके बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए बातचीत के उन दौरों से अनुकूल परिणाम नहीं निकले। इस बार हम सावधान थे। संयुक्त कार्य दल के मन में कुछ विचार थे। इसके अतिरिक्त इस बार संयुक्त कार्य दल का गठन हुआ था जो कि पहले नहीं हुआ था। पहले केवल प्रतिनिधियों की आपस में बातचीत होती थी। इस बार संयुक्त कार्य दल का गठन हुआ था तथा इसलिए जिस मुद्दे पर सहमति हो जाती थी, उसे नोट कर लिया जाता था। जिस मुद्दे पर सहमति नहीं होती थी, उसे नोट नहीं किया जाता था तथा इस प्रकार जहां तक दल का सम्बन्ध है तो इसकी सारी सिफारिशें, चाहें वे किसी भी मुद्दे पर रही हों, वे संयुक्त रूप से दी गई सिफारिशें थीं।

वर्तमान यात्रा के दौरान यह आशा थी कि किसी समय, शायद दूसरे या तीसरे दौर के पश्चात् हमें फिर से राजनैतिक संकेत देने पड़ेंगे। इस आवश्यकता को समझ लिया गया था। परन्तु मेरा विश्वास है कि संयुक्त कार्य दल की अगली बैठक में किसी नए संकेत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इस बात पर सहमत थे कि इस संबंध में सम्पर्क बनाए रखा जाए कि संयुक्त कार्य दल 1992 में दूसरी बैठक के पश्चात् किस प्रकार प्रगति कर रहा है तथा किसी आसान तरीके द्वारा ये पता लगा सकें कि किसी राजनैतिक संकेत की आवश्यकता है या नहीं। अगर इसकी आवश्यकता नहीं तथा कोई परिणाम सम्भावित हो तो वे बातचीत का एक और दौर कर सकते हैं तथा हम तीसरे दौर तक प्रतीक्षा कर सकते हैं अन्यथा, हम में इस बात पर सहमति है कि प्रत्येक दौर के साथ सम्पर्क बनाए रखा जाएगा। यह पहले प्रश्न का उत्तर है।

'अन्तर्राष्ट्रीय कुलीन तंत्र' के संदर्भ में यह शब्दावली संभावित घटनाओं के लिए प्रयोग की जाती है—मैं यह नहीं जानता कि यह घटित हो चुका है अथवा घटित हो रहा है, परन्तु ऐसा होने की संभावना है—अगर कुछ लोगों का समूह अथवा कुछ देशों का समूह ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है कि उनकी इच्छा, चाहे वे ठीक हो या गलत, उसे अलोकतांत्रिक, तरीके से बाकी देशों पर थोपा जा सकता है, तो हमें बडा ही सावधान रहने की आवश्यकता है तथा इस संदर्भ में मैं किसी देशों के समूह का नाम नहीं ले रहा तथा एक ध्रुवीय विश्व में भी ऐसा हो सकता है तथा कुछ हालातों में ऐसा हो सकता है और हमें आरंभ से ही सावधान रहना है। शब्द

'चलो', से हमें ऐसी घटना की संभावना से सावधान रहना है। एक और सावधानी हमें यह बरतनी होगी कि हमें टकराव की स्थिति से बचना होगा। कई वर्षों से तथा कई दशकों से दोनों तरफ टकराव का दृष्टिकोण बना हुआ है। जो घटित हुआ, वह हम सब जानते हैं। परन्तु बातचीत द्वारा अर्थपूर्ण समाधान निकालना मुश्किल है तथा टकराव का दृष्टिकोण अपनाना आसान है। इसलिए कूटनीति का कार्य बहुत ही कठिन हो गया है। पहले, हमने एक प्रस्ताव पारित किया, इसके पक्ष में मत दिया तथा वापिस आ गए। फिर हमने सोचा कि हमारा कर्त्तव्य समाप्त हो गया। अब ऐसा नहीं है। हमें बातचीत का रास्ता अपनाते हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहमति बनाते हुए इसे सर्वस्वीकार्य बनाना है तथा क्रियान्वित करना है। यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य है तथा इसलिए आरम्भ से ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों तथा देशों का एक बड़ा समूह स्वत: ही असहाय होकर दबाव के अन्दर थोड़े से देशों के कार्यक्रम अथवा दृष्टिकोण या नीति को न अपना लें।

मैं यह नहीं कहता कि यह बिल्कुल गलत है। यह ठीक भी हो सकती है। हम इसका अनुसरण कर सकते हैं परन्तु इसे हम पर थोपा नहीं जा सकता। यह एक राष्ट्रीय निर्णय होना चाहिए। भारत में अपनाई जाने वाली नीति का निर्धारण यह संसद करेगी तथा यह विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए। इस शब्द 'अन्तर्राष्ट्रीय कुलीन तंत्र' का प्रयोग इसी संदर्भ में किया जाता है। इसे वर्णनात्मक होना था। परन्तु, वास्तव में जो विश्व में हो रहा है, उस घटनाक्रम का एक बड़ा भाग इसी दृष्टिकोण से प्रभावित है, जिसके प्रति हमें सावधान रहना होगा। इसी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है।

पश्च टिप्पण

II. हरारे में राष्ट्रमण्डल शिखर सम्मेलन, काराकास में जी-15 शिखर सम्मेलन तथा नेपाल और चीन लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्रियों की यात्राओं के बारे में 20 दिसम्बर 1991

1. **श्री पी. वी. नरसिंह राव** : महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात पर ले जाना चाहता हूं। हमें ऐसी आशा नहीं थी, मैंने सोचा था कि यह केवल वक्तव्य तक ही सीमित रहेगा। अत: मैंने इसी तरह का वक्तव्य दूसरे सदन में भी देना है और समय भी निर्धारित कर दिया गया, अब यदि नियम बदले जाने हैं, तो पद्धति को भी बदलना पड़ेगा, हमें इसके बारे में कुछ पहले ही बताया जाना था। स्पष्टत: मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आज ही दोनों सदनों के बीच यह सब कैसे सम्भव होगा?

अध्यक्ष महोदय : इस पर संसदीय कार्य मंत्री के साथ चर्चा होनी चाहिए थी। ठीक है। मैं संक्षेप में एक या दो प्रश्नों की अनुमति देता हूं। प्रधानमंत्री जी आप किस समय वहां होंगे?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं पहले ही विलम्ब कर रहा हूं। मुझे 20 मिनट पहले ही वहां होना चाहिए था। मैंने सूचना भेज दी है कि इसे स्थगित कर दिया जाए। किन्तु वास्तव में मुझे जानकारी नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। मैं पलायन नहीं कर रहा हूं और न ही प्रश्न से आंखें चुरा रहा हूं। यदि हम एक सदन में जवाब दे सकते हैं तो दूसरे में भी दे सकते हैं, लेकिन यही बात मेरी समझ में नहीं आई, सिर्फ यही बात है।

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : खैर, हम इसे किसी और समय रख सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हमने प्रस्ताव रखा था कि इसे दो बजे से रखा जाए ताकि मैम्बर्स इत्मिनान से पूछ सकें। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया था कि इसको लंच से पहले किया जाए। राज्य सभा में तो आलरैडी लंच हो गया होगा।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पौन्नानी) : यहां पर लंच आवर होगा।

श्री राम विलास पासवान : आप इसे लंच आवर के बाद रखिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरे विचार में हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात् दूसरे सदन में जाने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि दूसरे सदन में भी उनकी उपस्थिति आवश्यक है। अगर आवश्यकता हुई तो संसदीय कार्यमंत्री से परामर्श के पश्चात् हम यह निश्चित कर सकते हैं कि इसे कैसे किया जाए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

9 मार्च 1992

इस वाद-विवाद में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, उनका मैं आभारी हूं, विशेषरूप से श्री विश्वनाथ जी के सर्वोच्च सुदर्शन का और अटल जी के अत्यंत सौम्य, अत्यंत मनोरंजक, अत्यंत निर्देशपूर्ण, कहीं-कहीं सकारात्मक और कहीं कम सकारात्मक भाषण का आभारी हूं।

मैंने इस अचानक मोड़ की आशा नहीं की थी कि जिस स्थिति में राष्ट्रीय सर्वसम्मति मांगी जा रही थी, प्राप्त की जा रही थी और सामान्यत: दी जाती थी, उसमें अचानक हमें एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा, एक तनावपूर्ण क्षण, तो सिर्फ इस देश में इस देश की जनता के लिए ही नहीं किन्तु विश्व में देश की छवि की दृष्टि से भी तनावपूर्ण है। यही मेरे लिए अधिक चिंताजनक है, ऐसे समय, जबकि भारत में शुरू की गई सुधार योजना की हर जगह प्रशंसा हो रही है; ऐसे समय जबकि हमें निवेश मिल रहा था, आधारभूत संरचना में निवेश मिल रहा था, जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता थी, और उसकी गति अत्यंत तीव्र थी पिछले वर्षों से 14 से 15 गुना तेज, ऐसे समय, इस चर्चा में मुझे यह कहते हुए खेद है इससे एक धक्का लगा है या लगेगा। इस नुकसान की भरपाई करने में हमें समय लगेगा। मैं ईमानदारी और स्पष्ट रूप से यह बात कह रहा हूं।

जनता के मस्तिष्क में फिर प्रश्न उठेंगे। हम स्थिति का सामना करेंगे। हम इसे पुन: उचित रास्ते पर लाएंगे। किन्तु फिर भी यहां हुए घटनाक्रम से मैं थोड़ा दु:खी हूं।

26 या 27 जून को, इस सरकार के पदभार संभालने के तीन या चार दिन पश्चात् मैंने विपक्षी दल के नेताओं की एक बैठक बुलाई। मेरे वित्त मंत्री ने उनके सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। यह स्थिति हमें तीन या चार दिन पहले भूतपूर्व सरकार से उत्तराधिकार में मिली थी और चर्चा के अंत में प्राय: सभी का यह मत था कि जो भी करना था वह टाला नहीं जा सकता और इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से उस बैठक के दलों के नेताओं को पुन:स्मरण कराना चाहूंगा इससे मुझे सुधार कार्यक्रम जारी रखने की हिम्मत मिली और, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सुधार कार्यक्रम का देश में और बाहर स्वागत हुआ है। मैंने इस सदन में और दूसरे सदन में भी और अन्य जहां कहीं मैंने किसी भी बैठक को संबोधित किया वहां मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं संख्या पर निर्भर नहीं हूं और संख्या से मैं भयभीत नहीं हूं। ना तो मुझे अपनी संख्या पर गर्व है और ना ही संख्या कम हुई तो मुझे इसका कोई भय है। मैंने कहा था कि यदि सदन में मुझे 20 या 30 सीटें अधिक भी मिलतीं, तो भी मैं सर्वसम्मति से कार्य करूंगा क्योंकि मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वह समय आ गया है जबकि सिर्फ अधिक संख्या होने से हम आज की समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं उसको अब पुन: दोहराता हूं। मैं संख्या पर निर्भर

नहीं हूं। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो निश्चय ही संख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि मेरे वर्षों के काल में संख्या कभी भी इतनी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाएगी किन्तु निश्चय ही इन आठ महीनों में मुझ पर और इस सरकार पर यह स्थिति थोपी गई है, यदि आपकी संख्या दो कम हो जाती है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह स्थिति हो जाएगी। किन्तु राजनैतिक व्यग्रता जैसा कुछ होता है। शायद यह हमारे तंत्र में हमारी सोच में समा गया है। इसलिए, मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शायद व्यग्रता जरूरत से अधिक हो गई और आज हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

मैं सदन को स्मरण कराना चाहूंगा, जैसा कि अटल जी ने अभी कहा है कि हमें ऐसी स्थिति में फंसना पड़ा, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जो हमें सौंपी गई थी। किन्तु यह कहानी का सिर्फ एक भाग है। मेरा किस्सा यह नहीं है कि मुझे स्थिति में ढ़केल दिया गया। नहीं। मेरा किस्सा यह है कि बहुत कम समय के अन्दर ही मुझे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। मैं सोचता हूं और मेरा दल भी सोचता है कि हम ठीक वही कर रहे हैं जो हमने अपने चुनाव पत्र में करने का वायदा किया था। इससे कुछ अधिक नहीं कुछ कम नहीं। अत: जो कुछ किया गया है उसके लिए मैं शर्मिन्दा नहीं हूं। जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है उसकी पुनरावृत्ति करने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि यह कांग्रेस दल का जनता से किया हुआ वायदा है और इससे विभिन्न दल भी विभिन्न कोणों से सहमत हैं किन्तु सामान्यत: इस पर राष्ट्रीय सहमति है। स्थिति यह है और मैं संतुष्ट हूं। मैंने कभी भी यह नहीं चाहा कि कोई अन्य दल मुझसे शत-प्रतिशत सहमत हो। अन्यथा, दो दल तो होंगे ही नहीं।

विभिन्न दल नहीं होंगे। विचारों में मतभेद, विचारों में विभिन्नता होगी और ऐसा होना जरूरी भी है। मुझे विचारों में अन्तर की परवाह नहीं है। वास्तव में, अपनी नीतियों का ताना-बाना बुनते समय, हमने अन्य दलों के विचारों को भी स्थान दिया है। हमने उन विचारों को भी ध्यान में रखा है, जिन्हें किसी नेता ने किसी स्थान पर कहा है और जिस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है, उसमें यह ध्यान रखा गया है कि इन विचारों पर अमल किस प्रकार किया जाए। अत: ऐसी बात नहीं है कि हम अन्य दलों के विचारों से अप्रभावित रहे हों। हमने अपनी नीति से मेल खाने वाले सभी विचारों को शामिल किया है। यदि वह हमारी नीति से ही मेल नहीं खाते थे, स्वाभाविक है कि हम उन्हें अपनी नीति में शामिल नहीं कर सकते थे। यह स्थिति रही है, यही कार्यप्रणाली रही है। इसकी पृष्ठभूमि सर्वविदित है।

अटल जी ने कहा, राष्ट्रपति जी को अनेक अभिभाषण – तीन अभिभाषण – पढ़ने पड़े, जिन्हें, पढ़ने के लिए उन्हें 15 वर्ष लगने चाहिए थे। परन्तु यह मेरा दोष नहीं है। क्योंकि सरकार का कार्यकाल उतना ही रहा है, जितना कि यह था, जिसके कारण उन्हें तीन अभिभाषण पढ़ने पड़े।

हां, भावी पीढ़ी के बारे में हमें यह निर्णय करना होगा कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है और हमारा यह मूल्यांकन इस देश के लिए सम्पति बन जाएगा, राष्ट्र के लिए तो विचार का विषय बन जाएगा और भावी पीढ़ी के लिए सावधानीपूर्वक, धैर्यपूर्वक विचार करने का विषय बन जाएगा।

जून, 1991 में हम पुन: सत्ता में आए। मैं जो कहना चाहता हूं, उसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। परन्तु, यदि किसी भी तथ्य पर किसी किस्म का विरोधाभास है, चूंकि मैं छोटी से छोटी बारीकी के लिए स्वयं संतुष्ट हूं; तो मैं आपको फाइलें उपलब्ध कराने को तैयार हूं। आप चाहें तो किसी भी गलती का सत्यापन कर सकते हैं, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी होगी।

*** *** ***1

विदेशी-मुद्रा भण्डार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि पिछली दो सरकारों ने जुलाई, 1990 से जनवरी, 1991 तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.4 बिलियन डॉलर लिया है। उस समय इसे गलत नहीं माना गया। जो कुछ वह वहां से ले सकते थे, उन्होंने लिया। उन्होंने जो राशि ली है वह विभिन्न देशों, सरकारों की राशि है। इसके लिए किसी बड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। हमने उस राशि को लिया है और प्रथम किश्त भी अगली सरकार द्वारा ली गई थी। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं? आखिरकार, विश्व बैंक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? अब यह एक दैत्य के समान प्रतीत होता है जोकि देश से बाहर का है। विश्व बैंक भारत से उतना ही संबंधित है जितना कि हमसे संयुक्त राष्ट्र संघ। तथ्य यही है और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रथम बार ही सम्पर्क नहीं किया गया है, बल्कि इससे पहले भी अनेक बार हमने ऐसा किया है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने विश्व बैंक से सहायता के लिए सम्पर्क न किया हो। जो देश विश्व बैंक के सदस्य नहीं हैं वह भी अब सहायता के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क कर रहे हैं।

*** *** ***2

हां, 'ब्रेट्टोनवुड' 'ब्रेट्टोनवुड' के संस्थान, उनका स्वरूप उनकी कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है जिसे हम पूर्णतया पसन्द नहीं करते हैं। हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों ही में इन संस्थानों में सुधार के लिए लगातार, दृढ़तापूर्वक कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। परन्तु यह कहना कि विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना ही देश को बेचना है, यह बिल्कुल मान्य नहीं है। मैं किसी सरकार और विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने स्वतंत्रता दिलाई, के विरुद्ध प्रयुक्त की जा रही ऐसी भाषा का विरोध करता हूं। यह बिल्कुल अशोभनीय है। मैं माननीय सदस्यों और विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि वह विचार करें कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित हो सकता है उनके हमारे साथ मतभेद हों; उनके विचार अधिक प्रबल हों। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने

का आह्वान है परन्तु "बेच देंगे" जैसे शब्द न तो उनके लिए उचित हैं और न ही उनकी पार्टियों के लिए और न ही इस देश के लिए।

करार–विश्व बैंक के करार एग्रीमेंट का अनुच्छेद–पर मेरे पास यह दो पुस्तकें हैं। अनुच्छेद में निम्नानुसार उल्लिखित है:

"कोष के सामान्य स्रोतों को उचित संरक्षण के अंतर्गत उन्हें अस्थाई तौर पर उपलब्ध कराकर सदस्य देशों को विश्वास दिलाना, इस प्रकार उन्हें राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय आयामों के विनाशकारी उपायों को प्रयोग किए बिना भुगतान संतुलन में कुप्रबंधों को सही करने के अवसर प्रदान करना।"

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन्हीं सब के लिए बना है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास किस लिए गए? संक्षिप्त रूप में इसी के लिए गए और इससे अधिक या कम कुछ नहीं। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार के अनुच्छेदों के ही अंतर्गत पूर्णतया आता है।

विश्व बैंक के बारे में

"निजी निवेशकों द्वारा गारंटियों अथवा ऋणों में भागीदारी और अन्य निवेशों के माध्यम से निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और जब निजी पूंजी वाजिब शर्तों पर उपलब्ध नहीं है, उचित शर्तों पर विश्व बैंक द्वारा और इसके अन्य स्रोतों से एकत्रित की गई अपने ही पूंजी कोष से उत्पादकीय कार्यों के लिए निजी निवेश की पूर्ति करना।"

विश्व बैंक, ऐसी सहायता के इच्छुक सहायतार्थ आए देशों को राहत प्रदान करने वाली संस्था है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमारे द्वारा ऋण लेने से पहले हुआ है। परन्तु हमने सभी किश्तें नहीं ली हैं। हमने एक अथवा दो किश्तें ली हैं और जब अन्तिम किश्त लेनी थी, तो हमारी स्थिति सुधर गई, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते, कहा, "मुझे अन्तिम किश्त लेने की जरूरत नहीं है; मैं अन्तिम किश्त नहीं लूंगी और इसे छोड़ दूंगी"। यह हम पर निर्भर है कि हम इसे लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह उपलब्ध है। क्या श्री विश्वनाथ ने अपनी सरकार को यह ऋण मांगने की स्थिति में रहने दिया? मुद्दा यह है। इसे प्राप्त करके, उसने इसे उपयोग किया अथवा नहीं, यह बिल्कुल भिन्न सवाल है।

यह जानना बहुत रुचिकर है कि कभी-कभी वाकपटुता द्वारा हमें कैसे दूर ढकेल दिया जाता है। श्री विश्वनाथ के सब प्रयासों के बावजूद भी भुगतान संतुलन की स्थिति सुधरी नहीं। नि:संदेह, यह हमारा दोष नहीं है; वह जो कुछ करना चाहते थे, उन्होंने वह करना जारी नहीं रखा।

विश्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1991 में एड् इण्डिया कंसोर्टियम की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों ही से विचार-विमर्श किया गया था।

विचार-विमर्श प्रतिवेदन में जब तक मूल सुधार नहीं कर लिए जाते सहायता का कोई भी नया वायदा न किए जाने के बारे में उसमें उल्लेख था और कोई हल नहीं था। विश्व बैंक के पास जाने वाले और बातचीत करने वाले प्राधिकारी श्री विश्वनाथ जी को स्मरण होना यद्यपि उनके उन हस्ताक्षरों का कोई महत्व नहीं है; जो उन्होंने प्रधानमंत्री होने के नाते किए थे।

*** *** ***3

"आज आसान विकल्प उपलब्ध नहीं है। अब यह हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम आवश्यक वृहद आर्थिक समायोजन करना शुरू करें। हमें यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि अनेक वर्षों के दौरान जुड़े आर्थिक असंतुलन को एक ही कार्यवाही से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यह आवश्यक है कि हम सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करें। इसके अंतर्गत भी कठोर निर्णय और कठिन उपाय ही करने पड़ेंगे। अगर हमें देश के आर्थिक सुधार को पुन: कायम रखना है तो हमें वास्तविकता की उपेक्षा करने की बजाय इसका सामना करना चाहिए। हम इस संदर्भ में आर्थिक संगठन को अत्यधिक वरीयता देते हैं। इस प्रकार फिजूलखर्ची न करना सरकार के लिए न सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष बल्कि 1991-92 और बाद में भी मुख्य उद्देश्य होगा। सरकार अगले वित्तीय वर्ष से आर्थिक सुधार और संगठन की प्रक्रिया को जारी रखेगी। हमें आशा है कि हम केन्द्र सरकार का बजट घाटा काफी हद तक कम कर देंगे..." और यहां पर यह जादूई आंकड़ा है।

"काफी हद तक, ताकि यह 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.5% हो"। यही आंकड़ा डॉ. मनमोहन सिंह ने लिया था।

"इस प्रकार की कमी तीन वर्षों की अवधि के दौरान एक वहनीय आर्थिक शासन में हमारे परिवर्तन की शुरुआत होगी जिसमें 70 के दशक के मध्य की तरह आर्थिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद के तीन से चार प्रतिशत के बीच लौट आए। इस उद्देश्य हेतु सरकार व्यय पर सख्त नियंत्रण रखेगी और राजसहायता को तर्कसंगत बनाएगी ताकि इनका उपयोग गरीबों के लिए हो..."

"इसके साथ ही सरकार अपेक्षित बजट घाटे को कम करने के लिए राजस्व प्राप्ति और राजस्व और व्यय उपायों के समन्वय को सुधारेगी। इस संबंध में निकट भविष्य में योजना बनाई जाएगी और उसे आगामी वित्त वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा।"

लेकिन 'निकट भविष्य में' सरकार ही बदल गई। यह स्थिति है। इसलिए इस कार्य में निरन्तरता है।

जैसा कि मैंने कहा है, मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम ऐसी स्थिति में थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था; हमें वहां जाना पड़ा। एक समूह था, इस समूह ने कहा, "खेद है कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे, आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आप हमारी अदायगी को वापस नहीं दे सकेंगे। इसलिए कृपया हमसे कुछ भी मत मांगिए"। यह स्थिति थी।

वित्त मंत्री द्वारा लिखे पत्र में भी यही बात कही गई है। मैं इस पत्र में से नहीं पढ़ना चाहता; लेकिन इस पत्र का उद्देश्य यह है कि इस पर निगरानी रखी जाएगी क्योंकि जब तक ऋणदाता ऋण देना चाहे वह भारत में एक सहकारी बैंक हो या अन्य बैंक हो और यदि आप मात्र एक भैंस खरीदने के लिए ऋण देते हैं तो कोई व्यक्ति होता है जो यह देखता है कि भैंस है या कोई अन्य पशु भैंस के नाम पर खड़ा कर दिया गया है, यह सामान्य प्रक्रिया है।

कोई भी व्यक्ति जो एक बैंक चलाता है और विशेषकर ग्रामीणों के लिए ऐसा करता है तो वह जानता है कि इस कार्य के विकास के पहलू पर गौर करने के लिए भी कोई है क्या यह धनराशि उचित रूप से उपयोग की जा रही है, क्या ऐसी योजना है जिसके द्वारा ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण लौटा भी सकेगा या नहीं। एक बैंक को सरकार के आदेशानुसार बैंक के रूप में कार्य करना होता है एक दान देने वाले निकाय के रूप में नहीं। इसी वजह से कुछ पार्टियां ऐसे बैंक बनाना चाहती थीं। इसी के कारण इस समस्या का एक भाग उत्पन्न होता है। सरकार ने प्रथम ऋण किश्त में अतिरिक्त व्यवस्था के लिए भी अनुरोध किया था, इसके तहत मार्च, 1991 के अन्त तक की अवधि थी।

आर्थिक घाटे में सुधार लाने और भुगतान संतुलन में सुधार में प्रगति हुई है। हम इस समर्थन को और बढ़ाना चाहते हैं इसलिए और अधिक समर्थन चाहते हैं। सहायता प्राप्त करने और ऋण प्राप्त करने के लिए सभी निर्णय और सभी इच्छाएं एक समान थीं। ऐसा नहीं है कि कोई नया निर्णय लिया गया है। यह इस मामले का एक भाग है।

दूसरा भाग यह है कि हमें यह स्थिति विरासत में मिली है और मैं कहूंगा कि हम एक-दम सही कार्य करना चाहते थे और हमने यही किया है। अगर मैं इस बारे में आश्वस्त नहीं होता कि हमें क्या करना है तो मैं ऐसा नहीं करता। यह सरकार ऐसा नहीं करती।

जैसा कि मैंने कहा है जो प्रस्ताव किया गया था वह उसी के अनुरूप था जिसका हमने लोगों को वायदा किया था और इसलिए हमने इसे स्वीकार कर लिया। इसे स्वीकारने का वास्तविक तर्क यही है। अब अगर इस चुनाव घोषणा पत्र अथवा इसमें निहित हमारी बातों पर लोग, कुछ पार्टियां सहमत नहीं होंगी तो सारा देश इस पर फैसला देगा।

*** *** ***4

यह सरकार जनता के प्रति पूर्णतया जवाबदेह होगी, जो इसे सत्ता में लाई है। पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद इसके कार्यनिष्पादन के कारण ऐसा हुआ है किसी बहानेबाजी के कारण ऐसा नहीं हुआ है। हम इसे करेंगे। मैं पुन: जोर देकर कहना चाहता हूं कि हम अपने वायदों पर कायम हैं। वास्तव में हमने लोगों को एक वादा किया था जिसके लिए चार वर्ष का समय निर्धारित था। हमें यह चार वर्षों में करना चाहिए था। हमने यह कार्य अर्थात् नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चार महीनों में ही लागू करना शुरू कर दिया है। हमने पाया कि यह

इतना अनिवार्य है कि चार वर्ष इन्तजार करने की बजाय इस कार्य को इसी वर्ष लिया जाए। मैं इस पर बाद में बोलूंगा।

इसलिए, देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को अस्त-व्यस्त करना पूर्णतया अप्रासंगिक है। यह मुद्दा नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूर्णतया यह कहना चाहूंगा कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को किसी भी प्रकार हमारे द्वारा प्रभावित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

लेकिन प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता का अर्थ यह नहीं है कि संकट के समय में कुछ भी न किया जाए। प्रभुसत्ता के अंतर्गत अपनी नीतियों पर पूर्णरूप से नियंत्रण रखना होता है। विश्व बैंक ने यह नहीं चाहा कि मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कुछ भी करूं। विश्व बैंक ने गरीबी के खिलाफ कार्यक्रमों के बारे में कुछ नहीं कहा। यदि विश्व बैंक कल यह कहे कि आपको ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाने तो मैं कहूंगा कि मुझे अफसोस है, आप इसे पसन्द करें या न करें हम इन कार्यक्रमों को लागू करेंगे। इस प्रकार विश्व बैंक किसी भी सीमा तक मेरी आन्तरिक नीति, आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। निश्चित रूप से विश्व बैंक की अपनी कुछ शर्तें हो सकती हैं। अगर मुझे ये शर्तें उपयुक्त लगती हैं केवल तब ही मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। अगर ये शर्तें हमारे लिए अनुपयुक्त हैं, हमारी नीति के विरुद्ध हैं तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने जो कुछ कहा है वह अर्थपूर्ण है। मैं यह नहीं मानता कि विश्व की जो स्थिति आज है वह मेरे या किसी के विचार से असीमित पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस पर प्रस्ताव के रूप में सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि इसका देश के कार्यक्रम के तौर पर कोई संबंध है। गरीबों के हितों संबंधी कार्यक्रम के बारे में हमें विचार करना चाहिए। देश में व्याप्त व्यापक गरीबी जिससे देश पीड़ित है उसे देखना होगा। विश्व में दो तीन देश ऐसे हैं जिनकी समस्या एक ही तरह की है। चीन की भी ऐसी ही समस्या है। हमारी कुछ कठिनाइयां हैं। ब्राजील जैसे देश के साथ भी कुछ कठिनाइयां हैं और देश में पूर्ण पूंजीवाद के आने से हमारी इन कठिनाइयों का निदान नहीं हो सकता। इसका हमें पूरा यकीन है। इसलिए हमें एक तीसरा रास्ता खोजना होगा। तीसरा मार्ग यह है कि जब हम उदार अर्थव्यवस्था को अपना लें और जब विश्व अर्थव्यवस्था के भाग बन जाए तब तक हम विश्व अर्थव्यवस्था को अपने ऊपर हावी न होने दें। हमें अपने कार्यक्रम को पूरी तरह किसी अन्य प्रभावों से बचाए रखना होगा चूंकि यह हमारी जनता के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा हमारा मानना है। इस प्रकार इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। हमने सोच समझकर गरीबों के लिए देश में जो भी कार्यक्रम हैं उसे बजट में शामिल किया है। हमारे कार्यक्रमों में कुछ कटौती भी की गई है जो सामान्य है।

यदि हमारे पास पैसे नहीं हों तो यहां-वहां कहीं थोड़ी और कहीं अधिक कटौती करनी ही पड़ती है। लेकिन हमने दूसरी तरह से भी उस कटौती को पूरा करने का प्रयास किया है। डॉ. मनमोहन सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि जो 500 करोड़ रुपए की कटौती ग्रामीण

विकास कार्यक्रमों में की गई है उससे अधिक धन नेशनल ट्रिब्यूनल फंड से लेकर केवल गांवों में रोजगार कार्यक्रमों पर लगाया जाना है। वास्तव में इसमें सुधार किया गया है। या तो आप मुझे बोलने दें या आप कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। जिन लोगों के पास न तो विचार हैं और न कोई मुद्दा वे पुन: ऐसा ही करेंगे।

'शेषम् कूपे न, पूरयेत'।

यही कहना है। इसलिए महोदय, यह जो एक यह मुफ्त कार्यक्रम है यह बेहतर है, क्योंकि यदि ग्रामीण विकास के लिए सामान्य तौर पर हम 500 करोड़ रुपये दे देते तो उसका विभिन्न कार्यों में उपयोग हो जाता। अब यह 500 करोड़ रुपये या 800 करोड़ रुपये उससे कुछ अधिक रुपया विशेष रूप से रोजगार पैदा करने के कार्यक्रम पर लगाया जाएगा और इसकी मुझे प्रसन्नता है। उसी कार्य के लिए यह राशि निर्धारित की जानी थी क्योंकि इसकी आज आवश्यकता है और हम इस पर ध्यान देंगे कि उक्त राशि का इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा।

जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, यह गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह सच है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य असन्तोषजनक है क्योंकि इसे केन्द्र सरकार नहीं चलाती है। यह बहुत स्पष्ट है और किसी को भी यह मालूम होना चाहिए कि राज्य और केन्द्र स्तर पर जो सरकारें हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केन्द्र सरकार आंशिक रूप से चलाती है। उसके अतिरिक्त सारे कार्यों के लिए इसे राज्य सरकार के तंत्र पर निर्भर करना होता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम या तो उचित दर की दुकानों की व्यवस्था कर सकते या उसके कार्यकरण की देखरेख कर सकते हैं। इसे राज्य सरकार की व्यवस्था द्वारा चलाया जाना है और मुझे प्रसन्नता है कि जब राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा की गई तो सभी दलों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें सुधार करने के लिए सहयोग की अपनी इच्छा व्यक्त की और इसका पूरा लाभ लेते हुए मैंने राजस्थान जाकर इस कार्यक्रम का उद्‌घाटन कर दिया यह मैंने आन्ध्र प्रदेश या कर्नाटक में नहीं किया क्योंकि वास्तव में यह कोई दलगत मुद्दा नहीं था। मैंने सबसे पिछड़े क्षेत्र को चुनने का इरादा किया और वहां गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि इस कार्यक्रम के उद्‌घाटन के बाद वह स्वयं कई जिलों में गए और पाया कि कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने और लागू किए जाने के बाद यह अच्छी तरह कार्य कर रहा है। इसमें कहीं थोड़ी बहुत खामी रह गई होगी। उन खामियों पर हम किसी भी समय विचार करने के लिए तैयार हैं क्योंकि इतना विशाल और व्यापक कार्यक्रम पूरी तरह त्रुटिविहीन नहीं हो सकता। यदि कोई खामी है तो हमें जो भी करने की आवश्यकता होगी हम करेंगे और जो उनके करने के लिए है उसे वे करेंगे। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को एक साथ मिलकर सुचारु रूप से और पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करना होगा और ऐसा ही होना चाहिए। आने वाले समय में वह गांवों में वास्तविक रूप में आर्थिक केन्द्र होगा।

केवल चावल और गेहूं ही नहीं बल्कि जो भी खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं हम उपलब्ध कराते हैं हमने वहां उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुओं के साथ जोड़ दी हैं। राज्य सरकारें उत्पादकों और निर्माताओं से बातचीत कर रही हैं कि दियासलाई, नमक, जैसी वस्तु प्रचुर मात्रा में उन्हें उपलब्ध कराई जाएं और वहां से दुकानों को वितरित की जाएंगी। महोदय, यह अति साधारण कार्यक्रम है। यह कोई जोरदार कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह कार्यक्रम आने वाले कल के लिए है जिस पर क्षेत्र के पूरे आर्थिक क्रियाकलाप टिके होगें। हमने विशेष कर गांवों में 1700 ब्लाकों को चुना है। मैं नहीं जानता कि सदस्यों ने यह जानने का प्रयास किया है या नहीं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के कितने ब्लाक इसमें शामिल किए गए हैं। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि वह इसकी जानकारी लें, उन दुकानों पर जाएं और यह देखें कि वे अच्छी तरह कार्य कर रही हैं या नहीं। यदि ये ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो पता लगाएं कि इसका क्या कारण है। यह सभी सदस्यों का कर्तव्य है।

इस वर्ष हमने चार मिलियन टन अधिक खाद्यान्न जारी किया है फिर भी स्टाक की कमी है। हमें आयात करना पड़ता है। ऐसा वर्षों से होता आया है। हमने आयात और निर्यात किए हैं। लेकिन निर्यात के कारण भी यहां सुसंगत हैं। अब 1990 में दस लाख टन गेहूं निर्यात करने का निर्णय लिया गया था तो उस समय ऐसी बात नहीं थी कि हमारे पास अनाज का अपार भंडार था बल्कि हमें किसी तरह विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी थी। अब इस तरह की स्थितियों से हमें बचना होगा। हमें अपना भंडार खाली नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी स्थिति में अपने अतिरिक्त भंडार को खाली नहीं होने देना है और यह पाठ हमने विगत दो-तीन वर्षों में सीखा है। इसे हमें नीति के तौर पर स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी इस नीति पर दृढ़ रहना चाहिए। खाद्यान्न के मामले में जो भी हो हमें किसी भी संकट में नहीं पड़ना चाहिए और मेरा यह कहना है कि इस सरकार की भी यही नीति रहेगी।

औद्योगिक मुद्दे पर मैंने पहले ही संसद में प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। यह ब्यौरा दिया गया है कि निवेश की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है और विगत कुछ महीनों में, चार या पांच महीनों में जब से नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी मिली है। 1000 करोड़ रुपये के लगभग निवेश हुआ है। एक प्रश्न के उत्तर के दौरान मैंने यह भी कहा था कि निवेश का यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए तक अगले एक सप्ताह या कुछ सप्ताहों के अन्दर पहुंच जाएगा। यह सब हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए और सामान्य रूप से देश के विकास के लिए अत्यंत जरूरी है क्योंकि इस निवेश की 80 प्रतिशत राशि हमें मूलभूत क्षेत्रों में प्राप्त हो रही है। यह कोई अनावश्यक चीज नहीं है। यह हमारे देश के लिए अति आवश्यक है–जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। यह स्पष्ट है कि यदि हम अपने संसाधनों पर ही निर्भर रहे तो इस तरह का निवेश कर पाना हमारे लिए अगले 20 वर्षों तक असम्भव होगा। विद्युत और उर्वरक क्षेत्र तथा सभी मूलभूत क्षेत्रों को इस निवेश से लाभ मिल रहा है और इसकी मुझे खुशी है और महोदय, आठवीं योजना के लिए जो हमने

योजनाएं बनाई हैं यदि वह सफल होती हैं और मैं आशा करता हूं कि वे सफल होंगी, परन्तु उन पर विदेशों से राशि प्राप्त किए बिना कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। इस योजना को पूरा करने के लिए विदेशों से निवेश प्राप्त करना होता है और हमारे संसाधनों से जो भी राशि प्राप्त होगी वह गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों में चली जाएंगी। इस तरह की रोक लगाने का हमने प्रयास किया है और इस संबंध में हमने निर्णय भी लिए हैं। हमने योजना आयोग से कहा है कि इस तरह योजनाबद्ध तरीके से हमें प्रतिबंध लागू करना है।

रोजगार के मुद्दे पर भी बहुत सारी टिप्पणियां की गई हैं। कुछ सदस्यों का यह कहना है कि रोजगार के लिए हमने जो भी वादे किए वे सभी ठीक नहीं हैं।

*** *** ***5

योजना आयोग ने हमें रोजगार के आंकड़े दिए हैं: कृषि 4.16 मिलियन, खनन और खदान कार्य 0.13 मिलियन, विनिर्माण कार्य 1.36 मिलियन, निमार्ण कार्य .59 मिलियन, विद्युत .03 मिलियन, परिवहन और संचार .28 मिलियन और अन्य सेवाएं 8.89 मिलियन प्रतिवर्ष। चुनाव घोषणापत्र में हमने यही वायदे किए हैं, इसके अतिरिक्त, वृक्षारोपण और बंजरभूमि विकास का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कल्पना की जा सकती है कि इन कार्यक्रमों का सम्मिलित प्रभाव हमारे जनता से किए गए वायदों से कम नहीं हो सकता और इसे पूरा किया जाएगा।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह उपयोगी नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। देश के द्रूत औद्योगिकीकरण के संदर्भ में ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर देने होंगे। मैं किसी माननीय सदस्य या अर्थशास्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या कोई दूसरा रास्ता है। देश के द्रुत औद्योगिकीकरण के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य रास्ता नहीं दिखाई देता।

कृषि क्षेत्र में, स्वरोजगार के लिए जो भी संभव होगा वह किया जाएगा किन्तु साथ-साथ उस देश में रोजगार के अवसर जुटाने का एकमात्र उपाय औद्योगिकीकरण ही है। अत: उसका निर्णय तो लिया गया है।

अटलजी ने शिक्षा के बारे में एक कटु टिप्पणी की है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो भी कहा गया है, वह हमें कुछ प्रोत्साहन देता है। वास्तव में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह बताए जाने पर कि साक्षरता क्षेत्र में हमने सफलता प्राप्त की है। उन्हें प्रोत्साहित होना चाहिए और गौरवान्वित महसूस करना चाहिए?

यह कहा गया था कि इस शताब्दी के अंत तक भारत में अशिक्षितों की संख्या सर्वाधिक होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ऐसा लगता है भारत इस स्थिति से बच जाएगा। उन्होंने जिस एक तथ्य का उल्लेख किया है उससे मैं अति प्रसन्न हूं। बालिकाओं में साक्षरता बढ़ रही है यह उत्तरी राज्यों में बढ़ रही है। केरल में नहीं। केरल में बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं क्योंकि यह पहले ही पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर चुका है। यह उत्तरी राज्यों में बढ़ रही है। साक्षरता कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश ने उत्तम कार्य किया है। दूसरे राज्य भी आगे आ

रहे हैं। अत:, इस शताब्दी के अन्त तक भावी भारतीय नागरिक को इस शर्म से अपना सिर नहीं झुकाना पड़ेगा कि इस देश में सर्वाधिक अशिक्षित रहते हैं। इसमें जिन कार्यक्रमों का उल्लेख है उन पर निश्चय ही हम गर्व कर सकते हैं और मैं किसी पैरा का महत्व उसकी लम्बाई से नहीं आंकूंगा।

अब अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम को लीजिए। अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कई कटु तथा अन्य टिप्पणियां की गई हैं, महोदय, मैं सदन में घोषणा करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक आयोग को इसी सत्र में वैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा। पूरी तैयारी है और मुझे विश्वास है कि, हम यह करने में सफल होंगे। यह मांग काफी समय से चली आ रही है। यह प्रस्ताव काफी समय से है। हमने इसे मान लिया है। हम इसे पूरा करना चाहते हैं और हम इसी सत्र में पूरा करना चाहते हैं।

इस सदन में कई अवसरों पर कतिपय विदेश नीति के कतिपय पहलुओं की व्याख्या की है। सिर्फ एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिस पर मतभेद है और वह है इजरायल के साथ राजनयिक संबंध। महोदय, जब हम इजराइल को मान्यता देने की बात करते हैं। तो मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य वास्तव में क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इजरायल मान्यता प्राप्त देश है। बहुत समय पूर्व जब पण्डित जी जीवित थे। तभी हमने इसे मान्यता दे दी थी। हमने यह किया है कि, हमने राजनयिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुम्बई में एक वाणिज्य दूतावास पहले ही है।

आज, स्थिति यह है कि फिलिस्तीनियों द्वारा अपने लक्ष्य प्राप्ति के संघर्ष में मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करके घटनाक्रम में भारत की भागीदारी पहले की अपेक्षा काफी महत्वपूर्ण हो गई है। मैं वैयक्तिक चर्चा इत्यादि नहीं करना चाहता। किन्तु पूरी जिम्मेदारी की भावना से मैं कहूंगा कि यह निर्णय मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने में घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। हम दो वर्ष, चार वर्ष और प्रतीक्षा कर सकते थे। मुश्किल सिर्फ यही थी कि सारे विश्व में सिर्फ हमारा ही देश अकेला पड़ जाता। उस प्रकार से अलग-थलग पड़ जाना हमें स्वीकार नहीं था और इसके साथ ही मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने के घटनाक्रम में भारत की जो भूमिका होगी आप देखेंगे। किसी अवसर पर माननीय सदस्य यह निर्णय लेने पर मुझे बधाई देंगे।

इस तथ्य के बावजूद कि हमने जो किया है हम उसे बिल्कुल उचित मानते हैं। आज जो मतभेद विद्यमान हैं हो सकता है कि मित्रों के दिमागों में कुछ संशय है। कुछ मित्रों ने मुझ पर इन संशयों को व्यक्त किया। इन संशयों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं उन्हें सिर्फ यह आश्वासन देता हूं कि ये संशय आधारहीन हैं। फिलिस्तीनियों के उद्देश्य का उतना ही समर्थन करते हैं जितना कि पहले करते थे और भारत द्वारा लिए गए निर्णय से यह उद्देश्य भली-भांति पूरा होगा और शायद अन्यथा इतनी अच्छी तरह पूरा न होता। मैं यह चाहता हूं।

*** *** ***6

मैं वास्तव में नहीं जानता। प्राय: प्रत्येक देश के उन देशों को छोड़कर, जिनके साथ विवाद है, लगभग सभी देशों ने ऐसा ही किया है क्योंकि वह इसमें भूमिका निभाना चाहते थे। आगामी वर्षों में मध्य-पूर्व क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मंच होगा। जिसमें कि हर देश की भूमिका काफी नाजुक होगी। हमें इन मामलों में थोड़ी दूरदृष्टि रखनी होगी। हमने इसे अस्थायी रूप से लिया है। किन्तु इसके साथ ही हमने उचित कार्य किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो किया है वह सही है।

जिन मुद्दों को उठाया गया था उन सभी का मैंने उल्लेख किया है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन्हें उठाने की आवश्यकता नहीं थी किन्तु उन्हें रखा गया है। मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि यह प्रश्न, यह नारा जो उठाया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, कि देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को कोई खतरा है, या कोई संकट है।

मैं अपनी पूरी शक्ति से, पूरे बल से इसका खण्डन करुंगा और इस पर मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। हमने जो किया है वह उचित है।

मैं विद्यार्थियों को संबोधित करता रहा हूं। मैं नवयुवकों को संबोधित करता रहा हूं, मैं लाखों की संख्या में ग्रामीणों को संबोधित करता रहा हूं और मैं पाता हूं कि जब उन्हें बताया जाता है कि लाइसेंस-परमिट राज समाप्त हो रहा है। समाप्त हो गया है। आपको उनसे जिस प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है वह जबर्दस्त होती है।

हां, एक परिवर्तन है। हमारे साधनों में परिवर्तन हुआ है पर उद्देश्य में नहीं। मैं इसे पूर्णत: स्पष्ट करना चाहता हूं। उद्देश्य वही है। मैं उस उद्देश्य को पुराने तरीकों से पूरा नहीं कर सकता। मुझे तरीके बदलने होंगे। संपूर्ण विश्व बदल गया है। सभी देश बदल गए हैं। इस बात में कोई औचित्य नहीं कि भारत नहीं बदलेगा। जबकि हम कल तक जो उद्देश्य कुछ अन्य साधनों से प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए आज अलग साधनों की जरूरत है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह व्यवहारिक है, उद्देश्य बिना बदले और उद्देश्य छोड़े बिना। हमने इस पर विस्तार से विचार किया है कि क्या इसका कोई विकल्प था।

नहीं था। मैं इस पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं सदन में एक विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ संशोधन के लिए है। यह एक बहुत मामूली-सी बात है। इस पर चर्चा करें। भारत के सामने क्या विकल्प थे? आज भारत के सामने क्या विकल्प हैं? आठ महीने पूर्व की बात छोड़िये। आज भारत के पास क्या विकल्प हैं? मैं खुले विचार रखूंगा। मुझे विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं वह उचित है। यदि कोई इस सदन को, अथवा मुझे विश्वास दिला सकता है कि आज के विश्व में इसी के समान लाभप्रद। समान प्रभावकारी एक और अन्य मार्ग है, तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। किन्तु मैं बार-बार कहूंगा कि मैंने जो

किया है वह उचित है और इसी विश्वास ने इस कार्यक्रम पर आगे कार्य करने के लिए मुझे प्रेरणा दी है? मैं राष्ट्रीय सर्वसम्मति चाहता हूं। जो पहले से ही है। एक मत का अर्थ सर्वसम्मति नहीं होता। मैं यही कह सकता हूं कि एकमत का अर्थ है वी. पी. सिंह के अलावा सर्वसम्मति श्री चटर्जी के अलावा सर्वसम्मति कुछ व्यक्तियों के अलावा सर्वसम्मति मैं समझता हूं कि सी. पी. आई. (एम.) में मेरे मित्रों को आपत्ति है। मैं यह जानता हूं। किन्तु इसके बावजूद मुझे यह कहना होगा कि हमने जो सुधार का यह नया कार्यक्रम बनाया है और जो मार्ग चुना है उसके पीछे इस देश की जनसंख्या के एक बहुमत का समर्थन एक चट्टान की भांति खड़ा है। यह ऐसे ही होगा और हम इसका पालन करेंगे।

पश्च टिप्पण

III. **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर 9 मार्च 1992**

1. **कुछ माननीय सदस्य** : किसके बारे में?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : फाइलें यहां नहीं लाई जाती हैं। मेरा कहना है कि जो भी तथ्य और आंकड़े मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, वह पूर्णतया सत्यापित, सही और अनुप्रमाणित हैं।

2. **श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : ऐसी शर्तों पर नहीं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : चाहे वह शर्तें कुछ भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के विरुद्ध ऐसा दुराग्रह अथवा पक्षपात अथवा विचारधारा पैदा करना हमारे देश के हित में नहीं है।

3. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : शर्तों के प्रश्न के बारे में यह सर्वविदित है कि दो-तीन प्रकार की निधियां उपलब्ध हैं। एक तो देश की अपनी ही जमा निधि होती है। एक देश बिना किसी शर्त के इसमें से राशि ले सकता है। इस पर कोई आपत्ति नहीं है; यह आपका अपना पैसा है। एक और माध्यम है जिससे आपको इससे कम पैसा मिलता है: परन्तु इसको प्राप्त करने की कोई शर्त नहीं है। जब खाड़ी संकट के दौरान, यही सुविधा बिना शर्तों के उपलब्ध थीं। हम शर्तों से सहमत नहीं थे। अब दोनों को आपस में मिलाकर मामला प्रस्तुत करने की कोशिश करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह सही नहीं है। यह सत्यापन पर आधारित है। मैं सहमत हूं कि अपने ही पैसे के लिए शर्तों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप इसे कभी भी ले सकते हैं। आप परिस्थितियों से इस हद तक घबराए हुए थे कि आपको इसे प्रथम स्थान पर लाना पड़ा और आपने द्वितीय साख को भी प्राधिकृत कर दिया। बातचीत आपके समय में शुरू हुई थी। मैं सहमत हूं, कि बातचीत के सिलसिले को जारी रखने के लिए आप वहां नहीं थे। इसमें यहीं सब कुछ था। मैं आपको केवल तथ्य और आंकड़े बता रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खाड़ी संकट के दौरान खनिज तेल के मूल्यों में अचानक वृद्धि हो गई थी और देश को इसे वहन करना पड़ा था। ये तेल मूल्य शर्तों के बगैर उपलब्ध थे। यही वजह थी। इन शर्तो के सामने झुकने का प्रश्न ही नहीं था। यही मुद्दा है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं आपको सारे विवरण दे सकता हूं। मैं आपको और अधिक विवरण दे सकता हूं। यदि आवश्यक हुआ तो वित्त मंत्री इस बारे में और विवरण देंगे: लेकिन तथ्य यह है कि मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह मुद्दा है। मैं विश्वनाथ जी या उनके बाद आने वाली श्री चन्द्रशेखर की सरकार पर या किसी भी पूर्व सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा।

मैं यह कह रहा हूं कि देश के सम्मुख स्थिति में हमें, उन्हें या उनके बाद आने वाली सरकार को, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं मात्र यही कर रहा हूं।

मैं चन्द्रशेखर सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री के वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं। जो उन्होंने किसी अन्य स्थान पर नहीं बल्कि संसद में दिया था। उन्होंने कहा था कि –

श्री बसुदेव आचार्य : आपकी पार्टी ने इसे समर्थन दिया था। आपने सरकार के गठन में सहायता दी थी।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं समझता हूं कि वे सही बात सुनने के मूड में नहीं हैं। मैं क्या कर सकता हूं?

श्री बसुदेव आचार्य : यह सच है। आप इसे स्वीकार करते हैं।

4. **श्री रूपचन्द्र पाल** (हुगली) : आपने अनेक अन्य मुद्दों पर भी वादा किया था जैसे मूल्यों में सौ दिन के अन्दर कमी लाई जाएगी।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हां। हमने अनेक वायदे किए हैं और हम अनेक कार्य कर रहे हैं। हम कुछ में सफल रहें हैं और कुछ में नहीं। लोग पांच वर्ष के बाद हमें अपना फैसला देंगे। वे हमसे किए गए कार्यों का ब्यौरा लेंगे, कृपया इसकी चिन्ता मत कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने वायदा किया था कि आप सौ दिन में मूल्य कम कर देंगे इस बारे में क्या हुआ?

5. **अध्यक्ष महोदय** : क्या आप शांत रहेंगे।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, रेल मंत्री ने यह घोषणा की है कि 6000 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बहुत से श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यह हिसाब लगाया गया है।

श्री सोमनाद्रीश्वर राव बाड्डे (विजयवाड़ा) : विद्युत चालित इन्जनों के बारे में क्या किया जाएगा? भेल (बी.एच.ई.एल.) ने आपूर्ति करने की पेशकश की है। क्या आप यह उपलब्ध कराने जा रहे हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : प्रत्येक किलोमीटर में 1800 से 2000 कार्य दिवस की रोजगार सम्भावना उत्पन्न करने का हिसाब लगाया गया है। इस हिसाब से 6000 किलोमीटर के लिए रोजगार सम्भावना कितनी होगी आप हिसाब लगा सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : नई रेललाइन के बिछाने के बारे में क्या किया जा रहा है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : एक मात्र कठिनाई यह है कि कुछ भी बोलने से पहले हम कुछ भी पढ़ते नहीं हैं।

6. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** (जादवपुर) : इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी टैंकों पर बमबारी की घटना पर सरकार मौन क्यों है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए किसी भी कृत्य पर हम मौन नहीं हैं। हम किसी बात पर कभी भी मौन नहीं रहे हैं।

बोफोर्स मामले की जांच के बारे में वक्तव्य

23 अप्रैल 1992

अध्यक्ष महोदय, पहली अप्रैल, 1992 को ही मैंने सदन में बोफोर्स अनुबन्ध से संबंधित जांच और मामलों के विषय पर वक्तव्य दिया था। इस विषय के सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक बहस के पश्चात् मैंने स्पष्ट शब्दों में इस मामले पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया था। एक ही महीने में हम उसी विषय पर फिर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अवसर की भांति, दुर्भाग्यवश, यह मामला एक बार फिर अखबारी रिपोर्टों के आधार पर उठाया गया है जिसमें कमोवेश उन्हीं बातों को दोहराया गया है जो अखबारों में पहले ही आ चुकी हैं।

क्योंकि तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इस सदन में इस विषय पर जो कुछ पिछली बार कहा था उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकता हूं। पिछली बातों को दोहराते हुए, जैसा कि तत्कालीन विदेश मंत्री श्री सोलंकी ने इस सदन को पहले बताया था कि वे पहली फरवरी, 1992 को दावोस में स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री, श्री फेलबर से मिले थे। उन्होंने बोफोर्स अनुबन्ध से उत्पन्न मामलों से संबंधित भारत में की जा रही कार्यवाहियों के संबंध में एक नोट श्री फेलबर को दिया था। मुझे उन नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और स्विट्जरलैंड सरकार के विदेश मंत्री को उन नोटों को देने के लिए श्री सोलंकी को मेरे द्वारा प्राधिकृत करने का कोई सवाल ही नहीं था। यह इस मामले की सच्चाई है।

क्योंकि, वास्तव में, मैंने न तो उस नोट को देने के बारे में श्री सोलंकी को प्राधिकृत किया था और न ही मुझे उस नोट के बारे में जानकारी थी, इसलिए श्री सोलंकी द्वारा मेरे नाम या प्राधिकार का स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के समक्ष उल्लेख करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। श्री सोलंकी ने इस बात की पुष्टि की है और किसी तरह से मेरे बारे में उल्लेख करने से पुरजोर शब्दों में इन्कार किया है। सदन को घटनाओं के क्रम के बारे में पहले ही जानकारी है क्योंकि ये पिछली बहस के दौरान सदन की जानकारी में लाई गई थी। मैं एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि श्री सोलंकी द्वारा दिए गए नोट के बारे में न तो मुझे कोई जानकारी थी और न ही मैंने स्विस विदेश मंत्री को दिए जाने के लिए किसी नोट को प्राधिकृत किया था।

जबकि **मैं अपने इस विचार पर कायम हूं कि किसी अखबार में दी गई किसी अप्रमाणिक रिपोर्ट के आधार पर चर्चा, इन्कार या खण्डन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए** फिर भी मैं माननीय सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उस रिपोर्ट में उठाए गए कुछ मामलों में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विस विदेश मंत्री श्री फेलबर को श्री सोलंकी द्वारा दिए गए नोट के पश्चात् कुछ घटनाएं कथित रूप से घटीं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता

हूं कि स्विस सरकार से किसी नोट के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अखबार की रिपोर्ट में जिस "23 मार्च, 1992 के स्विट्जरलैंड से सी.बी.आई. को एक पत्र" का उल्लेख किया गया है वह वस्तुत: स्विट्जरलैंड से सी.बी.आई. के वकील श्री मार्क बोनेन्ट से एक फैक्स सन्देश की ओर संकेत है जिसमें श्री सोलंकी द्वारा श्री फेलबर को दिए गए ज्ञापन का उल्लेख था। यह पत्र सी.बी.आई. के कार्यालय में 24 मार्च, 1992 को रात को प्राप्त हुआ था और सी.बी.आई. के निदेशक ने इसे 25 मार्च, 1992 को देखा, वकील श्री बोनेन्ट ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि श्री सोलंकी द्वारा दिया गया ज्ञापन प्रधानमंत्री के अनुरोध पर था। इस पत्र में उन्होंने सी.बी.आई. से विभिन्न मुद्दों के बारे में निदेश मांगे थे। सी.बी.आई. ने श्री बोनेन्ट को 26 मार्च, 1992 को तुरन्त ही उत्तर भेज दिया और कथित ज्ञापन के बारे में किसी जानकारी से इनकार किया। सी.बी.आई. ने जोरदार शब्दों में कहा कि स्विस प्राधिकारी उक्त ज्ञापन को खातिर में लाए बिना अपनी जांच जारी रखे। अत: यह देखा जाएगा कि 23 मार्च, 1992 का पत्र एक वकील से अपने मुवक्किल को भेजा गया पत्र है और मुवक्किल ने तुरन्त और स्पष्ट शब्दों में कथित ज्ञापन का खंडन किया है।

अखबार की रिपोर्ट में एक अप्राधिकृत नोट के दिए जाने के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया के अभाव का भी उल्लेख किया गया है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि बहस के दौरान और विशेषरूप से मेरे अपने उत्तर में मैंने जोरदार शब्दों में ऐसे किसी सुझाव का खण्डन किया था कि वह नोट सरकार द्वारा या मेरी जानकारी से भेजा गया था। हमने सदन को सी.बी.आई., द्वारा स्विस प्राधिकारियों को 24 मार्च, 1992 और 26 मार्च 1992 को भेजे गए पत्रों के बारे में सूचना दी थी जिनमें हमने कानूनी सहायता के लिए अपने अनुरोध पर बल दिया था। इसके अलावा, जैसा कि सदन में कहा गया था, बहस के समाप्त होने के कुछ ही घंटों में स्विस सरकार को एक और पत्र भी भेजा गया था जिसमें इस बात का संकेत दिया गया था कि श्री फेलबर को दिया गया नोट प्राधिकृत नहीं था और इसलिए वह सहायता के लिए हमारे बकाया अनुरोध को किसी भी तरह प्रभावित न करें। इस स्थिति के बारे में अगले दिन मैंने राज्य सभा को सूचित किया था। इसलिए सरकार या सी.बी.आई. द्वारा इस स्थिति के बारे में पर्याप्त रूप से अथवा उपर्युक्त रूप से प्रतिक्रिया न करने का प्रश्न ही नहीं है।

अन्त में, मैं एक बार फिर इस बात पर बल देना चाहूंगा कि मेरी सरकार तथ्य का पता लगाने के लिए कानून के अनुसार और पूर्ण प्रयास से इस मामले की जांच कराने के लिए कटिबद्ध है।

पश्च टिप्पण

IV. बोफोर्स मामले की जांच के बारे में वक्तव्य 23 अप्रैल 1992

कोई टिप्पण नहीं।

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में कतिपय अनियमितताएं और लेन-देन के संबंध में वक्तव्य

9 जुलाई 1992

पिछले कुछ महीनों में देश के वित्तीय क्षेत्र में जो घटनाएं प्रकाश में आई हैं उससे मुझे तथा देश को काफी चिन्ता हुई है। इस प्रकार के मामले के प्रसार की पूर्ण रूप से जांच की जानी है तथा प्रभावी उपाय किए जाने हैं ताकि देश की वित्तीय संस्थाओं की आधारभूत निष्ठा को किसी प्रकार का धक्का न लगे और आर्थिक विकास को मजबूत करने तथा उसकी गति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले नए आर्थिक उपायों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। मेरी सरकार गत कुछ महीनों से परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर पर कारगर एवं प्रभावी उपाय करती रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच तथा विशेष न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही पर अमल किया जाएगा तथा उसके परिणामस्वरूप जो कुछ भी जरूरी हुआ वह किया जाएगा।

जबकि इस पहलू पर पूर्ण रूप से कार्यवाही की जा रही है मैं महसूस करता हूं कि संसद के माध्यम से व्यापक जांच किए जाने की आवश्यकता है। यह न केवल संसदीय श्रेष्ठता को पूरी तरह स्थापित करेगा, अपितु देश के हितों की सुरक्षा के लिए कारगर रक्षोपाय प्रदान करेगा। हमने संसद में सभी राजनीतिक पार्टियों से विचार-विमर्श किया है तथा इस संबंध में एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की आवश्यकता पर सहमति हुई है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वे संयुक्त संसदीय समिति के गठन की कार्यवाही करें तथा उसे वह उत्तरदायित्व सौंपे जिसका मैंने उल्लेख किया है तथा जो उपयुक्त समय के भीतर पूरा किया जा सके।

मैं इस महान सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य सत्य को उजागर करना है और राष्ट्र के व्यापक हितों में एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना है।

पश्च टिप्पण

V. बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में कतिपय अनियमितताएं और लेन-देन के संबंध में वक्तव्य
9 जुलाई 1992

कोई टिप्पण नहीं।

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

17 जुलाई 1992

ऐसी प्रथा है कि प्रत्येक चर्चा के अंत में उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद किया जाए, जिन्होंने इसमें भाग लिया। अधिकतर इसी वाक्य के साथ, चर्चा का उत्तर देने वाला व्यक्ति अपनी बात आरम्भ करता है।

*** *** ***1

वर्तमान मामले में मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के उन सदस्यों का किन शब्दों में धन्यवाद करूं जिन्होंने इस अर्थहीन सी चर्चा में भाग लिया; जिसे कि मात्र चर्चा के लिए की गई चर्चा कहा जा सकता है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, जिससे मैं इनकार नहीं करता।

पिछले एक साल के दौरान हमने इस सदन में तथा दूसरे सदन में अनेक मुद्दों पर चर्चा की है। बहुत से स्पष्टीकरण दिए गए हैं तथा बहुत से प्रश्न उठाए गए और अगर मैं यह कहूं कि जो कुछ भी अन्य इस चर्चा में कहा गया, वह पहले कही गई बातों की केवल पुनरावृत्ति, केवल उसका शीर्षक बदला है, तो यह कुछ गलत नहीं होगा। इस प्रकार इस चर्चा का सही सार है।

मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष के दौरान हत्याओं, आंखें निकालने, बलात्कार तथा समाज में तनाव जैसे नकारात्मक मुद्दों के कारण हमारे देश को राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार के दुष्प्रचार का सामना नहीं करना पड़ा। जो भी समस्याएं हमारे सामने आईं, हमने तुरंत उनका हल खोजने की चेष्टा की तथा इसीलिए सरकार ने आर्थिक कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया तथा तनाव पैदा करने वाले मुद्दों को सिर नहीं उठाने दिया और लोगों की समस्याओं और अन्य विकास संबंधी मामलों की ओर अधिक ध्यान दिया। मैंने बार-बार यह कहा है कि यह देश के लिए विकास, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और स्थिरता के रास्ते से हटने का समय नहीं है। यह दिखावा हमें नहीं करना है।

मैं उन दलों का आभारी हूं जिन्होंने अधिकतर हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा पिछले एक वर्ष के दौरान आम राय से कार्य करने का हमारा तरीका काफी सफल रहा। इस अविश्वास प्रस्ताव तथा इसके परिणाम के बावजूद मुझे यह विश्वास है कि यह प्रतिभा जारी रहेगी तथा यह सहयोग की भावना, और देश के समक्ष आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता बनी रहेगी तथा देश का शासन चलाने का यही एक मात्र तरीका है।

चर्चा के दौरान कुछ मंत्रियों ने भी उसमें भाग लिया, कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिए गए तथा उन मुद्दों पर इससे अधिक शायद मैं कुछ न कह पाऊं। मैं सरकार की प्रगति की दिशा और इस दिशा की ओर जाने के कारणों के बारे में मौटे तौर पर ही बताऊंगा। मेरे विचार में इस संबंध में मुझे कुछ अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है।

पिछले दो या तीन वर्षों से सारे संसार में मंदी चल रही थी। यह तथ्य कई रिपोर्टों, अनेक तथ्यों तथा आंकड़ों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व आर्थिक सर्वेक्षण से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब मेरी सरकार ने शासन की बागडोर संभाली तो उस समय सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् विश्व अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर में थी; अतएव हमें अनेक समस्याएं विरासत में मिली, खासतौर से पूर्वी यूरोप के देशों में आए बदलाव के कारण जब इन देशों में अत्याधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता थी, ऐसे समय में भारत को इन सभी देशों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति का विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत अपनी ओर केवल ध्यान ही नहीं बल्कि काफी मात्रा में पूंजी निवेश आकर्षित करने में सफल हुआ जो कि एक बड़ी बात है।

भारत के संबंध में विश्व आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया है, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं:

> **"भारत द्वारा 1991 में आरंभ किए गए आर्थिक सुधार लेटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीपों में आरंभ की गई परिवर्तन प्रक्रिया की दिशा में एक मील का पत्थर है। उदारीकरण की प्रक्रिया लोगों के आर्थिक विवेक तथा सरकार को और अधिक कुशल और कम दमनकारी बनाने के प्रति जागरूकता को परिलक्षित करती है।** 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध में सरकार विदेशी ऋण तथा कुल वित्तीय स्थानांतरणों में कमी के कारण काफी असमंजस की स्थिति में थी। ऐतिहासिक तथा तात्कालिक अनुभव से यह पता चलता है कि सारे विश्व को तथा विशेषकर भारत में वैधानिक ढांचों, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, वित्तीय तथा आर्थिक स्थिरता स्थापित करना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, न्याय तथा सामाजिक न्याय का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, तथा विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भविष्य की भूमिका निर्धारित करना अपरिहार्य है।"

संक्षेप में यह उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर लिया है जबकि इसके अतिरिक्त यह अपनी सीमित धन राशि का अधिकतम सदुपयोग करके उसे उन सभी क्षेत्रों को उपलब्ध करा रही है जहां कि निवेश आकर्षित किया जा सकता है अथवा जहां निवेश बढ़ने की संभावनाएं हैं।

मैंने पहले भी कई बार यह बात दोहराई है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम ग्रामीण विकास के लिए योजना परिव्यय में समुचित वृद्धि करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से विश्व में अपनी साख के द्वारा योजना आयोग ग्रामीण विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित कर पाया है। बेशक, अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनमें कि ग्रामीण विकास की अपनी भूमिका है तथा गांव और गांव के लोग उनसे लाभान्वित होते हैं तथा पिछली बैठक और हमारी हाल की बैठक में यह बातें सामने आई कि 14,000 करोड़ रुपए की यह राशि पर्याप्त नहीं है, तथा लोगों की जितनी आवश्यकता हम पूरी करना चाहते हैं; उनके लिए यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमने इस राशि को 14,000 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 30,000 करोड़ रुपए कर

दिया। यद्यपि इस राशि को 14,000 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 30,000 करोड़ रुपए करना अत्यधिक बढ़ोत्तरी माना जा सकता है, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि योजना दर योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बैकलॉग चलता आ रहा है, उसे देखते हुए मुझे तभी प्रसन्नता होगी, अगर आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ 50,000 करोड़ रुपए के लगभग राशि का आबंटन हो, परन्तु ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? ऐसा किस प्रकार संभव है अगर इस राशि का एक बड़ा हिस्सा तीन, चार या पांच करोड़ रुपए तेल, दूर संचार, बिजली इत्यादि जैसे आधारभूत क्षेत्रों पर व्यय हो जाता है। इन क्षेत्रों को बजट में सहायता प्रदान करना कदापि अपरिहार्य है। हमारा विद्युत, तेल तथा आधारभूत क्षेत्रों से पीछे हट जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हम जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना से ही इन क्षेत्रों पर योजना परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता आ रहा है। यह एक सर्वविदित तथ्य है। वंचित कौन रहा है? मानव संसाधन विकास का क्षेत्र सबसे अधिक वंचित रहा है। आज लोगों में निरक्षरता और लोगों के स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही नीचा है; लेकिन, इसका कारण भी आधारभूत क्षेत्रों पर हुआ अधिक व्यय है। अगर हम यह चाहते हैं कि यह पचास हजार या चालीस हजार अथवा ऐसी कोई राशि मानव संसाधन, ग्रामीण विकास में लगे जहां इसकी आवश्यकता है, तो इसका एकमात्र उपाय आधारभूत क्षेत्रों में निवेश की पद्धति में परिवर्तन लाना है, और ऐसा करने में हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। हमने विद्युत परियोजनाओं के संबंध में एक विशेष दल भी भेजा है। यह खुशी की बात है कि इस दल ने अपनी प्रथम यात्रा के दौरान कुछ बिजली परियोजनाओं की उचित रूप से समीक्षा कर ली है और इस संबंध में कुछ समझौते भी किए गए हैं। कागज़ी कार्यवाही चल रही है। इसकी स्वीकृति इत्यादि में कुछ समय लग सकता है। परन्तु उन्होंने 15,000 करोड़ का आंकड़ा दिया है, जो कि मेरे विचारानुसार 30,000 करोड़ अथवा 35,000 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है, तो इस राशि को ग्रामीण क्षेत्र में व्यय किया जा सकता है जहां कि इसके द्वारा लोगों के वंचित वर्ग की सहायता की जा सकती है। परन्तु देश को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि, बिल्कुल निचले स्तर से प्रगति के पथ पर लाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। मुझे इसका कोई अन्य विकल्प नज़र नहीं आता। हमने ऐसा ही करने का निर्णय लिया है, तथा ऐसा करने के लिए किसी बड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है तथा धीरे-धीरे चलने की प्राचीन नीति से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें यह 30,000 अथवा 40,000 करोड़ की राशि बिचौलियों को बीच में लिए बिना, सीधे निचले स्तर तक उपलब्ध करवानी है। केवल इसी तरीके से उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है।

इसलिए इसमें दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। हमने जो उदारीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, यह वैसा कार्यक्रम नहीं है जोकि अन्य बहुत से देशों द्वारा शुरू किया गया था। इसकी अपनी ही विशेषता है। इसमें उन क्षेत्रों को अपनाया गया है जिनको उदारीकरण से लाभ होगा। इसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें उदारीकरण के परिणामस्वरूप हानि भी हो सकती है चूंकि वे केवल एक ही दिशा में अपना ध्यान लगाए हुए हैं। इस समय हमारे जो गांव हैं, वहां पर

जो निरक्षरता है अथवा शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है, गांवों में लड़के और लड़कियों में कला-कौशल का अभाव है, यदि इन बातों की तुलना उनके उन साथियों, बहनों और भाइयों से की जाए, जोकि शहरों में रहते हैं जहां कि बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं हैं, तो ये बातें उन्हें काफी पीछे ले जाएंगी। इस प्रकार यदि केवल शहरों के विकास पर उद्योगों के विकास पर ही धन खर्च किया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि जो लोग शहरों के इर्द-गिर्द रहते हैं, केवल उन्हें ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी जबकि ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जाएंगे।

इसलिए, हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना है जिससे ग्रामीण लोगों, चाहे वह व्यस्क हों अथवा बच्चे हों, लड़के हों अथवा लड़कियां हों, उनकी योग्यताओं का इस ढंग से विकास हो सके ताकि उन्हें शहरों की ओर न भागना पड़े और गांवों में ही उन्हें वैसा ही लाभकारी रोजगार मिल सके जैसा वे करना चाहते हैं। 30,000 करोड़ रुपए का कार्य दिवसों के हिसाब से क्या अर्थ निकलेगा? इसका काफी व्यापक अर्थ निकलेगा। 30,000 करोड़ रुपए का कार्य दिवसों के हिसाब से काफी महत्व है। लेकिन हम केवल कार्य दिवसों का ही हिसाब नहीं लगा रहे हैं। हम गांवों में भी आधारभूत सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। हम गांवों में भी सभी सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए यह 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि और यदि संभव हुआ तो इससे भी अधिक धनराशि सुनियोजित ढंग से खर्च करनी होगी, कुछ इस किस्म की योजना बनाकर खर्च करना होगा जिससे ग्रामीण आबादी की वास्तविक रूप से प्रगति संभव हो सके, जिससे ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच का अन्तर कम हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किए जाने हैं, यह भी उनमें से ही महत्वपूर्ण कार्य है। केवल इन पांच वर्षों में तो हम इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंतर बहुत अधिक है। लेकिन हम कुछ सफलता तो अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। हम इस दिशा में कदम भी उठा चुके हैं। जवाहर रोजगार योजना जैसी कुछ योजनाओं की देश में उन स्थानों पर तो व्यापक भर्त्सना की गई है जहां इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके साथ-साथ देश के उन भागों में इनकी सराहना की गई है जहां पर इन्हें सफलता मिली है। हमारे पास जवाहर रोजगार योजना के कार्यकरण के बारे में योजना आयोग की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें योजना की कुछ महत्वपूर्ण त्रुटियों के बारे में बताया गया है क्योंकि योजना में यह कहा गया है कि यह तो लोगों को केवल कुछ दिन के लिए ही रोजगार दे सकती है, ज्यादा दिनों के लिए नहीं क्योंकि सीमित धनराशि दी जाती रही और इसके अंतर्गत अपनाए गए तौर तरीके भी कुछ इस ढंग के थे जिनसे जिन व्यक्तियों को वास्तव में इसका सही लाभ मिलना चाहिए था, उनका नहीं मिल सका। जवाहर रोजगार योजना को फिर से पहली बार 1,711 ऐसे खंडों से जोड़ा जा रहा है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने के लिए चुना गया है। योजना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। अन्य शब्दों में इन क्षेत्रों में लोगों से जो भी काम लिया जाएगा, उसके बदले में जो मजदूरी दी जाएगी, इसका कुछ हिस्सा वस्तु रूप में, अनाज के रूप में दिया जाएगा। इससे यह बात वास्तविक

रूप से सुनिश्चित होती है कि लोगों को सही प्रयोजनों के लिए राशि मिल सकेगी और बिचौलियों द्वारा राशि हड़प नहीं की जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था से जवाहर रोजगार योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों में ही सुधार हो सकेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहली बार गांवों तक पहुंच रही है और इस बात को देखने के लिए सशक्त प्रयास किया जा रहा है कि यह प्रणाली गांवों तक पहुंच सके और गांवों में पहुंचने के बाद उन लोगों तक पहुंच सके जो योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने स्वयं कई स्थानों पर जाकर देखा है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक-एक ऐसे स्थान पर जाकर देखा है जिनके यहां से रिपोर्ट मिली थी कि यह योजना संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। मैं वहां गया। लोगों से बातचीत की। मात्र आलोचना करना कि इतने वर्षों से क्या हो रहा है इसका कोई फायदा नहीं है। यदि कोई गलतियां हो रही हैं, तो हमें उन्हें ठीक करना है। इस प्रकार मैंने यह देखा है कि कम से कम सरकारी स्तर पर तो इन्हें एक साथ जोड़ने के बारे में सशक्त प्रयास हो रहा है हम इस पर निगरानी रखेंगे। हम निगरानी रख भी रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें पूर्ण संतोष नहीं है। इस कड़ी को सुधारने और ग्रामीण लोगों की सेवा करते रहने का केवल यही एक तरीका है।

निवेश के संबंध में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, स्थिति में कुल मिला कर सुधार ही हो रहा है। विगत पांच वर्षों में औसतन 100 मिलियन डालर इक्विटी निवेश की तुलना में, केवल इसी वर्ष में ही 900 मिलियन डालर से अधिक राशि की विदेशी इक्विटी के आंकडे हैं। यह उससे नौ-गुना, लगभग दस गुना अधिक है। मैं सोचता हूं कि इसमें अच्छी प्रगति हुई है, आगामी वर्षों में इसमें और भी अधिक प्रगति हो सकेगी।

पूंजी निवेश करने वाले देशों की संख्या काफी अधिक है और इसमें लगभग सभी प्रमुख पूंजी निर्यातक देश शामिल हैं। जर्मनी की मेरी प्रथम यात्रा से मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि हम इन देशों से कोई भी चीज ले सकते हैं, परन्तु हम उन्हें यह तसल्ली नहीं दे सके हैं कि उनकी धनराशि अथवा उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। अभी भी मेरे मन में कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे और फिर जैसे ही मैंने एक के बाद दूसरे देश, देश-विदेश की यात्रा की, जर्मनी गया जोकि मेरी प्रथम यात्रा थी और जापान गया जोकि हाल ही की यात्रा रही है, तो मैं बिना किसी विरोध के डर के यह कह सकता हूं कि भारत में निवेश किये जाने के संबंध में मेरा विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि अब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इन देशों द्वारा निवेश के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं, वे उनकी अपनी सीमाओं के अंदर ही होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे असीमित निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि उनके हालातों की भी अपनी-अपनी सीमाएं होती हैं।

जापान के बारे में हमें पता चला कि उनकी अपनी ही सीमाएं हैं। यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले भी हमें सचेत कर दिया गया था कि जापान की अर्थव्यवस्था की अपनी ही

सीमाएं है जिससे जापान की तत्काल निवेश किए जाने की संभावना अथवा क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि उन सीमाओं के बावजूद भी हमें जापान से काफी आशाजनक परिणाम मिले। बजाए इसके कि हम लोगों को निवेश करने के लिए बुलाते, हमें इस बात की सुखद हैरानी हुई कि उन्होंने मुझे बुलाया और भारत में निवेश करने के लिए कहा। इस प्रकार मुझे इस यात्रा से काफी सुखद एहसास हुआ है और मैं आशा करता हूं कि इस पर अनुवर्ती-कार्रवाई के रूप में तमाम कदम उठाए जाएंगे।

जसवंत सिंह जी ने कोका-कोला के बारे में कुछ बात कही है। मैं उन्हें सूचित कर देता हूं कि कुल मिलाकर विदेशी निवेश प्रस्तावों में 80 प्रतिशत से अधिक प्रस्ताव औद्योगिक नीति के अंतर्गत शामिल किए गए उच्च वरीयता उद्योगों की जानी पहचानी सूची के संबंध में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शेष 20 प्रतिशत के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे सादर निवेदन करूंगा कि मैं भी इस बात से सहमत हूं कि 20 प्रतिशत उद्योगों वाली सूची भी है। मैं 80 को 100 नहीं बता सकता।

अत:, 80 प्रतिशत और भी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें विदेशी निवेश आश्वासन और निवेश की संभावनाएं हैं और कुछ हद तक उन क्षेत्रों में निवेश की स्वीकृतियां दी जा सकती हैं।

सरकार ने हाइड्रोकार्बन, दूरसंचार और विद्युत जैसे महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। महोदय, विद्युत के संबंध में 21 बड़ी विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी के बारे में भारतीय और विदेशी कम्पनियों दोनों ही से बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। शायद जसवन्त सिंह जी ने इन्हीं कम्पनियों और इन्हीं परियोजनाओं के बारे में जिक्र किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन सभी परियोजनाओं पर द्रुतगति से कार्यवाही की जा रही है। यह ऐसी परियोजनाएं हैं, जिन्हें बड़ी आसानी से अथवा जल्दबाजी में स्वीकृत किया जा सके। निर्णय लिए जाने हैं और तकनीकी तथा अन्य ब्यौरे तैयार करने हैं एवं इनमें औसतन एक अथवा डेढ़ वर्ष का समय लग जाएगा। अगर इनमें कुछ समय लग रहा है, तो हमें निराश अथवा हैरान नहीं होना चाहिए लेकिन, मुझे पक्का विश्वास है कि ऊर्जा मंत्रालय को कहे जाने के बाद सभी परियोजनाएं मंजूर की जाने वाली हैं।

दूरसंचार में अत्याधुनिक दूरसचार उपस्करों के निर्माण हेतु अग्रणी दूरसंचार कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों को हमने मंजूरी दे दी है। देश में दूरसंचार स्वीचिंग उपस्करों के उत्पादन की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है। मूल्य-संवर्द्धित सेवाओं के क्षेत्र में कारगरता बढ़ाने और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर दो तेल शोधक कारखाने, स्थापित करने के प्रस्ताव को भी पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन तेल शोधन कारखानों की पूर्ण विदेशी मुद्रा लागत नीति निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा वहन की जाएगी, जोकि अन्यथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग—दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा—वहन की जाती थी। अब, इन कुछ बचतों को हम

उन क्षेत्रों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे स्वतंत्र निवेश, यानि सरकारी व्यय से मुक्त निवेश प्राप्त हो रहा है और इससे सरकार जितनी भी धनराशि बचा पाई, जैसाकि मैंने अभी कहा है, मानव संसाधन विकास जैसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाया जाएगा।

स्थानीय निवेश के बारे में, देश ही के भीतर निवेश। आंतरिक निवेश में स्थिति इतनी ही उत्साहजनक है और इस वर्ष में, हमने 6000 से अधिक निवेश-निर्णय लिए हैं जबकि पिछले वर्ष इससे आधे निर्णय लिए गए थे। अत:, स्थानीय निवेश और देश के भीतर ही निवेश की स्थिति भी काफी अच्छी है। यह हमारी आर्थिक-तस्वीर है। मुझे पक्का विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय ने कल ही सभी ब्यौरों पर विचार कर लिया है। मैं तो केवल यही दर्शाने के लिए यह भी कहना चाहता हूं कि ये निवेश व्यर्थ-निवेश नहीं है, ये निवेश हमें विदेशों अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहे निवेशों से प्रभावित होने के कारण ही नहीं कर रहे हैं। हमें उनकी नितान्त जरूरत है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अपना पैसा उन उद्देश्यों के लिए दिया जाए जिनमें विदेशों से कोई निवेश आकृष्ट नहीं होगा। कोई भी देश भारत में स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, टीकाकरण कार्यक्रमों को चलाने वाला नहीं है। इन कार्यक्रमों के लिए पैसे की मांग का शोरगुल होता रहा है और हम वह पैसा देने में सफल नहीं हुए हैं। आशा है कि अन्य क्षेत्रों को भारी निवेश से मुक्त रखकर यह न केवल सम्भव ही होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि निश्चय ही हम इन क्षेत्रों में पहले से अधिक ध्यान देने में सक्षम हो जाएंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है, वह ब्लॉक, जिनके बारे में जिक्र किया जाता है, अतिरिक्त मात्रा में खाद्यानों का आवंटन प्राप्त कर रहे हैं और इन्हीं कारणों से जैसा कि श्री जसवन्त सिंह जी ने कहा है इनके भण्डार में कमी, भण्डार में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं, हमने इन क्षेत्रों में अत्यधिक आवंटन और उच्च आवंटन किए हैं। जैसाकि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष की सम्भावनाओं को देखने की जरूरत है। लेकिन, जो भी हो, हम इन ब्लाक्स के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खाद्यान आवंटन पर अडिग रहना चाहेंगे और इन्हें कम करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

अब मैं महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आता हूं जिन पर सम्भवत: सदस्यों की यदाकदा की गई टिप्पणी इस बात की द्योतक है कि वे इसको ज्यादा महत्व देते हैं। असम के बारे में कोई भी यह नहीं कह सकता कि अब असम की स्थिति दो वर्ष पहले अथवा डेढ़ वर्ष पूर्व से बेहतर नहीं है। 'उल्फा' ने कुछ निर्णय लिए हैं। जो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, उस वर्ग से एक दल आया है और मुझसे मिला है। हमने चर्चा शुरू कर दी है। कुछ शस्त्र समर्पित किए गए हैं। एक दूसरा वर्ग इसके विरुद्ध है। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारे लिए कई वर्षों से चले आ रहे उस पेचीदा प्रश्न का समाधान करने के लिए समूचे 'उल्फा' दल से अर्थपूर्ण बातचीत करना संभव हो जाएगा।

असम समझौते के उपबंधों को लागू करने की दिशा में व्यापक प्रगति हासिल की गई है। असम समझौते के उपबंधों के अनुरूप और अन्यथा असम के आर्थिक-विकास पर लगातार अत्यधिक

ध्यान दिया गया है। समझौते के अनुरूप नुमालीगढ़ में एक तेल शोधक कारखाना और गुवाहाटी के निकट एक आई.आई.टी. स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में जब मैं असम गया था, तो मैंने इन संस्थानों की आधार शिला रखी थी। मैंने एक बड़ी रेललाइन को जिसे छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है और जिसकी वजह से लोगों में अत्यधिक खुशी है, की भी आधारशिला रखी थी। मुझे लोगों से बातचीत करने का भी मौका मिला है और मैंने देखा है कि इन परियोजनाओं के आने से वे कितनी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। यह असम के बारे में स्थिति है।

कश्मीर के बारे में जसवन्त सिंह जी ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि विभिन्न लोगों और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा परस्पर विरोधी बयान अथवा अलग-अलग वक्तव्य दिए जा रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि अपने संवाददाता सम्मेलन में मैंने समूचे मामले को यह कहते हुए समेट दिया था कि हम चाहते हैं कि कश्मीर में सामान्य स्थिति पुन: बहाल हो। मैं कहूंगा कि सामान्य स्थिति तभी बहाल होगी, जब वहां एक लोकतांत्रिक सरकार कार्य कर रही हो। अब वह यह स्थिति है, कि पहले अंडा था अथवा मुर्गी। चुनाव कराने के लिए हम वहां सामान्य स्थिति बहाल करना चाहते हैं। लेकिन, चुनाव हुए बिना वहां वास्तविक सामान्य स्थिति बहाल नहीं होगी। अत:, हमें इसे बड़े ध्यानपूर्वक हल करना है। पिछले एक साल की तुलना में, हमें शांति की कुछ परिस्थितियां वहां पैदा करने में सफल हुए हैं। हम यह कहने की स्थिति में हैं कि कश्मीर में निकट भविष्य में चुनाव कराने हेतु परिस्थितियां पैदा करनी होंगी। कुछ आलोचकों से मुझे एक शिकायत यह मिली है कि कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे; हमने हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं और हम चुनाव कराएंगे। मुझे विदित नहीं है कि शोरगुल किस लिए हो रहा है?

*** *** ***2

अत:, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। लेकिन, मैंने कहा है कि जैसे ही स्थिति चुनावों के अनुकूल होगी, चुनाव होंगे। मैं नहीं समझता कि गृह मंत्री ने जो कहा है, मैंने जो कहा है अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने जो कहा है, उसमें कोई परस्पर विरोध है। सत्य तो यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कल ही चुनाव करा दूं, तो यह संभव नहीं है। लेकिन, वहां चुनाव होने ही हैं और हमें चुनावों के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह संपूर्ण तस्वीर है और समग्र रूप से मैं नहीं समझता कि इस अवस्था में कोई आंतरिक विरोधाभास है।

पंजाब के बारे में, जब लोग वहां चुनावों की बात सुगमतापूर्वक कह देते हैं, तो मुझे वास्तव में बड़ी हैरानी होती है। ऐसा क्यों है? मैं नहीं जानता। क्योंकि जब हम चुनाव करवाएंगें, तो हम यह भी चाहेंगे कि पंजाब में एक राज्य-सरकार स्थापित होनी चाहिए। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि मैं वहां एक राज्य-सरकार चाहता हूं क्योंकि पंजाब के प्रश्नों का समाधान करने के लिए मैं हर समय राज्यपाल से बातचीत नहीं कर सकता। मैं वहां एक राज्य सरकार

चाहता हूं। कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते, मैं वहां कांग्रेस सरकार की स्थापना के लिए कह सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा क्योंकि मैं समझता था कि पंजाब की स्थिति के संबंध में शायद हमें दलों के शब्दों में बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं वहां एक राज्य सरकार चाहता हूं। मैंने दूरदर्शन पर भी यह कहा है। उसके बावजूद भी कुछ दलों ने चुनावों में भाग न लेने का फैसला किया है। यह मेरी गलती नहीं है। लेकिन, किसी भी तरीके से अगर वे चुनाव में भाग लेते, तो मुझे खुशी होती। मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक हुआ होता और उसके परिणामस्वरूप जो भी सरकार वहां आती, हम उस राज्य सरकार से उतने ही कारगर तरीके से व्यवहार करते और वह एक बेहतर स्थिति होती। लेकिन, अगर चुनाव हुए हैं और एक दल वहां सत्ता में आया है, हमें उस सरकार से बर्ताव करना है और मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब सरकार पंजाब के अधिकारों के बारे में ज्यादा सजग है। पंजाब में जो कुछ किया जाना है, उसके बारे में वास्तव में वे केवल कांग्रेस के ही रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं; ऐसा नहीं है।

बेअंत सिंह जी मेरे पास कुछ ऐसे सुझाव लेकर आते हैं, जोकि अपने आप में अत्यंत कठिन हैं। फिर भी हम उनकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं। हम उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि जब यह सुझाव एक राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं, तो हमें उनके प्रस्तावों के इतिहास, पृष्ठभूमि, संभाव्यता आदि को देखना होता है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा किया जा रहा है। मैं एकमुश्त-कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा एकमुश्त-कार्यक्रम राजीव- लोंगोवाल समझौता है। अब जो भी चर्चा की जा रही है, उस समझौते के अंतर्गत ही की जा रही है। अत: मैं उससे अलग कोई एकमुश्त-कार्यक्रम नहीं बनाना चाहता। एकमुश्त-कार्यक्रम पहले ही विद्यमान है। यह मैंने अनेक बार स्पष्ट किया है।

मैं भी वही कह रहा हूं कि इस समझौते के किसी एक भाग को लागू करना आसान नहीं है। समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाना है और इसी बात से हम फिलहाल जूझ रहे हैं। अभी ब्यौरे दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे क्षमा करें, क्योंकि यदि एक बार मैं कुछ कह दूं तो वह वाद-विवाद का विषय बन जाएगा और आप चाहें तो यह सार्वजनिक वाद-विवाद का विषय बन जाएगा और फिर अगला कदम लेना असंभव हो जाता है। मैं सदन को केवल आश्वस्त कर सकता हूं कि हम चर्चाओं का पूरे मनोयोग से पालन कर रहे हैं, चर्चाएं जारी हैं और इसमें सम्मिलित सभी प्रश्नों की जांच हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर इतने अधिक प्रयास करने पर परिणाम संतोषजनक होने चाहिएं। यह मुझे आशा है और ऐसा मेरा विश्वास है।

आतंकवादियों और तस्करों की गतिविधियां रोकने के लिए पंजाब क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर पूरे प्रकाश की व्यवस्था करने और बाढ़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है, यह सदन में उठने वाला एक महत्वपूर्ण मामला है। अब हमें सीमा के अन्य क्षेत्र में काम करना है। मुझे इस बात की ठीक-ठीक जानकारी नहीं है कि इस पर क्या किया जा रहा है। परन्तु

मुझे विश्वास है कि पंजाब के बाद हम दूसरे क्षेत्र में सीमा पर कार्य करेंगे। जब तक पूरी सीमा पर पूरे प्रकाश की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक सीमा-पार से होने वाली घुसपैठ को कारगर ढंग से रोक पाना संभव नहीं होगा। पंजाब में मौजूदा स्थिति ऐसी है।

विदेशी मामलों के संबंध में मुझे वास्तव में मालूम नहीं है कि कोई भी बात बहुत गंभीरता से कही गई है। परन्तु मैं सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा कि हमारी विदेश नीति में कोई नकारात्मक मोड़ नहीं आया है। वास्तव में हमें अपनी नीति पर गर्व है, ऐसी नीति बहुत कम देशों की है। जिन देशों में विभिन्न प्रणालियां दशकों से मौजूद थीं, उन्होंने क्या रूप ग्रहण किया, उन्होंने कितना परिवर्तन किया, और जो हमने किया है कृपया उसकी उनसे तुलना कीजिए। क्योंकि परिवर्तन एक देश में ही नहीं हुआ बल्कि, पूरे विश्व में परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन हुआ है? मुझे अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। हमारा देश अभी गुटनिरपेक्ष देश है जैसाकि यह हमेशा से था। हम गुटनिरपेक्षता की नीति पर निरन्तर चलते रहेंगे चाहे दो गुट बनें, तीन गुट बनें या केवल एक ही गुट रहे। क्योंकि मैं गुट-निरपेक्षवाद को अपने अधिकारों और भावनाओं के अनुसार निर्णय लेने के अपने अधिकार के बराबर मानता हूं और उस निर्णय पर कायम रहता हूं। मैं वही कर रहा हूं। मैं आज तक उससे नहीं हटा हूं। जिस किसी ने भी मुझसे कुछ नीति निर्णयों आदि में परिवर्तन करवाना चाहा, मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि यह संभव नहीं है। पहली बात यह है कि थोड़ा बहुत दबाव रहा है। आपने दबाव को बर्दाशत किया और फिर कहा कि हां ठीक है हमने आपकी स्थिति समझ ली है। इसलिए अब यह इस तरह समाप्त हुआ है। मुझे इस बारे में खुशी है। जब हमने परिवर्तन चाहा, हमने परिवर्तन किया है। हमने दूसरों के आदेशों से परिवर्तन नहीं किए हैं। यह हमारी नीति है और यह जारी रहेगी और हम गुटनिरपेक्ष हैं। वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने लिए स्वयं एक नया और प्रासंगिक तरीका ढूंढ़ना होगा। यह प्रयोग बेलग्रेड में शुरू किया गया था, दुर्भाग्य से युगोस्लाविया की आन्तरिक स्थिति के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की गतिविधियां अधिक आगे नहीं बढ़ सकीं। मैंने इसके भावी अध्यक्ष, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत की है। हमारी मुलाकात रियो-दि-जेनेरियो में हुई और हमने काफी देर तक चर्चा की कि क्या किया जाना है। उनके विदेश मंत्री जो कि नए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, यहां आए। हम दस्तावेज तैयार करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम हमेशा की तरह अध्यक्ष की सहायता कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की नई भूमिका की रूप-रेखा प्रस्तुत कर पाएंगे, जो बेलग्रेड में हुआ उसका अनुसरण कर पाने में समर्थ हो पाएंगे और मैं समझता हूं कि हम इसको अंतिम रूप दे सकेंगे क्योंकि बेलग्रेड और जकार्ता सम्मेलन के बीच की अवधि के दौरान विश्व में बहुत कुछ घटित हो चुका है।

भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद हमने अतिशीघ्र कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। हमने ऐसा करने में थोड़ा भी समय नष्ट नहीं किया क्योंकि यदि हम एक देश सोवियत संघ से संबंध स्थापित कर रहे थे। वास्तव में यह एक क्षेत्र में सीमित सोवियत संघ नहीं था। हम ऐसे देश से संबंध स्थापित कर रहे थे

जिसके हमारे साथ आर्थिक और अन्य संबंध थे और जो 15 राज्यों में विभक्त हो गया। कुछ वस्तुएं जो हम चाहते हैं, वह यूक्रेन से आती थी, कुछ वस्तुएं जिनका हम व्यापार कर रहे थे, वह कजाकिस्तान से आती थी, हमारी जरूरत की कुछ वस्तुएं कुछ अन्य राज्यों से आ रही थीं। परन्तु हम केवल सोवियत संघ के साथ ही व्यवहार कर रहे थे। आज हमें उन सभी क्षेत्रों से व्यवहार करना पड़ता है, जिनसे हमें आज भी ये वस्तुएं प्राप्त करनी हैं, और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि कम से कम संभव समय के भीतर, कम विलम्ब कम से कम संभव विलंब में हम संबंध स्थापित करने में समर्थ हो सके हैं, केवल कूटनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि, द्विपक्षीय प्रकृति के संबंध स्थापित करने में भी हम समर्थ हुए हैं, जो कि विघटन के समय चल रहे थे। दूसरी ओर इसमें कुछ समय लगा है, दूसरे उन्हें भी दशानुकूलन के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, स्वयं को नई स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए समय चाहिए।

अत: यदि हम तत्काल कदम नहीं उठाते, तो तब जो स्थिति होती, उस स्थिति से हम बेहतर स्थिति में हैं। अब इन सभी नए गणराज्यों में से चार या पांच गणराज्यों के राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर चुके हैं। उनमें से प्रत्येक ने मुझसे कहा है कि उनका देश, उनकी सरकार धर्मनिरपेक्षवाद का समर्थन करती है, उनका देश और उनकी सरकारें कट्टरवाद की विरोधी हैं। नई परिस्थितियों में इन देशों में अब जिस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है, वह हम सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है। अत: उन्हें भारत के साथ स्थिति की तुलना करनी है और यह इसका अति महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने कहा कि वह भारत के साथ इन मामलों पर निरन्तर रूप से चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि वहां पर नई स्थिति उभर कर सामने आई है जबकि, वह पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष होना चाहते हैं जैसा कि वह हमेशा से थे, बदली हुई परिस्थितियों में वह ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन पा रहे हैं। अत: उनके और हमारे बीच बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हम उनके साथ वार्ता जारी रखे हुए हैं। कुछ संस्थागत ढांचा बनाने के लिए हम इसे जारी रखेंगे जिससे विचारों का यह आदान-प्रदान और अनुभव कुछ आसान बन जाए।

संयुक्त नौसेना अभ्यासों के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह बात कई बार उठ चुकी है। हमने उतने अभ्यास नहीं किए, जितनी बार उन पर वाद-विवाद किया है। मैं समझता हूं कि ये अभ्यास हमारे लिए फायदेमंद रहे हैं। हमने अनेक देशों के साथ अभ्यास किए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अभ्यास क्यों किया। यदि यह हमारी नौसेना के लिए उपयोगी रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह अभ्यास करना हमारे लिए अच्छा रहा है। बेशक यहां पर ऐसे सदस्य हैं, जो इससे सहमत नहीं होंगे। मेरे पास उन्हें सहमत करने के लिए कुछ नहीं है। अत: हम इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं।

हमारे पड़ोसियों के बारे में मैं भी यह महसूस करता हूं कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है। पाकिस्तान के साथ भी हमारी समस्याएं हैं। श्री जसवंत सिंह ने जानना

चाहा कि कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उसका नतीजा क्या रहा है। नतीजे को मापना बहुत कठिन है। हम पड़ोसी हैं और रहेंगे, उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। कुछ अपकरण और दुष्करण होंगे। सीमा-पार से क्या किया जा रहा है, वह हम सबको मालूम है। जब कभी हम मिले, हमने इस विषय से अपनी बातचीत शुरू की। हमने उन पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह इस गतिविधि को बंद कर दें। किसी समय तो हमसे कहा गया कि उन्होंने इन्हें पहले ही बंद कर दिया है। किसी समय हम से कहा गया कि उन्होंने ऐसा काम कभी भी शुरू नहीं किया, किसी समय हमसे कहा गया कि "हम इसे रोकेंगे", सभी तरह के अलग-अलग संकेत मिले। परन्तु किसी भी हालत में हमें उनसे वार्ता जारी रखनी होगी, हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम विरोध कर सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति हम अपनी असहमति का संकेत दे सकते हैं। यह सब वैध है। इस सबकी अनुमति है। यह सब किया जाना चाहिए, लेकिन, आज केवल हम ही नहीं बल्कि, कई अन्य देश भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित राज्य आतंकवाद वास्तव में सत्य है।

*** *** ***3

अत: जब कभी भी हम मिले हमें तुलना करनी होगी और हमें समझना भी होगा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली ही मुलाकात में श्री चन्द्रशेखर को यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक प्रधानमंत्री की अपने ही देश के अंदर कुछ सीमाएं होती हैं। हम इन सीमाओं के बारे में कोई भाषण नहीं देते हैं। हम यह बात समझते हैं। एक बार इन सीमाओं को समझने के बाद हम वार्ता की कारगरता की सीमाओं को भी समझ सकते हैं या उनके साथ हमने जो वार्ता की है, उनके निष्कर्ष की प्रकृति को भी समझ सकते हैं।

अत: इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मैं उनसे पुन: मिलने वाला हूं—मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूं और एक बार फिर मिलूंगा—मैं कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु इस प्रयास को जारी रखना होगा। हमने सचिव स्तर की जिस वार्ता को स्थगित कर दिया था उसे राजनयिक माध्यमों द्वारा तिथि निश्चित करने के पश्चात् पुन: आरम्भ कर दिया जाएगा और हम इसे जारी रखेंगे। अन्तत:, महोदय, मेरा विचार है कि हमें पाकिस्तान के साथ मित्रता, सहन शक्ति, दृढ़ता से व्यवहार करना है। इस प्रकार के समायोजन को तैयार करना हमेशा सरल नहीं होता, किन्तु फिर भी हमें ऐसे ही समायोजन के बारे में सोचना है जिसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी और मैं सदन के समक्ष यही निवेदन करना चाहता हूं।

*** *** ***4

मेरे विचार में मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है। इज़राइल के बारे में, इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की जा चुकी है। जिसके फलस्वरूप अब हम मध्य पूर्व देशों के काफी सम्पर्क में आ गए हैं। मेरी इस बात में कोई अंतर्विरोध नहीं है और इसके

परिणामस्वरूप, आज मध्य पूर्व देशों में भारतीय समूह का काफी योगदान है। अभी यह देखना बाकी है कि यह प्रक्रिया कैसे चलती है। मैं यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में जो भी हो, किन्तु इसमें भारत एक उपयोगी भूमिका निभाने वाला है और शायद, इस प्रक्रिया में योगदान देकर किसी अन्य देश की तुलना में अधिक परिणाम प्राप्त करेगा। अत: यह इज़राइल के बारे में है। इज़राइल के साथ अन्य द्विपक्षीय सम्बन्धों की मुझे जानकारी नहीं है कि क्या इतना किया गया है किन्तु यह केवल कुछ समय की बात है और वक्त आने पर हम उन मुद्दों को उठाएंगे महोदय, अब उस विषय के बारे में जिसने पिछले दो या तीन दिनों में भावनाओं को बहुत भड़काया है, मैं सदन को इस बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। महोदय, आपको याद होगा कि 2 नवम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निम्न आश्वासन दिए थे:

(1) इस मुद्दे का निपटारा करने हेतु एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

(2) अन्तिम हल निकाल लिए जाने तक, उत्तर प्रदेश की सरकार राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(3) भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं सम्बन्धी न्यायालय के आदेशों को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।

(4) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े मामलों में इसके निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

ये चार आश्वासन दिए गए थे। इनके बारे में राष्ट्रीय एकता परिषद के सभी सदस्य तथा सारा विश्व जानता है। वह 2 नवम्बर को किया गया था। स्पष्टत: पहले दिए गए आश्वासन, अर्थात्, "इस मुद्दे का निपटारा करने हेतु एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने के सभी प्रयास किए जाएंगे" के बारे में प्रयास आरम्भ किए जाने चाहिए थे। पहले आश्वासन संबंधी काम को खत्म करने का तो एक ओर हमारे पास इसे आरम्भ करने का भी समय नहीं था और दिसम्बर में ही, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थीं, जो राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के ढांचे की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल सकती थीं।

जिस सड़क सुरक्षा समिति, लोहे के पाईप से मोर्चा बन्दी, टोल्स, कंटीले तार इत्यादि से ढांचे की सुरक्षा की गई थी, उन्हें हटा दिया गया है और शायद इसमें ढांचे की सुरक्षा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। हर व्यक्ति यही मानता है।

फरवरी, 1992 में, राज्य प्राधिकारियों ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के आस-पास के काफी बड़े क्षेत्र, जिसमें अक्तूबर, 1991 में अधिगृहीत की गई भूमि भी शामिल है, के चारों ओर एक दीवार का निर्माण आरंभ कर दिया था। दीवार के निर्माण के आरम्भ होने के पश्चात्, केन्द्र

सरकार ने राज्य सरकार से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के आस-पास की भूमि, विशेषतया अक्तूबर 1991 में अधिगृहीत की गई भूमि तथा निर्माणाधीन दीवार के भीतर आने वाले क्षेत्र, क्योंकि यह अधिग्रहण कतिपय सार्वजनिक उद्देश्यों के अध्यधीन था–के सम्बन्ध में विकास योजनाएं दर्शाने का आग्रह किया था। इन योजनाओं के विवरण सम्बन्धी कोई जवाब राज्य सरकार से आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मार्च 1992 में, राज्य सरकार ने राम जन्मभूमि कॉम्पलैक्स के आस-पास की लगभग 42 एकड़ भूमि, 'राम जन्मभूमि न्यास' को न्यास की धनराशि की सहायता से राम कथा पार्क परियोजना को लागू करने के लिए पट्टे पर दी थी। पुनः मार्च 1992 में, राज्य प्राधिकारियों ने राम जन्मभूमि—बाबरी मस्जिद कॉम्पलैक्स में अतिरिक्त ढांचों जैसे संकट मोचन मन्दिर, साक्षी गोपाल मन्दिर का एक बड़ा हिस्सा, सुमित्रा भवन, लोभांस आश्रम, गोपाल भवन तथा दुकानों को ढहाना आरम्भ किया। इस के साथ-साथ व्यापक खुदाई, तथा भूमि को समतल करने के कार्य भी आरम्भ हुए। मैं यह विवरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 1 नवम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के परिणामस्वरूप जो एक सुरक्षा का वातावरण बना था वह हिल गया। भूमि समतल करने तथा खुदाई कार्यों से लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है और राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की मज़बूती तथा सुरक्षा पर इनसे पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव से चिन्ता उत्पन्न हो गई है। ऐसा भय भी व्यक्त किया गया है कि वर्षा के मौसम में खुदी हुई भूमि पर पानी के इकट्ठा होने पर वह ढांचे की नींव तक रिस कर उसे कमजोर कर सकता है।

केन्द्र सरकार ने (कई अवसरों, पर, यह विचार व्यक्त किया है कि राम जन्मभूमि विवाद का हल वार्ता के द्वारा ढूंढ़ा जाना चाहिए) फिर भी यदि, इस प्रकार से कोई हल नहीं निकलता तो सरकार न्यायालय के निर्णय द्वारा हल निकालने के पक्ष में है।

केवल दो दिन पहले, 15 जुलाई को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण निषिद्ध है। अब, बार-बार गृह मंत्री को संसद में तथा उसके बाहर तंग किया जा रहा है कि अब आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है तो वे क्या कर रहे हैं और इसे लागू क्यों नहीं किया गया है। अब गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री ने इस सदन को नवीनतम सूचना दी है कि सम्बद्ध अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। इस समय मैं यहां कह सकता हूं कि मुझे आदेशों के पालन की वास्तविक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अभी-अभी जब मैं यहां आया तो मुझे एक बड़ी रोचक जानकारी मिली कि इन आदेशों को फैक्स द्वारा भेजा जाना था, किन्तु अचानक, लखनऊ व फैज़ाबाद के मध्य की फैक्स मशीन खराब हो गई है। यह सम्भव है। कुछ भी खराब हो सकता है। किन्तु बाद में, अथवा, एक उपचारात्मक कदम के रूप में, एक विशेष संदेशवाहक को फैज़ाबाद भेजा गया है। अर्थात् अब मनुष्य मशीन ने फैक्स मशीन का स्थान ले लिया है।

पिछले सत्र में जो कुछ कहा गया है अब मैं उसके बारे में कहूंगा। अब मैं कुछ शब्द पिछले सत्र में समय बर्बाद किए जाने के बारे में कहना चाहता हूं जिसके बारे में कई बातें कही गई हैं। मैं इसे बहुत विकट तो नहीं मानता किन्तु फिर भी मुझे इसकी सूचना देनी है।

जब मैं इस सदन में बोफोर्स मामले पर बोला था तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पूरी मेहनत से जांच की जाएगी और सच को बेपर्दा करने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। इस मामले की जांच के लिए स्विस प्राधिकारियों को तैयार करने के लिए सभी कदम उठाए गए थे। 12 जून 1992 को जिनेवा में कैन्टोनल न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की थी। न्यायालय के निर्णय को रिज़र्व रखा था। सुनवाई के पश्चात् न्यायालय छुट्टी के लिए बन्द हो गया है। अत: अब हम उस निर्णय की अपेक्षा अगस्त में कर सकते हैं जब छुट्टी समाप्त होगी। जब तक हमें न्यायालय से कोई अनुकूल निर्णय नहीं मिलता और जब तक हमें घूस लेने वाले व्यक्तियों के नाम प्राप्त नहीं हो जाते, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए और आगे जांच करना सम्भव नहीं है। इस समय यहां यही स्थिति है।

यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो 25 तारीख से दिल्ली के उच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई होगी और मुझे बताया गया है कि शुद्धि के अध्यधीन, यह जारी रहेगी और प्रतिदिन के आधार पर होगी। यदि ऐसा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय अपना निर्णय शीघ्र ही देगा।

*** *** ***5

10-7-1992 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में बोफोर्स कमीशन के बारे में छपे एक समाचार की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गई जांच से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे समाचार में उठाए गए मुद्दों को साबित किया जा सके। चूंकि जेनेवा में होने वाले कैन्टोनल न्यायालय की कार्यवाही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो शामिल नहीं है, अत: समाचार पत्र में स्विस प्राधिकारियों द्वारा जिस खाते के सील किए जाने का जिक्र है, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, ऐसी सम्भावना है कि जेनेवा का कैन्टोनल न्यायालय अगले माह तक अपना निर्णय दे देगा और यदि दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएं तो सम्भावित कमीशन-प्राप्तकर्त्ताओं के बारे में और जांच कराई जाएगी। इस समय समाचार में छपी जानकारी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु जेनेवा कैन्टोनल न्यायालय की कार्रवाई के परिणाम के आधार पर ही और आगे कार्यवाही की जाएगी।

अब श्री सोलंकी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने पहले ही बताया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुझाव के अनुसार, ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जेनेवा में किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए कोई जांच कराएगा। वे श्री सोलंकी के पास गए थे, उन्होंने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा था कि वे उस व्यक्ति को पहचानने की स्थिति में नहीं है। यह स्थिति है।

*** *** ***6

पश्च टिप्पण

VI. मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव 17 जुलाई 1992

1. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : आप धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मेरी बात पूरी सुन लें।

2. **मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : यह शोरगुल पंजाब के बारे में हो रहा है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। मैं पंजाब को भी लूंगा। आपको यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं पंजाब को छोड़ दूंगा।

3. **कई माननीय सदस्य** : हम सुन रहे हैं, लेकिन शंकरानन्द जी सुन नहीं रहे हैं, सो रहे हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आप जैसे श्रोता मुझे कहां मिलेंगे, उनको तो मैं कभी भी सुना सकता हूं।

महोदय, कम से कम आज पाकिस्तान को या उसके प्रधानमंत्री को यह कह पाना संभव नहीं होगा कि...

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : यह सरकार नहीं जाएगी, आप जरा जोर से बोलिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : सरकार कहां जाएगी, आप लोग ही इस सरकार को खड़ा रखेंगे।

4. **एक माननीय सदस्य** : इजराइल के बारे में बोल दीजिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : क्या कहना है, इज़राइल हो गया है।

5. महोदय

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वकील कौन है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मेरे पास उससे सम्बन्धित तीन समाचार पत्र हैं। मैंने उनमें से केवल एक ही पढ़ा है।

6. **डॉ. सुधीर राय** (बर्दवान) : मेरे विचार में श्री सोलंकी स्वयं को पहचान सकते हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, यह स्थिति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने स्विस मंत्री को दिए गए पत्र का सार कैसे दिया था?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह किसी व्यक्ति द्वारा पत्र देने का प्रश्न है न कि सार देने का प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब श्री सोलंकी को पत्र की मुख्य बातों की जानकारी नहीं थी, तो उनके पास पत्र का सार कैसे था?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : आज भी यहां आने से पहले, मैंने पुन: सोलंकी जी से बात की थी, यदि अब भी वे कुछ याद करने की स्थिति में हैं जिससे महोदय, संसद की ओर से, मैंने उन्हें समझाया था सभी माननीय सदस्यों की ओर से, आप सब की ओर से, मैंने उनसे आग्रह किया था कि यदि वे कुछ भी याद कर सकें जिससे हमें कोई सुराग मिल जाए, उन्होंने कहा था कि कुछ याद करना उनके लिए सम्भव ही नहीं है। अत: मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं।

महोदय, मेरे विचार में, आज तक इस सदन में जितने भी विषय उठे हैं, मैंने उन सभी से निपटा है यदि ऐसा कुछ जिस के बारे में और अधिक विवरण चाहिए अथवा किसी प्रश्न का जवाब चाहिए, तो मैं वह देने को तैयार हूं। किन्तु एक बात है कि हम अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, अन्य मंत्री बोल चुके हैं और मेरे विचार में चर्चा काफी व्यापक रही है।

एक माननीय सदस्य : घोटाले के बारे में क्या कहेंगे?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, मेरे विचार में, वित्त मंत्री ने घोटाले के बारे में जवाब दे दिया है। अब यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास है।

श्री नीतीश कुमार : क्या अपोजिशन से जेपीसी का चेयरमैन बनाएंगे?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : ऐसी बेअदबी मत कीजिए, मुझे मत पूछिए यह आपके हाथ में है।

इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं इसलिए मैं सुनने में असमर्थ हूं। मैं सब कुछ बताना चाहता हूं, आरंभ से, जिस क्षण से हमें सरकार को इसकी जानकारी हुई उसी क्षण से, कदम उठाए गए हैं जिससे यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास पहुंच गया है और संयुक्त संसदीय समिति इस विषय की ओर अधिक जांच करने में समर्थ है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ने सोलंकी के बारे में या एकाउंट्स के बारे में कहा, मैं उस पर अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वह सवाल-जवाब का मामला हो जाएगा। वह अलग बहस का विषय बनेगा और बना रहेगा लेकिन मैं, प्रधानमंत्री जी सीबीआई की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में रखता हूं। जस्टिस वरियावा ने कल लिखित आदेश दिया है कि सीबीआई जो जांच करवा रही है–बैंक और स्टाक के स्कैम में, वह असली जो गुनाहगार हैं उन लोगों को बचा रही और स्केपगोट्स को आगे ला रही है और बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने इस लिखित मसले को लेकर किया है। 30 हजार करोड़ रु. की इतनी बड़ी रकम होती है इस पर प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्लेषण किया, प्रधानमंत्री जी केवल बैंक के इस स्कैम में ब्याज की जो लूट हुई है वह 40 हजार करोड़ रुपए है और पिछले 12-14 महीने से आप 30 हजार करोड़ रु. की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब अदालत का स्पेशल कोर्ट आपने बिठाया है उसका जज और अकेला जब वह यह बात को कहता है, प्रधानमंत्री जी क्या आप सी.बी.आई को और संबंधित तमाम लोगों को तत्काल आदेश देंगे कि क्रज ने जो यह सवाल छेड़ा है इसका स्पष्ट जवाब उनके पास जाएगा?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मैं तत्काल जवाब दूंगा। माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उसको पूरी तरह से नोट करता हूं और उस पर जो भी तत्काल उनको आदेश या उनसे कहना हो, जरूर कहा जाएगा।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में वक्तव्य

27 जुलाई 1992

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद उन सबके मानस को उद्वेलित करता आ रहा है जो धर्म निरपेक्षता के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों पर आधारित शासन प्रणाली में विश्वास रखते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में तेजी से घटनाएं घटित हुई हैं। हाल के घटनाक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच का 15 जुलाई का आदेश एक विभाजक था। उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में पक्षों द्वारा उस 2.77 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने या जारी रखने पर रोक लगाई जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया था। कोर्ट ने यह निदेश भी दिया कि यदि उस भूमि पर कोई निर्माण करना आवश्यक हो तो कोर्ट की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार व राष्ट्रीय एकता परिषद को बार-बार यह विश्वास दिलाया कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करवाएंगे, फिर भी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में निर्माण कार्य जारी रहा।

उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न होने से लोगों में आशंका उत्पन्न हुई। यह मामला एक रिट याचिका के जरिए उच्चतम न्यायलय में विचार के लिए पेश हुआ। 22 जुलाई, 1992 को याचिका पर सुनवाई के दौरान, उच्चतम न्यायलय ने अधिग्रहीत भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य को स्थगित करने को कहा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 23 जुलाई, 1992 को उच्चतम न्यायालय में दाखिल किए गए और हलफनामे में राज्य सरकार ने बिना शर्त उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने का वचन दिया। हलफनामे में यह भी कहा गया कि 22 जुलाई, 1992 को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों ने राज्य सरकार और धार्मिक नेताओं के बीच चल रहे विचार-विमर्श को एक नया आयाम दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि सम्बन्धित सभी पक्षों में समझौता हो जाए ताकि न्यायालय के आदेशों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। हलफनामे में अन्य बातों के साथ-साथ मेरे द्वारा धार्मिक ग्रुपों के नेताओं को 23 जुलाई, 1992 को विचार-विमर्श के लिए दिए गए निमंत्रण का जिक्र भी किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए निवेदन को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई सोमवार, 27 जुलाई, 1992 तक स्थगित कर दी। उच्चतम न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि इस समस्या का हल खोजना राष्ट्र के व्यापक हित में है।

मुझे विश्वास है कि सही सोच वाले सभी लोग इस समस्या का कोई मैत्रीपूर्ण हल ढूंढ़ने की केन्द्रीय सरकार की चिन्ता में उसका साथ देंगे। केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि पहले मैत्रीपूर्ण समाधान खोजने के सभी अवसरों का सच्चे मन से पता लगाया जाना चाहिए। अत: हमारा प्रयास रहा है कि स्थिति को शांत बनाया जाए, विवाद की स्थिति से बचा जाए और विभिन्न सम्बन्धित पक्षों के बीच वैचारिक सामंजस्य लाया जाए। ऐसा करते हुए हम न्यायिक प्रणाली की गरिमा और कानून के शासन के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने के प्रति अत्यधिक सजग रहे हैं। इसी आधार पर ही हमने उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे सच्ची भावना से न्यायालय के निदेशों का पालन करें और ऐसा कुछ भी न करें जिससे संविधान के मूलभूत सिद्धांत कमजोर पड़ें।

जैसाकि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था, हम इस मसले की बातचीत के जरिए कोई ऐसा हल ढूंढ़ निकालने के प्रति वचनबद्ध हैं जिससे दोनों समुदायों की भावनाओं का पूरा-पूरा सम्मान हो। कांग्रेस मन्दिर निर्माण के पक्ष में है, लेकिन मस्जिद को गिराया नहीं जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि न्यायालय के आदेशों का कार्यान्वयन हो तथा अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य बंद हो। तथापि, स्थिति को इतना गम्भीर होने दिया गया कि राज्य सरकार ने उसे ठीक करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की तथा वास्तव में यह अनुरोध किया गया है कि या तो गृह मंत्री या निर्माण कार्य को रोकने के लिए सन्तों तथा महन्तों को मनाए। अयोध्या में उत्पन्न हुई नाजुक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने 23 जुलाई, 1992 को धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक की। विचार-विमर्श के दौरान मैंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन न किए जाने के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति की ओर प्रतिनिधि मंडल का ध्यान आकर्षित किया। मैंने प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया कि निर्माण-कार्य रोक दिए जाने के बाद ही मैं बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर सकूंगा। अन्त में मैंने धार्मिक नेताओं में यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि निर्माण कार्य रोक दिया जाए ताकि उसके बाद समयबद्ध तरीके से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद, आदि का हल ढूंढ़ने के प्रयास शुरू किए जा सकें। मैंने उन्हें यह भी कहा कि एक बार कार्य रोक दिया जाए तो मैं पिछली सरकारों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को, जो अधूरे ही रह गए थे, फिर से चालू करूंगा और इस दिशा में अपने प्रारंभिक प्रयासों को आगे बढ़ाऊंगा। इस सबका प्रयोजन बातचीत के जरिए मैत्रीपूर्ण हल निकालना है। यदि जरूरी हुआ तो विभिन्न न्यायालयों में इस विषय पर लंबित मामलों को एक साथ मिलाकर उन पर एक ही न्यायिक प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है जिसके फैसले को सभी पक्षों को मानना होगा, इस सबके लिए सरकार के स्तर पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी और न्यायालयों के विचारार्थ उपयुक्त निवेदन प्रस्तुत किए जाने होंगे। मैंने अपना विश्वास जताया कि सरकार के स्तर पर इस काम को तेज किया जा सकता है और इसे 4 महीने के समय में पूरा किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण पर मुझे सहमति प्राप्त हुई।

बताया गया है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य 26 जुलाई से रुक गया है। मुझे जानना है कि इसमें समस्या का कोई स्वीकार्य हल ढूंढ निकालने का कार्य प्रशस्त होगा। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों और जनता के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वे धार्मिक सहिष्णुता के परम्परागत मूल्यों को सुदृढ़ बनाने और अमन, शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने में मदद करें।

पश्च टिप्पण

VII. राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में वक्तव्य 27 जुलाई 1992

कोई टिप्पण नहीं

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि के संबंध में वक्तव्य

12 अगस्त 1992

इस समय स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 750 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वतन्त्रता सेनानियों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इस पेंशन के अतिरिक्त स्वतन्त्रता सेनानियों को कुछ अन्य सुविधायें भी मिलती हैं जिनमें रेलवे पास और नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा भी शामिल हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ सुविधायें, जैसेकि टेलीफोन की सुविधा भी अभी दो दिन पहले उन्हें प्रदान की गई है ।

भारत छोडो आन्दोलन की स्वर्ण-जयन्ती वर्ष में सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में 250 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है इसके अन्तर्गत :

क स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानियों को 750 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी ।

ख अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वतन्त्रता सेनानियों को 1000 रुपाये प्रतिमाह के स्थान पर 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी ।

ग स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा के मामले में दोनों श्रेणियों में 750 रुपये प्रतिमाह की बजाय 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी ।

प्रस्ताव है कि यह वृद्धि तत्काल लागू की जाएं । इस अल्प वृद्धि से राष्ट्र उन निष्ठावान सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता और अपने आदर को फिर से स्मरण करता है जिन्होंने भारत की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहूति दी है।

पश्च टिप्पण

VIII. स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि के संबंध में वक्तव्य 12 अगस्त 1992

कोई टिप्पण नहीं

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर

21 दिसम्बर 1992

मैं उन बहुत से माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और अपना बहुमूल्य योगदान दिया। यह वाद-विवाद बहुत थका देने वाला रहा। बहुत से सदस्यों ने उत्सुकता, नाराजगी और तथ्यों के साथ विद्वतापूर्ण ढंग से अपने विचार व्यक्त किए। शायद यह वाद-विवाद संसद के इतिहास के बहुत अच्छे वाद-विवादों में से एक होगा। मैं एक बार पुन: उनका आभार प्रकट करता हूं। यह अवसर अपने आप में अन्तरावलोकन करने, गंभीरता और सौम्यता दिखाने का है और शायद यह एक ऐसा अवसर है जबकि हममें से प्रत्येक को भविष्य की ओर निहारना होगा।

यह देश एक महान देश रहा है। यह देश बहुत प्रगति कर चुका है। इसके समक्ष कई अड़चनें आई हैं। परन्तु यह हरेक अड़चन के बावजूद सशक्त बनकर आगे बढ़ा है, कमजोर बनकर नहीं। मुझे विश्वास है कि यह बहुत दु:खद घटना, नफरत और विध्वंसकारिता के इस कृत्य को जोकि 6 दिसम्बर को हुआ उसे यथाशीघ्र लोगों के दिमाग से मिटा दिया जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो। इस घटना की धुंधली सी याद भी देश के लिए हानिकारक होगी और मैं सभी वर्गों के लोगों और सदन में सभी पक्षों के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करें। 6 दिसम्बर की इस शर्मनाक घटना को लोगों के दिमाग से निकालने में सहायता करें और विश्व के सामने एक बार फिर यह सिद्ध करने में हमारी सहायता करें कि यह केवल हमारी एक भूल थी अन्यथा देश में सौहार्द और भाईचारा है और यह देश हजारों वर्षों से एक रहा है और आने वाले हजारों वर्षों तक एक रहेगा।

यह एक विचित्र बात है कि यह चर्चा एक अविश्वास प्रस्ताव के रूप में सदन में आई। भारतीय जनता पार्टी को भारत सरकार में विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर विश्वास किया। हो सकता है कि भारत सरकार के साथ यह अच्छा न्याय किया गया हो। मुझे उसे अपनाना होगा। मुझे उसे स्वीकार करना होगा। परन्तु हम इस देश को कैसे चला सकते हैं? केन्द्र-राज्य संबंध कैसे चल सकते हैं, शक के आधार पर? अविश्वास के आधार पर? हम देश को कैसे चला सकते हैं। हम उन राज्य सरकारों को कैसे चला सकते हैं जो बहुत अधिक निकटता से केन्द्र से जुड़ी हुई हैं और उन्हें हर समय तीन टांग की दौड़ दौड़नी पड़ती है? उनमें से कोई भी एक-दूसरे को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हमने यह देखा कि यदि अलग-अलग करके देखा जाए तो प्रत्येक समस्या एक-दूसरे से बहुत अधिक जुड़ी हुई लगती

है। परन्तु यही समस्याएं तब आसान हो जाती हैं जब कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार बैठकर इन पर व्यापक रूप से विचार करती हैं और इन्हें मिलकर दूर करने की कोशिश करती हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद पिछले डेढ़ वर्ष से इस दिशा में कार्य कर रही है। इस परिषद की अनेक उप-समितियां गठित की गई हैं जिनका अध्यक्ष मुख्यमंत्रियों को बनाया गया है, चाहे वह किसी दल के हों और वह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रहा है और कुल मिलाकर राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपने इस कार्यकरण से प्रशंसनीय ढंग से अपना दायित्व निभाया है। यह इस बात का उदाहरण है कि एक संघ राज्य को कैसे कार्य करना चाहिए।

परन्तु क्या किसी संघ की केन्द्रीय सरकार के लिए यह संभव है या मानने योग्य है अथवा उसे इसकी कल्पना भी करनी चाहिए कि उसकी इकाइयों में से एक राज्य सरकार सत्यनिष्ठ आश्वासन देते हुए एक हलफनामे के बाद दूसरा हलफनामा देती रहे और अन्तत: उन आश्वासनों का इस तरह से उल्लंघन करें कि उनका आखिरी पल तक पता न लग सके?

इसीलिए जो कुछ हुआ उस सब को देखने के बाद मैंने पहली प्रतिक्रिया यह व्यक्त की कि यह सब कुछ पूर्व नियोजित था। इस संबंध में जांच होगी। मैं जांच के परिणामों का अंदाजा नहीं लगाना चाहता हूं। परन्तु यह सब इतना सुनियोजित था और यह एक दुर्घटना मात्र नहीं थी।

उन पर विश्वास करने के लिए मुझ पर दोष लगाए गए, मेरी आलोचना की गई। मैंने सिर्फ एक यही गलती की कि उन पर विश्वास किया। मैं इस बात को मानता हूं। मैं एक राज्य सरकार का विश्वास करने का दोषी हूं। इस संबंध में मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। परन्तु मैंने इस पर केवल केन्द्र सरकार के बतौर विश्वास नहीं किया, मैंने देखा कि राज्य सरकार के आश्वासनों पर विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। क्या उस स्थिति में कोई दूसरा तरीका था जबकि उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार कर दिया था? उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई-दर-सुनवाई राज्य सरकार में अधिक विश्वास व्यक्त किया। राज्य सरकार को और हलफनामें दाखिल करने के लिए कहा। किसी समय मुझे इस प्रश्न से दूर ही रहने के लिए कहा क्योंकि वह इस बात पर राज्य सरकार को आजमाना चाहता था। उच्चतम न्यायालय को राज्य सरकार पर पूरा भरोसा था। मैं इसमें एक पक्ष नहीं हूं। केन्द्र सरकार इस मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है। परन्तु एक विशेष उद्देश्य से मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय हम से जिस तरह का भी सहयोग चाहता है हम उसके साथ पूरी तरह से उस तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारी केवल यही भूमिका रही है।

अन्त में 6 तारीख को ही जो कुछ हुआ उसे देखकर उच्चतम न्यायालय स्तब्ध रह गया। उन्होंने जो कहा वह सामने है। मुझे याद नहीं है कि संघीय ढांचे में किसी राज्य सरकार ने इस तरह का व्यवहार किया हो। अत: जिन्होंने मुझ से कहा और अब भी कह रहे हैं क्या हमने आपसे नहीं कहा था? जी हां उनकी बात सही सिद्ध हो गई है। परन्तु मेरी बात

जुलाई में सही सिद्ध हो गई थी। अत: प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही सिद्ध हुआ है। प्रश्न यह है कि इस प्रक्रिया में भारत के संविधान का क्या हुआ? इसका उल्लंघन हुआ है। अनुच्छेद 356 का क्या हुआ? इसका उल्लंघन हुआ। मैं चाहता हूं कि संविधान विशेषज्ञ इसकी जांच करें। ऐसा कहां लिखा है कि किसी संघ के राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि क्योंकि मैं यह चाहता था कि वे उस राज्य सरकार की सहायता के लिए उपलब्ध हों।

किसी भी राज्य सरकार ने मुझे नहीं बताया कि वह अर्ध सैनिक बलों का उपयोग नहीं करेगी। फिर भी, उन्होंने उनका उपयोग नहीं किया। श्री कल्याण सिंह जी से अभी तक मुझे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है, जिससे कहा जा सके कि वह केन्द्र द्वारा भेजे गए। अर्ध सैनिक बलों का उपयोग करने से इन्कार करते हैं। गृह मंत्री जी मेरी बातों को सुनेंगे। परन्तु कल्याण सिंह जी ने उनका उपयोग नहीं किया। अन्तत: अन्तिम दिन जब हमने उनसे कहा कि वह कृपया सैनिक बल का उपयोग करें, गृह सचिव, जोकि मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे हुए थे, ने कहा–यह बड़े दुर्भाग्य की बात है–ऐसा सोचा नहीं जा सकता और सचमुच यह दुर्भाग्य की बात है –

> "मध्याह्न 2.20 बजे, डी.जी., आई.टी. बी.पी. ने एम.एच.ए. को सूचित किया कि डी.आर.सी. से चल पड़े बटालियनों को रास्ते में प्रतिरोध एवं अवरोधों का सामना करना पड़ा और कई सड़कों को जाम कर दिया गया तथा वाहनों को रोक दिया गया। मार्ग में लोगों से बात करने के बाद रक्षक बेड़ा बहुत ही मुश्किल से साकेत डिग्री कालेज पहुंचा, जहां सैनिक बलों को फिर से रोका गया और सड़कों को जाम कर दिया गया। पत्थर फेंकने की छिटपुट घटनाएं भी घटी। दंडाधिकारी ने लिखित रूप में उन्हें लौटने का आदेश दिया। डी.जी., आई.टी.बी.पी. ने आगे बताया कि दंडाधिकारी के आदेशानुसार तीन बटालियन वापस चली गई। इसके बाद आयुक्त से सम्पर्क किया गया तब उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में गोली नहीं चलेगी।"

इससे पहले, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान गृह सचिव से मुख्यमंत्री जी के घर पर मिले और उनसे कहा कि वह मुख्यमंत्री जी को समझाए कि केन्द्रीय बलों की सहायता लें। प्रधान गृह सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से परामर्श करने के बाद वह केन्द्रीय बलों की मांग करेंगे। कभी भी इसका विरोध नहीं किया गया। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वह समय कब आयेगा जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्य का शासन नहीं चल सकता? अत: ऐसी कुछ कठिनाइयां हैं। काश अनुच्छेद 356 में, केवल वह एक शब्द होता, जिसके अनुमार "एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है – यदि उसके बाद यह जोड़ दिया जाता–उत्पन्न होने वाली है"। तब राज्यपाल को, राष्ट्रपति को बहुत राहत मिलती। परन्तु तब हमें बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा। ऐसा संविधान के इतिहास में, अनुच्छेद 356 के इतिहास में पहली बार हुआ है जब उसकी परीक्षा ली गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और इस परीक्षा में संविधान विफल हुआ है। इस बात पर सोचना नहीं है कि

उसका उपयोग किसने किया, किसने नहीं किया, किसी भी तरह से देखने से यह पता चलेगा कि इसमें कुछ कमी है जिसे ठीक किया जाना है।

यह एक कारण है कि मुझे राज्य सरकार पर क्यों विश्वास करना पड़ा। आई.बी. की रिपोर्ट में और मैंने जो कुछ पढ़ा है उनमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद, उस तारीख से तीन दिन पहले, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल स्पष्ट शब्दों में यह लिखते हैं कि केन्द्रीय सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, मैं पुनः दोहराता हूं, नहीं सोचना चाहिए। आगे वह यह भी कहते हैं कि यदि ऐसा विचार किया जाएगा तो बाबरी मस्जिद की सुरक्षा पर संदेह हो सकता है। मुझे पत्र मिला है। यह सब कारक एक ओर हैं जिसकी वजह से मैं अनुच्छेद 356 में लागू नहीं कर सका और दूसरी ओर, अधिक जानकारी रखने वाले लोगों द्वारा निजी सलाह दी गई।

***   ***   ***1

चन्द्रशेखर जी, आपकी बात से सहमत हूं। मैं केवल उन परिस्थितियों को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जिसके अंतर्गत राज्य सरकार कार्यवाही नहीं कर सकी। मैंने इतना ही कहा था। दूसरी ओर, जैसा कि मैंने कहा है, मुझे यह सलाह दी गई थी कि ये लोग हमें शर्मिन्दा करेंगे और सरकार की ओर से नहीं बल्कि कुछ नेताओं की ओर से ये बयान दिए गए थे कि ये लोग वहां अपनी कार-सेवा साफ-सफाई तक ही सीमित नहीं रहेंगे। यह अलग बात है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि सरकार को दोनों पक्षों के साक्ष्य की प्रमाणिकता देखनी पड़ी और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसे समय जब यह कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकता था, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना संभव नहीं था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं – मैं नहीं जानता कि मुझे ऐसा करना चाहिए अथवा नहीं–कि अयोध्या में कुछ ऐसी स्थिति थी कि हमें बहुत सावधान रहना था। बाबरी मस्जिद को बन्धक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक ओर बात की संभावना थी कि इस ढांचे को बात-चीत द्वारा सरकार की और वचनबद्धता द्वारा बचाया जा सकता है जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार की पहल के बावजूद हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम केन्द्रीय बलों की सहायता से उस ढांचे को बचा सकें। कुदाल और अन्य औजारों से नहीं, जैसाकि उस दिन इस्तेमाल किया गया था, यदि राज्य सरकार आंखें मूंद लेती तो इस ढांचे को दो सौ गज दूरी से, टैनिस बाल के आकार के एक बम से क्षणों में उड़ा दिया जाता। ऐसा होने की संभावनाएं थीं। यह बात ऐसी कि मानो एक मां अपने शिशु की हत्या कर रही हो, शिशु को जहर दे रही है। हम इसकी उम्मीद नहीं रखते हैं पर जब ऐसा होना है तो, होगा ही कोई भी उसे बचा नहीं सकता। यह मेरी स्थिति है।

***   ***   ***2

यही तो मैं कह रहा हूं जुलाई में मैंने सत्ता संभाली। आप सबने मेरी बात सुनी इस सभा में मेरे वक्तव्य को सुना। हमने उस पर चर्चा की। यह चर्चा काम आई। मैं उसी के अनुसार

चल रहा था। जिसको मैंने विस्तार से अपने वक्तव्य में कहा है। हमारे पास सेल था। हमने चर्चा रखी थी। बड़े अच्छे माहौल में दो बैठकों का आयोजन हुआ था। तीसरी बैठक में यह मामला उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द करने की बात तय करनी थी। ऐसे समय ही बीच में अवरोध उत्पन्न किया गया और सब कुछ पहले की स्थिति पर पहुंच गया। यह स्थिति है। इतिहास न्याय करेगा जनता न्याय करेगी। मैं स्वयं इस मामले में कट्टर नहीं था। मेरी अपनी पार्टी के कुछ लोगों के विचार भी अलग-अलग थे। मैंने अपने दल के सदस्यों से कहा कि यह संभव है कि कांग्रेसियों के भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं। यह सवाल नहीं है कि किसकी बातें सही थीं और किसकी गलत। आप एक फैसला कीजिए, उस पर अड़े रहिए और उसका समर्थन कीजिए। यदि आपको जीतना है तो आप जीतेंगे और हारना है तो हारोगे।

*** *** ***3

जब श्री कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने ऐसा किया। हमको यह सूचना मिली थी कि भाजपा अपने राज्यों, जहां पर उनका शासन था, को बचाना चाहती है। इस्तीफे की गुंजाइश नहीं थी। परन्तु यह हमारी जानकारी के विपरीत हुआ। उस समय सरकार को बर्खास्त करने के सिवाए और कुछ नहीं किया जा सकता था और ऐसा ही किया गया।

वास्तव में, मैं सभा से यह कहना चाहता हूं कि हम इस बात पर न जाएं कि किसको सही जानकारी मिली थी और किसको गलत। मैंने दोस्तों और अन्य पार्टियों की आलोचना सहन की है। मैं आपके समक्ष केवल ज्ञात तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। इन तथ्यों के बावजूद विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात ऐसा होता है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। षडयंत्र एक ऐसा तत्व है, जो काफी समय बाद जानकारी में आता है, जबकि इसकी खबर किसी को नहीं होती। यदि पहले से ही षडयंत्र की जानकारी होती तो इन्दिरा जी और राजीव जी की हत्या नहीं होती। यह उन दुर्घटनाओं में से एक है जो हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि वह निर्दोष व सच्चा है। कोई भी योजना पूर्णत: सौ प्रतिशत सुरक्षित नहीं हो सकती।

आपको सब कुछ प्राप्त है, परन्तु दण्डाधिकारी नहीं मिलते। क्या यह संभव है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप दण्डाधिकारियों को कहां से लाएंगे? यदि राज्य सरकार आपको वे 20 दण्डाधिकारी नहीं देती जिनकी जरूरत है, तब क्या आप उनको दिल्ली से लाएंगे। क्या कानूनी तौर पर ऐसा सम्भव है? क्या कोई विधिवेत्ता मुझे बतायेगा?

इसलिए, यदि आप विस्तार में जाएंगे तो कई कारण हैं और जांच आयोग इस मामले की जांच करेगा। मैं आपके सामने केवल कुछ बुनियादी तथ्य रख रहा हूं जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

*** *** ***4

6 दिसम्बर को क्रूर घटना का प्रभाव शुरू हुआ था... सही अर्थों में इसे उतने समय में ही शुरू किया गया जितना कि कार्यवाही करने में लग जाता है। एक के बाद दूसरी कार्यवाही की गई है। जी हां, इसमें कार्यवाही भिन्न दिशा में की गई है चूंकि एक ऐसी बहुत बुरी त्रासदी के कारण ऐसा करना पड़ा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और फिर नई दिशा को अपनाया गया, चुनौती को स्वीकार किया गया और लड़ाई में शामिल होना पड़ा। अब हमें वापस इतिहास की तरह देखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम एक नया इतिहास बनाएं और आज कई वर्षों के बाद देश की धर्म-निरपेक्ष ताकतें एकजुट हो गई हैं, अपने आन्तरिक मतभेदों के रहते हुए भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां आज एकजुट हो गई हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि इस समय यह बहुत जरूरी था और हम आगे बढ़कर यह देखेंगे कि देश के धर्म-निरपेक्ष मूल्यों को पूर्णतया पुनःस्थापित किया जा सके, और हमारे महान नेताओं ने संविधान के माध्यम से तथा अपने आदर्शों के माध्यम से हमें जो कुछ बताया है, हम हर कीमत पर उसे बनाए रखेंगे।

श्री इन्द्रजीत ने एक बहुत ही संगत प्रश्न किया है। वास्तव में मैं संविधान सभा के उसी प्रस्ताव को पढ़ने वाला था, जोकि इन्होंने पढ़ा है। अपने दल की एक बैठक में भी एक बार मैंने यह बात कही थी। एक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र में गैर-पंथ निरपेक्ष दलों का क्या स्थान होना चाहिए और लोकतंत्र में भाग लेने वाले दलों के गठन और उनका कार्यक्रम क्या होना चाहिए, यह एक प्रश्न है जिस पर राष्ट्र-स्तरीय चर्चा होनी चाहिए। मैं इस पर चर्चा के पक्ष में हूं, मैं यह चाहता हूं कि विचार कर और ऐसे नेतागण एकजुट हो जाएं क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है जब हमें इन ताकतों में समन्वय-शक्ति का अभाव दिखाई देता है। कई वर्षों तक हम इसी तरह चलने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अब हमने यह देखा है कि एक राजनैतिक दल ऐसा है जोकि धार्मिक मुद्दे को अपने मुख्य मुद्दे के रूप में लेता है। मैं किसी धार्मिक मुद्दे के विरुद्ध नहीं हूं और न ही मैं किसी धर्म के विरुद्ध हूं, परन्तु धार्मिक मुद्दे को राजनीति में शामिल करके एक के बाद दूसरा चुनाव लड़ने की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस बात पर ध्यान देना होगा और बड़े प्रभावकारी ढंग से इस पर नियंत्रण लगाना होगा। यदि कोई दल हथियार उठा लेता है, उदाहरण के लिए, यदि किसी दल का कोई उम्मीदवार ए.के. 47 लेकर चलता है और दूसरे दल के उम्मीदवार के पास कुछ भी नहीं होता तो यह बराबरी की लड़ाई नहीं होती। यदि कोई दल राम नाम का सहारा लेकर रात दिन लोगों के दिलों-दिमाग को प्रभावित करने में लगा रहता है, और दूसरा दल इस शब्द का इसलिए प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वह पंथनिरपेक्ष दल है और इसलिए इस शब्द का एक मुद्दे के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहता, तो यह भी बराबरी की लड़ाई नहीं है और मेरे विचार से संविधान ऐसी गैर-बराबरी की लड़ाई की अनुमति नहीं देता। दोनों टीमों के लिए मैदान एक-समान ही होना चाहिए। जो लोग चुनाव में भाग लेते हैं, उन्हें किन्ही सिद्धांतों और मार्ग-निर्देशों के आधार पर ही चुनाव में भाग लेना होगा, जोकि सभी के लिए एक समान हैं और जिनका संविधान में स्पष्ट वर्णन किया गया है।

इस बात को ध्यान में रखना होगा। यह हम दोनों के लिए उचित बात होगी। राम को अपने स्थान पर ही रहने दिया जाए। हमें अन्य मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जोकि जनता को दृष्टिगत रखते हुए अत्यधिक महत्वपूर्ण हों और संविधान को सही तरीके से अमल में लाने का केवल यही एक तरीका है। मैं अन्य राजनैतिक दलों से, जोकि यह सोच रहे हैं कि शायद धार्मिक मुद्दे उनके लिए स्थायी संपत्ति बन गए हैं, यह अपील करता हूं कि ये मुद्दे उनके लिए स्थायी संपत्ति नहीं बन पाएंगे। भारत के लोग बड़ी आसानी से और जल्दी ही इस चाल को भांप लेंगे, भले ही एक चुनाव अथवा दूसरे चुनाव या फिर उससे अगले चुनाव में आकर देखें, इससे लोग यही देख पायेंगे कि शायद आपने अपने पांच वर्ष बिना कोई कार्य किए व्यर्थ में ही गंवा दिए हैं, और केवल अनावश्यक नारेबाजी ही की है। अत: मैं यह चाहता हूं कि इस बात पर विचार किया जाए। इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री इन्द्रजीत का धन्यवाद करता हूं। हमें इसे कार्यरूप देना होगा; हमें इसके बारे में विचार करना होगा। यदि संभव हुआ तो मैं भी इस सभा में आऊंगा अथवा सबसे पहले विपक्ष के नेताओं, सभी नेताओं के बीच आम चर्चा कराई जाएगी, एक व्यापक चर्चा कराई जाएगी कि इस भूल का, जोकि एक दशक से काफी खतरनाक रूप धारण कर गई है, कैसे समाधान किया जा सकता है।

एक छोटे से रूप में इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन उसके बाद इसने सभी दलों को थोड़ा बहुत प्रभावित किया है। आज जब मैं यह कहता हूं कि जो कुछ हो चुका है उसे पूरा करना होगा तो सभी दलों की भौंए तन जाती हैं। मैं किसी भी दल में इस तरह की बात नहीं देखना चाहता। यदि हम पंथनिरपेक्ष हैं तो किसी विनाशक को इस तरह का विनाशकारी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं। चर्चा के दौरान प्रत्येक बात पर चर्चा की जाएगी। हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, और हम तरीकों का पता लगायेंगे, जोकि हम पता लगाने वाले हैं, एक बार फिर हम तरीकों का पता लगाएंगे। इसके बारे में मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं। मैं एक बार फिर आपसे अपील करना चाहूंगा कि आज जोड़-तोड़ करने का समय नहीं है, हमें एक कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ना होगा।

जहां तक पुनर्वास और पुनर्निर्माण उपायों का सम्बन्ध है, मैं सोचता हूं कि इस बारे में कुछ निर्णय लिया गया है, इसकी जानकारी सभा को दे दी जाए। भारत सरकार को सलाह दी है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए जोकि हाल ही के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं कर पाए। इस समय सांप्रदायिक दंगों में शिकार हुए लोगों को जो अनुग्रह-उपदान सहायता की व्यवस्था की गई है, वह प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। सरकार इस बात को देखे कि सभी राज्य सरकारों द्वारा दंगापीड़ितों को एक समान आधार पर सहायता दी जाए, ताकि जो लोग दंगों में मारे जाते हैं, उनके निकटतम सम्बन्धी को एक लाख रुपए की सहायता

दी जा सके और जो लोग हमेशा के लिए अक्षम होकर रह जाते हैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा सके। इस विशेष घटना के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे अपवाद का मामला मानते हुए जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके मामले में हम इस सहायता राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपये करना चाहते हैं।

*** *** ***5

गड़बड़ी के दौरान जिन धर्म-स्थलों को क्षति पहुंची है, उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एक कोष की स्थापना की जाएगी। अनुग्रह-उपदान राहत के अतिरिक्त मृत्यु, गम्भीर रूप से जख्मी होने अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचने की अवस्था में भारत सरकार राज्य सरकारों से सिफारिश करेगी कि हाल के साम्प्रदायिक दंगों में शिकार हुए लोगों को निम्नलिखित सहायता भी प्रदान की जाए।

यदि किसी परिवार का कमाने वाला कोई सदस्य साम्प्रदायिक दंगों में मारा गया है अथवा स्थायी रूप से कमाने में अयोग्य हो गया है तो उन परिवारों की विधवाओं अथवा उनके बच्चों को रोजगार प्रदान किया जाए, जो बेघर हो गए हैं, उन्हें रहने के लिए आवासीय स्थान आबंटित किए जाएं, उनके परिवारों को दुकानें/तख्त रखने के लिए स्थान आबंटित किए जाएं, जिससे वह अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें और दंगों में क्षतिग्रस्त काम-धन्धा दोबारा शुरू करने के लिए चल पूंजी व पूंजी निवेश के लिए बैंक ऋण दिए जाएं। संघ राज्यक्षेत्रों में भी इसी तरह के उपाय किए जाएंगे। सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए हैं।

*** *** ***6

उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा है कि इस विशेष विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अन्दर अपने विचार प्रस्तुत किए जाएं। हम इस विषय के सभी पहलुओं की जांच कर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जा रहा है।

*** *** ***7

प्रचार माध्यमों के सदस्यों के संबंध में जांच आयोग बनाने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं। इस बीच हमने यह निर्णय लिया है कि जिन लोगों के उपकरणों आदि को क्षति पहुंची है, उन्हें कतिपय रियायतें दी जाएं जिनके बारे में उन्होंने स्वयं भी कहा था। इस प्रकार प्रचार माध्यमों के सदस्यों के साथ क्या हुआ, इस बारे में जांच आयोग काफी बारीकी में जाकर पता लगाएगा।

*** *** ***8

पश्च टिप्पण

IX. मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव 21 दिसम्बर 1992

1. **श्री चन्द्र शेखर** (बलिया): वह अनुच्छेद 356 का उद्धरण दे रहे हैं । क्या अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि यदि भारत सरकार को राज्यपाल तथा राज्य सरकार की रिपोर्ट के बगैर ही यह विश्वास हो जाता है कि वहां संविधान प्रभावी नहीं है और वे कार्रवाई कर सकते हैं? और सरकार ने जो जानकारी प्राप्त की उसी के आधार पर यहां तक कि राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना ही कार्रवाई की गई।

2. **श्री इब्राहिम सुलेमान सेट** (पोन्नानी): पूर्व के अनुमानों के बारे में आपके क्या विचार हैं?

3. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** (फतेहपुर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर पूर्ण विश्वास किया और विश्वास नहीं करने का उनके पास कोई कारण ही नहीं था। और चूंकि उन्होंने पूरी तरह से विश्वास किया था, इसलिए यह गम्भीर दुर्घटना घटी। क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को यह याद दिला सकता हूं कि हमने एक प्रश्न किया था कि यदि अचानक कल्याण सिंह जी त्याग पत्र दे देते, तो वे उस स्थिति को कैसे सम्भालेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास वैकल्पिक कार्यक्रम है और कुछ ही क्षणों में कार्यवाही करेंगे और स्थिति को सम्भालेंगे। इसका मतलब है कि ऐसा ही हुआ था, क्योंकि प्रशासन के पास केवल विश्वास ही नहीं बल्कि वैकल्पिक उपाय भी होना चाहिए। हमें समझाया गया था कि वैकल्पिक उपाय हैं और यदि श्री कल्याण सिंह जी इस्तीफा देते हैं तो उनके पास वैकल्पिक उपाय है और कुछ ही क्षणों में स्थिति को सम्भाल लिया जा सकता है। यहां पर सारी स्थिति का उल्लेख किया गया। क्या मैं जान सकता हूं कि उस वैकल्पिक उपाय का क्या हुआ? उस वैकल्पिक का क्या हुआ जिसे, यदि कल्याण सिंह अन्तिम क्षणों में इस्तीफा देते, तो आप प्रयोग करने वाले थे?

4. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या यह बात सही नहीं है कि आपको, भारत सरकार को मध्याह्न 12 बजे तक यह खबर मिल गई थी कि ढांचे तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है? यदि यह बात सही है तो यह निर्णय लेने के लिए कि क्या किया जाए, सायं काल छह बजे तक मंत्रिमण्डल की बैठक का आयोजन क्यों नहीं किया गया?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जिस व्यक्ति को भी ऐसी सूचना मिलती है, उसकी मनोदशा यह होती है कि वह पहले मस्जिद को बचाए। हमने उनको पुलिस बलों का उपयोग करने के लिए कहा; हम उनसे कहते रहे कि वे बलों का उपयोग करें। उस स्थिति में यही सब किया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, छह दिसम्बर को जो कुछ हुआ उसके पीछे जो युक्ति थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार कब तक उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा करती रही? क्या सरकार रात आठ बजे तक अथवा नौ बजे तक उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा करती रही जब तक मस्जिद तोड़ने का कार्य पूरा हो चुका था? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह जानकर कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ धोखा किया गया है, वे कब तक विश्वास करते रहे। इसी बात की हमें चिन्ता है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : रात के 9.10 बजे माननीय राष्ट्रपति ने पत्रों पर हस्ताक्षर किए। रात 7.30 बजे के आस पास श्री एस. बी. चव्हाण ये पत्र उनके पास लेकर गए। यदि मुझे ठीक याद है तो यही समय हुआ था।

5. **श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : उत्तर प्रदेश सरकार केवल 50000/- रुपए ही दे रही है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हम उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे और हम यह देखेंगे कि इसका भुगतान कर दिया जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : जो पुलिस के लोग मारे गए हैं, क्या उनको भी यह सरकार कुछ मुआवज़े के तौर पर देने का विचार रखती है।

6. **श्री बसुदेव आचार्य** : कर्फ्यू के दौरान श्रमिकों को उनकी मजदूरी के भुगतान के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है, इसे भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, माननीय सदस्यों से ऐसे कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। यदि अधिक सुझाव प्राप्त होते हैं और वे सुझाव व्यवहार्य होंगे, तो हम उन पर भी विचार करेंगे। मैंने पहले भी ऐसा ही किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : कर्फ्यू के दौरान श्रमिकों को उनकी मजदूरी के भुगतान के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है। इसे भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, माननीय सदस्यों से ऐसे कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। यदि अधिक सुझाव प्राप्त होते हैं और वे सुझाव व्यवहार्य होंगे, तो हम उन पर भी विचार करेंगे। मैंने पहले भी ऐसा ही किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद मुआवज़े की राशि में वृद्धि नहीं की गई है। इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। इसमें से किसी बात को भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : प्रधानमंत्री जी ने कहा था और सभा को आश्वासन परसों दिया था कि अयोध्या मुद्दे पर श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु श्वेत-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ढांचे के पुनर्निर्माण के बारे में, आपने आज कुछ भी नहीं कहा। पुनर्निर्माण के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : क्या आप उन विशेष शर्तों में सरकार की भूल को भी शामिल कर रहे हैं? इसे भी शामिल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री वाजपेयी जी।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं सभी सदस्यों के भाषण सुन नहीं सका, यहां उपस्थित नहीं रह सका, लेकिन मैंने सबके भाषण देखने की कोशिश की है।

चर्चा आरम्भ करते हुए मैंने जो भावनाएं व्यक्त की थी, मुझे खेद है कि चर्चा उनके अनुरूप नहीं हुई। आरोप-प्रत्यारोप सदन में होते रहे हैं, आगे भी होंगे। दोषारोपण सरल है, आत्म-निरीक्षण कठिन है। 6 दिसम्बर की घटनाओं का भाष्य अगर इतना सरल होता जितना हमारे सामने बैठे हुए कुछ मित्रों ने करने की कोशिश की है, तो दूसरी बात होती। मैं श्री पायलट को ढूंढ रहा हूं—चर्चा में एक के बाद एक मंत्री, ऐसा लगता है कि मंत्रियों में होड़ लगी थी कि प्रधानमंत्री के प्रति अपनी निष्ठा, प्रतिबद्धता कौन दिखाता है। वे तो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वे तो निर्णयों में भागीदार थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या मैं टिप्पणी नहीं कर सकता?

अब मैं एक छोटी-सी बात का उल्लेख करूंगा फिर बाद में गंभीर मामले पर आऊंगा। श्री पायलट ने उस दिन खड़े होकर ऐसा रहस्योद्घाटन किया कि अयोध्या में ढांचा तोड़ा गया है और ढांचा तोड़ने वालों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग देने के लिए अहमदाबाद के पास सरखेज में एक कैम्प लगाया गया था और फिर ब्रिगेडियर का नाम भी ले लिया। आपने वह नाम रिकार्ड में जाने नहीं दिया। दूसरे दिन अखबार में था कि ढांचा टूट गया तो जरूर कोई साजिश होगी। ऐसे लोगों की साजिश होगी जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी और ट्रेनिंग देने वाला कोई मिलिट्री अफसर था – मुझे दुःख है पायलट साहब जरा सच्चाई पता कर लेते।

सरखेज में एक संस्था है, जो इन्टरनल सिक्युरिटी के लिए ट्रेनिंग देती रहती है और जो ब्रिगेडियर हैं, वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने एक पद पर नियुक्त किया था। उन्होंने बयान जारी किया है। वे वाटर पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। मैं इसके लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं। वे वहां ट्रेनिंग दे रहे थे। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। राइफल ट्रेनिंग होती है, जूडो सिखाया जाता है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैं ब्रिगेडियर पर आक्षेप नहीं कर रहा, न मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आक्षेप कर रहा हूं। लेकिन उन सारे मामले का आप ठीक से पता लगाते। आखिर आप कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, आप थोड़ा कम्युनिकेशन भी नहीं रख सकते।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अटल जी, आज भी आप यह मानने को तैयार नहीं हैं कि प्री-प्लान था। आप यह आत्मा से कहिए कि प्री-प्लान था कि नहीं था। मैं आज भी मानने के लिए तैयार हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जब पायलट साहब ने आरोप लगाया था और यहां से आवाज उठी थी कि अगर आरोप गलत हो तो पायलट साहब इस्तीफा दे दें। मैं इस्तीफा देने की मांग कर रहा हूं, वे मेरे मित्र हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सदन में इस तरह की सनसनी पैदा करने के खिलाफ मेरी शिकायत जरूर है।

अयोध्या में जो कुछ हुआ, आपने उसकी जांच के लिए कमीशन बना दी है। हमने कमीशन का स्वागत किया है, हम भी तथ्यों को जानना चाहते हैं। लेकिन तथ्य सामने आए, कमीशन की जांच का परिणाम प्रकट हो इससे पहले आप कमीशन को प्रभावित कर रहे हैं—यह एक बात है। दूसरी बात हमारे विरुद्ध देश में एक जहरीला वातावरण पैदा कर रहे हैं जिसके पता नहीं क्या परिणाम हो सकते हैं। अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका हमें खेद हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्हें विश्वास दिलाया गया था। मैं मानता हूं और मैंने पहले दिन भी कहा था। मैंने पहले दिन जो कहा था, अगर उस वातावरण को आधार बनाकर, उस स्वीकृति को आधार बनाकर चर्चा होती तो हम कहीं पहुंच सकते थे।

मगर 2-3 दिन की चर्चा हमें किसी सही बिन्दु पर पहुंचने में मदद नहीं करेगी, यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री जी को विश्वास था कि यह जो कह रहे हैं उसका पालन होगा। हमको भी विश्वास था और इसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं और सारी सरकार शामिल है कि अयोध्या के मामले में ढांचे को सुरक्षित रखने का काम और 2.77 एकड़ पर कार सेवा का काम अलग कर दिया जाएगा, लखनऊ बेंच का फैसला आ जाएगा और कार सेवा करने के लिए जो लोग इकट्ठे होंगे, उनको अवसर मिल जाएगा। यह हमें विश्वास था। आप कहेंगे कि आपका विश्वास है और हमारा विश्वास साजिश है। यह विश्वास को नापने के अलग-अलग गज कैसे हो सकते हैं, जो फैसला 10 दिसम्बर को हुआ अगर 6 दिसम्बर से पहले हो जाता।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ऐसा कैसे हो सकता था?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं बताना नहीं चाहता हूं। चटर्जी साहब कहेंगे कि अदालत का फैसला कैसे आ सकता है। वह बड़े वकील हैं और हर काम में कानूनी दांव-पेंच जानते हैं। हम साधारण बेंच के सामने जाकर कहें, मिल कर कहें कि आप शीघ्र फैसला सुना दें। इतनी बात नहीं मानी।

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए और मैं सोचता था कि चर्चा में इसके जवाब आएंगे। या तो यह कहिए कि अयोध्या में जो कुछ हुआ, जब तक उसकी जांच के परिणाम नहीं मिलते हैं तब तक फतवे नहीं देंगे, हम फैसले नहीं देंगे, हम किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय, मैं इस स्थिति में एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। श्री अटल जी की सूचना के लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लखनऊ पीठ की कार्रवाई में केन्द्र सरकार का कोई हाथ नहीं है। हमें तो इससे इसलिए सम्बद्ध किया गया है क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम होता है। केवल इसलिए हम इससे पूरी तरह से संबद्ध नहीं हैं। कृपया इस बात पर ध्यान दिया जाए।

7. **श्री इन्द्र जीत** (दार्जिलिंग): प्रचार माध्यमों के जिन लोगों को क्षति पहुंची है, उनके बारे में कोई भी बात नहीं की गई।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

11 मार्च 1993

महोदय, आपने इसे मेरे भाषण की भूमिका कहा है। क्या गजब की भूमिका है।

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और इसमें अपना अमूल्य योगदान दिया।

राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी संसदीय प्रणाली में एक विशेष सम्पृक्तार्थ होता है। अभिभाषण के प्रारंभ में विशेषकर राष्ट्र और सरकार के महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला जाता है। उदाहरणार्थ गत वर्ष के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने कुछ प्रस्तावित चर्चा के बाद सीधे आर्थिक सुधार और आर्थिक कार्यक्रम का सवाल उठाया था। गत वर्ष राष्ट्र का यह सर्वप्रथम लक्ष्य था और यही ठीक था क्योंकि हम बड़ी विकट स्थिति में आ खड़े थे, जिस स्थिति से हम सरकार के प्रयासों से थोड़ा-थोड़ा करके बाहर निकल रहे हैं और इसलिए, गत वर्ष के अभिभाषण के समय आर्थिक कार्यक्रमों की सूची ही सबसे लम्बी थी और राष्ट्रपति जी ने कमोबेश यहीं से अपना अभिभाषण प्रारम्भ किया था।

इस वर्ष दुर्भाग्यवश मैं यह नहीं कहता कि आर्थिक कार्यक्रमों की सूची बन्द कर दी गई है या पीछे छोड़ दी गई है, लेकिन, राष्ट्रपति की पहली चिन्ता राष्ट्र की जीवन्तता और भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की अक्षुण्णता को कायम रखने की है।

यह भी एक सुविचारित घटना है, जिस पर हमें सर्वप्रथम गौर करना चाहिए, इसी के परिणामस्वरूप एक वर्ष या पिछले दो-तीन महीनों में यह सब घटित हुआ है। इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि यह हमारा सर्वप्रथम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य और शायद हमारी पहली चिन्ता होनी चाहिए कि हमें इन सब घटनाओं, इन सब बातों पर गौर करना चाहिए।

यह पहली बार नहीं हुआ है कि धर्म को राजनीति से अलग करने की आवश्यकता का मुद्दा हमारी चर्चा, इस देश में हमारे विचारों का मुख्य विषय रहा है। संविधान सभा में वाद-विवाद के दौरान इस विषय पर मुख्य बल दिया गया और तब से लगातार समय-समय पर इस विषय पर चर्चा होती रहती है। कुछ हद तक हमने इस मुद्दे का समाधान किया है। हमने इसका कुछ हद तक समाधान नहीं किया है। जहां तक इसका समाधान नहीं हो पाया वहीं से इसने पुनः अपना सिर उठाया है और समय-समय पर मुश्किलें पैदा की हैं।

इस सभा से और राष्ट्र से मेरा यह कहना है कि अब वह समय आ गया है कि इस समस्या को और अधिक जोड़-तोड़ नहीं सकते। अब हमें इस बारे में सदा के लिए ठोस निर्णय करना है। हमारा कहना है कि यह देश निरन्तर धर्मनिरपेक्षता पर कायम रहा है और बिना धर्मनिरपेक्षता के इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह जीवन्त नहीं रह सकता। मेरा कहना है कि हमें सर्वप्रथम सभी पार्टियों के साथ स्वयं इस बारे में निर्णय करना है।

महोदय, 1948 में भी जब संविधान पर विचार-विमर्श चल रहा था, संविधान सभा के एक सदस्य श्री अनन्त समनय अय्यंगर ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव का पाठ इस प्रकार था:

"चूंकि लोकतंत्र के समुचित निर्वहन और राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की अभिवृद्धि के लिए यह अपरिहार्य है कि भारतीय जनजीवन से साम्प्रदायिकता को समाप्त कर दिया जाए। अत: इस सभा की धारणा है कि किसी भी साम्प्रदायिक संगठन को, जो अपने संविधान या अपनी कार्यकारिणी अथवा इसके अवयव में निहित विवेकाधिकार से धर्म, वंश और जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को अपनी सदस्यता देती है या उसे अपनी सदस्यता से वंचित करती है, समाज की यथार्थ धार्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित गतिविधियों से इस अन्य गतिविधियों में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए वैधानिक एवं प्रशासनिक सभी प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिएं।"

उसी वाद-विवाद में पंडित जी ने कहा था:

"हमें अपने दिमाग में तथा देश के अन्तर्मन में स्पष्ट रूप से यह बात घर कर लेनी चाहिए कि साम्प्रदायिकता के मध्य में धर्म और राजनीति का गठबन्धन एक अत्यंत खतरनाक गठबन्धन है जिससे अवैध और कलुषित विचारों का जन्म होता है।"

उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार महोदय, यह मुद्दा हमेशा चिन्ता का विषय बना रहा है।

दुर्भाग्यवश, समय-समय पर व्याप्त परिस्थितियों के कारण हम इस समस्या का समाधान कुछ अन्य साधनों से मतपेटी आदि के माध्यम से कुछ हद तक कर पाए हैं। लेकिन प्रारम्भ से ही अर्थात् प्रथम आम चुनाव 1952 से अब तक मैं बिना किसी विरोधाभास के यह कह सकता हूं कि चुनावी राजनीति में थोड़ी-बहुत हद तक साम्प्रदायिकता का संश्लेषण रहा है जो कि तब से सदा बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक यह इतना भयावह नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक वास्तव में इससे देश के अस्तित्व को, देश की अक्षुण्णता को खतरा नहीं हुआ था। लेकिन 25 वर्ष के भीतर श्रीमती इन्दिरा गांधी इस निष्कर्ष पर पहुंची थीं कि यह स्पष्ट करना नितान्त आवश्यक है कि भारतीय लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की ओर अग्रसर हो रहा है।

'धर्मनिरपेक्ष' शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया। इसमें 25 वर्ष लग गए। तब तक इस शब्द को जोड़ने की अनिवार्यता या ऐसा एकदम स्पष्ट करने की आवश्यकता कि यह केवल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही है, नहीं पड़ी थी। यह अनिवार्यता 42वें संशोधन में पैदा हुई। 42वां संशोधन इस बात को स्पष्ट करता है कि इस देश में लोकतंत्र, लोकतंत्र की संज्ञा इसे एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की ओर ले जाने की है। किसी अन्य लोकतंत्र में यदि वह राष्ट्र चाहता है तो यह गैर-धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है। लेकिन यह राष्ट्र विशेष रूप से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र चाहता है। बस यही बात इसमें स्पष्ट की गई है।

धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में यह एकदम स्पष्ट है कि इसमें शामिल होने वाली पार्टियों की प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, उनका धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष अस्तित्व होना चाहिए। कोई भी प्रक्रिया गैर-धर्मनिरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। यह एक प्रामाणिक तथ्य है। इस तथ्य को सिद्ध किए जाने अथवा इस पर अधिक तर्क किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता के इस विशेष पहलू के बारे में और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में इसके कार्यकरण के बारे में जानना आवश्यक है।

हाल की दु:खान्त घटनाओं के बाद देश के कई न्यायविद, संवेधानिक विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी इसके बारे में मुझे लिख रहे हैं, और मैं जानता हूं कि यह उन्माद सारे देश में फैलता जा रहा है क्योंकि अन्तत: हमारा देश एक विचारशील देश है। हजारों वर्षों से यह देश ऐसे रहता आया है।

अत: इस विचार-विमर्श, चिन्तन के परिणामस्वरूप मैंने सरकारी तौर पर कुछ पहलुओं का अध्ययन किया। हमारे पास ऐसे कई प्रावधान हैं, जिनसे कुछ हद तक हम तो कहेंगे काफी हद तक धर्म को राजनीति में लाना रोका जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। आज की यही स्थिति है। लेकिन इसे रोकना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। इसे समाप्त करना होगा। नि:सन्देह इसे जनता के दिमाग से निकालना होगा। यह एक लम्बी प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसे संवैधानिक और वैधानिक ढांचे, जिस पर लोकतंत्र का निर्वहन आधारित है, से भी हटाना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

इसका अध्ययन करने के पश्चात्, 42वें संशोधन के बारे में मेरा तो कहना है कि यह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, उद्देशिका में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को जोड़ना यह महत्वपूर्ण दिशा थी, जिसने एक कमी पूरी कर दी। आज स्थिति यह है कि इस मामले का पूरा अध्ययन करने के बाद निम्न निष्कर्ष सामने आया है। अत्यन्त विचारशील नेता श्री मधु लिमये ने इसके बारे में मुझे लिखा और हमने मामले का पूर्णत: अध्ययन किया था। हमने यह पाया:

> "पूर्ववर्ती स्थिति से यह स्पष्ट है कि संविधान के वर्तमान उपबन्ध, चुनाव सम्बन्धी कानून और अन्य अधिनियमों में ऐसी स्थिति से निपटने में पर्याप्त सक्षम नहीं हैं जिसमें कोई राजनीतिक दल स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशेष या सामान्य मुद्दों को उठाए यद्यपि चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों को उठाना विशेष रूप से जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित 'भ्रष्ट आचरण' की परिभाषा के अंतर्गत प्रतिबन्धित है।"

अत: यह किसी पार्टी के कार्यकरण, उसकी गतिविधियों के समूचे दायरे पर आंशिक रूप से प्रभावी होता है। इस पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है। हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब यह लोकतंत्र एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र होगा। इसलिए, क्या जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, चुनाव चिह्न आदेश में संशोधन करने से राजनैतिक पार्टियों को धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं का लाभ उठाने या उनका शोषण करने से रोका जा सकता है। इसका उत्तर है 'जी नहीं'।

क्योंकि हमने ऐसा प्रयास नहीं किया है। इसका परीक्षण नहीं किया गया है। इसलिए, हमें कुछ विशेष उपाय ढूंढने होंगे और यह सरकार उन उपायों की खोज में है। मैं इस सभा में और सभा के बाहर इस विषय पर पूरी बहस चाहता हूं और पूरी बहस के बाद ही हम इस देश में मानवीय प्रवीणता से उत्पन्न एक अत्यन्त कारगर उपाय तक पहुंच पाएंगे। यह सरकार का वायदा है। मैं इस विषय को यहां उठाना चाहता हूं। यह राष्ट्र के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, और इसलिए, इस विषय को लेना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि गत वर्ष की घटना के परिणामस्वरूप प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी और मेरा कहना है कि सभा के समक्ष, राष्ट्र के सामने वह स्थिति आएगी चाहे यह किसी भी रूप में हो। मैं पुन: इस सरकार को किसी संवैधानिक कानूनी संशोधन के सुपुर्द करता हूं जिसकी आवश्यकता इसके ढांचे को समयोचित बनाने के लिए हो सकती है, ताकि समूची व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आदर्श के अनुरूप कायम किया जा सके जैसा कि संविधान में निहित है।

राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम धार्मिक उपाय को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि वह धार्मिक संस्था है, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सार यही है। यदि कोई अपने अधिकारों, अपनी शिक्षा या अन्य बातों के लिए हिन्दू या मुस्लिम संस्था को अपनाना चाहता है, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके लिए संविधान खुला है। उसमें इसकी अनुमति है, लेकिन हम चुनावी राजनीति में इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि चुनावी राजनीति में आने के बाद इसका स्तर वह नहीं रहता है। हर चीज अपने स्तर पर होनी चाहिए। दोनों पक्षों के लिए इसकी कुछ लाभ या हानियां हो सकती हैं। यदि हिन्दू होना ही एक योग्यता है और पार्टी कहती है कि यह सभी हिन्दुओं के लिए है, और दूसरी पार्टी मुस्लिम पार्टी मुस्लिम बन जाती है। तो फिर इस देश में हम चुनाव ही क्यों करवाएं। 85 प्रतिशत हिन्दू हैं। यहां तक कि चुनाव से पहले ही परिणाम बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार जब तक इस देश की बहुसंख्यक जनसंख्या धार्मिक आधार पर विभाजित न होकर वैचारिक आधार पर विभाजित नहीं होती और ऐसी ही स्थिति अल्पसंख्यक लोगों के साथ भी हो, तब तक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र नहीं आ सकता। इसलिए, इसे रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। जैसे राजद्रोह का आह्वान करना गैरकानूनी है, उसी प्रकार इसे भी गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, पंजाब के चुनावों में कुछ नेताओं ने कहा मैं इन चुनावों को 'खालिस्तान' के लिए जनमत संग्रह के रूप में ले रहा हूं। हमने चुनाव रोक दिए। ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

***　　　　***　　　　***1

मैं आपसे सहमत हूं। मिजोरम में राज्य के कांग्रेस मेनीफेस्टो में यह गलत बात जोड़ दी गई थी। हमने इसे हटा दिया। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। हम इस बात से एकदम अलग हैं। जो कुछ हुआ वह गलत था। वह एकदम गलत था। इस देश में ऐसे मामले हुए हैं कि धार्मिक भावनाओं के दोहन की अपील करने वाले 'पम्पलेट्स' को उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता और जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना और चुनाव रोक दिए गए।

बम्बई हाई कोर्ट के ऐसे निर्णय हो चुके हैं जिनमें इस सिद्धान्त को सही माना गया है यह तो केवल, वर्तमान कानून वर्तमान मामले संबंधी कानून को सुदृढ़ करने, और जहां कहीं इसमें कोई खामी है, उस खामी को दूर करने का मामला है, जिससे कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र त्रुटिहीन बने, तथा सभी अर्थों में अलंघनीय हो अत: मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूं और वह हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी।

अब इस वाद-विवाद ने अन्य दो वाद-विवादों को पीछे छोड़ दिया है। एक रेलवे संबंधी चर्चा है। मेरे कुछ मित्रों ने रेलवे के बारे में कुछ मुद्दे उठाए हैं। उसके लिए रेल मंत्री जी को कार्यवाही करनी पड़ेगी, उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में आर्थिक गतिविधियों के बारे में काफी कुछ बताया गया है। उन्होंने प्रमुख रूप से आर्थिक नीति पर जोर देने की बात कही है, जिसे पिछले वर्ष अनुमोदन दिया गया था और जिसका अनुसरण करते हुए हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। लेकिन, मैं इस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि बजट पर चर्चा के दौरान इन सब पर चर्चा होगी। अत: मैं इसे बजट पर चर्चा के दौरान विचार किए जाने हेतु छोड़ता हूं।

केवल एक मुद्दा जो अभी तक अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं हुआ है, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा और वह है कृषि का महत्व। केवल नारे के रूप में ही इस बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की गई है। मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि 1993-94 के बजट में गरीबी कम करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा गरीबों के उत्थान की हमारी नीति के बारे में आश्वस्त किया गया है, जैसे कि सरकार विनियमन और उद्योगों आदि में सीधे हस्तक्षेप के मार्ग से हट रही है, तो इसे मुख्यत: केवल उन्हीं सेवाओं पर ज्यादा दृढ़ता से ध्यान केन्द्रित करना होगा जो वह प्रदान कर सकती है। बजट में हमारे इन अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रति हमारी वचनबद्धता को दर्शाया गया है। यह प्रमुखतया गरीबी दूर करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए आबंटन में वृद्धि करने पर ज्यादा जोर देगा। कृषि क्षेत्र में सोलह प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में छत्तीस प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है जो 5,000 करोड़ तक पहुंच गई है। पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास में 110 प्रतिशत या 120 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। यह 14,000 करोड़ रुपए से शुरू होकर 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, क्योंकि हमने सोचा कि यह जरूरी है। अगले पांच वर्षों में वस्तुत: ही ग्रामीण विकास के लिए वृद्धि की जानी है, जिसमें ग्रामीण रोजगार, पानी और जवाहर रोजगार योजना आती है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह वृद्धि 29 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में यह वृद्धि 17.6 प्रतिशत है। यह वृद्धि पिछले बजट में नहीं थी। इसलिए इस हेतु विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है। जहां एक तरफ आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण किया गया है, नियंत्रण हटाकर लोगों को अपने ही उद्योग लगाने की स्वतंत्रता दी गई है, वे खुद ग्रहण करें, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी आबादी रहेगी ताकि इस परिवर्तन से मतभेद न बढ़ जाएं, असमानता न बढ़ जाए, ग्रामीण क्षेत्र को बहुत बड़ी राशि दी गई है, ताकि सब संतुलन बना रहे तथा ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में परस्पर एक रिश्ता बना रहे।

हमने हाल ही में कृषि के विकास के लिए राज्यों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों से विचार-विमर्श करके एक प्रगतिशील कृषि नीति तैयार की है। कृषि संबंधी नीति संकल्प पर 5 मार्च, 1993 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी, जिन्होंने मोटे तौर पर इसको स्वीकृति दे दी थी। कृषि संबंधी नीति संकल्प को संसद के समक्ष सांसदों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। नीति में ढांचागत विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास और अधिक सार्वजनिक निवेश, ऋण के अच्छे प्रावधान और अन्य साधन तथा अनुकूल मूल्य देने की व्यवस्था, कृषि के क्षेत्र में व्यापार व निवेश वातावरण पर जोर दिया गया है।

वस्तुत: इसी पर पूरा जोर है। यह केवल उत्पादन की ही बात नहीं है। इसमें कृषि में व्यापार और निवेश वातावरण भी निहित है। इस साल के बजट में पहली बार कृषि के लिए इतना भारी पूंजी निवेश किया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वास्तव में कृषि पर निवेश लगातार कम होता जा रहा था।

इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि कृषि संबंधी निवेश के बारे में सरकार की नीति को एक नया मोड़ देने तथा जब तक हम कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं उससे अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। पिछला अनुभव रहा है। जब कभी अच्छी फसल होती थी तो सब कुछ ठीक होता था। जब कभी सूखा पड़ता था चाहे सब कुछ ठीक क्यों न हो फिर भी अच्छी हालत का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ता। अत: यह एक मुद्दा है जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं।

कृषि में एक कठिनाई आती है, और मैं माननीय सदस्यों को सरकार के विचारों से अवगत कराना चाहूंगा। कृषकों के कुछ वर्गों से उर्वरकों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। जहां तक नाइट्रोजीनस उर्वरकों का संबंध है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, क्योंकि मूल्य कम हो गए हैं। फास्फेटिक उर्वरकों विशेषतया डी.ए.पी. के संबंध में एक शिकायत की गई है। यह शिकायत दो-तरफा है। एक तरफ हमारी अपनी फैक्ट्रियां 9,200 रुपए प्रति टन की लागत पर डी.ए.पी. का उत्पादन कर रही हैं, जबकि आप इसी डी.ए.पी. को 6000 रुपए-6,500 रुपए की दर से आयात कर सकते हो। अब राष्ट्रीय हित में क्या है। यही दुविधा उत्पन्न होती है। मैं निवेदन करूंगा।

*** *** ***2

यहां किसी एक वर्ग की बात उठाने से काम नहीं चलेगा। दूसरे पक्ष के हमारे मित्र जो जोर-जोर से बोल रहे हैं, अनावश्यक रूप से अपने गले में दर्द कर रहे हैं। वे केवल एक वर्ग अर्थात् उद्योग और श्रम की बात करते हैं। यदि उद्योग को अधिक आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाता है, तो श्रमिकों को निकालना पड़ेगा, उनकी यह चिन्ता उचित है। मैं समझ सकता हूं। लेकिन अन्य चिन्ता भी है, जो कि किसानों की है। यदि आप उन्हें दे सकते हो तो वह इसे 6,000 रुपए पर चाहते हैं। जब कीमत कम हो तो क्या यह हमारे लिए सम्भव

नहीं है कि 'बफर स्टाक' किया जाए। 'बफर स्टाक' का विचार हमारे लिए तब भी सम्भव हो सकता है जब मूल्य 6,000 रुपए और 9,000 रुपए के मध्य हो, लेकिन किसान के पहुंच के भीतर होना चाहिए, हमें यही रवैया अपनाना चाहिए न कि आयात को बन्द कर दिया जाए। यही बढ़िया नीति है, जो किसानों के लिए विचारणीय हो सकती थी और यही हम सोच रहे हैं। दूसरी तरफ, उर्वरकों का समूचा उद्योग है। हमने इसे बड़ी लागत से बनाया है। इन उद्योगों के उत्पादन से 40 से 45 प्रतिशत की हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। हम इसे बेकार नहीं जाने दे सकते। इसलिए, हमें इनको बनाए रखना होगा और इसके लिए हम योजना भी बना रहे हैं। अत: यह दो तरफा पहल है, जब कभी हम कम मूल्य पर आयात करते हैं तो हम माल का स्टाक कर सकते हैं और इसके साथ-साथ स्वदेशी उद्योगों की मदद करके उनको उन्नत बना सकते हैं।

*** *** ***3

उर्वरकों पर हमने एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी। हमने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। हम समिति की सिफारिशें लागू कर रहे हैं, जबकि यहां पर आवाजें उठाई जा रही हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने अपनी जे.पी.सी. की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है। इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए अच्छा होगा जे.पी.सी. की रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ा जाए कि उसमें क्या सुझाव थे और उन्हें कहा तक लागू किया जाए।

जहां तक आयात का संबंध है, इस वर्ष मेरे विचार से कोई आयात नहीं होगा। हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और हमारी रबी की फसल भी उतनी ही अच्छी होने की संभावना है। इस वर्ष गेहूं का आयात नहीं किया जाएगा और मुझे आशा है आगे भी गेहूं का आयात नहीं करना पड़ेगा। लेकिन, इसके साथ-साथ मैं फिर कहना चाहूंगा कि कृषि संबंधी सभी प्रकार की प्रगति के बावजूद, हमें अभी भी वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि प्रकृति साथ नहीं देती, तो इस देश में सूखा पड़ता है, देश स्वयं पर निर्भर नहीं होगा, देश में सूखा पड़ता रहता है चाहे एक राज्य में या अन्य राज्य के किसी हिस्से में या सभी जिलों में हो। कभी-कभी इस देश में भयंकर सूखा भी पड़ता है। मुझे आशा है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी क्योंकि हमने काफी हद तक सिंचाई की व्यवस्था कर ली है, और इसलिए, आजकल भयंकर सूखा नहीं पड़ रहा है। यदि ऐसा सूखा पड़ता है, तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए, कृषि का महत्व हमेशा रहा है। कृषि संबंधी विकास भी बहुत जरूरी है। लेकिन यह विस्तार कहां किया जाए, पंजाब में कुछ करने के लिए नहीं है, हरियाणा में भी कुछ करने योग्य नहीं है।

यह योजना केवल गंगा के मैदानों के लिए है। यह केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है। यह केवल बिहार के लिए है। यह उन क्षेत्रों में है जो प्राकृतिक रूप से सम्पन्न हैं, लेकिन साथ-साथ हमें उन क्षेत्रों को नहीं भूलना है जहां निवेश किया जाना है। मैंने कृषि विशेषज्ञों को यह कहते हुए सुना है कि केवल एक बिहार राज्य ही सारे भारत को खिला सकता है।

बिहार की भूमि उपजाऊ है। मैंने इसे देखा हुआ है। लेकिन, आज वहां कि जो उपज हो रही है उस पर गर्व नहीं किया जा सकता। वह लगभग हरियाणा या पंजाब का आठवां व दसवां हिस्सा है। अत: पूर्वी क्षेत्र प्रति एकड़ उपज में वृद्धि का क्षेत्र है। अयोध्या का क्षेत्र भी इसमें आता है। यदि हर कोई केवल अयोध्या के बारे में ही सोचेगा और कोई व्यक्ति कृषि के बारे में नहीं सोचेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए, राष्ट्र का ध्यान धर्म से, रूढ़िवादिता से प्राचीन नारों से हटाकर पीछे जाने के बजाए 21वीं सदी में ले जाना है। यही समस्त बातों का सार है। सारा कार्यक्षेत्र इसी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इस वाद-विवाद को यहीं पर समाप्त करने के लिए सदन से इसका अनुमोदन करने के लिए कहूंगा। हमने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द किया है। मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा। आपको और हमे विशेष तौर से संसद सदस्यों को इन बातों से अपना दिमाग खराब नहीं करना है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। निर्णय ठीक ले लिया गया है। इसे क्रियान्वित किया जाएगा। एक बार उच्चतम न्यायालय कहता है कि जो प्रश्न आपने किया है उसका उत्तर यह है। उस पर कार्यवाही की जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा पहले ही बहुत आलोचना हो चुकी है। इस संबंध में पहले ही संदेह व्यक्त किया जा चुका है। हमें एक मौका दिया जाना चाहिए। हर हालत में देश की कार्यसूची को बदलना होगा।

मैं, प्रत्येक सदस्य से अपील कर रहा हूं कि हमें राष्ट्र के कार्यकरण में बदलाव लाना चाहिए, राष्ट्र की आर्थिक दशा में पुन: सुधार लाने चाहिएं, आर्थिक स्थिति को फिर उसी स्थिति में पहुंचाना चाहिए जहां पिछले वर्ष थी तथा जहां से उसमें कुछ गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन इसे पुन: अपनी उसी स्थिति में आना होगा और इन्हीं वास्तविक तरीकों के माध्यम से राष्ट्र के कार्यकरण को अब आगे बढ़ाना होगा। यही मेरा निवेदन है।

कमजोर वर्गों के लिए हम पहले ही कदम उठा चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु हमने कार्यवाही शुरू कर दी है। उसके लिए जो समय निर्धारित किया है उसका भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों में से सामाजिक रूप से प्रोन्नत व्यक्तियों और वर्गो को निकालने के लिए सही और आवश्यक सामाजिक-आर्थिक मानदंड का प्रयोग करते हुए, आधार सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अधिक संख्या में व्यक्तियों को शामिल करने अथवा कम संख्या में शामिल करने संबंधी शिकायतों और उसमें और वर्गों को शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने, जांच-पड़ताल करने तथा सिफारिश करने हेतु एक स्थायी संस्था का गठन किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: एक स्पष्ट निर्णय दिया है। इस मामले का कुछ न कुछ हल होना ही है, और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करके इसे हल करने का समय आ गया है। यही करने का सरकार का निश्चय है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो समयावधि निर्धारित की है, उसी के अनुरूप कदम उठाए जा रहे हैं।

***　　　　　　***　　　　　　***4

जैसा कि मैंने अभी कहा था कि राष्ट्र की कार्यसूची काफी अलग हो गई थी जहां यह बिल्कुल अलग और अनावश्यक क्षेत्र के लिए थी। सौभाग्य से हमारे लिए यह दबाव गंभीर मोड़ नहीं ले पाया। मैं जानता हूं कि सरकार को मुम्बई में हुए दंगों से माननीय वित्त मंत्री के अनुसार 4000 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह कुछ अधिक भी हो सकता है। लेकिन स्थिति में सुधार हो रहा है। स्थिति सामान्य होती जा रही है और तेजी से सामान्य होती जा रही है। जनवरी और फरवरी के आंकड़ों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था के निर्यात सहित सभी क्षेत्रों में विकास की प्रवृति नजर आ रही है। यह एक स्वस्थ लक्षण है, जिससे हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए।

महोदय, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि केवल एक महीने अथवा पांच या छह सप्ताह में ही हम ऐसे देशों से संपर्क करने में समर्थ हो सके हैं जिनसे हम देश में बड़े पैमाने पर निवेश करने की उम्मीद करते हैं। अयोध्या मसले के तुरन्त बाद लगभग पन्द्रह दिन अथवा एक महीने के समय तक उसमें अवरोध-सा आ गया था। आपस में पूछ रहे थे कि क्या भारत में सामान्य स्थिति आ पाएगी। एक महीने के पश्चात् स्थिति थोड़ी सामान्य हुई और अब तो तेजी से इसमें सुधार हो रहा है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम पुरानी स्थिति में पहुंच गए हैं। देश सामान्य रूप से काम कर रहा है और वह स्थिति हमें तथा अन्य देशों में हमारे मित्रो को भी स्वीकार्य हो गई है। राष्ट्रपति येल्तसिन की यात्रा से यह साबित हो गया है कि हमारे पहले जैसे संबंध विश्व के उस भाग के देशों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों, समाप्त नहीं हुए हैं। हमने बहुत सी पिछली समस्याओं को हल किया है। मेरा भाषण शुरू होने से पहले कुछ सदस्य मात्र यह पूछ रहे थे कि रूस में क्या हो रहा है। अब हम रूस के साथ न्यूनाधिक सभी मुख्य समस्याएं हल कर चुके हैं।

केरल, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से अनेकों किसान विस्तृत और तीखी समस्याएं लेकर आए थे कि वे जो कुछ पैदावार कर रहे हैं वह दूसरे स्थानों पर नहीं जा रही है। "भारत सरकार हमारे लिए बाजार उपलब्ध क्यों नहीं कराती?" बाजार तलाश करना कोई आसान कार्य नहीं है। हमारे पास पूर्व सोवियत रूस का ही एकमात्र बाजार था और वह अब बिल्कुल निरर्थक हो गया था। अब वहां बाजार गतिविधियां शुरू हुई हैं? तीन दिन पहले ही अनेक लोगों ने मुझे आकर बताया कि बाजार में काम काज शुरू हो गया है। स्थानीय काउंटर खुल गए हैं। एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यही अभी हाल में ही हुआ है और हमें इसके बारे में खुश होना चाहिए क्योंकि सोवियत रूस हमारे आर्थिक कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। उस महत्ता को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जिनका यह विचार है कि हमें वैकल्पिक बाजार तलाश करने चाहिएं। यह सरकार अपनी उन सुस्थापित और परम्परागत बाजारों को नहीं छोड़ेगी जो इसके पास हैं। हम वहां व्यापार करते रहेंगे। हम उनमें और नजदीकी संबंध स्थापित करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति येल्तसिन, जिसकी हमने उम्मीद की थी, उससे भी अधिक उत्साह दिखा रहे थे, क्योंकि उससे पहले सरकारी स्तर पर गतिविधियों

में सक्रियता नहीं आ रही थी। उनमें सचमुच उत्साह नहीं था लेकिन शिखर वार्ता स्तर पर जब वे यहां आए तो मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये सभी कठिनाइयां हल हो गई हैं। इसी प्रकार अन्य देशों के दौरे रहे हैं जिसका केवल यही अर्थ हुआ है कि कार्यकरण में बदलाव आया है। हमें मूल कार्यसूची को लेकर चलना होगा और इस संबंध में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और न ही इस पर पुनः विचार करना चाहिए।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य प्रश्नों पर आगे होने वाली चर्चाओं में विचार किया जाएगा। इस प्रकार मैंने सभा के सामने राजनीतिक पक्ष, राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष विश्वास को बचाने और राष्ट्र को जीवित रखने वाली भावना को तथा दूसरी ओर अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण पहलू पर अपनी भावना को रखा है। केवल यही दो बातें मैंने सभा में रखी हैं। दूसरे मामले भी उचित समय पर अन्य चर्चाओं के दौरान सामने आएंगे। मैं अपनी बात कह चुका हूं।

*** *** ***5

क्या मैं वास्तव में इस मुद्दे का हवाला दे सकता हूं? मेरे विचार से यह जरूरी नहीं था लेकिन, चूंकि यह मुद्दा निरन्तर उठाया जाता रहा है, मैं इसका उत्तर देना ठीक समझता हूं यह सच है कि जब उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. सरकार थी, हम चाहते थे कि बी.जे.पी. सरकार अनुच्छेद 138(2) के लिए सहमत हो जाए। अनुच्छेद 138(2) के तहत जो अनिवार्य है उसको देखते हुए यदि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार सहमत हो जाती हैं तो इससे कोई न कोई निष्कर्ष निकल आएगा और कोई समस्या नहीं रहेगी, यदि दोनों सहमत हो जाते हैं तो न्यायालय अपना अन्तिम निर्णय दे देगा और हर एक को प्रसन्नता होगी। इस बारे में उत्तेजित होने का कोई फायदा नहीं होगा। यही केन्द्रीय मुद्दा है, समूची बात का केन्द्र बिन्दु यही है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार ही सहमत नहीं होती, सहमत नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते के मामले में कोई समय-सीमा नहीं है, चाहे इसमें दस वर्ष या बीस वर्ष लगें सामान्य मुकदमेबाजी चलती रहेगी। हम फिर से राष्ट्रीय एजेन्डा लाएंगे। हम अयोध्या के बारे में भूल जाएंगे क्योंकि अन्य कोई इस मामले की जांच कर रहा है। यही विचार था। बी.जे.पी. या किसी अन्य के खिलाफ इसमें कोई बुरी भावना नहीं थी। हम केवल यह चाहते थे, मामले पर अन्ततः निर्णय लिया जाना चाहिए। प्रत्येक बात पर अन्तिम निर्णय लिया जाना चाहिए और उसके लिए हम दोनों की राय की आवश्यकता है, यदि हमें दोनों की सहमति नहीं मिलती है तो यह एक तरफा मामला हो जाएगा। यदि वे अनुच्छेद 138(2) पर सहमत नहीं होते हैं तो वे फिर से आन्दोलन करते रहेंगे। हमको हर वर्ष, हर माह, हर रोज आन्दोलन का सामना करना पड़ेगा। हम इस स्थिति में उलझ रहे हैं। हम इस स्थिति में उलझना नहीं चाहते। आज भी हम चाहते हैं कि दोनों सहमत हो जाएं। महोदय आज भी मैं उनके लिए यह खुला प्रस्ताव रख रहा हूं। हमने अनुच्छेद 143 को भी पढ़ा है। हम फिर से अनुच्छेद 138 के तहत जाने को तैयार हैं, यदि बी.जे.पी. सहमत हो जाती है कि वे उसका अनुसरण करेंगे। यही मैं कह रहा हूं।

***	***	***6
***	***	***7
***	***	***8
***	***	***9

पश्च टिप्पण

X. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर, 11 मार्च 1993

1. **श्री मदन लाल खुराना** (दक्षिण दिल्ली) : मिजोरम में आपके मैनीफेस्टो में था कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो वहां क्रिश्चियन सरकार बनेगी।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जहां भी ऐसा हुआ है, यह गलत हुआ है। संवैधानिक रूप से यह गलत है। हम कुछ गम्भीर बात कर रहे हैं। इस वाद-विवाद में ज्यादा चिल्लाने से सफलता नहीं मिलेगी।

श्री मदन लाल खुराना : मिजोरम में आपके मैनीफेस्टो में यह था या नहीं था?

2. **श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : स्वदेशी फैक्ट्रियों का क्या होगा?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आप बात क्यों नहीं सुनते हो। महोदय, यही दुविधा है, आप दो-तिहाई मूल्य पर कोई चीज प्राप्त कर सकते हो। किसी किसान से पूछिए वह क्या करना चाहेगा। क्या वह इसे 6,000 रुपए में लेना चाहेगा या 9,000 रुपए में, चूंकि वह देशभक्त है, क्या वह सोचेगा कि हमारी अपनी फैक्ट्रियां उन्नति करेंगी और उसे 9,000 रुपए में ले लेना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : उत्पादन लागत कम क्यों नहीं हुई है।

श्री नीतीश कुमार : अपनी फैक्ट्रीज में इतना महंगा उत्पादन होने का क्या कारण है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आप सुनते क्यों नहीं।

3. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह नहीं होता है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह भी होता है, वह भी होता है। दोनों का एक ही पैकेज है। दोनों का एक ही पैकेज है। यह भी होता है, वह भी होता है।

मैं, श्री चटर्जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक के बिना दूसरा सफल नहीं हो सकता। यदि आप आयात नहीं करते और यदि आप 9,000 रुपए प्रति टन पर जोर डालते रहेंगे तो समूची अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। जहां राजसहायता उपलब्ध नहीं है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले वर्ष राजसहायता 12,000 करोड़ रुपए करने जा रहे हैं। क्या इस देश के करदाता के लिए देश के गरीब लोगों के लिए संभव है कि वे अकुशल उद्योगों के लिए 12,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करा सकें। यह संभव नहीं है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : आप सरकारी क्षेत्र को प्रतियोगी बनाने के लिए आयात जरूरी क्यों समझते हो।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आयात जरूरी है, क्योंकि इस देश में उर्वरक का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, जहां तक पोटाश का संबंध है, देश में एक तोला उर्वरक का भी उत्पादन नहीं होता। पूरा पोटाश उर्वरक बाहर से आता है।

महोदय, ये कृषि की खामियां हैं और यदि हम समझते नहीं और उन्हें सुलझाने का प्रयास नहीं करते, तो कृषि संबंधी समस्याएं जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। यही हम करने का प्रयास कर

रहे हैं। यही पैकेज है, जो मैं सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। हम इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब कभी कृषि की बात होगी तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

डॉ. एस. पी. यादव (संभल) : आप यह बता दीजिए कि अमेरिका से गेहूं क्यों इम्पोर्ट किया गया जब कि यहां 300 रुपए क्विंटल मिल रहा था?

4. **श्री राम विलास पासवान** (रोसड़ा) : आई.ए.एस. और आई.पी.एस. का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है ही नहीं?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : क्या है?

श्री राम विलास पासवान : जो 27 परसेंट रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए दिया गया है, वह इस बार के आई.ए.एस. और आई.पी.एस. के एग्जामिनेशन में क्यों इन्क्लूड नहीं किया गया है?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : राम विलास जी, आप कई लोगों के साथ मेरे पास आ चुके हैं, कई रिप्रजेंटेशन लेकर के मेरे पास आ चुके हैं। आपको पता है कि जब आप कुछ कहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली लेता हूं। कोई बात होगी, कोई एनोमली होगी, तो उसको आप बताइए, उसको बिल्कुल ठीक किया जाएगा। यहां तक कि अभी हाल में बूटा सिंह जी और कुछ मित्र आए थे, उन्होंने कोई ऐसी एनोमली दिखाई थी, मैं आपसे वायदा करता हूं कि सारी चीजों में हम जाएंगे, उनकी छानबीन करेंगे और जो कुछ हो सकेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उस चौखट के अंदर जो कुछ हो सकेगा, जो कुछ होना चाहिए, वह बराबर होगा। मैं इसका आश्वासन देता हूं।

5. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इन मामलों पर चर्चा करने के लिए 12 घंटे का समय जो दिया गया था, वह नहीं, बल्कि 17 घंटे दिए गए हैं। मैं केवल एक या दो सदस्यों को अनुमति दूंगा उससे अधिक नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण भाषण है जो सरकार के नेता की ओर से आ रहा है। हमने महत्त्वपूर्ण मामले उठाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री उन सभी पर लगभग सभी पर ध्यान देंगे। लेकिन उन्हें श्री मनमोहन सिंह और श्री जाफर शरीफ की ओर सरकाने से समस्या का हल नहीं होगा । कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि मैं आज सांप्रदायिकता के प्रश्न पर आज के दिए गए स्पष्ट वक्तव्य का स्वागत करता हूं। देर आए दुरुस्त आए। दुःखद घटनाओं के बाद उनको समझ आ गई है। मैं उस वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। उनकी पार्टी में और कुछ नहीं केवल अकर्मण्यता है। सिर्फ कुछ वक्तव्य देने के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ बहुत महत्त्वपूर्ण मामले हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। संभवतः, श्री कुमारमंगलम ने उनको गुमराह किया है, उन्होंने उनको जानकारी नहीं

दी है। त्रिपुरा का क्या हुआ? दो या तीन दिन तक सभा में कार्यवाही नहीं चल सकी। हमें आश्वासन दिया गया था कि त्रिपुरा के बारे में वक्तव्य दिया जाएगा।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हां महोदय, श्री सोमनाथ जी के पास बाहर से पता लगाने के लिए समय नहीं है क्योंकि सभा में कुछ नहीं हो रहा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, मैं सभा को प्राथमिकता देता हूं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हां, बहुत अच्छे। मैं आपको बाहर से प्राप्त जानकारी भिजवाने का प्रयास कर रहा हूँ। त्रिपुरा में कार्यवाहक सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। और यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू होगा। हमने राष्ट्रपति को सिफारिश कर दी है। निःसन्देह निर्णय उन्हें लेना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे लगता है कि देर आयद दुरूस्त आयद। इसमें दो या तीन चीजें हैं। कृपया दंगा पीड़ितों की स्थिति और हाल ही में हुए दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। देश में हुए दुर्भाग्यपूर्ण दंगों के दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे गए। उस पर आपने एक भी शब्द नहीं बोला। लोगों को मुम्बई से निकाला गया है ।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : वे वापिस लौट रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जिन लोगों को मुम्बई से निकाला गया वे बहुसंख्यक समुदाय के हैं। शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी की ख्याति को उजागर करने वाला यह सबसे प्रशंसनीय कार्य है। हम मांग कर रहे हैं कि अयोध्या मसले पर सभी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 138(2) पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। आप क्यों उन बातों को पुनः उजागर कर रहे हैं? वहां केवल एक विषय पर निर्णय लिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह होगा कि आप अयोध्या के प्रश्न पर पुनः उत्तेजित होने और उस पर पुनर्विचार के लिए उसे पुनर्जीवित कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति, जिन्हें आप जानते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म और राजनीति को मिला रहे हैं। अब आप उसकी बागडोर उनके हाथ में दे रहे हैं। माननीय प्रधान मन्त्री ने कुछ भी नहीं कहा है। डंकेल प्रस्ताव पर जब सारा देश उत्तेजित होगा, सभा उत्तेजित होगी, तब हमें बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय आपने इस देश की आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी जी, हम आर्थिक मामलों पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने उर्वरक उद्योग में उत्पन्न हुए संकट के बारे में कहा है। लेकिन इसके साथ घरेलू उद्योगों का अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है । उन्हें इसके बारे में भी कहना चाहिए था।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैंने उस पर पहले ही बात कर ली है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने एक अन्य बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो केन्द्र–राज्य संबंधों के बारे में है ।

इसमें कुछ तो बोलना चाहिए था ।

अति महत्त्वपूर्ण बड़े मुद्दों पर आप चुप रहते हैं

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आप लिखकर ले आए हैं तो पूरा पढ़ ही दीजिए, उसमें से कई का जवाब तो मिल चुका है। फिर तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसका पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : प्रधानमंत्री जी से एक बात की सफाई मैं चाहता हूं। मिजोरम के मामले को जब यहां पर उठाया गया तो प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि जो कांग्रेस के घोषणा–पत्र में लिखा था कि हम मिजोरम को ईसाई राज्य बनाना चाहते हैं, उसका पार्टी की ओर से या किसी स्तर से, उसकी निन्दा की गई है। अध्यक्ष जी, उस चुनाव के बाद में मिजोरम गया था। वह घोषणा पत्र और वहां की पूरी स्थिति का अध्ययन किया था। उस घोषणा पत्र को यहां दिल्ली में लोगों के सामने रखने का काम मैंने किया था। कांग्रेस पार्टी को उस वक्त मैंने चुनौती देकर कहा था, आपने यह बात कैसे कही, लेकिन कभी भी इस प्रश्न का जवाब आज तक हमको नहीं मिला था। अब जब प्रधानमंत्री जी ने यहां पर यह बात कही, तो मैं चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी इस बात को, जो निन्दा की बात कही है, पूरे सबूत के साथ कहें।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इसमें सबूत क्या है। हमने उसी दिन, राजीव गांधी जी ने खुद कहा इससे डिसोशिएट करते हैं। यह गलत बात है। यह कोई आल इंडिया कांग्रेस की बात नहीं है। हमारे पार्टी प्रेजीडेंट ने कहा।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : इलैक्शन के बाद ।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : चुनाव के वक्त ही कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैंने अनुच्छेद 138(2) के तहत अयोध्या का मामला उच्चतम न्यायालय को देने के बारे में एक मुद्दा उठाया था, उसका कोई जवाब नहीं दिया। जो सब पर बाध्य होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

6. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : इसमें बी.जे.पी. कैसे आ जाती है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : कृपया इन्तजार कीजिए

श्री सैफूद्दीन चौधरी : आप उनके बारे में भूल जाइए।

शाहबुद्दीन जी, आप बैठ जाइए। आपके लिए तो अलग जवाब है मेरे पास.....

कृपया बैठ जाइए। कृपया समझने की कोशिश कीजिए, कृपया जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। महोदय, मेरे लिए अब यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का मामला नहीं है क्योंकि आज राज्य सरकार भी हमारे पास है। मैं स्वयं से सहमत हूं। यदि मैं आज 138 की बात करता हूं तो लोग उस पर हसेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आपने अन्य दलों से सलाह की है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैंने प्रत्येक से सलाह की है

7. **श्री श्रीकान्त जेना** (कटक) : इससे हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री के पास वीटो नहीं है। वीटो श्री आडवाणी के पास है न कि प्रधान मन्त्री के पास। अब हमने यह समझ लिया है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : समय सीमा जिसकी मैं बात कर रहा हूं।

श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

महोदय, मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं इस मामले को अगले 20 वर्ष तक लम्बित नहीं करना चाहता हूं जिससे कि आन्दोलन बढ़े बल्कि मैं इस मामले को सुलझाना चाहता हूं। अगले कुछ महीने में यह मामला हल हो जाएगा। यह मामला 143 के अधीन हल किया जा सकता है न कि 138 के तहत। इसे सुलझाना है। मैं इसको हर हाल में सुलझाना चाहता हूं। इसे सुलझाना पड़ेगा।

8. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब भी हम सहमत है इसलिए जो कारण उन्होंने दिया है, वह कोई कारण नहीं है। देश ने मांग की है कि 138(2) के अधीन मामले को हल किया जाना चाहिए ।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : देश उसकी मांग नहीं करता। मेरे लिए संबंधित पार्टियां केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने आपसे समझौता न कीजिए। कृपया उस पर कोई असमर्थता मत दिखाइए। आपको 138(2) पर दृढ़ रहना चाहिए। आपको हमेशा के लिए यह सब मामला समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं इस पर पूर्ण रूप से दृढ़ हूं। अगले छह या आठ महीनों में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ जाएगा। इसे पूर्णतया लागू किया जाएगा और इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इसका विरोध करेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके निश्कर्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, आप श्री राम नाईक के बाद बोल सकते हैं। हमने इस मामले पर काफी समय तक चर्चा की है। जब हम बजट और मांगों पर चर्चा करेंगे तो हमें अन्य कई मामलों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। मैंने आपको बहुत संक्षिप्त व सारगर्भित बोलने का मौका दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी के सब प्रश्नों का एक साथ उत्तर देने का अनुरोध करूंगा जिससे इन सबसे निपटा जा सके ।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : वे अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री राम नाईक : पिछले वर्ष विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान हमने मांग की थी कि प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दो करोड़ रुपए आबंटित किए जायें।

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा बजट चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है ।

श्री राम नाईक : आज संसद में श्री अन्ना जोशी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था और उस समय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे । उस समय उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया था।

अध्यक्ष महोदय : बजट चर्चा के दौरान इस पर चर्चा की जा सकती है। अब श्री नीतीश कुमार।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अभी प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया और जवाब में जो कुछ उन्होंने कहा है कि अयोध्या के मामले को सुप्रीम कोर्ट में 138 (2) के अन्तर्गत नहीं देने की स्थिति उनकी तब तक है जब तक भारतीय जनता पार्टी इस सवाल पर एग्री नहीं कर जाती है । इसका मतलब साफ है कि अयोध्या के मसले पर अभी भी केन्द्र सरकार का रुख साफ नहीं है और अयोध्या के सवाल पर केन्द्र सरकार उन्हीं शक्तियों के साथ मिल रही है जिन्होंने मस्जिद को डिमोलिश किया । दूसरी बात यह है कि मंडल कमीशन के मामले में 16 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ तौर पर वी.पी. सिंह गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को जायज करार दिया, उसके बाद उस तारीख के बाद जितनी भी केन्द्रीय सरकार की नौकरियां निकलीं उनमें 27 फीसदी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होनी चाहिए थीं लेकिन इसकी उपेक्षा करके इस बार की यू.पी.एस.सी. की परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है और इस सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने साफ–साफ कुछ भी नहीं कहा है । हम प्रधानमंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करना चाहता हूँ । मेरा दृढ़ विचार है कि उचित सलाह किए बिना अनुच्छेद 138(2) का हवाला देने का अभिप्राय, यह होगा कि देश में 20 वर्षों तक इस पर आन्दोलन और मुकदमेबाजी चलती रहे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत असन्तोषजनक बात है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं और इसके विरोध में हम सदन से बाहर जा रहे हैं ।

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

9. **श्री पी.जी. नारायणन** (गोबिचेट्टीपालयम) : प्रधानमंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है वह अयोध्या मामले को स्थायी रूप से सुलझाने में असफल हो गए है अतः अखिल भारतीय अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम की ओर से हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

इस समय श्री पी.जी. नारायणन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी को शायद याद होगा कि प्रधानमंत्री जी से 18 नवम्बर को जब मेरी बातचीत हुई थी तो इसी विषय पर चर्चा हुई थी, जिस विषय पर आज विपक्ष के कई सदस्य प्रधान मन्त्री के बयान से नाराज होकर सदन त्याग कर चले गए और विडम्बना यह है कि उस समय मैं उनको कह रहा था कि आपको पूरा अधिकार है कि आप 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को रैफर कर दीजिए, जब कि प्रधानमंत्री जी मुझे समझा रहे थे कि 143 का कोई मतलब नहीं है। अगर 138 के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार सहमति दे, तो ही इसका मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इस समय खड़ा हुआ हूं इस विषय में प्रधानमंत्री जी से पूछने के लिए कि देश भर में जितने संविधान के जानने वाले हैं, वे हमारे अयोध्या के दृष्टिकोण से सहमत हों या न हों, प्रायः सब ने कहा कि केन्द्रीय सरकार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकारों के खिलाफ धारा 356 का प्रयोग करके उनको बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं था, नैतिक दृश्टि से भी कोई अधिकार नहीं था।

अध्यक्ष जी, में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बयान से आज तो प्रतिध्वनि निकल रही है, वह मुझे 1975 का स्मरण कराती है, जब 1975 में यह दिखाई पड़ने लगा था कि साधारण कानून के अन्तर्गत शायद हमारी सरकार चली जाएगी, उसकी प्रतिध्वनि मझे सुनाई देती है।

इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि हम 6 महीने पूरे होने के बाद 6 महीने और बढ़ाएंगे या आप यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि जो कुछ हुआ, सही या गलत, लेकिन 6 महीने के अंदर–अंदर इन 4 राज्यों में जहां पर आज जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, हम फिर से वहां सरकार बनाने का प्रबंध करेंगे। क्या प्रधान मंत्री जी यह आश्वासन देने को तैयार हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : राज्यपालों से पूछ कर करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : और राज्यपाल आपसे पूछ कर करेंगे, जैसे पहले आप से उन्होंने रिपोर्ट दी थी, फिर आपसे पूछेंगे कि क्या रिपोर्ट दें।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : ऐसा नहीं है, आपको मालूम है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधानमंत्री जी, इस सवाल पर मैं उम्मीद करता हूं और आप इस मामले पर साहसपूर्वक कह दें कि ठीक है, उस समय जो कुछ हुआ, हमें उस समय उचित

लगा, लेकिन 6 महीने के अंदर–अंदर चुनाव की वहां व्यवस्था कराएंगे। यह सब दृष्टि से, आपकी दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से और देश के राजनीतिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, इन चार राज्यों की दृष्टि से सही निर्णय होगा। इस बारे में मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं।

मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री इस समय राज्यपालों का सहारा ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : राज्यपालों का सहारा नहीं ले रहा हूं। क्योंकि जब कभी जो कुछ कदम उठाया गया है राज्यपालों की सिफारिश पर ही कदम उठाया गया है। उनको छोड़ कर कभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन में खड़े–खड़े इस सदन में यह आश्वासन दूं कि यह करूंगा, या नहीं करूंगा, यह कोई उचित बात नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : में इससे असन्तुष्ट हूं। हम सदन से वाक–आउट करते हैं।

इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से जानना चाहता हूं । अभी इन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को रखा कि मैं माजरा से राय करने के बाद ही कोई निर्णय लूंगा। अयोध्या में जो विवादित जगह है, आर्टिकल 138 के तहत राय लेने के लिए भेजना चाहेंगे या नहीं? डिसप्यूटिड जो जमीन है 143 के तहत आप दे दीजिए। इसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि अभी किसान रैली हुई। डुंकेल प्रस्ताव के संबंध में भी देश में किसान बहुत भ्रम में पड़े हैं। डुंकेल प्रस्ताव के संबंध में इसमें कोई चर्चा नहीं हुई है, क्या इस पर आप विचार करना चाहेंगे ?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं यह कहना चाहूंगा कि डुंकेल परपोजल पर इस बात की सावधानी हम लेंगे कि हमारे भारतीय किसान को कोई नुकसान न हो।

अनुदानों की मांग (सामान्य) 1993-94

रक्षा मंत्रालय

28 अप्रैल 1993

अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि बहस के दौरान दिए गए सुझावों और उठाए गए प्रश्नों से भी सरकार लाभान्वित हुई है।

मैं सर्वप्रथम देश में विद्यमान वातावरण तथा हमारे क्षेत्र और पड़ोस में जो सुरक्षा वातावरण है, उसके बारे में संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि क्योंकि इसका हमारे अपने सुरक्षा वातावरण पर असर पड़ता है, और इसलिए, देश की रक्षा की किसी भी बहस में इन तीनों क्षेत्रों की सुरक्षा का बहुत अधिक महत्व हो गया है।

यह कहा गया है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और सार्वभौमिक मामलों के संबंध में सहयोग, वार्ता तथा आम सहमति आदि की ओर अधिक झुकाव हुआ है। जिस 'स्टार्ट-दो संधि' का हम स्वागत करते हैं, उसकी वजह से लोगों के विचार में काफी परिवर्तन हुआ है और सम्भवत: यह सच्चाई भी प्रकट हुई है कि जहां राजनीतिक इच्छा होती है वहां विश्वशांति का मार्ग अपनाने और टकराव का मार्ग छोड़ देने की सम्भावना होती है। रासायनिक हथियारों संबंधी संधि सम्भवत: एक ऐसी आदर्श सन्धि है, जिसका सभी क्षेत्रों में अनुकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सचमुच सर्वव्यापी और बहुपक्षीय रूप से तय किया गया समझौता है तथा इससे वास्तव में इस बात की पुष्टि होती है कि भारत नि:शस्त्रीकरण से सम्बन्धित सभी मामलों का, जिसमें परमाणु नि:शस्त्रीकरण भी शामिल है, का पक्षधर है। हम समय-समय पर यह कहते हैं कि रासायनिक हथियार संधि को एक आदर्श संधि तथा समान प्रकृति की अन्य सभी संधियों की पुष्टि करने वाले प्रतिमान के रूप में लिया जा सकता है।

फिर से एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सैंतालीसवें सत्र में प्रशस्त्रों के मामले में पारदर्शिता के बारे में एक संकल्प पारित किया था, जिसके परिणामस्वरूप विश्वस्तर पर एक रजिस्टर रखे जाने की शुरुआत हुई है। प्राय: सभी देशों ने इसका समर्थन किया है, जिसमें भारत भी शामिल है, और हम आशा करते हैं कि इससे वस्तुत: शस्त्रों के मामले में पारदर्शिता रखी जा सकेगी और नि:शस्त्रीकरण के साथ-साथ परम्परागत शस्त्रों में कटौती करना आसान हो सकेगा, तथापि, इसके वास्तविक परिणाम सामने आने में अभी कई वर्ष लगेंगे। परन्तु अपने आप में यह अच्छी स्थिति है।

इतना कहने के बाद अपनी बात पर रोक लगानी होगी क्योंकि विश्वस्तर पर यह सब स्वागत करने योग्य बातें हैं। परन्तु अन्य स्तरों पर क्या हुआ है? शीत युद्ध के दौरान आपस

में जो निवारक स्थितियां पैदा हो गई थीं उनसे विश्वव्यापी स्तर पर एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो गया था और यह भय व्याप्त हो गया था कि किसी भी समय परमाणु युद्ध छिड़ जाने पर सम्पूर्ण संसार खंड-खंड हो जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा। भले ही कोई देश शस्त्रों की होड़ में भाग लेना चाहता हो अथवा नहीं। यह विध्वंस का, सर्वनाश का आतंक था जो हर एक देश के ऊपर मंडरा रहा था, परन्तु वास्तव में उस समय छोटे-छोटे देशों के ऊपर इस बात का केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने के अलावा और कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वास्तव में भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पाकिस्तान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, छोटे-छोटे देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इस प्रभाव के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय संघर्ष और अधिक खुलकर सामने आ गए हैं। क्षेत्रीय संघर्ष पहले भी थे। बड़ी शक्तियां इन संघर्षों को प्रोत्साहित कर रही थीं। परन्तु ये क्षेत्रीय संघर्ष निचले स्तर पर थे। अब ये संघर्ष उच्च स्तर पर हैं, क्योंकि यह जीवंत समस्याएं हैं, जिसका हम सामना कर रहे हैं, इसलिए यद्यपि यह संतोष तो होता है कि विश्व स्तर पर शांत वातावरण बना हुआ है और अन्य स्तरों पर वास्तविक तनाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए, भारत जैसे देश के लिए अपनी रक्षा की तैयारी करना और अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हो गया है। अत: हमें स्पष्ट रूप से यह समझ लेना चाहिए कि शीत युद्ध की समाप्ति के साथ हमारी कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई हैं, बल्कि और अधिक बढ़ गई हैं। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए और मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरी बात से सहमत होगी कि हमें हमेशा सतर्क और प्रयासरत रहना चाहिए। मैं सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार इस बारे में हमेशा सजग रही और रहेगी।

अब क्या हुआ है? अब एक महाशक्ति नहीं रही है। उसका विघटन हो गया है और इसके साथ-साथ एक अनुशासित सैन्य व्यवस्था का विखंडन हो गया है। इन प्रत्येक देशों में क्या हो रहा है और परिवर्तन की अवधि के दौरान क्या हुआ, इसका मूल्यांकन करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए, जब लोग स्थानीय स्तर पर अथवा क्षेत्रीय स्तर पर नि:शस्त्रीकरण, परमाणु नि:शस्त्रीकरण अथवा अन्य नि:शस्त्रीकरण की बात करते हैं, तो मैं यह अनुभव करता हूं कि जब तक इसे विश्वव्यापी नहीं बनाया जाता तब तक ऐसा करना संभव नहीं है और भारत का यह विचार है कि आज नि:शस्त्रीकरण विश्व स्तर पर ही हो सकता है। वास्तव में, यह स्थिति आज पहले से अधिक स्पष्ट है। कम-से-कम उस समय एक प्रकार का अनुशासन था। अब कोई अनुशासन नहीं है।

सभा को याद होगा कि जब सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका अलग-अलग मुद्दों पर एक दूसरे के विरुद्ध बातें करते थे, तब वे शस्त्र अप्रसार संधि के बारे में एक ही स्वर में बातें करते थे। ऐसा क्यों होता था? इसलिए, क्योंकि दोनों यही चाहते थे कि उनके अलावा और कोई देश परमाणु शस्त्रों जैसे व्यापक नरसंहार वाले शस्त्र अपने पास न रखे। परन्तु अब क्या हुआ? हम नहीं जानते हैं। ये शस्त्र किनके पास हैं और कितने देश इन शस्त्रों को

अपनाने वाले हैं। जहां तक भारत का संबंध है, इसकी स्पष्ट नीति है कि परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। क्षमता होते हुए भी हमने इस प्रकार के शस्त्रों के निर्माण का कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि नीति पूर्णत: स्पष्ट है और यही नीति रहेगी।

अब प्रश्न यह है कि इस असमंजस के वातावरण में हमें क्या करना है? इसका यही अर्थ है कि हमें राजनयिक क्षेत्र में तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र में दोनों के मामले में अत्यंत सतर्कतापूर्वक कार्य करना चाहिए और पहले से अधिक सतर्क रहना चाहिए। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने संसार के सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ, जिसमें वे देश भी शामिल हैं जो हमारे विकास में और रक्षा में हमारी सहायता कर सकते हैं, संबंधों में सुधार किया है। हमारे संसाधनों का विभिन्न कार्यों में उपयोग हो रहा है। आज अमरीका के साथ रक्षा संबंध बनाया गया है जोकि आशाजनक है। मैं नहीं कहता कि हम हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे हैं। परन्तु बात यह है कि भारत की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है और हमारी रक्षा नीति अत्यंत स्पष्ट है। कल श्री जसवंत सिंह ने मुझसे कहा था कि हमारी कोई नीति नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि हमारी नीति अत्यंत स्पष्ट रही है:

"स्वतंत्रता मिलने के बाद से हमारी रक्षानीति में यह स्पष्ट रूप में कहा गया है कि हमारी सैन्य क्षमता का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि हमारी थल, जल और नभ पर राष्ट्रीय भू-क्षेत्र की रक्षा हो सके तथा साथ ही हमारी भू-सीमाओं, द्वीप क्षेत्रों, अपतटीय सम्पत्तियों और अपने समुद्री व्यापार मार्गों का अतिक्रमण न हो।"

मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से यही स्पष्ट नीति रही है। अन्य शब्दों में कहें तो हमारे पास अन्य देशों पर अधिकार करने की योजना नहीं है। किसी प्रकार की आक्रमक योजना को पूरा करने के लिए हम रक्षा सामग्री तैयार नहीं कर रहे हैं। हम अपना रक्षा उत्पादन केवल बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा आवश्यकताओं को निश्चय ही पूरा करेंगे। यह आवश्यकताएं बदल रही हैं। आवश्यकताएं बदल रही हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सारे संसार में युद्ध एवं शांति के बारे में कैसा वातावरण है। इसका हमारे रक्षा साधनों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। परन्तु एक ऐसा निम्न स्तर है जिससे कम हम रक्षा उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस मामले में हमारी रक्षा तैयारी एक निश्चितपूर्व निर्धारित स्तर पर अवश्य बनी रहे, भले ही कोई भी स्तर हो। इसका आश्वासन दिया गया है। कल जो संदेह व्यक्त किए गए थे, वे भी प्रभावित हुए हैं।

मैं, माननीय सदस्यों का भ्रम दूर करना चाहता हूं और उनसे सदन और राष्ट्र में पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि रक्षा तैयारियां बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई हैं और न ही कभी प्रभावित होंगी। इनके स्तर में कुछ अंतर हो सकते हैं। मैं रक्षा मंत्री के रूप में

यह कह सकता हूं कि आज स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि 1985 में थी, क्योंकि इस समय संसाधनों की अत्यधिक कमी है। 1985 में या उसके बाद कुछ वर्षों तक संसाधनों की कमी तत्कालीन रक्षा मंत्री को महसूस नहीं हुई थी। ये अन्तर हमेशा बने रहेंगे फिर भी रक्षा नीति के अनुसरण में रक्षा तैयारियों में कमी नहीं आने दी जाएगी।

मैं अब कुछ वैचारिक मुद्दों पर आता हूं जो कि विदेश नीति के संबंध में हैं, जिन्हें कल उठाया गया था। मैं इन मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं कि एक बात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के शिथिल पड़ जाने देने के बारे में थी। राष्ट्र की सामरिक नीति और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने, उनकी विश्वसनीयता और उनके लचीलेपन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब यह महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जैसी औपचारिक संस्थागत प्रणाली के गठन का सफल होना आवश्यक नहीं है। इस मामले पर आगे-पीछे वर्षों से चर्चा हो चुकी है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कतिपय उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अच्छा विचार हो सकता है, सभी उद्देश्यों के लिए नहीं। अत: मैंने इस मामले को पुनर्विचार के लिए लिया है और इस पर पुनर्विचार हो रहा है, और इस पर जो निर्णय होगा, हम यथाशीघ्र उसकी सूचना संसद को देंगे। कुछ दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जरूरत महसूस की जा रही है, और मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि इसका गठन किया जाना चाहिए और इसको एक बार फिर पुनर्जीवित करना होगा। यदि इसको समाप्त होने दिया गया तो कुछ समय बाद मेरे पास सदन को बताने के लिए बहुत कुछ होगा।

इस संबंध में बहुत आशंका और उत्सुकता है और जो संभवत: सही उत्सुकता है क्योंकि भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ रक्षा पूर्ति; विनिर्माण इत्यादि के संबंध में हमारे बहुत पुराने संबंध थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद उन देशों, जिनके भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ ऐसे ही संबंध थे, कि साथ-साथ हमारी स्थिति बहुत अनिश्चित और असंतोषजनक हो गई है। मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार पिछले कुछ समय में इस अनिश्चितता को बहुत अधिक महसूस कर रही है। मुझे यह कहते हुए अति प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति श्री येलत्सिन की यात्रा के बाद स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ है और आपूर्तियों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और अतिरिक्त कलपुर्जों की आपूर्ति की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मैं इस संबंध में संक्षेप में आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपूर्ति के संबंध में स्थिति इस प्रकार है।

सोवियत संघ के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप यह महसूस किया गया था कि भूतपूर्व सोवियत संघ से अतिरिक्त कलपुर्जों की निरन्तर और निर्बाध आपूर्ति संकट में पड़ गई है। इसलिए, जुलाई, 1991 में निम्नलिखित क्षेत्रों के संदर्भ में सात कार्यदलों का गठन किया गया था। ये हैं—आरगामेंट स्टोर्स फॉर आर्मी, व्हीकल्स एण्ड इन्जीनियरिंग स्टोर्स फॉर आर्मी, नेवल रिक्वायरमेंट्स एअर डिफेंस इनवायरोमेंट एंड आरगामेंट फॉर एअरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, एअरक्राफ्ट एंड एअरवार्न स्टोर्स फॉर एअरफोर्स एंड नेवी, पी.ओ.एल. एंड फ्लाइंग क्लोथिंग।

कार्यदलों ने इस सम्बन्ध में सेनाओं और उत्पादन करने वाली एजेंसियों से व्यापक परामर्श कर लिया है और अतिरिक्त कलपुर्जों से संबंधित 19,185 ऐसी मदों का पता लगाया है जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। इन कार्यदलों ने यह पता लगाया है कि अन्य 9275 मदों का उत्पादन अपने ही देश में कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि इनकी आवश्यकता बहुत कम थी या इनकी डिजाइन और अन्य तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस पहचान के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इकाइयों की 5132 मदों का विनिर्माण करने के ऑर्डर दिए गए हैं।

एक ओर जहां हम इस संबंध के प्रति उत्सुक हैं वहीं दूसरी ओर हम चुप भी नहीं बैठे हुए हैं। स्वदेशीकरण के माध्यम से हमने इस संबंध में हर संभव प्रयास किया है। यह संभव नहीं है कि हम आवश्यक सामग्री का उनकी उपलब्धि के स्थानों से तब तक के लिए भण्डार बना सकते हैं जब तक कि हमारे पास इनके हार्डवेयर हैं। यह काम कर लिया गया है और कार्यदलों को इसमें सफलता मिली है।

इसी बीच रूस और यूक्रेन से अतिरिक्त कलपुर्जों की आपूर्ति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है और सेनाओं को इनका आयात करने की सलाह दी गई है और उन अतिरिक्त कलपुर्जों का भंडार बनाने की भी सलाह दी गई है जिनका स्वदेशीकरण कर पाना संभव नहीं है। राष्ट्रपति श्री येलत्सिन की यात्रा के दौरान इस बात के आश्वासन मिले थे कि पहले किए गए सभी समझौतों से संबंधित आपूर्तियां की जाएंगी। ऐसी आपूर्तियां शुरू हो गई हैं और आने वाले महीनों में इसमें तेजी आने की संभावना है। उत्पादन करने वाली एजेंसियों और यूक्रेन का बन्दरगाहों तक माल की ढुलाई के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर लिया गया है। अत: आज हमारी स्थिति 1991 की स्थिति के मुकाबले कहीं बेहतर है। अत: मैं समझता हूं कि समय बीतने के साथ-साथ इसमें आगे और सुधार होगा। केवल इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि सभी अन्य क्षेत्रों में भी सोवियत संघ के लिए हमारा निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया था। हम सोवियत संघ को तम्बाकू, काजू सहित बहुत सी वस्तुओं का निर्यात करते थे। रूस इस व्यापार को फिर से शुरू करना चाहता है। हम वास्तव में अपने पुराने सम्बन्धों को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हम इसमें कामयाब होंगे। इसमें कुछ समय लगेगा, केवल रातों-रात आपूर्तियों और व्यापारिक स्तर तक जा पाना संभव नहीं है। अब यह बात कह पाना संभव है कि कठिन समय बीत चुका है और हम सही दिशा में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

अरुण सिंह समिति की रिपोर्ट के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किए गए थे और यह कहा गया था कि इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट 6 खण्डों में है। सिफारिश रिपोर्ट के प्रत्येक खंड के संबंध में स्थिति इस प्रकार है: खंड 1 में यह सिफारिश की गई है कि रक्षा संबंधी आठवीं योजना का आकार क्या होना चाहिए। खंड 2 रक्षा नीति के संबंध में निर्णय लेने के

प्रस्तावित संगठन और ढांचे के बारे में एक रिपोर्ट है। खंड 3 में योजना, प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एक रिपोर्ट है। खंड 4 सशस्त्र सेनाओं के लिए अधिग्रहण और खरीद के संबंध में है। खंड 5 इक्वीपमेंट लॉजिस्टिक्स एंड सर्पोट पर एक रिपोर्ट है। खंड 6 श्रम शक्ति के सम्बन्ध में है। सरकार ने खंड 1 के संबंध में कुछ निर्णय भी लिया है। तथापि, उसके बाद उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के कारण इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया और इस पर पुनर्विचार हो रहा है। खंड 4, 5 और 6 की कुछ सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इनके कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य रूप से खंड 2 और 3 में सरकार के कार्यकरण के रूप में प्रस्तावित मुख्य ढांचागत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है और इनकी पुनरीक्षा की जा रही है। यह कहना ठीक नहीं है कि पूरी रिपोर्ट को ताक पर रख दिया गया है। ऐसी स्थिति है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात केन्द्रीय सरकार के व्यय के प्रतिशत के रूप में रक्षा व्यय के बारे में उठाई गई थी। ऐसा कहा गया था कि पिछले पांच वर्षों से इसमें कमी हो रही है। मेरा अनुरोध है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों के अनुसार कुल व्यय में रक्षा व्यय के भाग का प्रतिशत इस प्रकार रहा है:—

1989-90 में 15.5, यह सर्वाधिक था, उसके 1990-91 में 14.65, 1991-92 में 14.67, 1992-93 में (संशोधित) 14.03, 1993-94 में (बजट प्राक्कलन) 14.61 ।

इसका अर्थ यह है कि 1989-90 के अपवाद के अलावा केन्द्रीय सरकार के कुछ व्यय में रक्षा व्यय के भाग का प्रतिशत कमोबेश स्थिर रहा है। साथ ही 1992-93 की तुलना में प्रतिशत भाग में मामूली वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर इतना ही कहा जा सकता है। महोदय, मैं यह तो नहीं कहता कि यह स्थिति बहुत संतोषजनक है, परन्तु परिस्थितियों के तहत यह स्थिति सर्वोत्तम है। संसाधन की कमी और अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह स्थिति ठीक है।

अब पूंजीगत उपकरण की संख्या में वर्षों से कमी आ रही है जबकि बजट व्यय बढ़ रहा है, इसमें वृद्धि की गई थी और हम से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसका साधारण सा उत्तर यह है कि इसका कारण मुख्यत: पश्चिमी स्रोतों के साथ-साथ भूतपूर्व सोवियत संघ से अधिग्रहण है, जिसमें आस्थगित भुगतान शामिल है और जिसके कारण बहुत थोड़े वर्षों तक उपकरणों का आयात सीमित हो गया था। हमें जो कुछ भी प्राप्त करना था वह हमने पहले पांच या तीन वर्षों में प्राप्त किया जबकि इसके संबंध में अदायगी लम्बे समय तक की जानी थी। विनिमय दर में अंतर होने के कारण ये अदायगियां रुपए के संदर्भ में बढ़ गईं। समझौते के अनुसार यदि कुछ वर्षों के अंतर्गत पूरी आवश्यकता की आपूर्ति कर दी जाती है तो पूंजीगत माल का देश में आगमन स्पष्ट रूप से वर्ष-दर-वर्ष भिन्न होगा, साथ ही एक बार आयात किए गए हवाई जहाज, पानी के जहाज, उपकरण आदि का बीस वर्ष या कुछ इतने ही समय तक उपयोग होता रहेगा। ऐसी उम्मीद है कि अगले तीन से पांच वर्षों के अंतर्गत

पश्चिमी स्रोतों से उपकरण अधिग्रहण के लिए ऋण अदायगी की देयताएं काफी हद तक पूरी कर ली जाएंगी। इस संबंध में जो प्रश्न उठाया गया था, यह उसका स्पष्टीकरण है।

नौसेना के बारे में भी यही बात उठाई गई है। कमोबेश स्थिति एक जैसी है। इसमें अधिक अंतर नहीं है। 1993-94 के रक्षा बजट में रेल दर में वृद्धि करने की कोई बात नहीं है। एक समान विनिमय दर के कारण पी.ओ.एल. और अतिरिक्त देयता में वृद्धि होने की सम्भावना है। रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों ने परिवहन और पेट्रोलियम उत्पाद दोनों ही क्षेत्रों में मितव्ययिता के उपाए अपनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप वृद्धियों और सम्भावित वृद्धियों के प्रभाव की क्षतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मंत्रालय के पास केवल यही एक स्पष्टीकरण है, इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं वह यह है कि हमारे पास इस समय धन नहीं है, इसलिए इसको कम करना पड़ेगा। यह साधारण सी बात है, हम नुकसान की भरपाई करने का भरसक प्रयास करेंगे। एक बात यह भी है कि शत-प्रतिशत भरपाई कर पाना सम्भव नहीं हो सकता है। कुछ भाग की भरपाई की जाएगी। इसलिए, मितव्ययिता के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं और सम्भवत: यही वह अवसर है जबकि हम मितव्ययिता सम्बन्धी अनुपालन तर्कसंगत कार्यों के लिए कर सकते हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात अनुसंधान और विकास निवेश के बारे में है, और स्पष्टत: सदन के सभी लोग, हममें से हरेक चाहता है कि अनुसंधान और विकास निवेश में पर्याप्त वृद्धि हो ताकि आत्मनिर्भरता यथाशीघ्र प्राप्त की जा सके। महोदय, इस सम्बन्ध में जो आंकड़े मैं सदन को देना चाहता हूं वह यह है कि 1993-94 के बजट प्राक्कलन में आर. एंड डी. शेयर का प्रतिशत 4.1 प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है अर्थात् 1992-93 में 720.64 करोड़ रुपए की तुलना में इसको 1993-94 के दौरान 952.096 करोड़ रुपए कर दिया गया है, और मेरे हिसाब से यह एक अच्छी खासी वृद्धि है।

जहां तक श्रम शक्ति नीति का प्रश्न है, भारत और अन्य देश, जो अन्य प्रणालियों को अपना रहे हैं, के बीच एक अंतर है। सेना के लिए एक सुविचारित श्रम शक्ति नीति है, जिसका निर्धारण बल के अपेक्षित स्तरों को बनाए रखने के लिए किया गया है। बल के स्तरों का निरूपण, आपेक्षिक स्थिति के खतरे, उपलब्ध चेतावनी समय और निर्धारित कार्यों के आधार पर किया जाता है, हमारे दुश्मनों के बल के स्तरों का हमारी श्रम शक्ति की आवश्यकताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चूंकि ये घटक परिवर्तनशील हैं, इसलिए इस मुद्दे पर एक स्थिर नीति तैयार करना विघ्नकारी नहीं है, हमारी सीमाओं पर आवश्यक तैनाती और प्रति विद्रोह इत्यादि के इस्तेमाल की अत्यधिक टुकड़ियों के विधान के कारण भी हमें बहुत बड़ी स्थायी सेना की आवश्यकता है।

अत: यह बात कि हमें रिजर्व सैनिकों इत्यादि के संबंध में कोई दूसरी विधि अपनानी चाहिए, औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होती है। इसको कार्यरूप देने में बहुत अधिक समय लगेगा, परन्तु हम फिलहाल मौजूदा प्रणाली को बदल नहीं सकते हैं। हमें इसको जारी रखना होगा और इसमें जो भी परिवर्तन सम्भव होंगे, वे करने होंगे। महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। दूसरी बात

यह उठाई गई थी कि अनेक युद्धों का इतिहास समय पर प्रकाशित नहीं हुआ है। 1965 के युद्ध और पवन ऑपरेशन का विशेष उल्लेख किया गया है। यह बात सत्य है कि यदि वह उपलब्ध हैं तो वह बहुत उपयोगी होंगें, परन्तु यह भी एक तथ्य है कि भारत-पाक युद्ध 1965 और 1971 का इतिहास समिति परिचालन के लिए सशस्त्र बलों के श्रेणी 'ए' के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पहले ही जारी कर दिया गया है। 1962 के चीन युद्ध का इतिहास इन संस्थानों में वितरित करने हेतु तैयार है। ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस इत्यादि का इतिहास लेखन कार्य जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

अब मैं आधुनिकीकरण के प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, जिसके संबंध में शिकायतें की गई हैं। यह कहना कुछ हद तक सही होगा कि आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त आबंटन नहीं किया गया है। मुझे केवल इतना ही कहना है कि बजटीय कमियों के कारण ध्यान मुख्य रूप से गोला-बारूद; के भंडार में कमी को पूरा करना, महत्वपूर्ण शस्त्र प्रणालियों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसका दर्जा बढ़ाने, रिफरनिशमेंट और प्रौद्योगिकीय सुधारों, सिमुलेटर्स को आरम्भ करना और सामरिक महत्व के चुनिंदा फोर्स मल्टीप्लायर्स सम्मिलित करने विशेष रूप से इलैक्ट्रॉनिक निगरानी और युद्ध के क्षेत्र में कमी को पूरा करने की ओर दिया गया है।

अत: सभी बचतों को इसकी ओर लाने और फालतू परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा अर्जित किए गए अतिरिक्त राजस्व को इसमें लगाने के लिए किए गए संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप ही सेना मुख्यालय द्वारा दर्शाई गई अधिकांश वरीयताओं को पूरा कर पाना संभव हुआ है। किसी भी विभाग में जो भी बचत की गई या किसी भी तरह से जो बचत की गई है, उसे आधुनिकीकरण पर व्यय किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसे सापेक्ष मामला कहा जा सकता है क्योंकि मैं भी यह महसूस करता हूं कि आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है और सभा को आश्वासन देता हूं कि जब कभी भी सम्भव होगा हम अपेक्षित स्तर प्राप्त करेंगे और पर्याप्त निधि जुटाएंगे।

एक बहुत अच्छा सुझाव था कि पेंशन बिलों की राशि में कमी लाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को अर्द्ध सैन्य बल और सिविल कार्यों में लगाने हेतु एक योजना तैयार की जाए। मुझे इसका कुछ अनुभव है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में हमने इसकी कोशिश कर ली है। इसे कुछ हद तक किया जा सकता है परन्तु इसे केवल कुछ हद तक ही किया जा सकता है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि 17 वर्ष तक सेवा करने के बाद कोई सैनिक किसी दूसरी शस्त्र सेना में भर्ती होना पसन्द करेगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि वह केवल कुछ और व्यवसाय अपनाना चाहता है। यदि कोई अर्द्ध सैन्य बलों में भर्ती होना चाहता है, तो वह उपलब्ध हो सकता है और हम यह संभव कर सकते हैं, हम इस संबंध में ब्यौरे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि सेवानिवृत्त हो रहे सैनिक कर्मी की अर्द्धसैन्य बल से सेवा करने और घर से दूर निरन्तर सेवा करते रहने की अनिच्छा अंतरबाधा घटकों में से एक है। दूसरा कारण सेना की सेवाएं छोड़ने वाले लोगों का स्थान भरने के लिए रिक्त स्थानों

की कमी है। यह भी एक कारण है लेकिन यह विचार बहुत अच्छा है क्योंकि उसने बहुत सा प्रशिक्षण लिया हुआ होता है और उसकी ऐसी धारणा होती है। यह विचार बहुत अच्छा है और हम देखेंगे कि फिलहाल जो कुछ किया जा रहा है उसके अलावा और क्या कुछ किया जा सकता है।

मैं एक बार फिर सदन को रक्षा अनुसंधान और विकास के बारे में सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में जब श्री शरद पवार रक्षा मंत्री थे उस समय उन्होंने इस बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के आदेश दिए थे और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक दस वर्षीय योजना तैयार करने के लिए कहा था।

इन बातों की पहले चरण में जांच की जानी चाहिए थी। सबसे पहले वर्तमान प्रणाली को पर्याप्त उत्पाद समर्थन देने पर ध्यान दिया जाना था। दूसरे या मध्यवर्ती चरण में स्वदेशी प्रणाली के स्तर और लक्ष्य में वृद्धि करना शामिल है और तीसरे चरण में देश में ही विकसित प्रणाली को यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करने की योजना बनानी होगी ताकि आयातित प्रणाली पर निर्भरता कम से कम की जा सके। महोदय, इस समिति को अब तक सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अगले दशक की भावी योजना प्रस्तुत करने से लाभ हुआ है। शस्त्र प्रणालियों के लिए अतिरिक्त कल-पुर्जों का देशीकरण करने के लिए सब कार्यदल काम कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने अनुरोध किया था इनका गठन किया गया है। संसाधन जुटाने सम्बन्धी एक कार्यदल मितव्ययिता के नवीनतम उपायों के माध्यम से रक्षा व्यय को कम करने के पहलुओं का अध्ययन कर रहा है और साथ ही वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रक्षा परिसम्पत्तियों को पूर्ण उपयोग के माध्यम से संसाधन उत्पन्न करने की संभावनाओं का भी अध्ययन कर रहा है। इस समिति को शीघ्र ही अन्य एजेंसियों से आदान प्राप्त होगा और उम्मीद है कि इस समिति की रिपोर्ट अब से लगभग दो माह के भीतर अर्थात् जून, 1993 तक प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से यह एक अच्छा कदम है और हमें अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगी और हो सकता है हमें यह जून के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास में निवेश संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मालूम हो।

अब मैं भर्ती के संबंध में कुछ कहूंगा, कतिपय टिप्पणियां की गई हैं। यह कहना बहुत आसान है, संभवत: कुछ मामलों में यह बात बिल्कुल गलत नहीं है कि कुछ इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन पद्धति इस तरह की है। पूरे देश में निर्धारित तिथि को परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र तब तक वैध रहते हैं जब तक कि उम्मीदवार की आयु अपेक्षित आयु को पार नहीं कर जाती है। उम्मीदवारों की छंटनी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा की जाती है। जिसमें उस स्थान पर तैनात यूनिटों के दो अधिकारी सदस्य होते हैं, एक सेकण्ड मेडिकल ऑफिसर द्वारा स्वतंत्र जांच प्रणाली भी स्थापित की गई है, चुने गए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट लोक सूचना के लिए लगाई जाती है, जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है लेकिन जो कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं उनके लिए

अंतिम काल के रूप में पंजीकृत पत्र भेजे जाते हैं ताकि वे शामिल हो सकें और केवल छंटनी किए गए कार्मिकों को ही भर्ती संबंधी कार्यों में लगाया जाता है और उनका कार्यकाल दो वर्ष तक सीमित कर दिया जाता है। यह पद्धति अपनाई जाती है।

यदि अब माननीय सदस्यों के पास कोई सुझाव या उससे आगे कोई और सुझाव, सुधार हों या इसको बदलने के लिए कोई सुधार हों या इसको और स्पष्ट बनाने के लिए कोई सुझाव हों, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कोई सुझाव हो तो मैं इस संबंध में किसी भी माननीय सदस्य द्वारा या देश के किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करूंगा। ऐसा दावा करने का कोई प्रश्न नहीं है कि सब कुछ एकदम ठीक है क्योंकि मानव की प्रकृति ही ऐसी है। सुझावों को स्वीकार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, चाहे सुझाव कहीं से भी प्राप्त हो और वे किसी भी हद तक सहायक क्यों न हों। महोदय, यह एक खुला निमन्त्रण है, मैं सुझाव आमन्त्रित करता हूं।

अब मैं इस पूरे मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जो शायद सदस्यों को पूरी तरह से संतुष्ट न कर सकें क्योंकि कम से कम आशा की एक झलक तो है कि भविष्य में हम कुछ अच्छा कर पाने में समर्थ होंगे। 1970 में 'टोय टू टेल रेशो' 62 में 8 थी, 1980 में यह अनुपात 65 से 35 था और अब 1990 में यह अनुपात 70 से 30 है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इसको सुधारने के लिए प्रयास किए गए हैं और कुछ सुधार हुआ है शायद कुछ ऐसी सीमा है जिसके आगे कुछ सुधार नहीं किए जा सकते हैं वे वैसी ही रहती हैं जैसाकि वे हैं। महोदय, इसके बाद हम जो भी संभव होगा उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। इस संबंध में श्रेष्ठ प्रयास और परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और यही मैं सभा से अनुरोध करता हूं।

'एल.सी.ए.' के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए गए थे, यह बात आवश्यक क्यों है, आप सभी तरह की चीजें खरीद रहे हैं, सभी तरह के वायुयान खरीद रहे हैं, यदि एक ही पर्याप्त है, तो आप अन्य तरह की चीजों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। महोदय, अब यह भलीभांति ज्ञात है कि एक ही वायुयान, एक ही एयरक्राफ्ट, चाहे उसकी बनावट कुछ भी हो, उसकी क्षमता कुछ भी हो, वह वास्तव में हवाई अड्डों पर सभी स्थितियों का सामना नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि यह प्रारंभिक है। लोगों को मालूम होगा कि ऐसी बात है। अत: हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें विविधीकरण करना होगा।

'एल.सी.ए. मिग' हवाई जहाजों, जोकि हमारे बेड़े का 70 प्रतिशत भाग है, की श्रृंखला का स्थान लेगा। एल.सी.ए. को हवाई युद्ध लड़ना होगा, हवाई युद्ध में मदद करनी होगी और निषेधात्मक भूमिका निभानी होगी। महोदय, इस परियोजना को स्वीकार कर लिया गया है। इसे मंत्रिमंडल की अनुमति केवल 20 अप्रैल को ही दी जा सकी है। अब यह एक सम्पूर्ण कार्य है। अब हम इसको प्राप्त करने जा रहे है। ऐसा विचार है और हमने यह निर्णय लिया है कि 1990-95 के दौरान हम इसका उत्पादन करने लगेंगे। फिलहाल सभी प्रौद्योगिकीय विकल्पों को बन्द कर

दिया गया है। उप-प्रणाली, निर्माण प्रगति पर है। परियोजना पर इस तरह से कार्य चल रहा है कि एल.सी.ए. की पहली उड़ान 1996 में हो सके और हमने इसका उत्पादन कार्य 1995 में आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस हवाई जहाज की प्रारम्भिक प्रचालन अनुमति सन् 2002 ईस्वी में ली जाएगी। एल.सी.ए. के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है।

जगुआर के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा समझा गया था कि यह अंदर तक घुसकर बमवर्षक जहाज है, उसके बाद मिराज 2000 आकाश से आकाश में और आकाश से जमीन पर मार करने वाला लड़ाकू जहाज है। मिग 29 एअर डिफेंस सिस्टम, मिग 21, 23, 27 जिनमें आकाश में आंतरिक विभेद हैं। आकाश से आकाश में और आकाश से जमीन पर 'क्लोज एअर सपोर्ट' सहित एल.सी.ए. अधिक भूमिकाओं वाला और उच्च कार्य-निष्पादन क्षमता वाली हवाई जहाज प्रणाली है जो पुराना मिग श्रृंखला का स्थान लेगी। अत: मैं नहीं समझता हूं कि इन श्रृंखलाओं में कोई दोष है। मिग विमानों की श्रृंखला को हटाया जा रहा है। अत: जब तक उन्हें हटाया जाता है तब तक एल.सी.ए. बनकर तैयार हो जाएंगे। यह स्थिति है।

अब मिराज 2000 के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय इसमें उपयोग किए जाने वाले कुछ हथियारों का विकास किया जा रहा था। अत: विमान को आवश्यक हथियारों के बिना खरीदा गया था। जब कोई नया विमान खरीदा जाता है तो विमान चालक को उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद ही विमान के उपयोग की बात आती है। विमान के संचालनात्मक उपयोग करने तक सभी हथियार प्राप्त कर लिए गए थे। अत: कल जो आलोचना की गई थी कि इसे हथियार प्रणाली के बिना खरीदा गया था, उसकी पृष्ठभूमि में यही बात है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है।

इसमें अनुसंधान और विकास आकलन के लिए कुल 19 प्रोटोटाइप थे, इसमें इतना अधिक श्रम और प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता का प्रयोग किया गया है कि देश को अर्जुन टैंक पर गर्व है। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रौद्योगिकी और उत्पादन योजना के अंतरण के लिए 23 उत्पादन पूर्व श्रृंखला के टैंकों की अनुमति दी गई। 1993 के शीतकालीन परीक्षणों के परिणाम काफी प्रभावकारी रहे हैं और यह निर्णय लिया गया है कि जून, 1993 में पुष्टिकृत प्रयोक्ता परीक्षणों के अन्तिम चरण के बाद थल सेना में कुछ रेजीमेंटों को शामिल करने की योजना बनाई जाए। सम्भवत: ग्रीष्मकालीन परीक्षण भी होंगे। उत्पादन पूर्व टैंकों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। बातचीत शुरू होने के बाद ही एक एम.बी.टी. को नियमित रूप से शामिल किया जाएगा और 1995-96 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। यही वर्तमान स्थिति है।

अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के बारे में यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि हमें इतनी बड़ी सेना नहीं बनानी चाहिए और हमारे पास आरक्षित जवानों के साथ कम सेना होनी चाहिए। अनेक माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है।

अब स्थिति यह है कि भारतीय सैन्य बलों में स्वैच्छिक आधार पर पर्याप्त व्यक्ति शामिल होते हैं और उन सभी को प्रशिक्षण देना धन की दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

हम एन.सी.सी. में छात्रों की संख्या में भी वृद्धि नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम यह प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ ही वृद्धि कर पाए क्योंकि लागत बहुत अधिक है। लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि भविष्य में हमारी स्थिति भी वही होगी जो अन्य देशों की है। लेकिन भारत की जनसंख्या और परिस्थितियां किसी भी नई प्रणाली को शीघ्रता से नहीं अपनाती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि एन.सी.सी. तथा अन्य संगठनों को संख्या की दृष्टि से और गुणवत्ता की दृष्टि से सुधारा जाना चाहिए तभी हम यह सोच पाएंगे कि क्या किया जाना है।

प्रादेशिक सेना के बारे में भी यह आरोप लगाया गया है कि यह कम हो रही है। हम इसकी जांच करेंगे।

छावनियों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। हम सभी उनके बारे में जानते हैं। वहां नाममात्र के कर लगाए जाते हैं और यह सारा खर्च सरकार द्वारा किया जाता है। मेरे विचार से इसे बदलना होगा और समय के साथ-साथ हम इस बात पर बल देंगे कि प्राधिकारियों द्वारा कुछ और कर लगाए जाएं।

यही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे।

अंत में, मैं यही दोहराना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, देश में पूरी रक्षा तैयारियां रहेंगी और सरकार इस बात पर दृढ़ है। मैं राष्ट्र को आश्वासन देता हूं कि इसमें किसी किस्म की भी ढील नहीं दी जाएगी।

पश्च टिप्पण

XI. अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1993-94 रक्षा मंत्रालय 28 अप्रैल 1993

कोई टिप्पण नहीं

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर

28 जुलाई 1993

अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। इस सदन के समक्ष यह सम्भवत: तीसरा अथवा चौथा अविश्वास प्रस्ताव है। मुझे पहले वाले प्रस्तावों और वर्तमान प्रस्ताव में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। इस समय इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। अत: काफी कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है लेकिन मैं केवल उन्हीं मुद्दों का उत्तर दूंगा जो वास्तविक हैं और जिनका उत्तर दिया जाना जरूरी है।

स्पष्ट रूप से देखा जाए तो प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता ने केवल वही बात दोहराई है जो कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), वामपंथी दलों ने कही है। पिछले दो वर्षों में उनके पास सिवाए कोई व्यावहारिक बात करने के कुछ भी और कहने तथा कुछ भी कोई बात उठाने के लिए नहीं है। वे बहुत ही व्यावहारिक लोग हैं। जब किसी राज्य विशेष में औद्योगिकीकरण की बात आती है तो उनका बात करने का ढंग ही बदल जाता है। और लोक सभा में आने पर तो उनका रवैया ही अलग होता है। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। मैं सदन में केवल उन्हीं कुछ एक तथ्यों को पेश करूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद दोनों चीजें एक दूसरे के अनुरूप हो जायें। हमें उस दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा लेकिन तब तक संभवत: हमें दोनों के साथ निभानी पड़ेगी।

जब हमने उदारीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की थी तो सभी ने यह सोचा था कि इससे लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस देश में पूर्ण रूप से बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी और सभी जगह स्थिति बिगड़ती हुई नजर आएगी। यह उनकी सोच है। मैं उनकी इस सोच के लिए उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि ऐसा उन अन्य अनेक देशों में भी हुआ है जहां इस प्रक्रिया को अनियंत्रित रूप से अपनाया गया था। ऐसा इस देश में नहीं हुआ है। इस देश में ऐसा नहीं होने दिया गया है। मैं इस सदन में और दूसरे सदन में हर जगह बार-बार कहता रहा हूं कि यहां उदारीकरण का एक मानवीय पक्ष भी है। जब कभी कोई मानवीय समस्या आती है तो हम उसे हल करते हैं, हम उस समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक कदम उठाते हैं। हम केवल उदारीकरण के लिए ही उदारीकरण नहीं करना चाहते हैं। यह तो कतिपय उद्देश्यों के लिए किया गया है।

पिछले दो वर्षों के दौरान हमारी सभी नीतियां दो रास्तों पर चल रही हैं। एक तो उदारीकरण है क्योंकि यह जरूरी हो गया था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर चलना आवश्यक हो गया है। हम विश्व से पूरी तरह से अलग नहीं रह सकते हैं। अत: विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उदारीकरण की आवश्यकता

है तथा इसके लिए काफी सारे परिवर्तन एक रिकार्ड अवधि में सुनिश्चित करना अनिवार्य है क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करने से कुछ नहीं होगा या अल्पमात्रा में कुछ भी करने से नहीं चलेगा। अत: हमें उदारीकरण के लिए व्यापक रूप से कार्य करना होगा। इसके साथ-साथ हमने यह भी देखा है कि इस उदारीकरण की प्रक्रिया के संभावित दुष्परिणामों से प्रभावी ढंग से बचा जाए। इस दृष्टि से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 3 गुना अर्थात् 300 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए कुल परिव्यय 30,000 करोड़ रुपए रखा गया है जो कि आमतौर पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा जाता। तो फिर यह क्यों किया गया? यह इसलिए किया गया क्योंकि उदारीकरण के कार्यक्रम में हमेशा यह संभावना रहती है कि कहीं लोगों का रोजगार न छिन जाए और ऐसा नहीं होना चाहिए।

आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का ऐसा एकमात्र मंत्रालय है जो गरीब लोगों के लिए कुछ धन नियत कर सकता है। कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि अन्य सभी मंत्रालय हमेशा अधिक पैसे लेने की दुहाई देते हैं। उनके कार्यक्रम पहले ही सराबोर हो चुके हैं। उनके पास जो पैसा है वह भी कम है या जिन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने लिया है कम से कम उसे देखते हुए तो कम ही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने अपने कार्यक्रमों में कुछ ऐसी बातें भी शामिल की हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को तकलीफ न हो और वे जहां रह रहे हैं वहीं ठीक रह सकें। जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों को इस वर्ष से ज्यादा पैसा मिल रहा है। तथा इससे सर्वप्रथम तो बेरोजगारी, शहरीकरण और लोगों का रोजगार की तलाश में अपने घर छोड़कर बड़े शहरों में जाने को रोकने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिव्यय में 60 प्रतिशत वृद्धि, शिक्षा में 37.6 प्रतिशत वृद्धि और कृषि में 29.6 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अत: हर समय इन क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाई गई हैं और यही इन क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने अधिक से अधिक रोजगार सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये क्षेत्र रोजगारोन्मुख क्षेत्र हैं। अब यह दो रास्तों वाली बात हो गई है। यह आशा की जाती है कि इस पूंजीवादी किस्म के सामान्य उदारीकरण कार्यक्रम के जरिए धन ऊपर से नीचे तक पहुंच सके। हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिससे 'ट्रिकल डाऊन' के इस सिद्धान्त के प्रति विश्वास ही न उठ जाए। हमने कहा है कि उदारीकरण के होते हुए, औद्योगिकीकरण के होते हुए और मैको स्तर के औद्योगिकीकरण के वास्ते अन्य साधनों जैसे कि आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि एक बाईपास-माडल बनाया जाए। फिर आप लोगों को सीधे पैसा भेजिए, इस तरह ट्रिकल डाऊन सिद्धान्त के जरिए नहीं बल्कि लोगों को सीधे दें और इस माडल को हमने अपनाया भी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी अन्य देश में यह माडल उपलब्ध है। यह जो माडल हमने बनाया है वह हमारी परिस्थितियों के अनुरूप पूरी तरह से व्यावहारिक माडल है। यह कितनी अच्छी तरह से कार्य कर रहा

है तथा इसके और अच्छी तरह से कार्य करने के लिए और क्या आवश्यकता है इन सब चीजों के लिए सुझावों, आलोचनाओं का स्वागत है।

परन्तु मॉडल स्वयं ऐसा होना चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं के संदर्भ में खरा उतरे। महोदय, हमने इस वर्ष 189.3 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन किया है। यह कैसे संभव हुआ? यदि ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया होता, यदि किसान को उनके उत्पादों की दृष्टि से लाभप्रद मूल्य नहीं दिया गया होता तो यह संभव नहीं होता। मैं तीन या चार क्षेत्रों का उदाहरण दे सकता हूं। धान की कीमत 1989-90 में 185 रुपए प्रति क्विंटल थी। आज यह 310 रुपए है। मोटे अनाज का मूल्य 165 रुपए से बढ़कर 260 रुपए हो गया है और मूंग की कीमत 425 रुपए से 700 रुपए हो गई है। ये सब बढ़ोत्तरी किसान को मिली है और फिर भी मुद्रा स्फीति में वृद्धि नहीं हुई है।

यह कहा जाता है कि जब कभी आप कृषि वस्तुओं के मूल्यों में दो या तीन रुपए की वृद्धि करते हैं तो भी मुद्रास्फीति में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि इससे सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यह नहीं हुआ है। मुद्रास्फीति की दर इस सरकार के सत्ता संभालने के समय अर्थात् 1991 में 16.6 प्रतिशत या 17 प्रतिशत थी वह अब घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई है।

जी हां, यह मुद्रास्फीति की दर है। यह एक ही बात है। इसे वह कुछ भी समझें लेकिन जो 1991 में 17 प्रतिशत था वह आज 5.4 प्रतिशत है। यह बात समझनी चाहिए।

कुछ अन्य देशों में, विकासशील देशों में मुद्रास्फीति की दर अकल्पनीय है। आपको सुबह और दोपहर की तरह शाम को वस्तु उसी कीमत पर नहीं मिल सकती है। मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई दर को प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित कर लिया गया है और मैं समझता हूं कि भारतीय किसानों, भारतीय लोगों और सरकार सभी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी जानी चाहिए।

तिलहनों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। पहले हम लगभग 2,500 करोड़ रुपए खाद्य तेलों के आयात पर ही व्यय करते थे, वैसे मुझे सही आंकड़ों की जानकारी नहीं है लेकिन नजदीक ही है। आज हमें इस आयात की कतई जरूरत नहीं है। यह भी पुन: भारतीय किसान की ही उपलब्धि है। आज वह इससे भी ज्यादा देने की बात करते हैं। उन्होंने पाम तेल बनाने के लिए पाम के बागान लगाने शुरू कर दिए है। हम नहीं जानते कि किसान के उत्साह का क्या करें क्योंकि वे बहुत उत्साहित हैं लेकिन मुझे डर है कि इस वृद्धि से कहीं तिलहन का उत्पादन खाद्यान्न के उत्पादन से बाजी न मार जाए। यह संभव है।

अत: अभी भी हमें अपनी फसल प्रणाली का पुनर्नियोजन करने के बारे में इस तरह से सोचना पड़ेगा ताकि पांच वर्ष या दस वर्ष के बाद इससे पहले कि हमें यह पता चले कि क्या हो रहा है हमारी खाद्य की स्थिति बिगड़ न जाए। यह कई अन्य देशों में हुआ है। वे अन्य देशों से खाद्य प्राप्त करते हैं। लेकिन वे अपने देश में कई नकदी फसलें उगाते हैं और फिर कहते हैं कि इससे उन्हें कृषि में अधिक लाभ हो रहा है। अत: 880 मिलियन लोगों वाले देश

में इस तरह की बात हो और हमारा खाद्यान्न का उत्पादन गिर जाए तो कोई भी देश हमें नहीं खिला पाएगा।

ये जो नई कृषि नीति हमने अपनाई है वह पारंपरिक नीति नहीं है। यह जीविका के रूप में कृषि या समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए कृषि की दृष्टि से उस दिशा में नहीं चल रही है जिसमें इस देश का कृषि क्षेत्र अग्रसर है। कृषि के क्षेत्र में कुछ ज्यादा होना चाहिए, जो कुछ हो रहा है उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए।

इस सब के पीछे उद्देश्य यह है कि आधारभूत विकास को बढ़ाने में मदद मिले, किसानों के निवेश के लिए और लाभप्रद मूल्य देकर तथा कृषि उत्पादों के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एक आर्थिक माहौल वर्ग अब यह पिछले पांच या दस वर्षों वाली कृषि नहीं रह गई है जहां कीमतें कम करके इसका हल निकाल लिया समझा जाता था और किसान के मन को थोड़ा सा संतुष्ट करके आर्थिक नियोजन संबंध में बहुत अधिक उपलब्धि समझी जाती थी। लेकिन अब अनुसंधान, सिंचाई, विद्युत, परिवहन, सड़कें, बाजार, भण्डारण और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी। वर्षा पर निर्भर खेती को बुनियादी सुविधा प्रदान करने में हम बहुत पीछे हैं लेकिन अब हम इसमें सुधार कर रहे हैं। महोदय मैंने हैदराबाद में आई.सी.आर.एस.ए.टी. में और अन्य स्थानों में जहां अनुसंधान चल रहा है स्वयं देखा है कि अब शुष्क-भूमि खेती का दृष्टिकोण ही बदलता जा रहा है। यह देश के लिए अच्छा शगुन है और पांच साल बाद हम देखेंगे कि हमने शुष्क-भूमि कृषि के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली होगी कि स्वयं हमें आश्चर्य होगा।

मूल्यवर्धित निर्यात योग्य अतिरिक्त उत्पाद पैदा करना भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस देश में किसान इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं सिवाय इस बात के कि जितना अधिक इसे विकसित होना चाहिए उतना विकसित यह नहीं है और मेरे विचार से हम आगामी वर्षों में इसे विकसित करेंगे।

सहकारी आंदोलन राज्य के नियंत्रण से मुक्त होगा और वास्तव में एक सहकारी उद्यम होने के नाते इसे मदद मिलेगी। फिर भी सरकार उन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को वित्तीय और प्रसार संबंधी मदद देना जारी रखेगी जहां पर सहकारी आंदोलन कमजोर है अथवा जहां पर इसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हुई है।

नई कृषि नीति के यही कुछ उद्देश्य हैं और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह किस प्रकार भिन्न है और आगामी वर्षों में यह नीति किस प्रकार भिन्न होगी तथा किसान का नजरिया कैसे भिन्न होगा और उसका भविष्य भी किस प्रकार भिन्न होगा।

उर्वरक नीति की कुछ आलोचना हुई थी। अब मैं विनयपूर्वक यह कहता हूं कि हमने उर्वरकों के मामले में सर्वाधिक व्यवहारिक नीतिगत रवैया अपनाया है। अचानक, हमने पाया कि इस देश में उत्पादित कुछ उर्वरक विशेषकर डी.ए.पी. आयातित उर्वरक से दो या तीन हजार रुपए प्रति टन महंगे हो गए हैं। यह सच है कि उर्वरक उत्पादन करने वाले कारखानों ने बहुत विरोध किया क्योंकि वे हमारे आयात के कारण घाटा उठा रहे थे और वे आयातित मूल्य से प्रतिस्पर्धा

नहीं कर सकते थे। हमने यह किया कि इस कम आयातित मूल्य का पूरा लाभ उठाया। महोदय, इस देश में आज पहली बार हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ष के लिए हमारे पास डी.ए.पी. पर्याप्त मात्रा में है तथा हमें और आयात करने की आवश्यकता नहीं है और जो कुछ भी हमने आयात किया है वह पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त है अत: हमारे किसान इस बारे में निश्चित रहें कि उन्हें यह आयातित मूल्य पर मिलेगा और एम.ओ.पी. के मामले में भी ऐसा ही होगा, इस प्रकार हमने उन्हें 1000 रुपए प्रति टन की राजसहायता दी है, इसलिए जहां तक कृषि का संबंध है, 1990 और 1991 में हमें जो चिन्ता थी वह समाप्त हो गई है। इस दौरान, जैसा कि अटल जी ने कहा है, उर्वरक कारखानों के साथ क्या हो रहा है? उन्हें बन्द करना पड़ा है। क्या कभी भी उन्हें पुन: चालू किया जा सकता है? मेरा उत्तर है कि वे बन्द हो चुके हैं और चालू भी हो चुके हैं क्योंकि हमने उनको एकमुश्त सुविधाएं, रियायतें दी हैं इसके फलस्वरूप वे लाभकारी हो गए हैं या होने वाले हैं। घरेलू उद्योग को चालू रखने के लिए सरकार ने पूंजीगत माल पर अदा किए गए सीमा-शुल्क को वापस करने की एक योजना तथा मियादी ऋण पर ब्याज में तीन प्रतिशत की रियायत की भी घोषणा की है, महोदय, यह 1 जनवरी 1991 के बाद चालू हुए नए उर्वरक संयंत्रों के लिए बहुत बड़ी रियायत है। सरकार ने आयात के अनुरूप मूल्यों पर घरेलू फास्फेटिक उद्योग को बिक्री करने में सक्षम बनाने के लिए हाल ही में घोषणा की है कि चालू खरीफ मौसम के दौरान स्वदेशी डी.ए.पी. पर 100 रुपए प्रति टन की रियायत दी जाएगी और स्वदेशी काम्प्लेक्स उर्वरकों और एस.एस.पी. के लिए भी इसी अनुपात में रियायत दी जाएगी। आयातित डी.ए.पी. और काम्प्लेक्स उर्वरकों पर ऐसी कोई रियायत उपलब्ध नहीं है। इन रियायतों के कारण बन्द पड़ चुकी पांच इकाइयां–कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स, पारादीप फास्फेट, जी.एफ.एस.सी.तथा मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड पुन: उत्पादन शुरू कर सकी हैं। मेरे विचार से अभी भी दो कारखाने पूर्ण रूप से उत्पादन शुरू नहीं कर सके हैं लेकिन वे शीघ्र ही उत्पादन करने लगेंगे। कृषि क्षेत्र में यह सब किया गया है।

कृषि मजदूरों के बाद ग्रामीण कारीगरों की संख्या बहुत अधिक है, जो कृषि पर निर्भर है, फिर हथकरघा बुनकर आते हैं। माननीय सदस्य हथकरघा बुनकरों की दयनीय स्थिति के बारे में जानते होंगे। ये अनेक वर्षों से लगभग भुखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति चल रही है। अब हमने पहली बार ग्रामीण विकास को भी इससे जोड़ा है। किसी ने भी हथकरघा बुनकरों के संदर्भ में ग्रामीण विकास की परवाह नहीं की, हालांकि अधिकांश बुनकर गांवों में रहते हैं।

वस्त्र मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से परामर्श करके कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया है और मैं यह कह रहा था जब योजना के तहत एक मंत्रालय के लिए आपके पास 30,000 करोड़ रुपए हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों के लिए कुछ राशि बचा सकते हैं जिनका पहले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से कोई सरोकार नहीं रहा है साथ ही इस समय चल रहे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवक स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंदिरा आवास

योजना तथा जवाहर रोजगार योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को शामिल करने के लिए चार नई योजनाएं भी तैयार की गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। जब ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे तब इन लोगों के बारे में कभी भी गौर नहीं किया गया और एक भी बुनकर को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला और ये मकान उन्हें उपलब्ध ही नहीं किए गए थे। अब हमने उनको ये आवास उपलब्ध कराए हैं। इसका परिणाम यह होगा कि गांवों में रह रहे अन्य बन्धुओं के साथ-साथ उन्हें भी अत्यधिक लाभ होगा। हमने पहली बार यह माना है कि यह वर्ग भी ग्रामीण लोगों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग है और इनकी रोजगार तथा निवास संबंधी जरूरतें आदि सब कुछ अन्य लोगों जितनी ही हैं। इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत करघा रहित बुनकरों को शामिल करना, जवाहर रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेघर हथकरघा बुनकरों को शामिल करना, ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हथकरघा बनुकरों को प्रशिक्षण देना, जवाहर रोजगार योजना की सहायता से हथकरघा बुनकरों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करना—इन चार योजनाओं के तहत तीन वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से 3.27 लाख करघा रहित बुनकरों को करघे, कार्य करने के लिए शैड और कार्य पूंजी दी जाएगी। ये योजनाएं इस वर्ष से पहली बार शुरू की जा रही हैं।

अब मैं खादी को लेता हूं जो कि गांवों की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम खादी और ग्राम उद्योगों के विकास और उन्नति के प्रति वचनबद्ध हैं। ये उद्योग भी काफी समय से दयनीय स्थिति में हैं। कुछ माह पूर्व अर्थात् तीन या चार महीने पहले, खादी क्षेत्र में अत्यंत प्रभावी नेताओं का एक शिष्टमंडल मेरे पास आया और इन साथियों, हमारे मित्रों ने मुझे खादी कामगारों और इस उद्योग की दयनीय स्थिति के बारे में बताया, ये नेता अनेक दशकों से कार्यरत हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन खादी और ग्राम उद्योगों के प्रति अर्पित किया है। इसलिए तीन महीने की अवधि में इस क्षेत्र की क्षमता तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकारप्राप्त समिति गठित की गई है। मैं अपने क्षेत्र में एक निष्ठावान खादी कामगार रहा हूं। इसलिए उन्होंने कहा, 'आप हम में से एक हैं' इसलिए 'आप ही अध्यक्ष बनें'। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हम तीन महीने के अंदर पता लगाएंगे कि खादी और ग्राम उद्योगों की क्या कठिनाइयां हैं और सरकार अन्य संगठन तथा स्वयं खादी संस्थाएं इस संबंध में क्या कर सकती हैं। हमने खादी क्षेत्र के लिए यह सब किया है।

मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के बारे में पूरे विस्तारपूर्वक बताया है कि गत दो वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी रही है और विदेशी मुद्रा भण्डार इत्यादि की स्थिति कैसी रही है। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं। 21-7-1993 तक अनुमोदित विदेशी इक्विटी निवेश 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा था। इसके तहत 1100 मामले हैं। इस प्रकार लाई गई विदेशी इक्विटी की प्रतिपूर्ति भारतीय इक्विटी और भारत के अंदर तथा विदेशों से लिए ऋण द्वारा की जाएगी। इन परियोजनाओं के तहत कुल व्यय लगभग 69,000 करोड़

रुपए होगा। अब, दो वर्षों में निवेश 60,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है जबकि सरकारी क्षेत्र के तहत हम गत वर्षों के दौरान एक लाख करोड़ रुपए अधिक नहीं कर पाए, इससे पता चलता है कि निवेश दर में कितनी तेजी आई है। स्वाभाविक है कि ये सब निवेश एक दिन या एक वर्ष में फलीभूत नहीं होंगे। इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन यह पूरे होंगे क्योंकि यह निवेश ऐसे लोगों ने किया है जो जानते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं; वे जानते हैं कि भारत में निवेश लाभकारी है। इस बारे में संतुष्ट होने के बाद ही वे यहां पर आए हैं।

केवल विद्युत परियोजनाओं से ही 4000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत क्षमता उपलब्ध होगी। प्रस्तावित तेलशोधक कारखानों के कारण प्रतिवर्ष 41 मिलियन टन शोधन क्षमता उत्पन्न होगी। इनमें से अधिकांश निवेश मूलभूत ढांचे, सर्वाधिक आवश्यक क्षेत्रों में किया गया है जिसके संबंध में कुछ समय पहले इसके विपरीत यह कहा गया था कि ये सब दिखावटी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है।

अब मैं आज राष्ट्रीय जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहल को लेता हूं यह समाज में सद्भाव बनाए रखने के संदर्भ में हैं। जिसकी कमी कुछ समय से हमें प्रभावित कर रही है और हमें एक देश के रूप में इस कठिनाई से निकलना है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो देश का कोई भविष्य नहीं होगा। यह एकदम सही है। हम पहले ही ऐसे लोगों को देख चुके हैं जो स्थिरता नहीं ला सकते; एक या दो वर्ष तक स्थिरता रहती है, फिर हम ऐसा कुछ करते हैं कि स्थिरता बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि हम ऐसी ख्याति ही अर्जित कर रहे हैं। हमें इससे बाहर, निकलना होगा। हमें यथासंभव उपाय करके इस समस्या से जूझना होगा। इसी वजह से मैं सभी पार्टियों से बार-बार अपील करता रहा हूं कि यह विकास करने का वक्त है। अत: अब समय आ गया है कि हम आगामी तीन, पांच वर्षों तक शांति से रहें। अगर यह देश केवल विकास कार्य में संलग्न रहे तो संभवत: इस अवधि के बाद यह देश हर प्रकार से शक्तिशाली देश होगा। अनेक अर्थशास्त्रियों और ऐसे अनेक लोगों ने, जो कि भविष्य की हर संभावना से भली-भांति अवगत हैं, ने ही यह कहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम पुन: उन्हीं पुराने तरीकों को अपनाने लगे हैं जिन्हें हमें छोड़ना है।

राजनीति में धर्म के प्रयोग को रोकने के उद्देश्य से हम सत्र में संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने के लिए दो विधेयक पुर:स्थापित कर रहे हैं। अब हम धर्म और राजनीति दोनों चाहते हैं। इस देश में दोनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस देश में दोनों को मिलाने का सवाल ही नहीं है। दोनों को मिलाना विनाशकारी साबित होगा। मैं सभी पार्टियों को यह कह रहा हूं। आने वाले समय से धर्म हर पार्टी का ब्रह्मास्त्र नहीं हो सकता। एक-दो चुनावों तक तो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर लोग जान जाएंगे। इसके प्रभाव इतने बुरे होंगे कि हम काफी अवधि तक इस संकट से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। यह एक समुदाय या किसी अन्य के विरुद्ध नहीं किया जा रहा। इससे तात्पर्य उन राजनैतिक मूल्यों, देश के उन मूल्यों को पुन: स्थापित करने की बात है, जो पहले बरकरार थे और जो होने चाहिएं।

इस संबंध में, मैं उच्चतम न्यायालय के हाल के विनिर्णय से उद्धृत करना चाहूंगा। मैं इसी मुद्दे पर लोगों से अपील कर रहा हूं। संभवत: आप इसे पसन्द न करें। आप धर्म को राजनैतिक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। हमें इसे छोड़ना है। हर हालत में इसे छोड़ना होगा। जो सदस्य यह सोचते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं तो उन्हें यह प्रश्न स्वयं से ही करना होगा। मैं देश तथा पार्टियों के हित में यह कह रहा हूं क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता।

अभी तक किए गए एक अध्ययन के तहत राजनैतिक उद्देश्यों के लिए धर्म के प्रयोग को रोकने के लिए कानूनी उपबन्धों पर विचार करना अब संभव प्रतीत हो रहा है। यह बहुत जटिल मामला है। यह कुछ रोकने मात्र का मामला ही नहीं है। क्योंकि संविधान में अनेक स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, इसलिए हम संविधान के तहत किसी स्वतंत्रता का अतिक्रमण संविधान की अनुमति के बगैर नहीं कर सकते हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी। यह बहुत ही सुन्दर उद्धरण है, मैं इसे उद्धृत करना चाहूंगा।

हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा एक पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने की थी। हमारे राजनैतिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया कि धर्म, वर्ण, जाति, समुदाय, संस्कृति और भाषा की आजादी, जो कि लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करके उन्हें अपने विवेक के इस्तेमाल से दूर कर सकती है, उससे खिलवाड़ करने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाए जिससे कि हम अपनी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बनाए रख सकें। धारा 123(2) और उपधारा (3) और (3क) को इस उद्देश्य से लागू किया गया, जिससे कि अलगाववादी शक्तियों जैसे धर्म, जाति, इत्यादि द्वारा उत्पन्न अविवेकपूर्ण भावनाओं के बुरे प्रभाव को समाप्त किया जा सके। इस मुद्दे के मूल में चुनावी प्रक्रिया को सरल और विवेकसंगत बनाना ही है। इस प्रक्रिया को असंगत बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। धारा 123 में अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रचार में धर्म, जाति, इत्यादि के प्रयोग की भर्त्सना की गई है।

यह उद्धरण उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में से लिया गया है। इसी को आधार मानकर दो विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं। हमें इनके विस्तार में जाना चाहिए। हम इन पर चर्चा करेंगे और इनको पारित करेंगे। हम इनको पारित करेंगे क्योंकि इसके बाद वास्तव में देश के राजनीतिक भविष्य पर निर्णय हो सकेगा। हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि पिछले तीन-चार या पांच वर्षों में राजनीति पथ भ्रष्ट हो गई थी। इस पथ भ्रष्टता को इसके जड़ समूल से नष्ट करना होगा और भारतीय राजनीति को फिर इसके पंथनिरपेक्ष आधारस्तम्भ की ओर वापिस लाना होगा।

*** *** ***[1]

दो प्रारूप तैयार किए गए हैं एक मन्दिर न्यास के लिए दूसरा मस्जिद न्यास के लिए और इस भूमि का चिरस्थायी पट्टा विधि मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद बनाया गया है।

उन व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है जोकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यास चलाने के लिए आगे आ सकते हैं या जिन पर विचार किया जा सकता है। इसमें अनेकों परिवर्तन हो सकते हैं। अभी इसको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन आखिरकार सरकार को ही इस न्यास को स्थापित करना है और मैं माननीय सदस्यों से इस मामले पर सुझाव आमंत्रित करता हूं।

विध्वंस की जांच।

*** *** ***2

अटल जी ने चुनावी सुधार के संबंध में जो कुछ कहा उससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूं। इस संबंध में काफी प्रयास किए जा चुके हैं। लेकिन शायद यह बीच में रुक गए। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि इन प्रयासों को फिर से आरम्भ किया जाए। 1990 में, इन सब बातों पर विचार करने के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त के सभी प्रस्ताव, जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1990 में दिए गए प्रस्ताव और संविधान का 70वां (संशोधन) विधेयक 1990, इन सब प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए सरकार चुनाव सुधार पर एक विस्तृत एकमुश्त प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। अत: 1990 में इस प्रक्रिया को जहां छोड़ा था वहीं से इसे फिर शुरू किया जा रहा है। मैंने विधि मंत्रालय के साथ इन पर चर्चा की है। जैसे कि पहले भी हम ऐसे मामलों में करते आए हैं। इन प्रस्तावों पर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के विचार आमंत्रित किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें विचारार्थ कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं —

– उद्देश्यहीन प्रत्याशी को हतोत्साहित करना;

– एक से अधिक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर रोक;

– चुनावों के लिए सरकार द्वारा धन दिया जाना;

– भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों के स्वत: अयोग्यता का प्रावधान 1975 से पूर्व की स्थिति को पुन: बहाल करना;

– बहुउद्देशीय पहचान-पत्रों का इस्तेमाल;

– एक राजनैतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार के चुनाव पर किए जाने वाले खर्च को उम्मीदवार के व्यक्तिगत चुनावी खर्च में शामिल किया जाना चाहे वह खर्चा किसी ने भी किया हो;

– उपचुनावों को करने के लिए छह महीने की अवधि निर्धारित करना;

– कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चन्दा दिए जाने पर पाबंदी; और

– चुनाव आयोग के लिए एक अलग सचिवालय की स्थापना का प्रावधान।

यह कुछ विशेष मुद्दे हैं जिन पर हमें उचित विचार करने के पश्चात् निर्णय लेना है, चुनाव सुधारों के बारे में यह स्थिति है।

*** *** ***3

विदेशी मामलों पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी सोमालिया में शांति कार्यवाही और क्रायोजनिक इंजनों पर कुछ टिप्पणी की गई थी। क्रायोजनिक इंजन के संबंध में सुबह एक प्रश्न का पूरा उत्तर दिया जा चुका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय प्रौद्योगिकी के उपलब्ध न होने के संबंध में हमें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने इंजन हम चाहते हैं उतने उपलब्ध होंगे। आगामी कुछ वर्षों तक हमें इंजन की वजह से अपने पी.एस.एल.वी. इत्यादि को अंतरिक्ष भेजने के संबंध में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

वहां कठिनाई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि चूंकि हम प्रौद्योगिकी के मामले में देर-सवेर से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तब हमें प्रौद्योगिकी विकसित करनी होगी। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो इसे कहां से उपलब्ध कराया जाएगा या हमें स्वयं इसे विकसित करना होगा। यही निष्कर्ष है और इस पर टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है। रूसी सरकार जोकि हमारी मित्र है, पर कोई और टिप्पणी ठीक नहीं होगी क्योंकि उन्होंने यह स्वेच्छा से नहीं किया है उन्होंने यह दबाव के अंतर्गत किया है। जो पहले ही मौजूद था। अब हम इसे नजरअन्दाज नहीं कर सकते। हम केवल यह कर सकते हैं कि इस मामले पर उनके साथ विचार-विमर्श किया जाए और निश्चित तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं यह चाहता हूं कि विचार-विमर्श होने के बाद और सदन का विश्वास प्राप्त किया जाए। विचार-विमर्श के दौरान जो कुछ हुआ और हमारी आज की स्थिति इन सब को आपके समक्ष रखा जाए।

जहां तक शांति बनाए रखने की कार्यवाही का संबंध है जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है भारत की हमेशा यह नीति रही है। जब कभी शांति कार्यवाही की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार यह हमारा दायित्व हो गया है। कल संयुक्त राष्ट्र संघ हमारी तरफ अपना फर्ज निभाएगा, यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य करते हैं तब हमारा वह सम्मानित स्थान होगा। यह हमारे हित में होगा। इसी कारण हम सोमालिया में शांति प्रयासों में शामिल हो रहे हैं।

दूसरा मुद्दा लोकपाल के सम्बन्ध में उठाया गया था जो कि बिलकुल उचित था। लोक सभा में 29.12.1989 को लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद सरकार ने इसमें संशोधन के लिए अनेक सुझावों पर विचार किया। कार्यवाहियों के प्रकाशन संबंधी प्रावधानों को अस्वीकृत कर दिया गया था और इसमें कुछ अन्य परिवर्तन किए गए थे। तदनन्तर, अगस्त, 1990 में सरकार ने निम्न बातों के संदर्भ में इस विधेयक पर पुन: विचार करने का निर्णय लिया। एक बात यह है कि क्या लोकपाल को की गई शिकायत की परिभाषा को इस तरह से संशोधित किया जाए कि उसमें केवल भ्रष्टाचार की ही बात शामिल न हो बल्कि उसमें लाभ के लिए पद का दुरुपयोग या नुकसान पहुंचाना या कठिनाई पहुंचाना या कुप्रशासन भी शामिल होना चाहिए। क्या सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति की परिभाषा को इस तरह से व्यापक बनाया जाना चाहिए कि उसमें केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों के साथ-साथ

भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उससे उच्च अधिकारी को भी शामिल किया जाए। इस संबंध में गौर किया गया और यही बात महत्वपूर्ण भी है लेकिन सितम्बर, 1990 में यह बात कैसे रुक गई कि इसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में कार्मिक विभाग, सी.बी.सी. और कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारियों को इस विधेयक के तहत लाने के प्रश्न पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ था। लेकिन इस विधेयक के व्यपगत होने तक उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। महोदय, सरकार पिछले एक वर्ष के दौरान देश में एक ओमबड्समैन (प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने वाला अधिकारी) की संभावना की अच्छी तरह से जांच कर रही है। अब ओमबड्समैन के अवसर काफी व्यापक हैं और शायद इस बात पर विचार करना उचित होगा कि देश में ओमबड्समैन के पद को कानून से और संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाए। मैंने एक या दो अधिकारियों को उन कुछ अन्य देशों में भेजा जिनमें ओमबड्समैन के पद मौजूद हैं और इस संबंध में अनेक देशों के बीच अंतर है। मुझे इस संबंध में प्रत्येक देश से पूरी रिपोर्ट मिली है और हम एक-दो दिन में इस पर विचार करेंगे। मैं इस संबंध में राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करूंगा और वे लोग जो भी तरीका ठीक समझेंगे, वह उसे अपनाया जाएगा।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, छंटनी आदि के द्वारा उद्योगों के पुनर्गठन या उनको बन्द करने के मामले में राज्य सरकारों से परामर्श करने के संबंध में एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सबको मालूम है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में एक योजना बनी हुई है, लेकिन यह नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का मामला है और शायद केन्द्र सरकार या राज्य सरकार आवश्यक रूप से इसमें शामिल नहीं हैं। छंटनी के मामले में मैं समझता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय 5(ख) के अंतर्गत समुचित सरकार अर्थात् राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार जैसा भी मामला हो कामगारों को हटाए जाने के मामले में पूर्व अनुमति लेती है। इस मामले में पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उन उपक्रमों के मामले में जिनमें औद्योगिक विवाद अधिनियम का अध्याय 5(ख) केन्द्रीय सरकार है उन मामलों में सदैव राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। अब इस मामले में शायद केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के संबंध में भी शायद कोई विचार है। ऐसा तभी होगा जब वे किसी राज्य-विशेष में ही अवस्थित होंगे। यदि इस तरह से कोई कार्रवाई की जानी है तो यह एक अच्छा विचार हो सकता है क्योंकि यह काम पहले ही किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस संबंध में राज्य सरकार से कम-से-कम नियमित परामर्श किया जाए ताकि इसका जो भी परिणाम हो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस बारे में सोचने का अवसर मिले और वे इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाल सकें।

हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे, यह एक रचनात्मक विचार है।

*** *** ***4

चूंकि यह मामला उठाया गया है, इसलिए मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूं। हमारे समक्ष बोडोलैंड समस्या थी, हमने उसको हल किया है। हमारे समक्ष असम में कर्बी अंगलोंग की समस्या थी, हमने उसको हल किया। दार्जिलिंग में समस्या थी उसको भी हल किया। अत: इसको दबाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इससे भला होने वाला नहीं है। अत: हमने कुछ कदम उठाए हैं। मुझे मालूम है कि अभी तक उनका कोई नतीजा सामने नहीं आया है, वे फलीभूत नहीं हुए हैं। वे कई कारणों से फलीभूत नहीं हुए हैं। जब यह कहा जाता है कि दोनों पक्षों अर्थात् विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री इस मांग के खिलाफ एक साथ हैं, तो इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि ये मामले दलगत भावनाओं से परे हैं। इसका कारण निश्चित रूप से यही है। अत: केन्द्रीय सरकार को इन मामलों से निपटने के लिए और अधिक सावधान रहना होगा ताकि हम जल्दबाजी में इस समस्या को और न उलझा दें।

*** *** ***5

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। सरकार पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि वह इसके प्रति गंभीर नहीं है। हम महीनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस संबंध में छोटी-छोटी वार्ता, यहां तक कि नामों पर गौर किया जाना है। नाम झगड़े की जड़ बन गया है और यही इसका वैध कारण है। अत: मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मामला किसी के लिए इतना आसान नहीं है कि इस पर निर्णय लिख दे और सभी इसको स्वीकार कर लेंगे। यह आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। अत: मैंने बहुत से कदम उठाए हैं। बिहार सरकार ने हमें जो विधेयक भेजा है सरकार ने उसमें शामिल करने के लिए एक सुझाव भेजा है। बिहार सरकार ने एक परिषद के बारे में विधेयक भेजा था। हमने यह देखा कि यह पर्याप्त नहीं था। हमने सोचा कि झारखण्ड के लोगों की आकांक्षाओं को कम-से-कम आंशिक रूप से पूरा करने के लिए कुछ क्षेत्रों और कुछ बातों को उसमें और शामिल करना होगा। अत: यह मामला अभी विचाराधीन है। अभी यह एक नाजुक स्थिति में है। इस समय किसी तरफ से कोई आदेश प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। मुझे यह कहने में दु:ख हो रहा है कि बिहार में इस समय ऐसा ही कुछ हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैं इस मामले पर बिहार सरकार के साथ बातचीत करूंगा और गृह मंत्रालय भी इस बात को उठाएगा। हम इस मसले को काबू से बाहर नहीं होने देंगे और हम यथाशीघ्र यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जो भी समझौता हुआ था उसके संबंध में किसी भी मार्ग विशेष को अपनाने की बात हो या उसमें कोई परिवर्तन करने की बात हो अथवा दोनों पक्षों की सहमति से कोई परिवर्तन करने की बात सामने आए उस पर अमल किया जा सके। हम इस संबंध में गम्भीर हैं और हम इस दु:खद स्थिति को समाप्त करना चाहते हैं।

*** *** ***6

पिछले दो दिनों के दौरान असम जिला परिषद के बारे में फिर से विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि असम सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी है, जिससे एक समस्या उत्पन्न हो गई है। मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है और मेरे अनुरोध पर उन्होंने उच्चतम न्यायालय से अपनी अपील वापस लेने का और इस परिषद विधेयक को पारित करने का निर्णय लिया है।

अब अन्तिम रूप से दो महत्वपूर्ण मामले उठाए गए हैं। एक मामला अनुच्छेद.....के तहत है।

***   ***   ***7

अभी तो मेरी राय छोटे राज्यों के बारे में नहीं है। मैं केवल दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 339 के अंतर्गत जनजातीय विकास और प्रशासन की पुनरीक्षा करने के लिए प्रत्येक दस वर्ष बाद एक आयोग गठित करना पड़ता है। यह संवैधानिक प्रावधान है। दुख की बात है कि हमने इस संबंध में केवल एक ही आयोग गठित किया है। उसके बाद हम दूसरा आयोग गठित नहीं कर पाए हैं। कई सदस्यों ने यह बात उठाई है। उन्होंने सुझाव दिया है कि हमें अब दूसरा आयोग गठित करना चाहिए। मैंने इस सुझाव पर ध्यान दिया है। हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे।

नई आर्थिक नीति के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के उपाय के लिए विशेषरूप से निजी और सार्वजनिक तथा बहुराष्ट्रीय निगमों में आरक्षण के संबंध में यह फिर से एकदम महत्वपूर्ण बात है। कानून और संविधान के अनुसार इस समय कोई वायदा करना संभव नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम मिल-जुलकर इसका कोई रास्ता ढूंढें और यह देखें कि कैसे हम इस नई स्थिति का नए संदर्भ में सामना कर सकते हैं। हम इस काम को करेंगे।

***   ***   ***8

पश्च टिप्पण

XII. मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव 28 जुलाई 1993

1. **श्री राम विलास पासवान** : बहुत डिफेक्टिव है उसमें कास्ट वगैरह भी जोड़ दीजिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : पहले विधेयकों को सदन में प्रस्तुत होने दीजिए।

2. **श्री नीतिश कुमार** : प्रधान मंत्री का पद छोड़कर, उस ट्रस्ट के चेयरमैन आप ही बन जाइए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इस ट्रस्ट को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि जो राजनीति में हैं, उनको यहां से हटा दिया जाए।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : मस्जिद कहां बनाई जाएगी-बताइएगा?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : चन्द्रास्वामी राजनीति में हैं या नहीं, आपके एडवाइजर हैं या नहीं?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जो हैं वह नहीं रहेंगे मैं यह कह रहा हूं। खाली नामों को बैन भी करने से फायदा नहीं है। मैं एक उसूल की बात कह रहा हूं जो एक्टिव पोलिटिक्स में हैं उनको नहीं रहना चाहिए यह उसका उसूल है। इसमें ऐतराज की क्या बात है, इसमें परेशान होने की क्या बात है, चौंकने की क्या बात है।

महोदय, एक और मुद्दा जो कि चुनावी सुधार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था मैं पूर्ण रूप से।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : मस्जिद कहां बनेगी।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मेरे हाथ में नहीं है कहां बनाएगा। पहले ट्रस्ट तो हो जाने दीजिए। मेरा वायदा अच्छी तरह पढ़ लीजिए।

3. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : बहुसदस्यीय चुनाव आयोग के बारे में क्या राय है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह पहले ही किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चुनाव आयोग के बारे में?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जी हां, यह किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं नहीं आपके पास केवल मुख्य चुनाव आयुक्त है। दो और रखिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : दो और का प्रावधान पहले ही विद्यमान है। इस बारे में आपने क्या करना है? आपको और कुछ जोड़ना नहीं है आपको केवल यह करना है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह चुनाव सुधारों से संबंधित है क्योंकि देश में चुनावों में एकरूपता नहीं है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आपको केवल नियुक्त करना है। बस और कुछ नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कृपया ऐसा कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने अभी जिन मुद्दों का चुनावी सुधारों की सूची के अंतर्गत उल्लेख किया है उन सभी पर विचार किया जा चुका है और निर्णय लिया जा चुका है। एक को छोड़ कर बाकी सभी निर्णय गोस्वामी समिति द्वारा लिए गए थे। मेरे सहयोगी सोमनाथ जी भी वहां मौजूद थे।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हम इस पर गौर करेंगे। 1990 में इसे क्यों रोक दिया गया?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई थी। इसे रोका नहीं गया था वास्तव में आवश्यकता मात्र इसे लागू करने की है।

4. **श्री नीतीश कुमार** : हमें मालूम है कि यह किसका काम है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं श्रमिकों से संबंधित एक मुद्दे के संबंध में जानकारी चाहता हूं। प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के संबंध में एक विधेयक राज्य सभा में लंबित पड़ा हुआ है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी का क्या विचार है? क्या वह इस विधेयक पर आगे कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जी, हां। यदि आप अनुमति देंगे, तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे। क्योंकि हमारे सारे कानून अंधेरे में पारित किए जाते हैं। अब यह एक नई परम्परा है। यदि सभा इसकी अनुमति देगी, तो हम निश्चित रूप में इस पर विचार करेंगे।

मुझे तीन या चार मामलों पर बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी है। झारखण्ड मुद्दे से संबंधित हमारे मित्र यह उन स्थानीय आकांक्षाओं में से एक है। जिनके साथ भारतीय राजतंत्र को संतुष्ट रहना पड़ा। यह कोई नई बात नहीं है। हर जगह प्रदर्शन हुए हैं। ये मामले उभर कर हमारे सामने आए हैं। इनमें कुछ लोगों की जानें भी जाती हैं और उसके बाद उनका समाधान हो जाता है। इन प्रदर्शनों के कारण बहुत अधिक अर्थिक हानि उठानी पड़ी है और यदि हम इसको न भांपे तो।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उत्तरांचल के बारे में भी बोलिए।

5. **श्री भोगेन्द्र झा** (मधुबनी) : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पृथक झारखण्ड राज्य बनाए जाने के पक्ष में है। यह बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का यह भी मानना था कि कभी भारत में कई राष्ट्र शामिल थे।

6. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : उत्तरांचल के बारे में क्या किया? आपके पास, पास करके बिल भेजा हुआ है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यही तो मैं कहना चाहता हूं। महोदय, इसी प्रकार ए.एस.डी.सी. अर्थात् असम जिला परिषद।

श्री सूरज मंडल : आज उस बिल को बिहार सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यह बता दें।

7. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : आपने स्थानीय और क्षेत्रीय आंदोलन के बारे में तो बात कही है बिहार के बारे में और असम के बारे में। मैं निवेदन करूंगा कि उत्तरांचल के बारे में जो राज्य सरकार ने भी सिफारिश की है, असेम्बली ने भी प्रस्ताव पास करके आपको भेजा है, यह बात ठीक है कि हम कोई नो-कांफीडेंस के दौरान उसको कोई सौदे का हिस्सा नहीं बना रहे।

कोई और बना सकता है लेकिन आप उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : सौदे का हिस्सा कोई नहीं बना रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तरांचल के बारे में वहां विधानसभा में प्रस्ताव करके भेजा है, सरकार का क्या विचार है?

श्री अजित सिंह (बागपत) : प्रधानमंत्री जी, झारखंड की बात इन्होंने उठाई क्योंकि विश्वास प्रस्ताव का सवाल है। उत्तरांचल का, चुनाव भारतीय जनता पार्टी का मामला है तो मेरा यह कहना है कि क्या आप छोटे राज्यों के पक्षधर हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

8. **श्री कालका दास** (करोलबाग) : प्रधानमंत्री जी, जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है।

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, आपकी समझ में आना चाहिए कि आपकी बात मान्य हो गई है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैंने वाद–विवाद में उठाई गई बातों का उत्तर दे दिया है।

श्री मदन लाल खुराना : हर्षद और बोफोर्स का क्या हुआ ?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : अन्ततः अटल जी का भाशण अधिकांशतः श्री भारद्वाज जी से प्रभावित किया। मैं पूरी गम्भीरता से यह कहना चाहता हूं कि अटल जी ने जो कुछ भी पढ़ कर सुनाया वह मेरे किसी मित्र ने दूसरे व्यक्ति या किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में कहा है । मैं इसे अनुचित समझता हूं। मैंने भारद्वाज जी से पहले ही पूछ लिया है कि उन्हें इस विशेष मामले में क्या कहना है । मैं इस बात को ठीक नहीं समझता कि किसी भी दल में या दलों के बीच आपस में कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग हो ।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी कदम उठाए जाने हैं मैं उठाऊंगा ।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

इन्सैट-2बी उपग्रह का प्रक्षेपण के संबंध में वक्तव्य

13 अगस्त 1993

सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि द्वितीय पीढ़ी के स्वदेशी रूप में निर्मित द्वितीय बहुद्देशीय भू-स्थायी उपग्रह, इन्सैट-2बी को इसकी कक्षीय स्थिति में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है तथा इसके सभी नीतभार चालू कर दिए गए हैं। अन्तरिक्ष यान को पूरी तरह प्रचालनात्मक घोषित कर दिया गया है।

1932 कि.ग्रा. भार के उपग्रह को एरियन प्रमोचन राकेट द्वारा जुलाई 23, 1993 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया तथा इसे भू-स्थायी अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन के तुरन्त बाद, उपग्रह में रखी प्रणालियों का उपयोग करते हुए कर्नाटक में हसन स्थित इन्सैट प्रधान नियंत्रण सुविधा द्वारा अनेक महत्वपूर्ण युक्तिचालन कार्य किए गए। सर्वप्रथम द्रव अप भू-मीटर की तीन चरणों में फायरिंग करके उपग्रह को पृथ्वी के ऊपर लगभग 36,000 कि.मी. की भू-तुल्यकाली कक्षा के निकट स्थापित किया गया। तत्पश्चात, उपग्रह को इसके अन्तिम कक्षीय स्थान के लिए 93.5 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर धीरे-धीरे अग्रेषित किया गया और सभी प्रस्तरण कार्य किए गए। इन्सैट-2बी में रखी सभी प्रणालियों के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप इसने अपना सम्पूर्ण कक्षीय संरूपण समयानुसूची के अनुसार प्राप्त कर लिया।

इन्सैट-2बी उपग्रह में छह विस्तृत सी-बैण्ड सहित 18-सी बैण्ड प्रेषानुकर, 2 उच्च शक्ति के एस-बैण्ड प्रेषानुकर, मौसम विज्ञानिय प्रतिबिम्बन के लिए एक अत्यन्त उच्च विभेदन रेडियोमीटर, एक आंकड़ा रिले प्रेषानुकर तथा एक खोज एवं बचाव प्रेषानुकर रखे गए हैं। सभी नीतभारों की विस्तृत जांचों की श्रृंखला और विशिष्टीकरण का कार्य किया जा चुका है तथा अन्तरिक्ष यान को अगस्त 15, 1993 से नियमित रूप से प्रचालनात्मक उपयोग में लाया जाएगा।

इन्सैट-2बी उपग्रह अधिक लम्बी दूरी के दूरसंचार सर्किट, व्यवसाय नेटवर्क, सुदूर क्षेत्र संचार, टेलिकान्फ्रेन्स, राष्ट्रीय और प्रादेशिक टी.वी. नेटवर्क, उपग्रह दूरदर्शन चैनल, संदेश और आंकड़ा नेटवर्क के संबंध में इन्सैट प्रणाली की क्षमता को बढ़ाएगा। इन्सैट-2बी प्रणाली में खोज और बचाव नीतभार नामक एक नई विशिष्टता को शामिल किया गया है, जो उपयुक्त बचाव कार्य करने के लिए भारत के चारों ओर व्यापक भू-भाग पर आपदा चेतावनी से संबंधित संकेतों का तत्काल पता लगाएगा।

इन्सैट-2बी उपग्रह, जोकि इन्सैट-2ए के समान ही एक जटिल और अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है, को न्यूनतम आयतित पुर्जों और उपकरणों की सहायता से भारत में ही पूरी तरह डिजाइन और निर्मित किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य मेरे साथ राष्ट्रीय सेवाओं के लिए, इन्सैट-2बी उपग्रह को उपलब्ध कराने में अर्जित महान सफलता के लिए, अंतरिक्ष विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा अन्य सभी की अत्यंत प्रशंसा और हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर सचमुच ही गर्व कर सकता है।

पश्च टिप्पण

XIII. इन्सैट-2बी उपग्रह का प्रक्षेपण के संबंध में वक्तव्य 13 अगस्त 1993

कोई टिप्पण नहीं

संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में लघु निर्माण कार्यक्रम योजना के संबंध में वक्तव्य

23 दिसम्बर 1993

अध्यक्ष महोदय, प्राय: ऐसा होता है कि संसद सदस्यों को उनके निर्वाचकों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में लघु पूंजी के कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। तथापि वे यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं कि उनके द्वारा सुझाया गया कार्य शुरू किया जाए। इसलिए विभिन्न राजनैतिक दलों के, वास्तव में निर्दलीय सहित सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्यों द्वारा यह मांग की गई है।

*** *** ***[1]

जैसा कि मैंने यह कहा है कि विभिन्न राजनैतिक दलों, वास्तव में निर्दलीय सहित सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्यों द्वारा यह मांग की गई है कि उन्हें जिला कलेक्टर को यह सिफारिश करने की अनुमति प्रदान की जाए कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कार्य किए जाएं। भारत सरकार ने उपरोक्त सुझावों पर विचार किया और "संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना" नामक नई योजना प्रारम्भ करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को जिला कलेक्टर को अपने निर्वाचित क्षेत्र में प्रति वर्ष एक करोड़ रुपए से अधिक के, किए जाने वाले कार्य के बारे में सुझाव देने की स्वतंत्रता होगी। राज्य सभा के सदस्य राज्य में एक जिले को नामजद करेंगे जिससे वह चुने गए हैं अथवा जहां कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिला कलेक्टर को सीधे निधियां प्रदान की जाएंगी जो योजना का संचालन करेगा। संसद सदस्यों से परामर्श करने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। निधियों का उपयोग, ठेके देना, धन बांटना आदि कार्य स्वभावत: उस प्रक्रिया के अनुसार कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे जो वह पहले ही अपना रहा है। ऐसे कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिससे स्थायी सम्पदा का सृजन होगा। किसी भी परिस्थिति में इस योजना के अंतर्गत कोई भी राजस्व व्यय नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्य पर 10 लाख रुपए से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा।

यह योजना छोटी तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक कार्य के लिए है। संसद सदस्यों के अनुरोध पर किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित श्रेणियों में से एक श्रेणी के अंतर्गत आयेगा और प्रत्येक परियोजना के लिए 10 लाख रुपए की सीमा होगी। कार्य की सूची निम्नलिखित है। यह केवल व्याख्यात्मक है, उपयुक्त मामलों में अन्य चीजों को भी जोड़ा जा सकता है:

(क) स्कूल भवनों का निर्माण।

(ख) ट्यूबवेल लगाकर अथवा कोई अन्य कार्य से जिससे गांव, कस्बों और शहरों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने से सहायता प्राप्त होती हो।

(ग) गांव की सड़क अथवा पहुंच मार्ग का निर्माण।

(घ) पहुंच मार्गों पर पुलों का निर्माण।

(ङ) वृद्ध अथवा विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण।

(च) ग्राम पंचायत अथवा सांस्कृतिक तथा खेलकूद कार्यों अथवा अस्पताल के लिए भवनों का निर्माण।

(छ) खाली समय में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी तथा सामुदायिक भूमि में वन लगाना तथा सामाजिक वानिकी।

(ज) गांव में तालाब खोदना तथा उनसे गाद निकालना।

(झ) पानी की क्षति को रोकने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई नहरों का निर्माण।

(ञ) आम गोबर गैस संयंत्रों का निर्माण अथवा उससे संबद्ध कार्य करना।

(ट) लघु सिंचाई बांधों अथवा उद्‌वह सिंचाई योजनाओं अथवा भूजल स्तर पुनर्भरण योजनाएं प्रारंभ करना।

(ठ) सरकारी वाचनालयों अथवा अध्ययन कक्ष।

(ड) शिशु गृह।

(ढ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा शव परीक्षा कमरों का निर्माण।

(ण) शवदाह गृह।

(त) सार्वजनिक शौचालयों तथा स्नानघरों का निर्माण।

(थ) जल निकास तथा गटर।

(द) फुटपाथ और पथ।

(ध) शहरों, नगरों तथा गांवों की झुग्गी-झोपड़ियों में बिजली, जल, मार्ग, सार्वजनिक शौचालय आदि का प्रावधान।

(न) शहरों, नगरों तथा गांवों में पुरानी इमारतों के बीच गलियों का निर्माण।

(प) जनजातीय क्षेत्रों में आश्रमशालाएं।

(फ) सरकारी परिवहन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बस शेड/स्टाप।

(ब) शासी-निकायों के लिए चलते-फिरते शौचालय, मेलों, सार्वजनिक सभाओं, खेलकूद परिसरों आदि में उपयोगी।

(भ) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य मद जैसा कि मैंने कहा यह केवल एक निदर्शी सूची है। कई अन्य सुविधाएं हैं जिनके बारे में विचार किया जा सकता है।

योजना के लिए विस्तृत मार्ग निदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यथासमय जारी किए जाएंगे।

यद्यपि योजना चालू वर्ष में आरंभ होगी फिर भी प्रारंभिक कार्य के लिए कुछ समय दिए जाने की आवश्यकता होगी, अत: फरवरी 1994 के आरंभ से पूर्व इस योजना को क्रियान्वित करना संभव नहीं होगा। अत: चालू वर्ष में प्रत्येक संसद सदस्य के लिए 5 लाख रुपए के नाममात्र प्रावधान का प्रस्ताव किया जा रहा है परंतु वर्ष 1994-95 से पूरा प्रावधान किया जाएगा।

पश्च टिप्पण

XIV. संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में लघु निर्माण कार्यक्रम योजना के संबंध में वक्तव्य 23 दिसम्बर 1993

1. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम) : इसके लिए हमने नहीं कहा है। हमने आपसे कभी अनुरोध नहीं किया है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : महोदय मुझे अफसोस है। मैं नहीं जानता था कि इसमें भी अपवाद है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि सभी दलों के सदस्यों ने मुझे भी अनुरोध किया था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

8 मार्च 1994

अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और हमें अपनी टिप्पणियों, सुझावों तथा आलोचनाओं से अवगत कराया।

यदि हम राष्ट्रपति महोदय के पिछले तीन अभिभाषणों पर गौर करें तो हम उनमें वर्ष दर वर्ष परिवर्तन देख सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रत्येक अभिभाषण में देश में तत्कालीन विद्यमान परिस्थितियों का चित्रण है।

1992 में राष्ट्रपति महोदय ने अपना अभिभाषण ही आर्थिक सुधारों के मसले से शुरू किया था क्योंकि यह मसला राष्ट्र की कार्य सूची में सर्वोपरि था। 1993 में ध्यान इस बात पर केन्द्रित था कि क्या भारत एक राष्ट्र रह भी पाएगा और क्या इसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बना रह पाएगा।

इस वर्ष राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आशावाद का संदेश दिया है। इस आशावाद को उन्होंने हमारे आर्थिक विकास की गति बढ़ाने वाले कारक के रूप में प्रतिपादित किया है जिसे जनता ने सुधारों के पक्ष में और साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध अपने सुस्पष्ट फैसले से मजबूत किया है।

यह पिछले तीन वर्षों की स्पष्ट और तुलनात्मक तस्वीर है, जबकि राष्ट्रपति महोदय ने हमें संबोधित किया था। आज हमारे पास यह आशावाद का संदेश है और हमें इसी आशावाद को और भी सुदृढ़ करना है क्योंकि इस आशावाद को सुदृढ़ करने के लिए स्थिति पूर्णतया परिपक्व और अनुकूल है।

तथापि, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ पहलुओं की चर्चा करूंगा, हालांकि मेरा यह मानना है कि पूरे वाद-विवाद को ध्यान में रखते हुए जो कुछ मुझसे अपेक्षित है वह एक संक्षिप्त उत्तर है और मैं इसके विस्तार में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जो कुछ भी कहा गया है वह अपने आप में परिपूर्ण है और उन्होंने जो कुछ भी कहा है, किसी को भी उसमें कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं है।

आंतरिक सुरक्षा, देश में कानून और व्यवस्था जैसे कुछ मुद्दे उठाए गए हैं।

मैं अपनी बात इन्हीं से शुरू करूंगा और उन्हें आर्थिक मुद्दों पर जाने से पहले समाप्त कर दूंगा।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद का मुद्दा वास्तव में न्यायालय में है। इस संबंध में शुरू से ही अनेक पक्षों ने आपत्तियां उठाई हैं कि इस मामले को एक अनुच्छेद विशेष के तहत न्यायालय

को सौंपा जाना चाहिए न कि दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत अब यह सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। आज यह मामला उच्चतम न्यायालय में है और सुनवाई चल रही है। मैं सभा से और माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस प्रश्न से वास्तव में और अधिक समय तक उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बार अपनी राय दिए जाने के बाद, जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा है, उच्चतम न्यायालय की राय के आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी या उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो कानूनी एवं अन्य प्रकार की कार्रवाई का उल्लेख किया जा सकता था, वह किया जा चुका है लेकिन अब हम ऐसी स्थिति में हैं जब यथाशीघ्र कार्रवाई की जा सकती है। अत: हमें वास्तव में उच्चतम न्यायालय की राय के लिए तैयार रहना चाहिए जिसके यथाशीघ्र प्राप्त होने की संभावना है, और यह सुनिश्चित करना है कि उस पर कार्रवाई हो, हम उस संबंध में भी फिर से सभा में आएंगे, माननीय सदस्यों की राय जानेंगे और यह सहमति बनाएंगे कि क्या कार्रवाई की जाए और कैसे की जाए। अत: हम आज ऐसी स्थिति मैं हैं और मैं एक बार फिर सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात को समझे और इसे ऐसी मौजूदा स्थिति समझे जहां से हमें और आगे बढ़ना है।

कश्मीर के बारे में दो या तीन जटिलताएं हैं जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। पहली स्पष्ट बात और जो हम जानते हैं, वह यह है कि पाकिस्तान घाटी में अविच्छिन रूप से लगातार आतंकवाद फैलाने के लिए घुसपैठ करवा रहा है। हम इससे बहुत धैर्य और दृढ़ता से एक साथ निपट रहे हैं, जहां दृढ़ता की जरूरत है वहां दृढ़ता से काम लिया जा रहा है, लेकिन जहां धैर्य बेहतर हो सकता है हमने धैर्य का भी परिचय दिया है जैसा कि हजरतबल मामले से स्पष्ट है। बहुत से मोर्चों पर इसका सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि नवीनतम उपाय जो हमने सोचा है वह यह है कि जो कुछ भी वहां पर किया जा रहा है वह तो किया ही जा रहा है लेकिन उसके अलावा राज्य में विकास के प्रयासों को भी और तेज करना है। मैं संबंध और ब्यौरे सहित किसी और अवसर पर सदन को बताऊंगा लेकिन इस वक्त इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि विकास के मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हम वहां पर विकास के बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें तेजी लाने और एकाग्रचित से ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों को इसमें शामिल करने के पहलू पर गौर किया जा रहा है। बेहतर समन्वय के पहलू पर गौर कर लिया गया है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आज समन्वय कुछ माह पूर्व के समन्वय से बहुत अधिक बेहतर और कारगर है।

हमारी पाकिस्तान के साथ एक समस्या है। वह समस्या यह है कि उनकी एक मजबूरी है, एक आंतरिक मजबूरी है कि उन्हें कश्मीर के प्रश्न पर तथा मानवाधिकार के प्रश्न को बार-बार दोहराना पड़ रहा है। क्योंकि यह उसकी मजबूरी है। कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि सभी देशों में से पाकिस्तान भी मानवाधिकारों का हिमायती कैसे हो गया है जबकि मानवाधिकारों के क्षेत्र में हमारी सभी परंपराओं, हमारे कानूनों और हमारे इतिहास को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है।

यह बात बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है। हमें इसका सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा रिकॉर्ड साफ है। जहां कहीं उल्लंघन हो रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। यह कहना सरासर गलत है कि केवल हम ही मानवाधिकारों का हमेशा उल्लंघन करते रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हम इस बात का खन्डन करते हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की और आतंकवादियों की दोनों की ही चुनौतियों का मुकाबला करके कश्मीर समस्या का हल कर लेंगे। आतंकवादी यदि नागरिकों को मारते रहेंगे, तो उनके मानवाधिकार भी परम पावन नहीं रह पाएंगे। देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दृढ़ता से काम लेना होगा और भारत सरकार तथा भारत के लोगों को इसे प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आएगी। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग कश्मीर आ रहे हैं। वे अपनी सिफारिशें, अपने सुझाव और राय दे रहे हैं और हम लोगों का स्वागत करेंगे कि वे आएं और कश्मीर को देखें। कुछ भी हो कश्मीर हमारा बेहतरीन पर्यटन क्षेत्र रहा है। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है आज उसके कारण स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि कश्मीर के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के लोगों की आय पर्यटन पर निर्भर थी। वह सब अब नहीं है। इस कठिनाई को समाप्त करना होगा और यह केवल तभी हो सकता है जब पाकिस्तान घाटी में आतंकवादियों को भेजना बंद कर दे।

हम दृढ़तापूर्वक यह देख रहे हैं कि यह कब समाप्त होगा।

अब, जेनेवा में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। महोदय, मानवाधिकार आयोग इस मामले से भिज्ञ है। जो कुछ भी वहां होने जा रहा है, मैं उसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहूंगा। लेकिन हमने अपने सभी मित्रों को विश्वास दिलाया है, विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि मानवाधिकारों के संबंध में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का प्रचार पूर्णतया अनुचित है। वास्तव में कोई भी पाकिस्तान से यह पूछ सकता है कि कश्मीर के संबंध में उसका हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है सिवाय इसके कि वह एक आक्रांता है। यही उसकी अभिज्ञात स्थिति है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हमें विश्व को अनेक बातें बतानी हैं, जिन्हें भुला दिया गया है। वास्तव में कश्मीर के संबंध में भारत के मूल मुद्दे को पीछे कर दिया गया है तथा मानवाधिकार जैसे छोटे मुद्दों को आगे लाया जा रहा है। समय आ गया है, जब हम समस्या की जड़ में जा सकते हैं और विश्व को बता सकते हैं कि वास्तव में कश्मीर समस्या क्या है और यदि वे न्याय करना चाहते हैं अथवा सही दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं तो उन्हें इस समस्या को किस रूप में देखना चाहिए।

अब ऐसा ही करने की आवश्यकता है। चूंकि हमने इस सभा में सही ढंग से देश भक्ति में कार्य के रूप में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित कर लिया है, मैं संसद की दोनों सभाओं से यह चाहूंगा कि वे इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक चर्चा करें। हमारे अनेक सदस्य इसमें हिस्सा

ले सकते हैं, उस पर अध्ययन कर सकते हैं और इस संकल्प को पारित करने के अतिरिक्त, विश्व को यह जानना चाहिए कि संसद कश्मीर समस्या के बारे में क्या राय रखती है। मैं समझता हूं, यह बहुत आवश्यक है। जब मैं बाहर जाता हूं, तो कश्मीर समस्या का वास्तविक आधार देखता हूं जिस पर कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है या जिसे जान-बूझकर छोड़ दिया गया है। बात कुछ भी हो, हमें उस पर ध्यान आकर्षित करना है। इस समय इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

संसद के संकल्प में राष्ट्र के दृढ़निश्चय की पूर्ण झलक मिलती है। मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना है सिवाए इसके कि सरकार संसद के आदेश का अक्षरश: पालन करेगी और यह भारत सरकार का संसद को दिया गया वचन है।

नए राज्यों की मांग के मुद्दे पर आते हुए, जिस पर कि कुछ समय से जोर दिया जा रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि समय और स्थिति के अनुसार नए राज्य बनाना उचित नहीं है। वर्तमान ढांचे में ही हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाए। हमारे पास झारखंड विधेयक है। हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमने इसमें कुछ संशोधन करने के लिए कहा है। मेरे विचार से हमें एक ऐसा हल निकालना होगा जिसके द्वारा उसे पिछड़े किन्तु प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न क्षेत्र के विकास में, निवेश में, तथा राज्य के सामान्य कार्यक्रमों में उचित हिस्सा मिल सके। हो सकता है ऐसा ही उत्तराखंड तथा अन्य क्षेत्रों के साथ भी हो जहां से ऐसी मांग की गई है। मेरा सविनय निवेदन है कि नए राज्यों के सृजन के लिए इन सब बातों पर विचार करने का यह सही समय नहीं है इससे अन्य बहुत से विवाद उत्पन्न हो जाएगें। पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हमें अपनी बुद्धिमता का विस्तार करना होगा।

मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं क्योंकि इसकी मांग की गई है, भाषण दिए गए हैं और प्रश्न उठाए गए हैं। इसलिए मेरा विचार है कि मुझे जवाब देना चाहिए। यही मैं कर रहा हूं और मैं कहूंगा कि हमें नए राज्यों के गठन की समस्या का हल ढूंढना होगा तथा लगभग सभी राज्यों में विद्यमान असंतुलन को दूर करना होगा, विशेषकर वे राज्य जो ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप बने हैं। हम उन सब मुद्दों की तह में जा सकते हैं। उसी के अनुरूप कार्य किए गए हैं। परिषदें गठित की गई हैं। वे अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं और कोई कारण नहीं हैं कि हम उन कार्यों के प्रभावपूर्ण होने पर कोई शंका करें। यह एक बात है जिसे मैं सभा में बताना चाहूंगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्याएं ज्यादा जटिल हैं। श्री जसवंत सिंह ने एक दिन पूछा कि आप दो वक्तव्यों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं जहां राष्ट्रपति कहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शान्ति है और जबकि वहां एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। मैं समझता हूं कि वे न केवल समाधानशील हैं बल्कि यही वास्तविक स्थिति है। आज, मेघालय के एक हिस्से में चुनाव हो रहे हैं। अन्य राज्य में दो जनजातियों के बीच संघर्ष चल रहा है। अब दोनों बातें

हो रही है। लेकिन समग्र रूप से राष्ट्रपति ने जो कहा है, वह सही है। मणिपुर को छोड़कर, जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है, पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र शांत है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र की अन्य समस्याएं बनी हुई हैं। इन समस्याओं के अंतर्गत विकास की समस्या है, दूरी की समस्या है तथा वहां पहुंचने की समस्या है। इंडियन एयरलाइंस ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपनी उड़ाने रद्द कर दी हैं कारणों का मुझे नहीं पता। अब हमने कुछ कठिनाई से उन्हें पुन: आरम्भ करवाया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी समस्याएं वास्तव में कठिन हैं। मैं यही कहूंगा कि हम उन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि एक राज्य जिसे इन चालीस वर्षों में एक बार भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला अब उनका प्रतिनिधि मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री है। अन्य मंत्री भी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके साथ एक अन्य समस्या जुड़ी हुई है कि यह तस्करी का अड्डा बन गया है, हथियारों के आदान-प्रदान का अड्डा बन गया है जिसका स्थानीय झगड़ों में उपयोग किया जाता है। इसलिए, यह केवल कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कुछ हद तक यह सामाजिक प्रश्न है। यह ऐसा प्रश्न है जिसका संबंध बड़ी मात्रा में धन से है और यह तीन देशों की सीमा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां तीनों देश मिलते हैं। इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि हम इन समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हुए इन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

***　　　　***　　　　***[1]

अब, कुल मिलाकर देश में स्थिति इतनी स्थिर हो गई है कि देश के भीतर और देश के बाहर लोग हमपर विश्वास कर सकते हैं और हम आर्थिक क्रियाकलाप आगे बढ़ा सकते हैं। निवेश के लिए, अतिरिक्त निवेश के लिए अब कोई समस्या नहीं होगी और स्थिति स्थिर व शान्तिपूर्ण बनी रहेगी। यही उम्मीद बंधाई गई है और इसलिए जो कुछ भी राष्ट्रपति जी ने कहा है, यह आशा का संदेश है। यही एक बात है जिससे आशावाद की सूचना मिली है।

आर्थिक नीति के संबंध में, अनेक बातें कही गई हैं। वास्तव में अनेक सुझाव हैं, तथा स्थानीय प्रकृति की अनेक मांग हैं। मैं आपकी अनुमति से, सभा की अनुमति से उन पर लिखित में जवाब देना चाहूंगा। मैं उन सब सदस्यों को लिखित में जवाब दूंगा जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र, राज्य इत्यादि के बारे में कुछ कहा है क्योंकि हमें इन व्यक्तिगत मामलों के लिए सभा का समय नहीं लेना पड़ेगा लेकिन मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण नीति संबंधी वक्तव्य दूंगा, नीतिगत मुद्दे उठाऊंगा।

देश में कैसी तस्वीर उभर रही है? एक ओर आधारभूत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिव्यय, निवेश की प्राप्ति हो रही है। यह हो रहा है। यह सब जानते हैं। वे क्षेत्र जिन पर अतिरिक्त निवेश किया जा रहा है वे हैं ईधन, तेल-शोधन, बिजली, खाद्य-प्रसंस्करण, रसायन, बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिकी धातुकर्म संबंधी उद्योग, परिवहन, होटल तथा पर्यटन, औद्योगिक तथा कृषि मशीनें।

ये प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। पिछली योजनाओं में, पहले कभी भी इन विकास क्षेत्रों में इतना कार्य नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह पर्याप्त है। काफी कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि एक बार आप यह काम शुरू कर दें, तो वास्तव में इसका कोई अंत नहीं है। आपको अधिक से अधिक काम करना होगा।

दूसरी ओर, मुझे यह कहने में खुशी हो रही है, मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात की प्रशंसा करें कि ग्रामीण विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई सात हजार करोड़ रुपए की राशि को आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर तीस हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए सरकार इस व्यय को संतुलित करने के लिए कृतसंकल्प है। हम उद्योगों द्वारा गांवों तक लाभ के पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकते। वे गांवों तक कभी नहीं पहुंचेंगे। उद्योग प्राय: वहीं बने रहेंगे जहां वे हैं। ग्रामीण औद्योगिकीकरण में काफी समय लगेगा। नि:संदेह, नए ढांचे में लघु उद्योग अच्छे चल रहे हैं। हमने, उन्हें और अधिक कार्यकुशल बना दिया है। लेकिन यह काफी नहीं है। इसलिए, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि यह केवल कागजों पर ही नहीं है। अब ग्रामीण विकास पर किए गए व्यय का जोड़ करके सभा में स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं, ताकि बाद में कोई गलतफहमी न हो। योजना के प्रथम वर्ष में यह 3100 करोड़ रुपए था, दूसरे वर्ष यह 5010 करोड़ रुपए था और तीसरे वर्ष में यह 7010 करोड़ रुपए है। इस प्रकार 30,000 करोड़ रुपए में से, तीन वर्षों में हम अब तक 15,120 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर चुके हैं। अगले दो वर्षों में, योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है कि यह पूरा हो जाएगा। 30000 करोड़ रुपए की राशि पूरी की जाएगी। इस वर्ष हमने 7,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, अगले वर्ष 500 करोड़ रुपए अधिक और फिर अगले वर्ष 500 करोड़ रुपए। 7500 करोड़ रुपए और 7500 करोड़ रुपए व्यय करने से 30,000 करोड़ रुपए की पूरी राशि का आबंटन हो जाएगा। अगली योजना में.......

*** *** ***2

इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वतंत्र समूहों द्वारा ग्रामीण निर्धनता तथा ग्रामीण बेरोजगारी पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। मैं सभा को इसका ब्यौरा दे सकता हूं। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगाया गया इतना धन बरबाद नहीं हो सकता। लाभ-अर्जित हो रहे हैं, तथा उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। निश्चय ही, कुछ इधर-उधर कुछ अपव्यय हो सकता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ हुआ है।

उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख से अधिक कारीगरों को बेहतर औजार दिए गए हैं। अब उसका प्रभाव क्या पड़ा है। कारीगर लोग, कुल मिलाकर रोजगार, की तलाश में शहरों में नहीं जा रहे हैं यह मेरा कथन नहीं है: यह एक स्वतंत्र निकाय द्वारा दिया गया

वक्तव्य है जिसने इस बारे में अध्ययन किया है। मैं सभी विवरण प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए निवेश की बात कर रहे हैं तो यह कहना गलत है कि ग्रामीण क्षेत्रों से इस बारे में प्रत्युत्तर नहीं मिलता। यह तो हमारे देश के लोगों का अपमान होगा। उन्हें लाभ मिल रहा है, वे मिलने वाले लाभ का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इन क्षेत्रों में सदस्यों का कोई विशेष अनुभव अच्छा नहीं है। फिर भी, यदि ऐसे कोई एक-आध मामले हैं, तो हम उनका पता लगाएंगे। लेकिन सामान्यत: लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिल रहा है।

*** *** ***3

मैं केवल ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश की आम धारणा की बात कर रहा हूं। अगली योजना में, इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आती है। हमने योजना आयोग से भी चर्चा की थी। आठवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जितना आबंटन किया गया है, अगली योजना में इनके लिए इससे तीन गुना अधिक निवेश करना होगा। अत: नौवीं योजना में ग्रामीण विकास के लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा, इससे जरा भी कम नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह राशि पर्याप्त हो पाएगी। लेकिन अभी ऐसा ही करना होगा।

सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का वचन दिया गया है। इसका क्या अभिप्राय है? इस समय 3.7 प्रतिशत व्यय हो रहा है। नौवीं योजना में यह लगभग 3.7 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच हो सकेगी।

नाईन्थ प्लान, इसलिए कह रहा हूं कि बाय दी एंड ऑफ दी सैन्चुरी आपका प्रोग्राम है, सिर्फ इस प्लान का नहीं है।

इस शताब्दी के अंत तक यह हमारी राष्ट्रीय वचनबद्धता है और हमें इस दिशा में नौवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम पांच प्रतिशत व्यय करना है। दसवीं योजना में हम सीधे छह प्रतिशत लक्ष्य तक जाएंगे। अत: जिस ढंग से हम अपनी विकास योजनाएं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बना रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगें और ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एक बार बड़े पैमाने पर इसे लागू करने के बाद आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य ही कार्य आर्थिक कार्य तथा अन्य कार्य शिक्षा में सुधार हो जाएगा और फिर आप एक ऐसी तस्वीर देखेंगे, जो आज की तस्वीर से पूर्णतया भिन्न होगी। अत: यह तो आर्थिक तस्वीर है जो हमारे सामने आ रही है और उन रूप रेखाओं पर हमारे सामने आएगी जिनके बारे में मैंने अभी-अभी सुझाव दिया है। इसके मूल में यही निहित है।

सरकार से बाहर के निवेश के बारे में, 'विदेश' शब्द किसी प्रकार कतिपय तस्वीरों, कतिपय अवधारणाओं को प्रकट करता प्रतीत होता है। मैं यह कहूंगा कि सरकार से बाहर हमारे पास जो भी निवेश आ रहा है, चाहे वह देश के अन्दर से हो अथवा देश के बाहर अप्रवासी भारतीयों

से, उसमें सहज वृद्धि हो रही है और हमें आशा है कि हमें बाहर से अनुमान से अधिक निवेश मिल सकेगा और वह उसके प्रतिस्थापन के रूप में होगा जोकि सरकार को अन्यथा निवेश करना पड़ता।

बिजली के क्षेत्र के बारे में योजना आयोग ने अंतिम रूप से कहा है कि वे 30,000 मे.वा. से अधिक नहीं ला सकते। आवश्यकता तो 48,000 मे.वा. से अधिक की है। शेष बिजली हमें कहां से मिलेगी? आपके पास संसाधन नहीं हैं, आप अगले पांच साल तक इंतजार नहीं कर सकते। हम उन निवेश को सरकार से बाहर प्राप्त करने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं।

*** *** ***4

अत: कई महीनों में कड़ी सौदेबाजी करने के पश्चात् अब हम यह कहने के योग्य हैं कि यह 30,000 नहीं, यह लगभग 36,000 मे.वा. होने जा रहा है जोकि हम पूरा कर सकेंगे। हम अभी भी और बहुत से निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं और यह संभव हो सकता है कि 18,000 मे.वा. का अंतर जोकि योजना आयोग ने केवल विवशता में, पूरा न करने की बात कही है, उसे भी पूरा किया जा सके। जहां पर हमारे संसाधन पर्याप्त नहीं हैं, उन सभी क्षेत्रों में यह किया जा रहा है और हम संसाधनों को प्राप्त करने के लिए तथा आगामी योजनाओं में इन चीजों को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्ष अथवा अनिश्चित काल के लिए इंतजार नहीं कर सकते। इस तरह से प्रतिस्थापन की प्रक्रिया, जिसके बारे में, मैं बात कर रहा हूं, हो रही है। मैंने बिजली के क्षेत्र में केवल एक ठोस उदाहरण दिया है।

अब यह कहा गया है, नि:संदेह मैं कभी भी यह उम्मीद नहीं कर सकता कि इस नारे को बंद कर दिया जाए क्योंकि बड़े आराम से यह नारा दिया जा रहा है कि हम ये चीजें किसी अन्य के कहने पर कर रहे हैं। मैंने किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अभिकरण से कोई सुझाव प्राप्त नहीं किया है, जो मुझे यह कहे कि ग्रामीण क्षेत्र में 30,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाए अथवा जो कुछ मैं कर रहा हूं, उनकी मर्जी से करूं। सरकार जो कुछ भी करती आई है, वह पूर्णतया हमने अपनी ओर से ही किया है। हमने देश की आवश्यकताओं को, जरूरतों को ध्यान में रखा है और हमने यह योजना बनाई है, हमने यह परियोजना बनाई है। सदस्यगण अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि सदस्य रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सी चीजों में सुधार भी हो जाए। जहां पर कोई गलती है, वहां पर हमें चर्चा करनी चाहिए। केवल यह न कहें कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी अन्य संस्था ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है। यह सही नहीं है। वास्तव में, यह गलत है और दलील के रूप में, इस बात का वास्तव में कोई भी आधार नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके कहने से कर रहा हूं? मैं अपनी ओर से ऐसा कर रहा हूं। यह सभा पटल पर रखा हुआ है। कृपया आप बताएं कि यह अच्छा है अथवा बुरा।

*** *** ***5

उरुग्वे दौर, खासकर डंकल प्रस्तावों का मामला एक ऐसे घोड़े के समान बन गया था जोकि लगभग मर चुका हो। लेकिन फिर भी हर कोई उसे चाबुक मार रहा है। हम पुन: इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछली बार भी इस पर चर्चा की थी। हम पुन: इस पर चर्चा करने जा रहे हैं; इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं, चर्चा को लंबित रखते हुए, यह कहना चाहूंगा कि मैंने डंकल प्रस्तावों की प्रत्येक बात का खासकर कृषि की दिशा में अध्ययन किया है। कृषि क्षेत्र के बारे में हर तरह की बातें कही जा रही हैं; इस तरह की झूठी सच्ची कहानियां सामने आ रही हैं। मैं इस अवसर पर जोर देना चाहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमें इससे बहुत कुछ लाभ होगा। अच्छे अवसर हमारे हाथ लगेंगे। भारत से कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

अत: मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया कि किसान को, भारत के किसान को कहीं पर कोई नुकसान हो। हम इस पर चर्चा करेंगे।

*** *** ***6

राष्ट्रपति जी ने उन तीन योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिनकी 1913 में घोषणा की गई थी तथा जिनको 2 अक्तूबर, 1993 को आरंभ किया गया था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात् इन तीनों योजनाओं में दिन-प्रतिदिन सुधार हो रहा है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि रोजगार योजना के अंतर्गत 2000 लोगों को अभी तक ऋण दिया गया है। अभिभाषण देने और आज के दिन की अद्यतन स्थिति यह है कि 6000 लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। बैंकों में कुछ कठिनाई अवश्य है क्योंकि उनकी अपनी कुछ कठिनाइयां हैं। हम इन सभी कठिनाइयों पर विचार करके इनका समाधान कर रहे हैं। बैंकों की समस्याओं पर विचार करने के पश्चात् इस विशिष्ट कार्यक्रम में प्रदर्शन बेहतर होगा।

विशेषतौर पर महिलाओं के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रम के संबंध में मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस देश में 5 लाख के करीब महिलाएं पहले ही अपना खाता खोल चुकी हैं। पांच लाख महिलाओं से 6-7 करोड़ रुपए की लगभग जमा राशि एकत्रित की गई है। इसमें तेजी से सुधार हो रहा है। जम्मू व कश्मीर के बारे में हर कोई यह कहता है कि जम्मू-कश्मीर में कोई प्रगति नहीं हो रही है अद्यतन रिपोर्ट यह है कि वहां पर पिछले कुछ दिनों के दौरान इस योजना के आरंभ होने के पश्चात् 1000 से भी अधिक महिलाएं इस योजना में शामिल हो गई हैं।

इस प्रकार, धीरे-धीरे सभी महिलाएं इस योजना में शामिल हो रही हैं तथा मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष के अंत तक, उन्हें अपनी जमा पूंजी पर 25 प्रतिशत ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा तथा ये बात भारतीय महिलाओं के लिए अच्छी होगी क्योंकि हम महिलाओं के अधिकार देने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों से संबंधित योजनाओं, बैंकों तथा वित्तीय निगमों के बारे में राष्ट्रपति महोदय ने विस्तृत जानकारी दी है तथा ये निगम काफी हद तक संबंधित लोगों की सहायता कर रहे हैं। इसलिए मुझे, इस संबंध में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आंकड़े इसमें दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, पिछड़ा वर्ग वित्त निगम ने अभी तक 80,768 लोगों को सहायता दी है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि प्राधिकृत शेयर पूंजी 200 करोड़ रुपए है। इस प्रकार इस कार्यक्रम में निरन्तर सुधार हो रहा है। महोदय, इसके अलावा अगले पांच वर्षों में गलीचा उद्योग तथा अन्य जोखिमपूर्ण उद्योगों से बाल श्रम को हटाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं केवल महत्वपूर्ण निर्णयों और सुझावों की चर्चा कर रहा हूं।

मैं शिक्षा योजना के बारे में पहले ही बता चुका हूं। इसके साथ-साथ यह प्रस्ताव है कि हमें शिक्षा पर उपकर लगाना चाहिए। अब अध्यक्ष महोदय, यह कोई नई बात नहीं है। पहले ब्रिटिश शासन काल के दौरान जिला बोर्ड होते थे तथा अनेक राज्यों के नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों में शिक्षा उपकर लिया जाता था। मैं सारे भारत के बारे में नहीं कह सकता। परन्तु जिन राज्यों की मुझे जानकारी है, वहां ऐसा होता था। खैर, बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। आशा यह थी कि सारा खर्च राजकोष से किया जाना चाहिए। अब सभी शिक्षाविद् तथा मुख्यमंत्री इसे अपने राज्यों में लागू करने को तैयार हो गए हैं तथा हम इसे आरम्भ करने जा रहे हैं। वास्तव में हम, शायद चाहते थे कि राष्ट्रपति महोदय स्वयं इसका उल्लेख करें, परन्तु हम इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए, मेरा विचार है कि अब हमें सारी जानकारी मिल रही है। अगर शिक्षा उपकर उचित रूप से इस सीमा तक लागू किया जाए, तो इसके शिक्षा परिव्यय में भी सुधार होगा तथा सदन को मैं यही बात बताना चाहता हूं।

अंतत: कुछ बातें विदेशी मामलों के बारे में कहूंगा। अमरीका और अमरीका से हमारे संबंधों के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में हमारे अमरीका से घनिष्ठ तथा अच्छे संबंध हैं और इनमें अच्छी प्रगति हो रही है। वाशिंगटन से दिए जाने वाले कुछ वक्तव्यों से कुछ गतलफहमियां पैदा हुई हैं तथा इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में अत्यंत सार्थक तथा अर्थपूर्ण वक्तव्य दिया है। "हम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ आपसी समझबूझ के साथ कार्य करने की आशा रखते हैं, उन मामलों पर भी जिनमें इस समझबूझ को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है"। मेरे विचार में इस संबंध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ मामलों में आपसी समझबूझ की कमी है। आपसी समझबूझ के बारे में यही एक प्रश्न है कि किसने किसको नहीं समझा। यह अपने आप में एक प्रश्न है। इससे हमारे दोनों देशों के जीवंत, लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत परिलक्षित होते हैं।

मेरे विचार में इसी में हमारे सिद्धांत निहित हैं। गृह मंत्री महोदय ने पहले ही सदन में हमारे दृष्टिकोण से अवगत करा दिया है तथा मेरे विचार से इस संबंध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

भारत-चीन सीमा विवाद के प्रश्न पर शांति और सौहार्द समझौते के बारे में प्रगति के संबंध में मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस संबंध में बातचीत चल रही है और काफी अंतिम चरण में है। दृष्टिकोण यह है कि जहां हमारी आमने-सामने टकराव की स्थिति है, आरंभिक काल के तौर पर इस टकराव को आवश्यक स्तर तक कम किया जाए। इस समय हमारी स्थिति यह है। संभवत: हम थोड़े समय में ही इसका कोई समाधान निकाल लेंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात् ये नई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। बाकी को राष्ट्रपति महोदय पहले ही अपने अभिभाषण में शामिल कर चुके हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता।

कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे मछुआरों पर गोली चलाने का मुद्दा उठाया है। मैं उनकी चिंता में शामिल हूं। हमने जोरदार ढंग से इस मामले पर श्रीलंका सरकार से विचार-विमर्श किया है। ताकि श्रीलंका की ओर से हमारे मछुआरों पर गोली चलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही हेतु उपाए किए जा सकें। इस संबंध में उठाए जाने वाले ठोस कदमों में विचार करने के लिए हमारे अधिकारियों का एक दल श्रीलंका गया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में यह अद्यतन स्थिति है।

*** *** ***7

पश्च टिप्पण

XV. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर 8 मार्च 1994

1. **कुमारी उमा भारती** (खजुराहो) : पूर्वोत्तर क्षेत्र में घुसपैठ की समस्या के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह भी एक समस्या है। जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि सीमा क्षेत्र पर इतने अधिक रास्ते हैं कि उसके कारण कोई भी व्यक्ति अपराध कर सकता है और किसी अन्य देश में जा सकता है और वहां अपराध करके भारत में वापस आ सकता है। इसलिए सीमा क्षेत्र पर अनेक रास्तों का होना इसका मुख्य कारण है। एक समय था जब कुछ क्षेत्रों को संवेदनशील बनाए जाने के बारे में विचार किया गया था। लेकिन हम यह पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि वह कार्य वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए था हमें उसकी जांच करनी है और हम उसकी जांच कर भी रहे हैं।

2. **श्री नीतीश कुमार** (बाढ़) : जो कीमतें बढ़ रही हैं, उनका क्या हो रहा है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आप जरा सुनें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ग्रामीण निर्धनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

3. **श्री नीतीश कुमार** : प्रधानमंत्री जी, आपको सारी जानकारी नहीं दी जा रही है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आपसे सही जानकारी लेगें, आप मुझे सही जानकारी भी दे सकते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अभी हाल में श्री रामेश्वर ठाकुर ने कहा है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार धनराशि का अधिकतम उपयोग नहीं कर रही है।

4. **श्री श्रीकांत जेना** (कटक) : क्या इसको लागत से दो गुना भुगतान करके प्राप्त किया जा रहा है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हम क्या भुगतान कर रहे हैं इस पर हम आएंगे यहां पर आप किसी भी समस्या, किसी भी परियोजना के बारे में चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न यह है क्या आप 18,000 मे.वा. के लिए अगले पांच दस वर्ष तक इंतजार कर सकते हैं।

क्या यह संभव है? यदि आप औद्योगिकीकरण की बात करते हैं, तो क्या आप बिजली के बिना काम चला सकते हैं। शर्तों की बात है तो आप हमेशा संसद में सभा पटल पर शर्तें रख सकते हैं। मैं उनके लिए तैयार हूं।

5. **श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : जैसे कि बहुमत प्राप्त करना, इसमें तरीका कोई मायने नहीं रखता। जैसा कि आपके वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में कहा; हमने बहुमत प्राप्त कर लिया है। बस बात खत्म हुई।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : सोमनाथ जी, कभी-कभी हमें संजीदगी का परिचय देना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री महोदय, गंभीरता कोई एक तरफ चीज़ नहीं है।

6. **श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आज जो यह डंकल पर एक-दो दिन में बहस करना चाहते हैं, जापान ने क्यों बरस भर के लिए इसकी बहस को बढ़ा दिया है? उनकी सरकार और उनके लोगों ने क्यों ऐसा किया है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यही तो कह रहा हूं। जापान को देखकर हम कोई काम नहीं करते हैं, किसी और के कहने पर नहीं करते हैं। हमारे हालात को देखकर हम करते हैं। अभी तो मैं कह रहा था, कि आप उनका मसला हमारे सामने क्यों लाते हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जापान से हम लोग बेहतर स्थिति में हैं, इतने मजबूत हैं हम?

यह बात नहीं है। हमारे हालात में हमको जो फैसला करना है, हम करेंगे। सही है, गलत है, आप बताइए, उस पर चर्चा करेंगे लेकिन जापान का मसला मत लाइए, चाइना का मसला मत लाइए। एक-एक देश के एक तरह के मसले होते हैं, उनको हल करने के उसी के उपाए होते हैं, किसी दूसरे के हित नहीं होते। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसी के कहने पर हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं, जापान में वह ही है, वह क्यों नहीं करते। यह क्या बात है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह महसूस किया है कि व्यवधान डालकर आप प्रधानमंत्री जी की बात की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, वे जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं, वह सही है। वे यह नहीं कह सकते कि यह सही है, यह तो कठिनाई है, हम क्या कर सकते हैं?

श्री रूपचन्द्र पाल (हुगली) : महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा करने से बाज आएं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : तीन योजनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आर्थिक मुद्दों पर आप प्रधानमंत्री जी की बात को सुनेंगे, और जिस समय आप बजट पर आम चर्चा करेंगे, उस समय आप इनकी बात पर भी चर्चा कर सकते हैं। अब कृपया बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बजट पर चर्चा के समय इस पर चर्चा करें।

श्री नीतीश कुमार : आप जो बोल रहे हैं, वह तो टेलीवीजन में आएगा और यह बात किसान के खिलाफ है, उसपर हम बोलना चाहते हैं, यह नहीं जाएगा।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : नहीं जाएगा, उसमें क्या है। देखिए, टेलीवीजन में पहले कौन चला गया, यह सवाल नहीं है। इसमें तो बहुत बड़ी डिबेट गांव-गांव तक, आदमी-आदमी तक, व्यक्ति-व्यक्ति तक होने वाली है। हम बिल्कुल तैयार हैं। आपने उसको मुद्दा बनाया है, जहां मुद्दा ही नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : आप पंचायत में डंकल प्रस्ताव की कापी पहुंचा दीजिए तो सही बहस होगी ।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, उन्होंने एक भारी गलती यह की है कि उन्होंने उस बात को मुद्दा बनाया है जोकि मुद्दा है ही नहीं,बात केवल इतनी सी है।

श्री नीतीश कुमार : यह चुनाव में पता चलेगा।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : अब उसको ससटेन करने में क्या होता है, देखिए। कहीं गोबर की बात कहेंगे, कहीं और बात कहेंगे तो इस तरह के मसखरेपन से थोड़े ही होता है।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रधानमंत्री से ऐसी आशा नहीं की जाती । लोगों को डंकल मसौदे पर आपत्ति है। यह कोई मसखरापन नहीं है। प्रधानमंत्री इसके परिणाम नहीं जानते। उन्हें अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। मेरा यही विचार है । हां, मैं यह कह सकता हूं ।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं मानता हूं कि लोगों को कुछ आपत्तियां हैं तथा इन आपत्तियों का निवारण किया जाएगा। परन्तु जिस तरह की टिप्पणियां यहां हम सुन रहे हैं वे पूर्णतया अर्थहीन हैं। जिन टिप्पणियों का सामान्य बुद्धि से भी कोई संबंध नहीं है, ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो सामान्यत: यह होता है कि आप उसका उपहास करने का प्रयत्न करते हैं और आप उस मुद्दे को मजाक बनाने का प्रयत्न करते हैं। बीजों के प्रवर्धन में समस्या नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : सीड मल्टीप्लीकेशन का अधिकार किसानों को नहीं होगा।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : कोई मुश्किल नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : प्रधानमंत्री जी, कामर्स मिनिस्टर ने कहा है, कामर्शियल स्कोप वर्जित होगा, सीड मल्टीप्लीकेशन का राइट फार्मर को नहीं होगा।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हमारा कानून भी, हो सके तो इसी सैशन में आएगा। हमारा जो नेशनल लैज़िस्लेशन है,

महोदय, संभव हुआ, तो हम इसी सत्र में लाएंगे। यह क्या है? हम अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : प्रधानमंत्री जी, आपने स्वयं सही कहा कि डंकल के प्रस्ताव पर हम जब चर्चा करेंगे तो सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी ।

लेकिन आपको जो आपत्ति है, दूसरी तरफ या बाहर डंकल के आलोचक रेडिक्यूल कर रहे हैं। ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई लेना-देना नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने मसखरापन की बात करके लगभग वही बात की, किसानों के संदर्भ में या डंकल के संदर्भ में यह सरासर गलत है। मैं तो कहूंगा कि जो कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री ने कहा है, वह गंभीर बात है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : आप मेरी बात को दूसरी तरफ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रेडिक्यूल करने से काम नहीं चलता, मैं यही कह रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मजाक मत कीजिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : रेडिक्यूल करने से काम नहीं चलता, संजीदगी से सोचना पड़ता है, गंभीरता से सोचना पड़ता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया विपक्ष का मजाक मत उड़ाइए।

कृपया उनकी खिल्ली मत उड़ाइए जो अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आलोचना द्वारा किसी भी गंभीर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। मजाक उड़ाकर अपना मत प्रकट करना कोई तरीका नहीं है। मैं यही कह रहा हूं। अगर कोई ऐसा करता है तो यह उसका तर्क देने का कोई तरीका नहीं है। समस्या सुलझाने का यह कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार मैं आपका नाम ले रहा हूं आप इसका अर्थ समझते हैं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इसके अतिरिक्त, जवाहर रोजगार के लिए आबंटित राशि में हर वर्ष वृद्धि की जा रही है।

श्री ताराचंद खंडेलवाल (चांदनी चौक) : महोदय, आप ड्रग पेटेंट पर जरूर प्रकाश डालें, इस पर सारे देश में बहुत भ्रम है।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमारी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। आपने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए हैं। माननीय प्रधान मंत्री कुछ मुद्दों का उत्तर दे रहे हैं। बजट पर चर्चा करते हुए आपको आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का पुन: अवसर मिलेगा।

डंकल प्रस्तावों पर चर्चा करवाने के लिए हम सहमत हो गए हैं। यह उचित होगा कि माननीय प्रधानमंत्री के विचारों को इस सभा में और लोगों के समक्ष उचित रूप से और बिना कोई व्यवधान के प्रस्तुत किया जाए और इन्हें विवेकपूर्ण, कुशलता तथा प्रभावपूर्ण ढंग से उचित समय पर उठाया जा सकता है। हमें बार-बार व्यवधान डालकर चर्चा में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री मृत्युंजय नायक, यह बात आप पर भी लागू होती है।

7. **श्रीमती भावना चिखलिया** : डीप फिशिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जो प्वाईंट रेज किए गए हैं, उनका मैं जवाब दे रहा हूं।

महोदय, मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए। मैं दो या तीन प्रश्नों की अनुमति दूंगा। मैं एक के बाद एक को अनुमति दूंगा और सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। श्री पासवान जी आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, इलैक्टोरल रिफार्म्स के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। पहचान-पत्र के बारे में सरकार ने कुछ सोचा है क्या? इस बारे में पूरे चुनाव को रोकने की प्रक्रिया चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री राम विलास पासवान : लैंड रिफार्म्स के संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है क्योंकि यह गरीबों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरी बात एम्पलायमेंट के बारे में है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। एससीएसटी के संबंध में हमने जो योजनाएं शुरू की थीं तो उस बारे में कल्याण मंत्रालय से डिटेल्स मंगाकर देखिए, क्योंकि सारी योजनाएं खत्म कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लगातार भाषण दे रहे हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैंने अपनी पूरी बात कह दी है। आपने मुझसे बैठ जाने के लिए कहा था और मैं बैठ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री सोमनाथ जी अब आप अपनी बात कहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसे कतिपय मुद्दे हैं जो हमको विचलित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रुग्ण उद्योगों का ज़िक्र तक नहीं किया। एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये एकक बंद किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से एनटीसी के कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिलेगा। और ऐसे 1,60,000 से भी अधिक कर्मचारी हैं। क्या ऐसे एककों के पुनरुद्धार हेतु कोई प्रयास किया गया है? प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने हमें यह बार-बार आश्वासन दिया था कि प्रत्येक एकक की समीक्षा की जाएगी। दुर्भाग्यवश, ऐसी समीक्षा किसी भी स्वीकार्य स्तर पर नहीं की गई है। अत: मैं वित्त मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि वह देश के उन नागरिकों के बारे में विचार करेंगे जो पहले से ही बेरोजगार हैं या बेरोजगार होने वाले हैं। उन पर विचार किए बिना ही उन्हें बाहर कर दिया जाएगा।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा बोफोर्स मामले के अतिरिक्त संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में है। मैंने इससे पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा सदन में

दिए गए इस आश्वासन की बात कही थी कि वह इसकी दिन-प्रतिदिन की जांच करेंगे और हमें इस बात से भी अवगत करायेंगे कि क्या कार्रवाई की गई। महोदय, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ?

महोदय, मेरा तीसरा मुद्दा डंकल प्रस्ताव के संबंध में है। अब स्पष्ट रूप से अमरीका द्वारा भी सुपर 301 शर्त को हम पर प्रयोग करने का खतरा उत्पन्न हो गया है जैसा कि अमरीका ने जापान को इसके आधार पर धमकाया था। हमसे इस सदन में यह साफ-साफ बताया गया था कि ऐसा कोई प्रश्न भी तभी उठता कि कोई भी देश अपने कानूनों को दूसरे पर थोपे। क्योंकि यह एक बहुपक्षीय समाधान संबंधी प्रश्न है। अमरीका, अपने सर्वोच्च स्तर पर यह प्रयास कर रहा है कि हमारे देश को तंग करे और देश के सामने मुसीबतें खड़ी कर दे। इस मामले पर प्रधानमंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में तीन बातें रखना चाहूंगा। मेरा प्रयास होगा कि जो कुछ पहले कहा गया है उसे न दोहराऊं।

सबसे पहली बात यह है कि पहचान-पत्र और चुनाव सुधार से संबंधित एक अनुचित विवाद उत्पन्न हो गया है। यदि प्रधानमंत्री बहु-उद्देश्यीय पहचान पत्र और चुनाव सुधार दोनों के बारे में हमसे अपने विचारों का आदान-प्रदान करते तो हमें इसका लाभ मिल जाता।

अध्यक्ष महोदय : हमें भी इस पर पूरी तरह से चर्चा करने की जरूरत है।

श्री जसवंत सिंह : हमें भी इस पर पूरी तरह से चर्चा करने की जरूरत है और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें इस पर पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, केवल पूरी तरह से चर्चा ही नहीं बल्कि मैं विपक्षी दल के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर पूरी तरह से चर्चा और परामर्श भी करना चाहता हूं मैं कोई भी एक तरफा काम नहीं करना चाहता। हम उस पर विचार करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ हमारी भेंट हुई है। गृह मंत्री जी की भी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हुई है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं।

हम इस संबंध में इस सदन के सदस्यों और नेताओं की राय जानना चाहेंगे और हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। महोदय, यह एक सुविचारित निर्णय होना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा कीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अन्य और दो मुद्दों को याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि बोफोर्स के संबंध में जहां तक आगे की कार्रवाई की बात है, वह स्वयं दिन-प्रतिदिन आधार पर इसका अनुशीलन करेंगे। जब सदन में इस संबंध में हंगामा हो रहा था तब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने हमें सूचना दी थी और बताया था कि बोफोर्स के संबंध में अंतरिम स्थिति क्या है हमें भी उस अवसर पर यह आश्वासन दिया गया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के उत्तर के दौरान प्रधानमंत्री जी सदन को विश्वास में लेंगे।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं सदन को विश्वास में ले सकता हूं।

श्री जसवंत सिंह : ......और सदन को यह सूचना देंगे कि सम्पूर्ण मामले की क्या स्थिति है और जेनेवा में इसकी क्या स्थिति है।

तीसरे मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच के बारे में कुछ सुना है और वह यह है कि प्रधानमंत्री जी, आपने स्वयं बैंकिंग और प्रतिभूति लेनदेन संबंधी जांच की सिफारिश की थी। इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में सरकार की क्या स्थिति है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल के बारे में जानना चाहता हूं, मैंने उनको बीच में टोका नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला ऐसे ही बढ़ता जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन, उसके बाद हर व्यक्ति कुछ न कुछ पूछना चाहेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं एक वचन की याद उनको दिलाना चाहता हूं। आपने इस सदन में 1991 में अगस्त या सितम्बर महीने में वादा किया था कि देश में गरीबी पर एक विशेष बहस इस सदन में कराएंगे। उसी वादे को 1992 में आपने दुहराया। अब हम 1994 में हैं और यहां गरीबी को लेकर अनेक प्रकार के आंकड़े देकर असलियत छिपाने की बात हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि उस वादे को इस सत्र में न हो तो कम से कम इस साल क्या आप निभाने को तैयार हैं?

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : आपने दो मर्तबा माइनोरिटीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन बनाने के बारे में वादा किया था, उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या इस साल बन जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : ये कोई सवाल नहीं है। ऐसी हजारों समस्याएं, सवाल और नीति संबंधी अनेकों बातें हैं और हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे सकते। हमें यह बात समझनी चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : मैं एक सवाल करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा क्षेत्र के बारे में कहा कि.........

अध्यक्ष महोदय : जब बजट पर बहस शुरू होगी तब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, आप कृपया मेरे सवाल को सुनने की कोशिश कीजिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : आप मेरा सवाल सुनिए। उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड की एक समस्या थी ।

अध्यक्ष महोदय : ये क्या है? कृपया अब आप बैठ जाइए। हद हो चुकी है। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं, प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का उत्तर देने की अपेक्षा नहीं करता।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम कृषि क्षेत्र से बहुत लाभ उठा सकते हैं। कृषि क्षेत्र के प्रति जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे में लाभ अर्जित करने हेतु निर्यात करने योग्य अधिशेष उत्पाद कहां से प्राप्त होंगे?

लघु उद्योग की अनेकों मांगें पूरी नहीं की गईं। आपने स्वयं जो घोषणा की थी कि इंस्पेक्टर राज समाप्त हो जाएगा, उसका भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। कृपया इस बात को स्पष्ट करें।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जैसा कि मैंने कहा है, मैं चुनाव सुधार, पहचान पत्र एवं इससे संबंधित मामलों के संबंध में निश्चित रूप से अन्य दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करना चाहूंगा और फिर जो भी निर्णय होगा, इसी के अनुसार काम किया जाएगा। ऐसे मामलों के प्रति सरकार का कोई पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है।

श्री शरद यादव : इस मामले में मीटिंग कब बुलाएंगे?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : बुला लेंगे जरूर। जल्दी बुलाएंगे।

श्री राम विलास पासवान : इलेक्शन कमीशन का जो निकल रहा है, उससे वर्रिड है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या तरीका रहता है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह कोई समस्या नहीं है। मैं भूमि सुधार के बारे में सदन को बताता रहा हूं। साथ ही हम राष्ट्रीय विकास परिषद को भी समय-समय पर भूमि आबंटन के संबंध में की गई प्रगति की जानकारी देते रहे हैं। मुझे खेद है कि अब मुझे वर्तमान आंकड़ों की जानकारी नहीं है लेकिन इस संबंध में प्रथम दो वर्षों में की गई प्रगति उत्साहजनक रही है और इसकी प्रशंसा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भी की गई थी कि इसमें काफी प्रगति हुई है।

यदि माननीय सदस्यगण वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं तो मैं उन आंकड़ों को एकत्र करके बता सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान जी का कहना है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कोई योजना शुरू की थी और हमने उसे बन्द कर दिया है। मैं नहीं समझता कि हमने ऐसी किसी योजना को बंद कर दिया जबकि वास्तव में हम पहले से चल रहे कुछ कार्यक्रमों में कुछ और नए कार्यक्रम भी जोड़ रहे हैं। अत: मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन यदि वह मुझसे यह कहेंगे कि कतिपय कार्यक्रम शुरू किए गए थे और उन्हें बीच में छोड़ दिया गया है तो मैं निश्चित रूप से उन पर ध्यान दे सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : खाली आप देख लीजिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जी देख लेंगे।

क्या यूं बीच में ऋण उद्योग के बारे में कुछ कहना मेरे लिए संभव है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नीति के बारे में क्या विचार है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : नीति वस्तुत: उसी प्रकार की है जैसे कि पहले से चलती आ रही है। इसके लिए बीआईएफआर मौजूद है। हमें एक उद्योग को, एकक को अलग-अलग लेना होगा और यह देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यदि आप कहते हैं कि तब कब तक...

श्री सोमनाथ चटर्जी : होता नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब।

कृपया उस पर विचार कीजिए। मेरी चिंता का विषय यह है कि सरकार की ओर से इस पर कौन ध्यान देगा? हम किसी के पास भी नहीं जा सकते हैं। इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैं वित्त मंत्री जी के पास गया। उन्होंने कहा कि उनके स्तर पर, वह यह काम करेंगे।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हरेक व्यक्ति इस पर विचार कर रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर वह ऐसा करते हैं तो मुझे खुशी होगी लेकिन वह डंकल और उससे संबंधित मामलों में इतने व्यस्त हैं। उनके पास समय कहां है? कौन सा मंत्री यह काम कर रहा है? कौन सा अधिकारी यह काम कर रहा है? कृपया हमें इसके बारे में बताइए। कृपया बी.आई.एफ.आर. के बारे में स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यह मामला उद्योग मंत्रालय के पास है और उद्योग मंत्रालय मेरे पास है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : चूंकि आप इससे अलग नहीं हैं तो फिर आपकी और हमारी हमेशा ही मुलाकात होगी।

अध्यक्ष महोदय : आपको जवाब मिल गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इस पर चर्चा कब कराएंगे।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : क्या मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह बहुत अनुचित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपना जवाब दीजिए। ऐसा मत कहिए कि मैं इसे इनके या उनके पास भेज रहा हूं।

मेरे विचार में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बारे में वित्त मंत्री अद्यतन स्थिति से अवगत करा सकेंगे। आप सभा में बोलना चाहेंगे या वक्तव्य देना चाहेंगे?

अध्यक्ष महोदय : शायद चर्चा के समय।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : बोफोर्स के बारे में श्री शुक्ल ने जो अंतरिम रिपोर्ट दी थी, वह अंतरिम ही है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे संबंधित कुछ भी जानकारी मिली है। मैं सभा को समय-समय पर सूचना दे सकता हूं, उसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं है। हमें कुछ पत्र प्राप्त होने थे; मैं समझता हूं कि वे पत्र अभी प्राप्त होने हैं। बस मुझे यही कहना है।

डंकल के बारे में नि:संदेह, जैसा कि मैंने कहा है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : 301 के बारे में।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हम एक बहुपक्षीय मंच की बात कर रहे हैं। जिसे हम सभी ने वरीयता दी है और जिसके लिए हमने पिछले सात-आठ वर्षों से भी ज्यादा समय तक काम किया है। हम एक विशेष स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब हमने अपने फायदे के लिए रिपोर्ट में सुधार करने के लिए, रिपोर्ट के उपबंधों और शर्तों में संशोधन के लिए काफी संघर्ष किया है। यह प्रक्रिया अब चल रही है। अगर अब किसी देश के विचार अलग हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे उन सभी विचारों का जवाब देना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर वे इसे बाद में करें तो आपका क्या जवाब होगा?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : कृपया काल्पनिक प्रश्न मत पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन पेश किए हैं।

मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए इकट्ठे रखूं या कोई माननीय सदस्य कोई विशेष संशोधन पेश करना चाहता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं, महोदय। जैसाकि हमने सूची तैयार की है, हम कुछेक संशोधन अलग से पेश करना चाहते हैं।

मैं यह स्पष्टीकरण दे दूं कि इनका संबंध जम्मू और कश्मीर में अमरीकी हस्तक्षेप, गेट/डंकल, बेरोजगारी, कीमत वृद्धि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, काला धन, निजीकरण और राज्यों के अधिकारों से है?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सूची दे सकते हैं। मैं उन सभी को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

अब मैं संशोधन संख्या 45, 57, 61, 160, 563, 810, 888, 259, 959, 978, 994, 49, 116, 196, 83, 52, 105, 110, 132, 136, 579, 948, 991, 1070, 82, 101, 135, 149, 194, 295, 577, 591, 823, 885, 1001, 1059, 47, 48, 50, 51, 84, 112, 128, 244, 147, 148, 440, 260, 305, 312, 575, 590, 802, 882, 992, 996, 1068, 94, 96, 227, 228, 300, 581, 582, 962, 63, 108, 115, 202, 152, 963, 995, 58, 59, 95, 107, 92, 113, 129, 243, 572,

982, 990, 99, 137, 158,159, 245, 317, 571, 964 तथा 979 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 15, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 61, 63, 82, 83, 84, 92, 94, 95, 96

ऑगमेन्टेड सैटेलाइट लांच व्हीकल-डी 4 ए.एस.एल.वी. डी-4 का प्रक्षेपण के संबंध में वक्तव्य

4 मई 1994

मुझे माननीय सदन को आज सुबह ए.एस.एल.वी. की सफल उड़ान की सूचना देते हुए खुशी हो रही है ।

संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट को आज श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। प्रारंभिक कक्षा निर्धारण के आधर पर ए.एस.एल.वी.-डी4 राकेट ने 113 किलोग्राम भार के श्रोस-सी.2 उपग्रह को 46 डिग्री के झुकाव पर लगभग 437 किलोमीटर की उप-भू और 938 किलोमीटर की अप-भू कक्षा में स्थापित कर दिया । यह ए.एस.एल.वी. की दूसरी अनवरत सफल उड़ान थी । इसरो के दूरमिति, अनुवर्तन और कमाण्ड केन्द्रों में श्रोस-सी 2 से प्राप्त आंकडों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि उपग्रह सामान्य रूप में कार्य कर रहा है।

ए.एस.एल.वी.-डी-4 का प्रमोचन दो स्ट्रैप-आन बूस्टरों के प्रज्जवलन के साथ भारतीय समयानुसार प्रात: 0530 बजे किया गया तथा इसके 44.1 सैकेण्ड के बाद ऑन-बोर्ड वास्तविक काल निर्णय प्रणाली द्वारा प्रथम चरण की मोटर का प्रज्जवलन शुरू किया गया । स्ट्रैप-ऑन बूस्टर 55.1 सैकेण्ड पर पृथक हो गए । उड़ाने के 93 सैकेण्ड के पश्चात् प्रथम चरण के प्रथक्करण तथा द्वितीय चरण के प्रज्जवलन के लिए कमाण्ड भेजी गई और तब से बंद पाश मार्गदर्शन योजना शुरू हो गई । पूर्व निर्धारित 107 किलोमीटर की ऊंचाई पर राकेट के सघन वायुमण्डल को पार करने पश्चात योजनानुसार 142.9 सैकेण्ड पर ताप कवच जेटिशन किया गया । द्वितीय चरण का पृथक्करण तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन उड़ान के 148.1 सैकेण्ड पर हुआ । तृतीय चरण के 195.6 सैकेण्ड पर प्रज्जवलन के बाद दीर्घ तवनुगमन चरण द्वारा अनुसरण किया गया तथा योजनानुसार 488.9 सैकेण्ड पर तृतीय चरण का पृथक्करण हुआ । उड़ान के बाद लगभग 641.6 सैकेण्ड पर चतुर्थ चरण से श्रोस-सी.2 उपग्रह पृथक् हो गया ।

शार, बेंगलूर, तिरूवनन्तरपुरम और कारनिकोबार स्थित दूरमिति और अनुवर्तन केन्द्रों के नेटवर्क का प्रयोग करते हुए सभी घटनाओं का मॉनीटरन किया गया। कारनिकोबार में प्राप्त आंकडों से पता चलता है कि चतुर्थ चरण से श्रोस-सी.2 उपग्रह का पृथक्करण सामान्य रूप में हुआ ।

ए.एस.एल.वी.-डी 4 की सफल उड़ान ने राकेट की उपप्रणालियों की आवर्तनता को सिद्ध कर दिया तथा इसने ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन में भी सहायता की है, जिनका इसरो के पी.एस.एल.वी. और जी.एस.एल.वी. जैसे उन्नत प्रमोचक राकेटों में उपयोग किया जाता है । इन उप-प्रणालियों में दूरमिति, अनुवर्तन और कमाण्ड प्रणालियों सहित स्ट्रैप-आन बूस्टर प्रौद्योगिकी, बंद-पाश मार्गदर्शन प्रणाली, वास्तविक काल ऑन-बोर्ड निर्णय प्रणाली इत्यादि शामिल हैं।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे साथ अन्तरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और अन्य सभी को बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से हमें गौरवान्वित किया है ।

**** **** ****1

पश्च टिप्पण

XVI. **ऑगमेन्टेड सैटेलाइट लांच व्हीकल - डी 4 ए.एस.एल.वी. डी-4 का प्रक्षेपण के संबंध में वक्तव्य 4 मई, 1994**

1. **अध्यक्ष महोदय** : वाजेपयी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री हम सब की ओर से बोले हैं और सारा सदन प्रसन्न है । अलग-अलग बोलकर प्रसन्नता को प्रकट करना अनावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : अब तो दोनों तरफ से कहा गया है।

श्री पी.सी. नरसिंह राव : मैं विपक्ष के नेता के सुझाव और सारे सदन की प्रसन्नता व प्रशंसा को वैज्ञानिकों तक पहुंचा दूंगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

28 अप्रैल 1995

मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया और अपने बहुत अमूल्य सुझाव दिए। जिन सदस्यों ने अपनी बातें कही हैं मैं उनके नाम सहित उनकी बातों को नहीं उठाऊंगा। मैंने उनसे कुछ बातें, कुछ मामले चुने हैं जिनके बारे में मैं सभा को अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा।

हमने 1991 और 1994 में व्याप्त स्थितियों से अब तक एक लम्बा सफर तय किया है। मैं उनको याद नहीं करना चाहता हूं और उन्हें उनके बारे में सभा को याद दिलाना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहूंगा कि राष्ट्र के इस लंबे सफर में हम अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे हैं जहां से हम आत्मविश्वास और आशा से भविष्य की ओर देख सकते हैं और संसद सदस्यों को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसी बात पर जोर दिया गया है। मैं इस भावना का समर्थन करता हूं। मैं उस आशावाद का समर्थन करता हूं क्योंकि पिछले चार वर्षों के दौरान जो भी हुआ है वह इस आशावाद का औचित्य सिद्ध करता है, तथ्य आंकड़े, स्थिति जैसाकि हमने समय-समय पर देखा है—हमने ये चार वर्ष गुजारे हैं—ये सब इस तथ्य के साक्षी हैं कि राष्ट्रपति जी का आशावाद पूर्णतया उचित है।

ऐसा लगता है कि हम यह भूल रहे हैं कि हमने पिछले वर्ष और उससे पहले के वर्ष में क्या कहा था क्योंकि जब हम इस वर्ष बात कह रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पहली बार कुछ कह रहे हैं। महोदय, मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि 1991 से ही सरकार के कार्य की भावना वही रही है। सरकार के कार्यों का प्रयोजन और सरकार की नीतियां नहीं बदली हैं। यह उसी पद्धति पर हैं। 1991 से 1992 तक हम केवल प्रयोग कर रहे थे। 1992 के कार्यक्रमों में, नीतियों में, दृष्टिकोण में और जो कुछ केन्द्रीय सरकार कर रही है उनमें निरन्तरता पाएंगे। मैंने 1991 में यह कह कर शुरुआत की थी कि हमारे कार्य परिवर्तन सहित निरन्तरता के मूल सिद्धांत का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी है, निर्धनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उनके लिए निर्धारित अधिक परिव्यय में परिलक्षित होती है, यह अधिक परिव्यय सभा में उपलब्ध आकड़ों से देखा जा सकता है, हर साल ऐसा होता रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण, बजट और नीति निरुपण में इसी बात पर जोर दिया जाता रहा है, इसके परिणामस्वरूप 1992 से प्रत्येक वर्ष हम आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों की बढ़ती संख्या को देख रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम असीमित पूंजीवाद के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे और निर्धनों को कार्यक्रमों से बाहर नहीं कर देंगे, हमने अपनी स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया था, 1993 में मैंने बताया था कि 1993-94 के बजट का उद्देश्य निर्धनता को कम करने और रोजगार को बढ़ाने की नीति पर जोर देने का है। हमने उसी दिन से इसे 'ह्यूमन फेस' का नाम दिया। हम इस वर्ष पहली बार ऐसा नहीं कह रहे हैं।

निर्धनों का उत्थान हमारा लक्ष्य रहा है, इसलिए 1994 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में आशावाद था और इस वर्ष उस आशावाद और आत्मविश्वास की पुष्टि हुई है। कांग्रेस के मूल दर्शन के प्रति हमारा जोर और प्रतिबद्धता अबाधित रूप से जारी है। जबकि हमारी उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही हैं, अभी अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिनका देश सामना कर रहा है, उस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्यों ने इन समस्याओं का उल्लेख किया है और मैं अधिक से अधिक का उत्तर दूंगा।

पहली आलोचना जो न केवल आज की गई है अपितु हर वर्ष की जाती रही है। वह नई आर्थिक नीति के विरुद्ध है कि यह नीति गलत है और देश के हितों के विरुद्ध है, महोदय, इस आलोचना का उत्तर मुझे बहुत अधिक जोर देकर नहीं देना पड़ेगा और न इस बात को बार-बार कहना पड़ेगा क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अथवा कम से कम एक वर्ष से, हो सकता है 1 वर्ष से अधिक समय के दौरान जो कुछ हो रहा है जब उत्तरोत्तर सरकारें जो कांग्रेस द्वारा शासित नहीं थी, उसी पद्धति पर आई तो इससे मेरा काम आसान हो गया। पिछले दो अथवा तीन दिनों के दौरान हम समाचारपत्रों में पढ़ते रहे हैं कि मुख्यमंत्री, 'अभी निर्वाचित मुख्यमंत्री' जहां से उपलब्ध हो, पूंजी निवेश के लिए आते हैं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें पूंजी निवेश लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि वे जानते हें कि पूंजी निवेश जरूरी है। फर्क केवल इतना है कि कुछ व्यक्ति समय को पहले ही जान लेते हैं और कुछ व्यक्ति बाद में परन्तु अंततोगत्वा सभी इसे जान लेते हैं, यह इस देश की सबसे बड़ी बात है, मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

एक बात पर कुछ अधिक जोर दिया गया है और मैं समझता हूं कि ऐसा आगामी एक साल में आने वाली किसी अपरिहार्यता के कारण किया गया है। विदेशी निवेशक और स्थानीय उद्योगपति के बीच दरार डालने की कोशिश की जा रही है, यह ऐसी बात है जो विद्यमान नहीं है, यहां भेदभाव नहीं है लेकिन इसे ऐसा दिखाया जा रहा है, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसा न करें क्योंकि ऐसा करना देश के हित में नहीं होगा हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, स्थानीय निवेशक अथवा स्थानीय उद्योगपति के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया है। वास्तव में स्थानीय उद्योग को संरक्षण के लिए जिस किसी चीज की आवश्यकता हुई हमने वह दिया और यह दिया जाता रहेगा। परन्तु यह ऐसा संरक्षण नहीं होगा जिससे उन्हें बाहर वालों से बचा कर रखा जाए जैसाकि उन्हें पिछले 30 या 40 वर्षों से मिल रहा है। परिवर्तन आना चाहिए और वह परिवर्तन आ गया है। यह संभव है कि कुछ सदस्य कह सकते हैं कि इस संरक्षण अथवा संरक्षण वापस लेने, कम करने की गति आवश्यकता से अधिक तेज है। यह अनुभूति की बात है; और मैं समझता हूं कि सरकार के अनुसार सरकार द्वारा किए गए सभी अनुमानों के अनुसार सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, यह संरक्षण अथवा संरक्षण को वापस लिया जाना, संरक्षण को कम करना, स्थानीय उद्योग के लिए अहित में नहीं रहा है।

यह आलोचना हुई है कि विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन करने की नीति से घरेलू उद्योग का अहित हुआ है। हमने सीधे विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करने का निर्णय संसाधन की उपलब्धता को बढ़ाने, आधुनिक प्रौद्योगिकी लाने और देश में उपलब्ध विपणन और प्रबंधन कुशलता का स्तर बढ़ाने के कारण लिया है। तद्नुसार, जब भी किसी विदेशी कंपनी ने वित्तीय कर अथवा शुल्क में रियायतें मांगी हैं तो हमने उन्हें कहा कि प्रस्ताव-विशिष्ट-रियायत हमारी प्रणाली का भाग नहीं है, हम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, जब भी नीतियों में कोई परिवर्तन होता है तो सबको उस नीति का पालन करना पड़ता है। इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बजट के भाग के रूप में किए जाते हैं और किसी क्षेत्र में सभी कंपनियों पर लागू होते हैं चाहे वे भारतीय हों, संयुक्त उद्गम के हों या विदेशी स्वामित्व वाली हों। हम यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी रखते हैं कि भारतीय कंपनियों का किसी प्रकार से अहित न हो।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस नीति से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारतीय उद्योग अपने नियंत्रण में लेने का प्रोत्साहन मिला है। यह सच नहीं है। उदाहरण के लिए जहां भारतीय कंपनियों ने पूंजी अथवा प्रौद्योगिकी को शामिल करने के कारणों से विदेशी कंपनी को अपनी इक्विटी बढ़ाने के लिए अनुमति देने की मांग की तो सरकार ने इसकी अनुमति दी, तथापि हमने इक्विटी ढांचे में ऐसा परिवर्तन करने के लिए आवेदन करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वे सरकार से अनुमोदन कराने से पूर्व भारतीय कंपनी के प्रबंधन बोर्ड अथवा शेयरधारियों से प्रमाणीकरण करा लें। ये सभी कदम कंपनी के स्वैच्छिक निर्णय हैं न कि सरकार द्वारा थोपे हुए।

*** *** ***1

मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि इन नीतियों से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। निगमित क्षेत्र के वित्तीय परिणाम ऐसा नहीं बताते हैं। मैं समझता हूं कि सितम्बर 1994 में समाप्त होने वाले 6 महीने की अवधि के लिए 135 बड़ी कंपनियों के अंतिम वित्तीय परिणाम लाभ का उच्च स्तर बताते हैं। पांच कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियों ने अच्छा काम किया है और अनेक कंपनियों को पिछले वर्ष का लाभ का प्रतिशत वृद्धि तीन अंकों में है—दो अंकों में भी नहीं बल्कि तीन अंकों में है। नमूने के तौर पर यह घरेलू उद्योग की बात नहीं बताता है। जिसका सुधार प्रक्रिया से अहित हुआ है।

मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि विदेशी निवेश ऐसे क्षेत्रों में हुआ है जिनको हमने महत्व दिया हुआ है, मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि विदेशी इक्विटी निवेश के लिए 83 प्रतिशत अनुमोदन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए हुआ है इक्विटी निवेश का बड़ा भाग विद्युत, तेल शोधक कारखानों, धातु कर्म उद्योग, रसायन, परिवहन, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि को गया है। यहां तक की बाकी 17 प्रतिशत इस तरह से दिया गया है: सर्विस (8%), कपड़ा (4%), चमड़ा और रबड़ की वस्तुएं (8.8%), साबुन, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और

वेजिटेबल ऑयल (0.3%) ट्रेडिंग कंपनीज (0.3%) फरमेंटेशन उद्योग (1.0%) और विविध उद्योग (2%) यथा जवाहरात, खिलौने, ताले, खेलकूद के उपकरण आदि, इस प्रकार उपभोक्ता उद्योगों के अवांछित वृद्धि के पक्ष में पूंजी निवेश प्रतिमान में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों के दो रोचक बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। नीति के प्रथम तीन वर्षों के कंपनियों के लिए अनुमोदित परियोजनाओं, जिनमें विदेशी इक्विटी 75 प्रतिशत से अधिक थी, की संख्या कुल की तुलना में केवल 8.7 प्रतिशत थी। इससे यह पता चलता है कि भारतीय भागीदारों के साथ पूंजी निवेश किया जा रहा है और इससे सुनिश्चित होगा कि भारतीय कंपनियों को उन्नत प्रौद्योगिकी, विपणन और प्रबंधन आदान, अतिरिक्त पूंजी के प्रवेश और रोजगार में वृद्धि का लाभ मिले इसी प्रकार यदि हम 300 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी इक्विटी वाली परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की कुल संख्या को देखें तो पाएंगे कि यह 2526 में से केवल 13 हैं। दूसरी ओर 3 करोड़ रुपए से कम वाली विदेशी इक्विटी वाली परियोजनाओं की संख्या 2006 है। इससे यह स्पष्ट होगा कि विदेशी पूंजी निवेश का लाभ लेने वाली कंपनियां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं हैं अपितु छोटी और मध्यम कंपनियां हैं। उभरने वाले छोटे और मध्यम उपक्रमियों के साथ उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए न कि उनको त्यागना चाहिए। महोदय, यह इस संबंध में जो आलोचना की गई हैं, उसका उत्तर है, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं, मैं महसूस करता हूं कि उद्योग ने बदले हुए वातावरण में अपने को ढाल दिया है। 1994-95 में निर्माण करने के क्षेत्र की वृद्धि 9.2 प्रतिशत थी। यह विशेषकर ध्यातव्य है कि हमारे पूंजीगत माल क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया है और उसी अवधि में उसकी वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 24.7 प्रतिशत अधिक रही है। निश्चय ही यह नहीं बताता है कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र विदेशी पूंजी के दबाव में है।

इसके अतिरिक्त हम निरन्तर, स्थानीय घरेलू औद्योगिक क्षेत्र से संपर्क बनाए हुए हैं। मेरी उनके साथ बातचीत हुई है। मुझे विश्वास है कि अन्य मंत्रियों के साथ भी बातचीत हुई है, मुझे यह भी विश्वास है कि विपक्ष के माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता, कांग्रेसी राज्यों से इतर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ संपर्क में हैं। हमें ऐसी कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शिकायत नहीं मिली है कि विदेशी निवेश के आगमन के परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग का अहित हो रहा है। यह मेरे ध्यान में नहीं आया है, परन्तु मैं निश्चय ही जानना चाहता हूं कि यदि इस तरह के कोई उदाहरण हैं और यदि ऐसी कोई भावना व्याप्त है कि ऐसी बात हो रही है तो मैं अवश्य ही उसके बारे में जानना चाहूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

***   ***   ***2

श्री सोमनाथ चटर्जी ने पिछले 6 महीनों में इतना अधिक विदेशी निवेश किया है जितना समूची भारत सरकार 4 वर्षों में ले सकी है, इसलिए उनकी बातें भी उपयुक्त रूप से बदल गई हैं। यह परिवर्तन स्वागत योग्य है।

अब मैं 'गेट' के बारे में बोलूंगा, हम आरम्भ से ही संविदाकारी पार्टियां रही हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब उरुग्वे में पुन्टा डैल एस्ट में हमारी चर्चा हुई थी तो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी. पी. सिंह, जिनके साथ श्री के. सी. पंत थे, जो संभवत: उन दिनों रक्षा मंत्री थे, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां गए थे, हम आरंभ से ही विकासशील देशों की ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में, कई अन्य विकासशील देश, यहां तक कि बड़े विकासशील देश पीछे छूट गए। यदि कोई लगातार संघर्ष करता रहा तो वह भारत था और संभवत: एक अथवा दो अन्य देश थे। लेकिन अधिकांश देश पीछे रह गए। पर हमने हार नहीं मानी। यह एक बहुपक्षीय मंच है, हम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जी-77 अथवा विकासशील देशों के किसी भी मंच पर निरतंर और दृढ़ता से जो कह रहे हैं वह यह है कि हम बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली चाहते हैं। यह प्रणाली चल रही है और हम पिछले 25 अथवा 30 वर्षों से ऐसा कह रहे हैं। जब भी कोई देश बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा दूसरे पर हावी होना चाहता है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। इसलिए जब आज हमने बहुपक्षीय मंच को अंतिम रूप दे दिया है और जो कार्य कर रहा है तो यह कहना कि यह सब गलत है वह उल्टी गंगा बहाने के समान है, मुझे आशंका है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना राष्ट्रीय हित में नहीं है। जी हां, जब बहुपक्षीय बातचीत हो रही है तो हमेशा वहां 'देना' और 'लेना' चलेगा, हमें यह देखना होगा कि हमारे हित कहां तक पूरे हो रहे हैं और पूर्ण विश्वास है, महोदय, इस लम्बी बातचीत में, जो निरतंर चल रही है तथा जो आसानी से हल नहीं हो रही है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे कुल मिलाकर हमें अधिक लाभ हुआ है और इस प्रकार से हम विकासशील देशों के अगुवा बन गए हैं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए हम शर्मिन्दा हों, कोई कारण नहीं है कि मैं इसके लिए क्षमा मांगूं।

मैं अब यहां उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर बोलूंगा जैसा कि सामाजिक क्षेत्र, अब पुन: मानवीय पहलू के क्रम में जिसका हम समर्थन कर रहे हैं मैं सभा में यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट में हमने अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है, जैसा कि मैंने अभी कहा है ग्रामीण विकास के लिए हमने अधिक धन आबंटित किया है। मैं समझता हूं कि अनेक अन्य सदस्यों ने इन आंकड़ों को उद्धृत किया है, मुझे उन्हें दुबारा नहीं कहना है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम प्रत्येक वर्ष निर्धनता का उन्मूलन करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम दे रहे हैं। निर्धनों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम पिछले चार वर्षों में आरंभ किए गए हैं। ये कार्यक्रम हैं—सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार आश्वासन योजना, महिला समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, गहन जवाहर रोजगार योजना और दस्तकार टूल किट्स कार्यक्रम, सुधरी हुई वितरण प्रणाली से जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, खाद्यान्न कम मूल्यों पर सप्लाई किया जाता है, यह केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम लगभग 50 रुपए प्रति क्विंटल है, इस बात पर मैं यह कहना चाहता हूं— कुछ सदस्यों ने यह बात उठाई है, यह बिल्कुल वैध बात है—कि बाजार मूल्य और सुधरी हुई

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य काफी सीमा तक एक जैसे हैं। इसलिए इनकी बिक्री कम हो रही है, मैं मानता हूं कि ऐसी बात है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस बारे में अभी स्पष्ट नहीं हैं, हम इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं और मेरे अपने विचार हैं कि 50 रुपए के इस अंतर को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्लॉकों में, सरकार द्वारा चलाई जा रही दुकानों में इस समय ये जितने मूल्य पर बाजार में बिक रही हैं उसकी तुलना में इन वस्तुओं को और भी कम मूल्यों पर बेचना संभव हो सके। लेकिन यह संभव है कि बिक्री में कमी होने के अन्य कारण हैं। यह संभव है कि लोग खुले बाजार में जाते हैं। उन्हें उचित दर की दुकानों में जाने के बजाए खुले बाजार में जाकर चीजें खरीदनें में ज्यादा लाभ है। उचित दर का दुकानदार नियमित रूप से न आता हो तथा और भी अनेक बातें हो सकती हैं। अनेक कारण हो सकते हैं। हम इन कारणों पर विचार करेंगे। परन्तु मैं मानता हूं कि 50 रुपए का यह अंतर जरूरी रूप से एकमात्र कारण नहीं है। यह कारण कहां तक वैध पाया जाता है, मैं निश्चय ही इस पर विचार करुंगा।

वास्तव में, आज हमारा अध्ययन निर्धनतम परिवार और उनके पारिवारिक बजट पर केन्द्रित है। हम वहां जा रहे हैं और वहां से हम नीतिगत ढांचा बनाएंगे कि हम मूल्यों के मामले में क्या करें, खाद्य सब्सिडी के मामले में क्या करें। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं। खाद्य सब्सिडी पिछले वर्षों तक 4000 करोड़ रुपए थी, इस वर्ष यह 5,200 करोड़ रुपए हो गई है, इसे केवल बढ़ाने की बात नहीं है, बात यह है कि हम इसे क्यों बढ़ा रहे हैं? इसको बढ़ाने के क्या लाभ हैं? यह संभव है कि हम इसे बढ़ा रहे हैं परन्तु इसका फायदा केवल भारतीय खाद्य निगम और उसके अधिकारियों को हो रहा हो या इससे उनका खर्चा निकल रहा हो आदि और यह उपभोक्ता को न पहुंच रहा हो, इसलिए हम शुरू से लेकर अंत तक इस बात पर विचार कर रहे हैं, यह अध्ययन आरंभ हो चुका है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादक को कितना प्रतिशत मिलता है और कितना प्रतिशत उत्पादक और अन्तिम उपभोक्ता के बीच बर्बाद हो जाता है, हमने यह हिसाब लगाया है कि 61.2 प्रतिशत उत्पादक को मिलता है, मैं मानता हूं कि अन्य लोगों को भी काफी मिल रहा है और उसका एक मात्र उपभोक्ता या उत्पादक को जाना चाहिए। सिद्धांत रूप में मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु यह कैसे किया जाना चाहिए? हमारे यहां भारतीय खाद्य निगम जैसा एक बड़ा संगठन है, यदि भारत जैसे देश में ऐसा संगठन न हो तो खाद्य सुरक्षा बनाए रखना संभव नहीं होगा, क्योंकि हमने चार अथवा पांच अच्छे सीज़न देखे हैं तो क्या अपनी खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें? यह बहुत गलत होगा, लेकिन साथ में यदि आपके पास ऐसा इतना बड़ा संगठन है जैसा कि आज है, तो आप किस प्रकार जो उत्पादक को मिल रहा है और जो उपभोक्ता को मिल रहा है और जो लोगों को मिल रहा है उसके बीच अंतर को कैसे कम करेंगे। हमारा यही प्रश्न है। महोदय, आगामी कुछ सप्ताहों में, मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे कि उत्पादक को अथवा उपभोक्ता को यह रियायत कुछ अधिक मिले ताकि बिचौलिया को, जो केवल व्यापारी नहीं अपितु एक संगठन है या चाहे कुछ और नाम दो, मिलने वाले लाभ में जहां तक हो सके कमी हो

और लाभ या तो उत्पादक को जाए अथवा उपभोक्ता को जाए या जरूरत हो तो दोनों को जाए।

*** *** ***3

हमने निर्बाध ढुलाई का परीक्षण किया है, यह सारे देश में उपयोगी नहीं पाया गया है। हमने देखा कि यदि आज आप निर्बाध ढुलाई की अनुमति देते हैं तो कुछ राज्यों को लाभ होगा, अनेक राज्यों को नुकसान होगा। यह सब इस पर निर्भर करता है कि वह राज्य खाद्यान्न बहुल्य खाद्यान्न वाला राज्य है। अथवा कमी वाला राज्य है यह सर्वविदित है। हमने पिछले 20-25 वर्षों से इसके लिए किसी न किसी रूप में आज़माया है और हमने देखा है कि यह पता लगाने के लिए कोई साधन होना चाहिए कि खाद्यान्न की ढुलाई में क्या हो रहा है क्योंकि सारा देश एक है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यों में अंतर बहुत अधिक न हो।

ग्रामीण शिल्पकारों को सुधरे हुए टूल किट्स की सप्लाई बहुत शांत कार्यक्रम है, लेकिन यह बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है और हमारे गांवों में इससे शिल्पकारों को भारी फायदा हो रहा है। अब तक 2.46 लाख शिल्पकारों को जिसका तात्पर्य है लगभग आधे गांव अथवा एक तिहाई से भी अधिक गांव इसके अंतर्गत लाए गए हैं। शिल्पकार प्रसन्न हैं, वे अब वास्तव में शहरों की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके औजार बेहतर हैं। वे अब अधिक उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि उनके औजार बेहतर हैं। वे अब अधिक उत्पादन कर रहे हैं और उस तरह का शहरीकरण काफी हद तक कम हो गया है। महोदय, यह योजना देश में सभी जिलों में लागू की गई है।

मैंने देखा, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, में इन बातों को न केवल व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं, मैंने इस मंत्रालय को किसी विचार से किसी प्रयोजन से अपने पास रखा है, मैं स्वयं हर कार्यक्रम पर निगरानी रख रहा हूं, शत-प्रतिशत नहीं बल्कि नमूने के तौर पर, कल मैं उड़ीसा जा रहा हूं, हमारा गांवों में जाने, जिला कलेक्टरों के साथ बैठने, उन लोगों के साथ बैठने का कार्यक्रम बना था जिनको इससे लाभ पहुंचा है। हमने यह जानने का प्रयत्न किया कि क्या हो रहा है। हमने बैंक के लोगों को पी.एम.आर.वाई में बुलाया था, हम खुद सहित सभी को इसमें शामिल कर रहे हैं। इसलिए मैंने यह मंत्रालय अपने पास रखा है, मैं स्वयं की जानकारी से कह सकता हूं – मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह शत-प्रतिशत हो रहा है लेकिन मैं कम से कम यह देख रहा हूं कि कुछ हो रहा है और मैं संतुष्ट हूं कि लोगों तक कुछ पहुंच रहा है जबकि पहले ऐसा नहीं था क्योंकि मार्ग में बहुत अवरोध आ रहे थे।

अब मैं टूल किट कार्यक्रम पर बोलूंगा, अब हमने विद्युत चालित टूल किट्स देने शुरू कर दिए हैं। अब शिल्पकार कह रहे हैं कि उनके गांवों में बिजली आ गई है इसलिए वे पुराने टूल किट्स का प्रयोग क्यों करें जिनमें विद्युत इस्तेमाल नहीं होता। अब हम बदल रहे हैं।

कुछ दिन पहले पंजाब में अनेक लोगों ने मुझसे कहा कि पंजाब में हर गांव में बिजली है, इसलिए आप इसे बदलते क्यों नहीं हैं? मैंने तुरंत वहां सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि जहां कहीं भी टूल किट्स बिजली से नहीं चलते हैं, उनको बदल दिया जाएगा और विद्युत नए टूल किट, जिनका मूल्य अन्य की तुलना में 1,000 रु. या 2,000 रु. से अधिक है, दिए जाएंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। हरेक गांव में, किसी भी गांव में जहां बिजली है वहां हम ऐसा परिवर्तन करने को तैयार हैं।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए–एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह सब धन व्यर्थ जा रहा है – मैं अब उनको आश्वस्त करना चाहूंगा, यदि वे चाहते हैं तो वे मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनको उन लोगों की सूची दूंगा जो इससे लाभान्वित हुए हैं, मैं उनको वे जो कर रहे हैं उनकी सूची दूंगा, जिससे पता चल जाए कि प्रत्येक लाभ प्राप्तकर्ता क्या कर रहा है। मैंने खंड वार, जिला-वार और गांव-वार उन सूचियों को मंगाया है जैसा आप चाहते हैं।

परन्तु इस आकार के देश में 30,000 या 2 लाख या 3 लाख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं मानता हूं परन्तु शुरुआत तो करनी है, हो सकता है अगले वर्ष यह संख्या 5 लाख हो जाएगी और उसके बाद 10 लाख हो जाएगी। हर लड़का या लड़की, जो कुछ शिक्षित है न कि बहुत अधिक शिक्षित और न उच्च शिक्षा प्राप्त गांव से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, अब उसका इस तरह से पुनर्वास किया जा रहा है। हम आपको सब ब्यौरे दिखा सकते हैं। आपको सभी ब्यौरे दे सकते हैं जिनकी आवश्यकता है। यदि कोई गलत जानकारी दी गई है तो मैं कार्यवाही करने को तैयार हूं। मुझे बताया गया है कि बैंक के लोग अनेक मामलों में उतना सहयोग नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। अब हम बैंक के लोगों को झिड़की दे रहे हैं, हम यह देखेंगे कि वे सहयोग करें और यदि उन्हें वास्तविक काम करने में कोई कठिनाई हैं तो हम देखेंगे कि वे कठिनाइयां दूर हों। इसलिए महोदय, यह कार्यक्रम ऐसा बनाया गया है कि इसके अंतर्गत देश में समाज के सभी वर्ग और सभी क्षेत्र आएं।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं पिछले वर्ष एक शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जिसके अंतर्गत 345 श्रेणी-दो के कस्बे आने थे और चौहत्तरवें संविधान (संशोधन) अधिनियम के अनुसार इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकाय आने थे। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुझे विश्वास है कि यह इस वर्ष वास्तविक रूप से बड़े पैमाने पर आरम्भ होगा। तिहत्तरवां संविधान (संशोधन) अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित है और इसमें 29 कृत्य हैं जो उनको सौंपे जा सकते है। अब यह पूरी तरह से करना है। इस समय यह अंशत: किए गए हैं क्योंकि पंचायतें अस्तित्व में आने की प्रक्रिया में हैं जब वे आ जाएंगी तो इन सभी को क्रियान्वित करना पड़ेगा और अधिकांश कार्यक्रम जो हमने आरम्भ किए हैं, पंचायतों को देना पड़ेगा और पंचायतों के लिए यह संभव हो सकेगा कि वे उन्हें तैयार करें और जहां वे चाहते हैं वहां उन्हें लागू करें।

इस वर्ष पहली बार उनको भी किसी कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जा रहा है जिनको पहले नहीं लाया गया था। जैसे वृद्ध ऐसे परिवारों के बचे हुए जीवित लोग जिनके आजीविका कमाने वाले लोग नहीं रहे, निर्धन महिलाओं को पहले दो संतान के पैदा होने पर प्रसव पूर्व और प्रसव बाद मातृत्व देख-रेख के लिए आहार भत्ते का प्रावधान, नए ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि का बनाया जाना, स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना का विस्तार, जीवन बीमा निगम की ग्रुप जीवन बीमा योजना जिसे पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा और लघु उद्योगों के लिए बेहतर ऋण के द्वारा सहायता करने की योजनाएं, खादी और ग्रामोद्योग। महोदय, इस संबंध में मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हमने लक्ष्य दुगुना कर दिया है। इस वर्ष 10 लाख मकान बनाए जाएंगे।

मैंने अब यह भी निर्णय लिया है कि भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को जो उन गांवों से आते हैं, इंदिरा आवास योजना के लाभग्राहियों में शामिल किया जाएगा। कल मैंने यह भी निर्णय लिया कि इस सुविधा को अर्द्ध-सैनिक बलों के मामले में भी लागू किया जाएगा। कल मुझे अर्द्ध सैनिक बलों में कुछ सामाजिक सुधार लाते हुए बड़ा सुखद अनुभव हुआ। कश्मीर में कुछ लोग लड़ाई में मारे गए थे। उनकी विधवाएं केवल 20 वर्ष, 22 वर्ष और 23 वर्ष की हैं, एक सामाजिक संगठन ने उनकी उसी बल में जवानों से शादी कराई।

यह मैं परिवर्तन के बारे में बोल रहा हूं और यदि इसकी सराहना की जाती है तो निश्चित रूप से सोचेंगे कि इसे कैसे लिया जाए, यह एक भिन्न मामला है, इसलिए इंदिरा आवास योजना में, मैं यह कह रहा था कि इन सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जा रहा है।

अब मैं जम्मू और कश्मीर पर बोलूंगा। महोदय, अनेक सदस्यों ने इस विषय को उठाया है। जम्मू और कश्मीर में जो कुछ किया गया है, मैं उस पर आऊंगा। बंदूक का डर कम करने के लिए आतंकवादियों के विरुद्ध निरन्तर कार्यवाही द्वारा उग्रवाद पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। सुरक्षा बलों को अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। दूसरा, प्रमुख अलगाववादी नेताओं सहित अनेक नजरबंदियों को रिहा कर दिया गया है, वे न केवल रिहा किए गए हैं अपितु उन्हें दिल्ली आने दिया गया। उन्हें राजनीतिक दलों के अनेक नेताओं से मुक्त चर्चा करने दिया गया। उन्हें कुछ दूतावास जाने दिया गया आदि, इस प्रकार की सामान्य बातचीत को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जो चल रही है।

परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य शीघ्र ही पूरा होने की आशा है। राजनीतिक प्रक्रिया पुन: आरम्भ करके हमारे प्रयासों के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि सिविल प्रशासन कार्य करना आरम्भ कर दे, स्थानीय प्रशासन का मनोबल पुन: कायम करने और जनता को उग्रवादियों के साथ मोहभंग होने से संपूर्ण स्थिति में सुधार आया है। यह मैं जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूं। सभा को वह नहीं बताया जा रहा है जो सच नहीं है। मैं यह सब केवल रिपोर्टों के आधार पर नहीं कह रहा हूं बल्कि यह खबर मुझे विश्वसनीय स्रोतों से मिली है। मैं समझता हूं कि वहां स्थिति में सुधार आया है और लोग

चुनाव चाहते हैं। वे चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया आरम्भ हो। वे अभी भी बंदूक से डरे हुए हैं। हालांकि बंदूक का डर काफी कम हो गया है, यह अभी भी है। महोदय यह स्थिति है।

पिछले एक वर्ष से विकास गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले 1 वर्ष से हम जम्मू और कश्मीर में विकास पहलुओं की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। जम्मू और कश्मीर को 1994-95 में एक विशेष योजना सहायता प्रदान की गई थी। योजनाओं पर निकट से निगरानी रखी जा रही है, मैंने स्वयं विकास के संवेदनशील क्षेत्रों में सरकार के 15 महत्वपूर्ण मंत्रालयों से लिए गए अपर सचिवों की दो टीमें भेजी हैं। विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत 1994-95 के दौरान 200 करोड़ रुपए उपलब्ध किए गए थे। आई.आर.डी.पी., जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभों का उपयोग करने के लिए लोगों में काफी उत्साह है।

मैं अब 1993-94 के साथ उपलब्धियों की तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत करना चाहूंगा जबकि 1993-94 में जवाहर रोजगार योजना, के अंतर्गत 25.50 लाख श्रम दिवस पैदा किए गए, 1994-95 में 65.93 लाख श्रम दिवस पैदा किए गए। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1993-94 में 390 मकान बनाए गए जबकि 1994-95 में 1697 मकान बनाए गए। मिलियन कुंआ योजना 1993-94 में 1,563 कुंए खोदे गए, 1994-95 में 3,409 कुंए खोदे गए। जो इसमें वृद्धि हुई है उसे नोट किया जाना चाहिए। राज्यों को सप्लाई होने वाले चावल 36,200 टन से बढ़कर 44,000 टन और गेहूं का आबंटन 20,000 टन से बढ़कर प्रतिमाह 30,000 टन हो गया है।

चूंकि जम्मू और कश्मीर के लोग मोटा चावल अच्छा मानते हैं, इसलिए विशेष टीमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जम्मू और कश्मीर चावल लाने के लिए वहां भेजी गईं। 1994 से अब तक घाटी में 45,000 टन चावल भेजे गए हैं।

उग्रवादियों द्वारा नष्ट किए गए स्कूलों, पुलों, अस्पतालों, विद्युत प्रतिष्ठापनाओं की मरम्मत करने को उच्च प्राथमिकता देने के लिए भी एक वृहत कार्यक्रम बनाया गया है। आतंकवादियों ने 450 शैक्षिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया था जिनमें प्राइमरी स्कूलों से लेकर कॉलेज आते हैं। इन सबकी मरम्मत की जा रही है। इस काम को हाथ में लिया हुआ है।

मैं अधिक ब्यौरा नहीं दूंगा। मैं सभा में यह कहना चाहता हूं कि मैंने इस मामले से सभी सदस्यों की राय को नोट किया है मैंने बड़ी सावधानी के साथ सभा में ठीक स्थिति जैसा कि वह आज है, बताई है सभी बातों को देखते हुए पता चलता है कि चुनाव प्रक्रिया को आरम्भ करने के लिए स्थिति सुधर रही है, मैं विपक्षी दलों के नेताओं से परामर्श कर रहा हूं। विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने अपनी इच्छा जताई है, उसे सरकार ने नोट किया है सलाह मशविरा का दौर पूरा होने के बाद मैं संसद को विश्वास में लेकर स्पष्ट प्रस्ताव रखूंगा, मेरा यह इस सत्र में करने का विचार है और आगामी कुछ दिनों में मैं चाहता हूं कि आप सभा को विश्वास में लेने के लिए मुझे समय दें।

रक्षा के मामले में बोलते हुए सभा में अग्नि और पृथ्वी कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, अग्नि एक प्रौद्योगिकी निर्देशक है और इस प्रोजेक्ट से हम संतुष्ट हैं। मैं तीन अथवा चार दिन पहले फैक्टरी में गया था।

जहां तक पृथ्वी का संबंध है प्रयोक्ता परीक्षण का चरण पूरा हो गया है और उसके बाद के कार्य चल रहे हैं। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें विलम्ब करने और हमारी रक्षा आवश्यकताओं से समझौता करने के लिए मजबूर करने हेतु हम पर किसी बाहरी दबाव के पड़ने का प्रश्न नहीं उठता। जो भी हमारा विश्वास है कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है तो उसे हम करेंगे।

जहां तक विदेश मामलों का संबंध है, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि अगले दो-तीन दिनों में यहां 'सार्क' देशों का सम्मेलन होने जा रहा है। मैं सार्क शिखर सम्मेलन के अवसर पर अलग-अलग देशों के साथ हमारे संबंधों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपनी ओर से संबंध सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई चूक नहीं हुई है, यदि दूसरी तरफ से भी हमें उचित जवाब मिलता है तो उसका हम स्वागत करेंगे।

पहली बार इस वर्ष 'साप्टा' (दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार प्रबन्ध) आरम्भ किया जा रहा है। दस वर्षों तक हम सार्क की बैठकों में और अन्य देशों के साथ व्यापार समझौता अथवा व्यापार संबंध में कोई प्रगति नहीं कर सके हैं।

यह बहुत पहले कर लिया जाना था परन्तु अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं हुआ।

इस वर्ष यह हो रहा है और मैं सभा को बताना चाहूंगा कि यह एक शुभ संकेत है कि इन सात देशों के बीच अधिमानी व्यापार प्रणाली एक-दूसरे के बीच लाई जा रही है और इसका वास्तव में परिणाम, जैसा हमने देखा है, देशों के सम्मिलन में होगा जैसा 'एशियान' बना है हमने देखा है कि पिछले 15 से 20 वर्षों में किस प्रकार एशियान जोर पकड़ता गया है। इसी तरह सार्क देशों के लिए आने वाले वर्षों में ऐसा करना संभव है।

मैं यही वस्तुत: सभा के समक्ष रखना चाहता हूं, महोदय, यदि और कोई बात है तो मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि टाडग, जिसे 1986 में कानून बनाया गया था, एक विशेष प्रयोजन, एक विशेष स्थिति के लिए था जो कि उस समय देश में व्याप्त थी, इसका तब से अनेक राज्यों ने प्रयोग किया है कुछ राज्यों ने नहीं किया है; कुछ राज्यों ने किया है।

***   ***   ***4

महोदय, मुझे प्रयास के साथ यह समझाना पड़ रहा है कि हम किसान को जो मूल्य देते हैं और जो मूल्य उपभोक्ता को देना पड़ता है उसके अन्तर को यदि समाप्त नहीं तो कम

से कम कैसे कर रहे हैं। यह मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसके लिए कोई बना-बनाया उत्तर नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि हम किसान को उचित मूल्य नहीं देंगे। हमें देना पड़ेगा। परन्तु साथ ही साथ उसमें से लगभग 38 प्रतिशत अथवा 37 प्रतिशत उपभोक्ता को पहुंचने के पूर्व उनके बीच के व्यक्ति (बिचौलिए) के पास जा रहा है। इसको समाप्त किया जा सकता है। हम वही कर रहे हैं।

तेल के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसे खुली सामान्य लाइसेंस नीति (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत लाया गया है, अब तेल के मूल्यों में स्थिरता आ रही है।

दालों के मामले में मुझे दुख है हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं है और अन्य देशों में जहां से हम दालें लेते हैं, वहां उनके वर्तमान मूल्य भारत में इनके मूल्यों से अधिक हैं, यह ऐसा है जिसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आज जो वहां स्थिति है हमें उससे काम चलाना है जब तक कि अन्य देशों में स्थिति सुधर नहीं जाती अथवा मूल्य कम नहीं हो जाते, इसलिए प्रत्येक वस्तु के मामले में मूल्यों पर नियंत्रण रखने या उसको कम करने या उनको कम रखने और उसमें वृद्धि न होने देने के लिए एक खास तरीका है। इसलिए इनमें से प्रत्येक वस्तु के मामले में सरकार जो कर सकती है वह कर रही है। मैं वस्तु-वार बता सकता हूं कि क्या किया जा रहा है। परन्तु मेरा यह कहना है कि अन्ततः उत्पादक को उचित मूल्य देना पड़ेगा और इसी आधार पर दूसरी चीजों का हिसाब लगाया जाएगा, हम एक सीमा से अधिक राज सहायता बढ़ाते नहीं रह सकते, इसलिए प्रश्न यह है कि हम कितना कर सकते हैं, प्रश्न यह है कि हम कितना दे सकते हैं, स्थिति यह है कि हम कितना दे सकते हैं, स्थिति यह है। मूल्य स्थिति किसी एक व्यक्ति या किसी एजेंसी के हाथ में नहीं है कि बटन दबाया और इसके मूल्य नियंत्रित हो गए या कम हो गए।

पश्च टिप्पण

XVII. **राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर 28 अप्रैल 1995**

1. **श्री बसुदेव आचार्य** : मारुति के बारे में क्या कहना है ?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मारुति आज की बात नहीं है। मारुति एक पुराना मामला है।

2. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : बम्बई क्लब के बारे में क्या कहना है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : यही मैं कह रहा हूं यदि कोई उदाहरण है तो हम निश्चय ही उनको देखेंगे, परन्तु जहां तक नीति का सवाल है और इसके परिणाम का सवाल है, ऐसा नहीं हुआ है, यही मैं कहना चाहता हूं।

महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. के बारे में कुछ आलोचना हुई हैं, यह एक ऐसा मामला है जो हमारे वाद-विवाद में आया है।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि भारतीय उद्योग का अहित नहीं हो रहा है तो हर दूसरे दिन यह कैसे सुनने में आता है कि कोई उद्योग पश्चिम बंगाल में बंद हो रहा है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हर तीसरे दिन मैं विशेषकर पश्चिम बंगाल के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संसद सदस्यों के बहुत प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करता हूं जिनके साथ यूनियन के नेता उनके अपने नेता होते हैं। वे मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है। मैं उनके मामले को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पास भेजता हूं और कुछ नहीं करता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं?

3. **श्री शोभनाद्री श्वर राव वाड्डे** (विजयवाड़ा) : खाद्यान्न की ढुलाई सभी क्षेत्रों में निर्बाध रूप से करने की अनुमति अभी नहीं दी जा रही है।

4. **श्री बसुदेव आचार्य** : इसका दुरुपयोग हुआ है।

शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से टाडा के बारे में कहा गया है कि उसका हम संशोधित रूप लाना चाहते हैं। हम सब तरफ के लोगों ने टाडा के सवाल को उठाने का काम किया है। इसका क्या रूप होगा? जो एक्सट्रीमिस्ट इलाके हैं वहां टाडा का इस्तेमाल किया गया है और लोग बंद हैं। आप इसको किस रूप में लाना चाहते हैं। यह बात भी आपको साफ करनी चाहिए।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : जब यह कानून देश के कुछ भागों में आंतकवादी गतिविधियों के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति से निपटने के लिए 1986 में बनाया, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इसके कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया जिससे कुछ लोगों को परिहार्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे विचार स्पष्ट हैं कि इस कानून को, जैसा कि यह है, जारी नहीं रखा जाना चाहिए। गृह मंत्री द्वारा परामर्श किए जाने के बाद गृह मंत्रालय अभी विकल्पों के

बारे में, जो कि हमारे सामने हैं, विपक्ष के नेताओं के सामने हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ परामर्श कर रहा है कि क्या विकल्प हैं और उनके अनुसार कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है... तब वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने अपना विकल्प दे दिया है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : कृपया आप बैठ जाइए, आप सारी सभा नहीं है।

गृह मंत्री के साथ परामर्श करने के बाद महोदय, यह सरकार आवश्यक विधान लेकर आएगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए, यह सच है कि अनेक सदस्यों ने अनेक महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं, परन्तु प्रत्येक विषय पर इस सभा में उपलब्ध समय पर उनका उत्तर देना कठिन है, अब ये विषय एक ही स्थान पर इकट्ठे उठाए गए हैं और इससे जानने की भावना का पता चलता है। मैं एक या दो सदस्यों को इन महत्वपूर्ण विषयों को उठाने की अनुमति दूंगा। ये ऐसे विषय नहीं होंगे जिन्हें सरकार को प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है परन्तु ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन्हें प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता है, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी इनका उत्तर देंगे। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे प्रश्न पूछें और यह मेरे स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि मैं इसकी अनुमति दूं या न दूं, मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे प्रश्न पूछें और इसकी अनुमति देने का या न देने का और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रधान मंत्री से कहने का स्वविवेक अपने पास रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : शहाबुद्दीन जी, यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए। जब आपकी बात होगी तो मैं आपको समय दूंगा, इस समय आपको अपनी बात कहने का समय नहीं है।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96

रक्षा मंत्रालय

16 मई 1995

अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि यह चर्चा विभिन्न चरणों में पूरी हो चुकी है। पहले दिन जो कुछ भी कहा गया था, संभवत: उसे आज तक भुला दिया गया है। लेकिन मुझे सब कुछ याद है और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी पूछा गया उसके बारे में मेरे मित्र, राज्य मंत्री ने अधिकतर तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किए हैं, फिर भी यदि माननीय सदस्यों को और कुछ सूचनाएं चाहिएं तो हम निश्चित ही वह सूचना उन्हें देंगे।

मैं अपने आप को कुछ ही मामलों, सरकार की रक्षा नीति से संबंधित कुछ मामलों तक ही सीमित रखूंगा और सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा और हर सम्भव इन बातों को स्पष्ट करूंगा।

पहली आलोचना एक असाधारण किस्म की आलोचना थी जिसमें यह कहा गया है कि हमारी कोई राष्ट्रीय रक्षा नीति नहीं है। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यह सत्य नहीं है।

हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय रक्षा नीति जैसा कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन ऐसे अनेक दिशानिर्देश हैं जिनका हमारे द्वारा पूर्णत: अनुसरण और पालन किया जाता है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:—

1. भूमि, समुद्र तथा आकाश में राष्ट्रीय क्षेत्र जिसमें हमारी भू-सीमा, द्वीप क्षेत्र तथा समुद्र तटीय सम्पत्ति और समुद्री व्यापार मार्ग भी सम्मिलित है।
2. हमारे देश का आंतरिक वातावरण इस प्रकार तैयार करना ताकि धर्म, भाषा, जाति अथवा सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के आधार पर इसकी एकता और प्रगति को कोई खतरा उत्पन्न न हो।
3. हमारे निकट पड़ोसी देशों पर उस सीमा तक प्रभावित करने में सक्षम होना ताकि उनसे सद्भावनापूर्ण संबंधों के साथ-साथ हमारे राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा हो सके।
4. क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व में प्रभावी रूप से योगदान देने हेतु सक्षम बनना तथा हमारे निकट पड़ोसी छोटे राष्ट्रों में अस्थिरता, जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, को दूर करने हेतु देश के बाहर प्रभावी आपातकालीन कार्यवाही करने की क्षमता प्राप्त करना।

प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के बारे में उल्लेख करते हुए सुझाव दिया गया है कि सरकार की एक सुस्पष्ट और व्यापक रक्षा नीति होनी चाहिए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने, प्राक्कलन समिति के 19वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी अपनी टिप्पणियों

में, समिति को स्थिति से पूरी तरह से अवगत करा दिया। समिति ने इस उत्तर को स्वीकार किया तथा, जैसाकि 41वें प्रतिवेदन में कहा गया है, इन्हें सिफारिशों के रूप में स्वीकार किया गया। नीति केवल अपने लिखित रूप में ही अलचीली नहीं है, अपितु ये दिशानिर्देश हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं जिन्हें, रक्षा नीति का पालन करते समय ध्यान में रखा जाता है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक स्पष्टीकरण अथवा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर ऐसी स्थिति में जब हमारी प्राक्कलन समिति इसे स्वीकार कर चुकी है, मैं नहीं समझता कि इससे कोई और प्रश्न उठ सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था। यह सच है कि पहले 1990 में हमने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया था तथा उसकी केवल एक बैठक हुई। उसके पश्चात् कुछ नहीं हुआ। जब इस सरकार ने सत्ता संभाली तो सदन के अंदर तथा बाहर इस बारे में सवाल उठाए गए। इस बीच सरकार ने इस मुद्दे पर काफी विचार-विमर्श किया। मेरे पास राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अथवा ऐसे किसी निकाय के गठन का वायदा करने का अवसर है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का ध्यान रखे तथा इसकी सभी संभावनाओं तथा विकल्पों की जांच करे।

मैंने इस महत्वपूर्ण विषय का पहले भी उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि हम 1990 में, इस विषय पर, सरकार द्वारा जारी आदेश की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चूंकि नई सरकार सत्ता में आई है इसलिए हम समग्र परिवर्तन चाहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी, में अनुभव के कारण यह पाया गया कि यह अक्षम थी। तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा, गृह, विदेश और वित्त जैसे संबद्ध मंत्रालयों के सचिवों तथा एजेंसियों के प्रमुखों सहित कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक सामाजिक नीति ग्रुप का गठन किया गया जिसका कार्य सामरिक नीति संबंधी पत्रों पर विचार करना था। उस समय लिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सभापति के रूप में प्रधानमंत्री, सदस्यों के रूप में रक्षा, गृह, वित्त और विदेश मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्रियों सहित कुछ अन्य लोगों को शामिल किया जाना था। वास्तव में यह वही था जो उस समय राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के रूप में था तथा इसमें एक या दो व्यक्ति और थे। यह एक सामान्य परिवर्तन या इसमें कोई स्वरूपात्मक परिवर्तन नहीं किया गया था। प्रबुद्ध गैर-अधिकारी व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, विद्वानों, पत्रकारों, भूतपूर्व सरकारी अधिकारियों, कुछ मुख्यमंत्रियों तथा संसद सदस्यों को मिलाकर एक काफी बड़े सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। यह बड़ा निकाय काफी बोझिल पाया गया तथा इसमें की गई चर्चा का कोई विशेष महत्व नहीं हुआ करता था क्योंकि इस बड़े निकाय में चर्चा के पश्चात् राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी विशेष निर्णय अथवा किसी विशेष निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। इस निकाय का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को व्यापक सूचना तथा विकल्प उपलब्ध कराने में सहायता पहुंचाना था। मेरा विचार है इसके कार्यकरण की जांच करने के पश्चात्

तथा उस बैठक में जो कुछ भी हुआ—कि इस आकार और संरचना के निकाय द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। हमने उपर्युक्त तंत्र की पूरी तरह समीक्षा की है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि वर्ष 1990 में जिस रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, वह राजनैतिक मामलों संबंधी कैबिनेट कमेटी से ज्यादा भिन्न नहीं है। दूसरी बात यह है कि, 1990 में प्रस्तावित सलाहकार बोर्ड अब बेकार हो गया है। इतने बड़े निकाय में चर्चा से लोग मुख्य विषय से भटक जाते हैं तथा सारी कार्यवाही अस्पष्ट और धुंधली हो जाती है। इन मामलों में संसद सदस्यों तथा शिक्षाविदों तथा अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों सहित गैर-सरकारी विशेषज्ञों से परामर्श करना महत्वपूर्ण तथा लाभदायक होता है। लेकिन ऐसा परामर्श, छोटे तथा सुगठित समूहों, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा विशेषज्ञता रखने वाले लोग हों, में अच्छे प्रकार से किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एक व्यापक विषय है। इसमें अनेक विषय होते हैं तथा उन विषयों पर चर्चा करते समय उस पर ध्यान देना तथा उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ होना आवश्यक है न कि विशेषज्ञों का एक निकाय जिससे कि हम मुख्य विषय से अलग हो जाएं। महोदय, यही हमारा विचार है तथा हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। किसी बड़े सलाहकार बोर्ड में हमेशा ही एक विशेष समूह से परामर्श करना फायदेमंद नहीं होता। अत: हम यह अनुभव करते हैं कि एक बड़े सलाहकार बोर्ड के स्थान पर, अध्ययन अथवा विचाराधीन किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित चुने हुए विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करना ज्यादा लाभदायक होगा। इन विशेषज्ञों को सामरिक नीति से संबंधित कागजातों को तैयार करते समय तथा इन पर चर्चा के दौरान उच्च स्तर पर इन विशेषज्ञों की सहायता लेना ज्यादा उपयोगी होगा। अन्य देशों में प्रचलित प्रणालियों की समीक्षा करने पर हमने पाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के संबंध में विभिन्न देशों में अलग-अलग संरचनाएं विद्यमान हैं जो कि उन देशों की शासन प्रणाली पर निर्भर करती है। जिन देशों में राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार होती है सामान्यत: उन्हीं देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संयुक्त राज्य अमरीका है। यह प्रणाली भारत में अपनाना कठिन है क्योंकि यहां केन्द्रीय सरकार अपना कार्य मंत्रिमंडलीय अथवा मंत्रिमंडल समिति, के माध्यम से करती है जिसका कार्यभार मंत्री के पास होता है और वे अपने विषय के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन नहीं किया गया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबन्धित कार्य पर विभिन्न मंत्रिमंडलीय समितियों, उदाहरणार्थ रक्षा तथा विदेश नीति संबंधी समिति, परमाणु रक्षा नीति संबंधी समिति, उत्तरी आयरलैंड संबंधी समिति, आसूचना सेवा संबंधी समिति, आदि में विचार किया जाता है। हमारे मामलों में, ब्रिटेन में प्रचलित प्रणाली ज्यादा उपयुक्त है। अत: हमारा यह विचार है कि सामरिक अथवा नीति संबंधी कागजातों को मंत्रियों के समक्ष विचारार्थ लाने हेतु हमें मंत्रियों की एक विशिष्ट समितियां अथवा मंत्रियों के समूहों का गठन करना होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। इस लचीली व्यवस्था के अंतर्गत संसद सदस्यों

और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, संबंधित प्रभारी मंत्री तथा अन्य मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल किया जा सकेगा जिनका योगदान महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि, आज एक अलग राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अस्तित्व में नहीं है किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार के लिए ऐसी व्यवस्था और प्रणाली विद्यमान है। मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्यरत संयुक्त आसूचना समिति संबद्ध मंत्रालयों तथा एजेंसियों से निरन्तर विचार-विमर्श करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सेनाध्यक्षों की समिति, जिनका अपना सचिवालय है, में निरन्तर विचार-विमर्श किया जाता है। संयुक्त आसूचना समिति के सभापति तथा अन्य एजेंसियों के प्रमुख सेनाध्यक्षों से विचार-विमर्श करते रहते हैं। ये सभी अभी भी कार्यरत हैं। इसमें सचिवालय के मुख्य समूह भी सहायता पहुंचाते हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की जांच करते हैं। ये व्यवस्था और प्रणाली सुचारू रूप से कार्यरत है लेकिन वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं होने के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं। हम इस सबसे ऊपर एक निकाय बनाना चाहते हैं जो विभिन्न तंत्रों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदनों तथा निष्कर्षों की जांच करेगा। वैसे तो ये तंत्र और प्रणाली सही ढंग से कार्य कर रहे हैं फिर भी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि कुछ मामलों में वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात यह है कि नीति संबंधी कागजातों का अध्ययन और उसे तैयार करते समय हमें गैर-सरकारी विशेषज्ञों सहित प्रबुद्ध व्यक्तियों को इसमें शामिल करना होगा। इस बात की भी आवश्यकता है कि दस्तावेज तैयार करते समय एक केन्द्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए न कि विभाग अथवा मंत्रालय। इसलिए, एक सर्वोच्च निकाय की आवश्यकता महसूस हुई।

राष्ट्रीय सुरक्षा के कई पहलु ऐसे हैं जिन पर किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग के स्थान पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह अथवा किसी केन्द्रीय एजेंसी द्वारा संबंधित मंत्रालयों और निकायों को सहयोजित करके एक समग्रतापूर्ण एवं समेकित कार्य योजना के लिए नीति तैयार किया जाना बेहतर होगा। अत: दोनों पहलुओं, अर्थात् किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित विशिष्ट पहलू अथवा किसी मुद्दे पर सामान्य पहलू सहित एक विशिष्ट तंत्र, और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक निकाय, जो कि अनियंत्रणीय नहीं अपितु एक सर्वोच्च निकाय है, जो सभी पहलुओं पर ध्यान देने के अतिरिक्त सबके साथ समन्वय बनाए रखना, भी आवश्यक है और मैं समझता हूं कि हम शीघ्र ही एक सही निष्कर्ष पर अतिशीघ्र पहुंचेंगे और समिति की उपयुक्त संरचना तैयार कर पाएंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह मसला उठाया है तथा इस मसले पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का मुझे अवसर दिया है। हम अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में संलग्न हैं तथा औपचारिक निर्णय लेने से पूर्व हम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में अपने प्रस्तावों पर माननीय सदस्यों के विचार अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। यह लगभग तैयार है और अंतिम चरण में है तथा बिना और अधिक समय गंवाए मैं माननीय सदस्यों के विचार जानने हेतु उनके समक्ष आऊंगा।

तीसरा मुद्दा जो मुख्यत: उठाया गया है, वह परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) के बारे में है। अत्यधिक रोचक एवं निराशाजनक बात यह है कि एक माह पूर्व एन.पी.टी. के पुनरीक्षण हेतु न्यूयॉर्क में सम्मेलन हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता। हमारी स्थिति स्पष्ट है। मैं यह नहीं समझ पाया कि इस सम्मेलन से क्या उपलब्धि हुई। शायद इसमें भाग लेने वाले लोगों द्वारा यथासमय मुझे अवगत करा दिया जाएगा। परन्तु जहां तक मैं समझता हूं केवल यह उपलब्धि हुई है कि एन.पी.टी. के समय को वर्तमान रूप में अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। आरम्भ से अर्थात् 1968 से जब से परमाणु अप्रसार संधि हुई है, भारत का यह विचार है कि यह संधि, जिस रूप में प्रारूपित एवं स्वीकृत की गई है, पक्षपातपूर्ण है। यह परमाणु के ऊर्ध्वाकार प्रसार की अनुमति देती है। विश्व को, परमाणु क्षमता प्राप्त तथा परमाणु क्षमता रहित, दो भागों में विभाजित करती है, तथा वास्तव में परमाणु क्षमता रहित राष्ट्रों, जो कि स्वयं के प्रयासों से इसे प्राप्त करने ही वाले हैं, को ऐसा करने से रोकने हेतु बनाई गई है। उनका विचार यह है कि "हमने परमाणु क्षमता प्राप्त कर ली है, हम इसे अपने पास कायम रखेंगे परन्तु किसी दूसरे राष्ट्र को यह क्षमता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी"। महोदय वास्तव में यह सफल नहीं हो पाई। इस संधि से निशस्त्रीकरण नहीं हो पाया है और उन राष्ट्रों पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लग पाया है जो परमाणु क्षमता प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्त कर रहे हैं, जिन पर एन.पी.टी. द्वारा रोक लगाने की आशा की गई थी वे दोनों ही बातें हो रही हैं। जब यह इन दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है, ऐसी स्थिति में मुझे यह नहीं समझ आता कि ऐसी संधि को अनिश्चितकाल के लिए क्यों बढ़ाया गया है। इसका केवल यही तात्पर्य है कि वर्तमान स्थिति तथा इससे भी खराब स्थिति अनिश्चित समय तक जारी रहेगी। यह हमारी नीति के निहितार्थ के विरुद्ध है। इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मैं एक और संगत और विशेष बात कहना चाहूंगा कि जिस समय देशों के प्रतिनिधि एन.पी.टी. पर विचार-विमर्श कर रहे थे उस माह के दौरान क्या घटित हुआ? घटना इस प्रकार है। यह "ग्रीनपीस", जो एक गैर-सरकारी संगठन है, के दस्तावेज से ली गई है। मैं इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि क्या-क्या घटित हो रहा है। पहली घटना निम्नलिखित है:—

> "जब गत माह परमाणु अप्रसार वार्ता हेतु राजनयिक संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित थे, उसी समय ब्रिटेन ने अपनी नवीनतम ट्राइडेंट परमाणु पनडुब्बी निगरानी हेतु भेज दी। शनिवार, 29 अप्रैल को यह 'वैंगार्ड' नामक पनडुब्बी अपनी दूसरी निगरानी यात्रा पर गई। "वैंगार्ड" पर ट्राइडेंट मिसाइलों के साथ-साथ 100 किलो टन के 96 परमाणु शस्त्र हैं। प्रत्येक प्रक्षेपास्त्र की मारक दूरी 4500 मील तक है तथा प्रत्येक अस्त्र में हिरोशिमा में डाले गए बम जैसे 640 बमों के बराबर मारक क्षमता है।"

ऐसा उस समय हो रहा है जब वे एन.पी.टी. के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी घटना इस प्रकार है:—

> "फ्रांस ने एक नए भूमि परमाणु परीक्षण केन्द्र का उद्घाटन किया है। अप्रैल माह के अंत में प्रधानमंत्री एडुआर्ड बालादुर ने बोरदो के निकट परमाणु अस्त्रों के कृत्रिम परीक्षण हेतु

लेसर केन्द्र का उद्‌घाटन किया। इस केन्द्र पर छह बिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक की लागत का अनुमान है। रविवार 7 मई को फ्रांस के निर्वाचित राष्ट्रपति जैक शिराक ने कहा कि यदि सेना विशेषज्ञों ने परामर्श दिया तो फ्रांस में परमाणु परीक्षण पुन: प्रारंभ किया जाएगा।"

यह बात उन्होंने अपने निर्वाचन से पूर्व कही थी। निर्वाचन के बाद—

"न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से उन्होंने कहा कि फ्रांस परीक्षण कार्यक्रम संपन्न होने से पूर्व पांच से सात तक परमाणु परीक्षण कर सकता है।"

इस तरह इस प्रकार की गतिविधियां पहले की तरह सामान्य ढंग से हो रही हैं। उस एक माह के दौरान जब वे इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे थे कि एन.पी.टी. को जारी रखा जाए अथवा नहीं, या इसे संशोधनों सहित जारी रखा जाए अथवा बिना किसी संशोधन के उसी समय वे बेरोक-टोक बिना सोचे-विचारे ऐसे काम लगातार कर रहे थे। इस मामले में सारे प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एक ओर हम वार्ता जारी रखते हैं किंतु दूसरी ओर हम वही कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं। इन बातों की एक लम्बी सूची बन सकती है कि रूस क्या कर रहा है, संयुक्त राज्य अमरीका क्या कर रहा है तथा अन्य राष्ट्र क्या कर रहे हैं। मैं इसे विस्तार से नहीं कहना चाहता। मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह हमें स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए हमने इसे स्वीकार नहीं किया है। हम कोशिश करेंगे। हम अपने प्रयास जारी रखेंगे कि एक निष्पक्ष परमाणु अप्रसार संधि हो तथा 1988 में निशस्त्रीकरण पर एक विशेष सत्र में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा दी गई कार्ययोजना, जो कि एकमात्र सकारात्मक दस्तावेज है और पिछले सात वर्षों से उनके विचारार्थ लम्बित है, को स्वीकार किया जाए। अब तक इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है और इसे अस्वीकृत भी नहीं किया गया है, यहां तक कि इस पर विचार भी नहीं किया गया जबकि ऐसी अपेक्षा थी। इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे विचारों के पूर्णत: प्रतिकूल है। इसे एक नया मोड़ दिए जाने की आवश्यकता है। हमें ऐसा करना ही है। हमें केवल यह कहकर छुटकारा नहीं पाना चाहिए कि बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। हम इसे नहीं रोक सकते। जी नहीं, हम इसे बिल्कुल नहीं रोक सकते। हमें इसके साथ ही रहना होगा। यह हमारा विचार है। यही विचार उचित है। परमाणु क्षेत्र में परमाणु क्षमता सहित और परमाणु क्षमता रहित दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 20 वर्ष लगें अथवा 15 वर्ष परन्तु एक समय के बाद वे यह क्षमता प्राप्त कर लेंगे। जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण निशस्त्रीकरण नहीं होगा, तब तक निरस्त्रीकरण नहीं हो सकता और इस देश में तो यह कभी नहीं हो सकता। यह सर्वविदित है कि परमाणु सामग्री की बड़ी पैमाने पर तस्करी हो रही है। हम समाचार पत्रों में यह रोजाना पढ़ते हैं। ऐसा बहुत से देशों द्वारा किया जा रहा है, मैं उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझता। क्या यह निरस्त्रीकरण के लिए अनुकूल वातावरण है। क्या एनपीटी को अनिश्चितकाल के लिए जारी रखकर विश्व इसी प्रकार का निशस्त्रीकरण करना चाहता है। हम इससे सहमत नहीं हैं मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी पक्ष इस बात पर सहमत

होंगे कि इस सम्मेलन ने मानवता के लिए कोई उपयोगी योगदान नहीं किया है। हम परमाणु और अन्य अस्त्रों सहित सभी प्रकार के विध्वंसकारी अस्त्रों को पूर्ण रूप से नष्ट करने के पक्ष में हैं। तो स्थिति यह है और मुझे विश्वास है कि यह सभा इस विषय में सरकार की स्थिति को समझेगी।

एक अन्य प्रश्न जो उठाया गया था वह युद्ध स्मारक के बारे में था। मेरे विचार से इस पर काफी समय लगा है। परन्तु स्थिति वैसी ही है। एक मार्च को सेनाध्यक्षों की समिति ने सिफारिश की थी कि धौला कुआं में रक्षा सेवा अधिकारी संस्थान के सामने 32 एकड़ भूमि पर एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाए। चूंकि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, अत: इसके डिजाइन तथा मॉडलों को एक खुली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आधार पर बनाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के डिजाइन एवं मॉडल के चयन के उपरान्त ही स्मारक के निर्माण के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

युद्ध संग्रहालय के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था। इस संबंध में स्थिति यह है कि सेना मुख्यालय से अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्तावित युद्ध संग्रहालय के लिए एक उचित स्थल का पता लगाएं। खेद है कि इसमें भी काफी समय लग गया है तथा इस संबंध में बहुत से विचार हैं। अंतिम निर्णय करने में कुछ कठिनाई आ रही है। स्थल के चयन के बाद युद्ध संग्रहालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

एक माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सुझाव यह दिया था कि सेना में सक्रिय सेवा की अवधि को घटा कर सात वर्ष कर दिया जाए तथा सेना से निवृत्ति के बाद सैनिकों को अर्द्ध सैनिक बलों अथवा राज्य पुलिस बलों में नियोजित किया जाए। इसमें अच्छाई और बुराई दोनों हैं। परन्तु कुल मिलाकर सुझाव अच्छा है। हम इसमें कुछ परिवर्तन और संशोधन कर सकते हैं। हम इसकी विस्तृत जांच करेंगे। इसका लाभ यह है कि यद्यपि सैनिक की सक्रिय सेवा में कमी कर दी जाएगी परन्तु फिर भी उसे घर वापस नहीं भेजा जाएगा। उसे जब वह सक्रिय एवं युवा है तथा उसके पास सेना में प्राप्त सात वर्ष का अनुभव है, ऐसी अवस्था में ही अर्द्ध सैनिक बलों में स्थान मिल जाएगा। अत: इसमें दोनों तरह से फायदा है। परन्तु हमें यह देखना होगा कि प्रतिवर्ष 20,000 से 25,000 पदों का सृजन किया जाए। क्या राज्य पुलिस बलों में भर्ती होने के इच्छुक स्थानीय आकांक्षी युवकों के अतिरिक्त 20,000 से 25,000 व्यक्तियों को समायोजित किया जा सकता है – ये सभी मामले हैं जिनके संबंध में हमें राज्य सरकारों से परामर्श करना होगा। परन्तु सुझाव अच्छा है तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी गहराई से जांच की जाए।

आवास की कमी के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। मैं मानता हूं कि कमी है और मैं समझता हूं कि इस वर्ष निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि आबंटित की जाएगी। नियत धनराशि का भुगतान कर दिया गया है और इससे विवाहितों हेतु अतिरिक्त आवास का निर्माण किया जाएगा जिसमें से अधिकारियों के लिए 506 क्वार्टर, जूनियर कमीशन्ड अफसरों के लिए

505 क्वार्टर तथा अन्य रैकों के लिए 4215 क्वार्टर बनेंगे – इस प्रकार कुल 5226 क्वार्टर बनेंगे। सेनाओं के मुख्यालयों को निजी आवास किराए पर लेने का प्राधिकार प्रदान किया गया है। इससे कमियां घटी हैं तथा संतुष्टि का स्तर बढ़ा है। लेकिन जिस ढंग से और जिस डिजाइन के हम चाहते हैं उसी प्रकार के स्वत: पूर्ण सुविधा सम्पन्न आवास के निर्माण से ही स्थायी उपाय संभव है। किराए पर आवास लिया जाना अस्थायी व्यवस्था मात्र हो सकती है।

एक प्रश्न जो उठाया गया था वह मिग-21 (बिस) की श्रेणी में सुधार करने के बारे में है और यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है। दिए गए वक्तव्य में कुछ त्रुटियां थीं। मैं इस बारे में गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। मिग-21 (बिस) विमान 1977 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। मिग-21 (बिस) विमान केवल 15 वर्षों से ही उपयोग में लाया जाता रहा है। पिछले दशक से प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति विशेषत: एयरबोर्न रडार शस्त्रों तथा विमान संचालक आक्रमण प्रणाली में उन्नति के कारण मिग-21 (बिस) की लड़ाकू क्षमता में काफी वृद्धि हुई है जो पहले संभव नहीं थी। वर्तमान प्रस्ताव में एयर इन्टरसेप्शन रडार का अनुकूलन विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, हवा से जमीन पर सीधे मार करने वाले नियंत्रित अस्त्र तथा परिशुद्ध विमान संचालन आक्रमण व रक्षा प्रणाली शामिल हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि इस प्रकार के सुधार भी संभव है। मुझे तो केवल चार वर्ष पहले ही इनके बारे में मालूम हुआ और तभी से हम इन चीजों को शामिल कर रहे हैं और इस प्रकार श्रेणी में सुधार किया गया है। दस वर्ष पहले ये सुधार संभव नहीं थे। जिस प्रकार के सुधारों के बारे में विचार किया जा रहा है उसके परिणामस्वरूप विमान की लड़ाकू क्षमता में काफी सुधार होने की संभावना निश्चित रूप से प्रबल है। तो स्थिति इस प्रकार आपके सामने स्पष्ट है। ऐसा करने में हम और समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि सभी प्रकार के जांच और प्रयास किए जा रहे हैं। वे अंतिम चरण में हैं और निश्चित रूप से फलीभूत होंगे।

जगुआर विमानों के बारे में भी कुछ कहा गया था। शुरू में तो जगुआर विमान बगैर ब्लैक बॉक्स के हासिल किए गए थे। बाद में इसे विमानों में लगाया गया। महोदय, अब हालत ये है कि 16 जगुआर 1979 में रॉयल एयर फोर्स से उधार लिए गए। इन विमानों में ब्लैक बॉक्स नहीं लगे हुए थे क्योंकि रॉयल एयर फोर्स ने अपने निर्माण मानक के मद्देनजर अपने विमानों में इनकी मांग नहीं की थी। तथापि जब 1980-81 में हमने अपने लिए विमान खरीदे तो उनमें ब्लैक बॉक्स लगे हुए थे क्योंकि हमारे एस.पी.ओ. ने उसकी मांग की थी। तो स्थिति यह है। ऐसा नहीं कि हमने बगैर ब्लैक बॉक्स के ही जगुआर खरीद लिए थे। यह सत्य नहीं है। पहले 16 विमान हमने किराए पर लिए थे। उनमें ब्लैक बॉक्स नहीं था क्योंकि तत्कालीन स्थिति के अनुसार उनमें ब्लैक बॉक्स लगाया जाना अपेक्षित नहीं था।

मेरे विचार से ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो नीति से संबंधित हैं, जिन्हें चर्चा के दौरान उठाया गया था। यदि कोई बात मैं कहने से चूक गया हूं तो, इस समय संभव होने पर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं माननीय सदस्यों को लिखित रूप से जवाब भेज सकता हूं।

*** *** ***1

महोदय, मैं इस सभा को याद दिला दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा संबंधी उत्तर में मैंने यथावश्यक सविस्तार बताया था। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अग्नि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना है। हमने इसके परीक्षण पहले ही कर लिए हैं तथा कुछेक और किए जाने हैं और वर्तमान स्थिति यही है। मैंने फैक्टरी का दौरा किया। हाल ही में मैंने अग्नि तथा पृथ्वी दोनों देखे हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसी इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी उसी के अनुरूप जारी रहेगा। इसमें किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाएगी और इसमें कोई संशोधन भी नहीं किया जाएगा। इस सब के बारे में मैंने पहले ही दोनों सभाओं में बता दिया है। 'पृथ्वी' का परिनियोजन विचाराधीन है इसके अगले चरण में पहुंचने तक मैं सभा को विश्वास में ले सकता हूं। इसके बारे में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैं एक बार फिर सभा को विश्वास दिलाता हूं, हालांकि मैं ऐसा पहले ही कर चुका हूं और जिसके बारे में हम पर आरोप लगते रहे हैं। हकीकत यह है कि इसमें सरकार को न तो फुसलाया गया है अथवा न दबाव डाला गया है अथवा न कोई और बात आदि की गई है, हमारे कार्यक्रम में जिसकी हमने ऐसी परिकल्पना की है, उसमें रत्तीभर भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

*** *** ***2

मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी देश की खतरे की आशंका स्थिर नहीं है। इसका कुछ भाग स्थिर है और कुछ परिवर्तनशील है। जो परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती है। चार वर्षों में मेरा सेनाध्यक्षों से परिचय होता रहा है उन्होंने लगातार दो वर्षों में मुझसे वही बात नहीं बताई है वे खतरे की आशंका के बारे में अद्यतन स्थिति और उसका सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी देते रहे हैं।

यह सत्य है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी किस देश में नहीं है? हमारे पास संसाधनों की भी कमी है। उदाहरण के लिए अवाक्स को ही लीजिए। हमने अवाक्स प्राप्त करने की कभी भी कोशिश नहीं की। अवाक्स इसका यह मतलब नहीं है कि हम अवाक्स के बिना असुरक्षित हैं।

हमारे देश के लोग अवाक्स विमान का सामना करने हेतु स्वदेशी तकनीक विकसित करने में काफी प्रवीण रहे हैं और आज सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि देश के लिए अवाक्स आवश्यक नहीं है। इसलिए वे अपना कार्य काफी कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। मैं संतुष्ट हूं कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने जो बचत की है और जो परिवर्तन किए हैं। वास्तव में प्रशंसनीय हैं। यदि संसाधनों की कमी नहीं रही होती तो मुझे विश्वास है कि वे ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए एक आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति की है।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सशस्त्र सेनाओं की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता पर ऐसा प्रभाव पड़ने नहीं दिया जाएगा कि यह समय-समय पर हमारी खतरे की आशंका का सामना

करने की क्षमता में बाधक बने। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं। वास्तव में जिन कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा की गई और उस ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया उन क्षेत्रों में मैंने इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है। मैंने उसमें सुधार किया है। यह स्थिति साल दर साल बनी रहेगी। ऐसी बात नही है कि हम विगत वर्ष की तुलना में कुछ कम या अधिक राशि का आबंटन कर रहे हैं। हम सभी ब्यौरों की जांच कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, किसी एक वर्ष सरकार जल सेना को कुछ अधिक धनराशि आबंटित करती है दूसरे वर्ष सरकार वायु सेना या थल सेना या उत्पादन इकाइयों को कुछ अधिक धनराशि आवंटित करती है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि यह सब कुछ अत्यधिक सावधानी से किया जा रहा है।

हमारे रक्षा उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है माननीय मंत्री द्वारा उल्लेख की गई मदें एक सतत् प्रक्रिया का अंग हैं। मैं इस बारे में विस्तृत रूप से नहीं कह सकता हूं और उनसे यह नहीं बता सकता हूं कि क्या प्रारम्भ किया जा रहा है और क्या नहीं। यदि कोई तकनीकी या उपकरण सम्मिलित किया जाना है तो इसका अर्थ है कि यदि आवश्यक होगा तो इसे सम्मिलित किया जायेगा। मैं पुन: कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आवश्यक होगा उसे किया जाएगा और इसे धन की कमी को लेकर रोका नहीं जाएगा। रक्षा मंत्रालय का प्रभारी होने के नाते मैं यही कह सकता हूं। जब सेना को लगे कि कोई चीज आवश्यक है तो वे इसे न्यायोचित ठहराते हैं। जहां तक हम कर सकते हैं हम कई विकल्पों के बारे में विचार करते हैं किंतु हम अपनी क्षमता और प्रभावकारिता पर समग्र रूप से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है?

वास्तविक मुद्दा क्या है कि यह सब किस प्रयोजन के लिए है? मेरी राय, जिससे मेरे साथ कुछ संसद सदस्य सहमत न हों, यह है कि यह हमारे अपने प्रयोजनों के लिए होना चाहिए, इसका उपयोग वाणिज्यिक शोषण के लिए नहीं है। हमारी विदेश नीति और हमारी शांति की नीति और मौत के सौदागर बनने की प्रकृति के विरुद्ध है। महोदय, इस मुद्दे पर मेरा मत अलग है। इसके अलावा जहां तक हमारे देश की रक्षा, हमारे प्रादेशिक क्षेत्र और रक्षा प्रयोजनों का संबंध है हम अन्य देशों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित कर रहे हैं और करना चाहते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में हमें अलग मत रखना होगा। सामान्य परिस्थितियों में हम वाणिज्यिक बनना नहीं चाहते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। किंतु इस प्रश्न का पूर्ण समाधान नहीं मिला है। हमारे पास विकल्प हैं उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। उदाहरणार्थ छोटे हथियारों के मामले में जो मैंने कहा है, उसमें कुछ अलग नीति अपनाई है, लेकिन हमें कहां रूकना चाहिए? यदि हम वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण निर्यातक और हथियारों और गोला बारूद के विक्रेता बनना चाहते हैं तो यही बात शायद इस सभा के ध्यान में लानी होगी। हमें इस पर चर्चा करनी होगी, सरकार को इसकी विस्तृत रूप से जांच करनी होगी।

हमारे कुछ साथियों ने मुझे इसे निरंतर व्यवहार में लाने के लिए कहा है लेकिन मैं जरा हिचकिचाता रहा हूं। आज तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि साधारण सा कारण है कि हम

कहीं भी इसके समीप नहीं हैं। यदि आप ऐसा चाहेंगे तो हम शायद दस अथवा पन्द्रह वर्षों में इसके समीप पहुंच जाएगें।

अत: प्रश्न जरा पूर्वकालिक है और हम अपने को इन चर्चाओं में नहीं खोना चाहते हैं। आओ पहले हम अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करें और वे आवश्यकताएं बढ़ रही हैं क्योंकि खतरा बढ़ रहा है इसलिए, आवश्यकताएं बढ़ रहीं हैं। दूसरी ओर, हमें खतरा कम करने पर भी ध्यान केन्द्रित करना है एक देश के मामले में हमने काफी हद तक ऐसा करने की व्यवस्था कर ली है। अत: रक्षा तथा विदेश संबंधी मामले और वैदेशिक संबंध साथ-साथ चलते हैं यह एक ऐसी चीज है जिसे हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते और इस संबंध में हमारी स्थिति सुखद है।

*** *** ***3

महोदय, जहां तक बोफोर्स का संबंध है। यह मसला बहुत पहले से स्विट्जरलैंड के ऊपर छोड़ दिया गया है। यह स्विट्जरलैंड की अदालत में है जो न तो हमारे अधिकार क्षेत्र में है और न ही इस विषय में हमें वहां कुछ करना है। इस पर निर्णय लेना उनका काम है। उनकी अपनी अपील है तथा दूसरी प्रक्रियाएं हैं। जो इस मामले में विलंब कराने में रुचि ले रहे हैं, वे कानून की किसी भी उपलब्ध प्रक्रिया के माध्यम से विलम्ब करवा रहे हैं, ऐसा प्रत्येक देश में होता है। अत: इसमें मुझे इसके सिवाय और कुछ नहीं जोड़ना है कि इस समूचे मसले को स्विट्जरलैंड पर छोड़ दिया है।

पश्च टिप्पण

XVIII. अनुदानों की माँगे (सामान्य), 1995-96 16 मई 1995

1. **अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से, हमने काफी लम्बे समय तक रक्षा मंत्रालय की मांगों की चर्चा कर ली है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वाकई समय बहुत ज्यादा लगा है।

अध्यक्ष महोदय : दोनों ही बातें सही हैं। अत: एक या दो प्रश्न जो बड़े प्रासंगिक हैं उन्हें ही उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं केवल एक बात जानना चाहता था जिसे शायद मैं नहीं समझ सका। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब सरकार किसी किस्म के संशोधित ढांचे के बारे में विचार कर रही है। जिस ढांचे को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या कुछ और नाम दिया जा सकता है। इसे कोई दूसरा नाम भी दिया जा सकता है। यह किसी किस्म का मुख्य ढांचा हो सकता है जिसके लिए कतिपय उप-समितियों का गठन किया जा सकता है। इसे अंतिम रूप अभी दिया जाना है। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की इसमें क्या भूमिका होगी? इस नए ढांचे में जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, इसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की क्या भूमिका होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था हमें जो जानकारी है वह ठीक है अथवा गलत.........

श्री पी.वी. नरसिंह राव : गलत।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ...आपको इसकी जांच कर लेनी चाहिए तो हमें यही जानकारी है कि रक्षा नीति, रक्षा योजना आदि सभी मसलों में तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की सामान्यतया उपेक्षा की जाती रही है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : महोदय, यह ठीक नहीं है। सेना अध्यक्ष भी रक्षा संबंधी सलाह-मशविरे में शामिल होते हैं और शामिल होते रहेंगे क्योंकि उनके बिना वास्तव में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय राज्य मंत्री ने चर्चा के दौरान हस्तक्षेप किया था तो उन्होंने केवल संक्षेप में मिसाइलों के प्रश्न का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वे संक्षेप में इसका जिक्र करेंगे क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री मुख्य चर्चा का जवाब देने के लिए आएंगे तो वे ही इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं मिसाइलों के बारे में हुई चर्चा को सुन नहीं पाया, शायद माननीय प्रधानमंत्री उन दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे जिसके बारे में राज्य मंत्री ने उत्तर दिया था। अर्थात् पृथ्वी तथा अग्नि के बारे में बताएंगे और इससे वह बात पूरी हो जाएगी जिसे अधूरा छोड़ा जा रहा था।

2. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी** (गढ़वाल) : मैं दो मसले उठाना चाहता हूं। एक मसला तो वह है कि जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने रक्षा नीति के संबंध में बोलते हुए प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने कहा है कि प्राक्कलन समिति ने सरकार का विचार स्वीकार कर लिया है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को अवश्य पढ़िए। इसमें रक्षा मंत्रालय के जवाब के संबंध में प्राक्कलन समिति द्वारा की गई कतिपय सिफारिशों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं यदि आप उनको पढ़ेंगे तो उसकी सम्भवत: छवि भिन्न रूप में प्रस्तुत होगी। प्राक्कलन समिति के 19वें प्रतिवेदन में बहुत से अच्छे सुझाव दिए गए हैं, लेकिन मंत्रालय का उत्तर नकारात्मक ही रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री खण्डूरी जी, प्राक्कलन समिति द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिवेदन मंजूर कर लिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने केवल यही बात कही है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : उन्होंने केवल रक्षा नीति के बारे में बात की जबकि प्रतिवेदन में और कई सिफारिशें हैं। मैंने उन्हें पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : हम प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन क्या है और इसमें क्या सिफारिशें हैं। इस समय यह प्रतिवेदन हमारे पास नहीं है कृपया दूसरे मुद्दे पर आइए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : मेरा प्रधानमंत्री से निवेदन है कि प्राक्कलन समिति की अन्य सिफारिशें हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सभा में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उन सिफारिशों की सरकार द्वारा ठीक तरह से जांच की जानी है और उस पर की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, कृपया इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। दूसरे मुद्दे पर आइए। यह मेरा निर्णय है। आपको दूसरी बात पर आ जाना चाहिए।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : मैं की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन के बारे में बात कर रहा हूं कि मूल प्रतिवेदन के बारे में अब मैं आगे बोलूंगा।

दूसरी बात यह है कि मैंने खतरे की आशंका के बारे में एक मुद्दा उठाया था और मैंने दो विशेष प्रश्न पूछे थे। सर्वाधिक खतरे की संभावना किस वर्ष रही जिसकी सरकार ने गणना की है। सर्वाधिक खतरे का वर्ष कौन सा है? यह कितना पुराना है? क्या यह 10 या 15 साल पुराना है? यह एक प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न खतरे की आशंका पर आधारित है। सरकार ने सशस्त्र सेनाओं को कुछ कार्य सौंपे हैं। क्या सशस्त्र सेनाओं ने वह क्षमता प्राप्त कर ली है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कहते हैं कि धन की कमी के कारण सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण संभव नहीं है। जब सशस्त्र सेनाओं के पास क्षमता नहीं रही है तो क्या सरकार ने उनके

कार्यों में कमी की है या सरकार आशा कर रही है कि काम चलाऊ नीति या तदर्थवाद द्वारा सशस्त्र सेनाएं काम करेंगी? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

3. **श्री श्रीकान्त जेना (कटक)** : एक मसले पर हमने लगभग समूचे विपक्ष ने कटौती प्रस्ताव दिया है, वह मामला है बोफोर्स का और आपने सभा को आश्वासन दे दिया है कि ''मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देख रहा हूं और मैं सारे मसले की जांच–पड़ताल कर रहा हूं।'' अतः क्या माननीय प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोफोर्स के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है।

फिरोजाबाद के निकट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिन्दी एक्सप्रेस के बीच रेल दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य

21 अगस्त 1995

अध्यक्ष महोदय, बडे दुख के साथ मुझे सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल के फिरोजाबाद स्टेशन पर 20.8.1995 को 02.55 बजे 4023 कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से के साथ 2801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गई।

*** *** ***1

यह दुर्घटना तब हुई जब फर्रूखाबाद से दिल्ली की ओर चल रही 4023 कालिंदी एक्सप्रेस के नीचे एक पशु के कुचले जाने के कारण हौज पाइप अलग हो गया और गाड़ी को फिरोजाबाद स्टेशन के अग्रिम स्टार्टर के निकट रुकना पड़ा।

इसी दौरान, 2801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जिसे सभी सिगनल हरे मिले और जो उसी लाइन पर चल रही थी कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई जिसके परिणामस्वरूप पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के 8 सवारी डिब्बों और रेल इंजन सहित कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले 5 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए और जिसके परिणामस्वरूप यातायात अवरुद्ध हो गया। इस दुर्घटना में नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 251 व्यक्तियों की जानें गई और 220 व्यक्तियों को चोटें आई। टूंडला, कानपुर, आगरा तथा दिल्ली से चिकित्सा उपस्कर सहित राहत गाडियां और डाक्टरों के दल तत्काल भेजे गए। इसके अलावा टुंडला, आगरा, इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के स्थानीय अस्पतालों से स्थानीय डाक्टर एम्बुलेंसों सहित आए और घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की। बाद में, घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया था जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

दुर्घटना के बारे में सूचना मिलने पर, श्री मल्लिकारर्जुन, रक्षा राज्य मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, यातायात और बिजली तथा सलाहकार, सिगनल के साथ दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये। महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे चिकित्सा राहत तथा परिचालन बहाली के लिए विभागाध्यक्षों तथा डाक्टरों के दल के साथ पहले ही दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए थे।

दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों तथा घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है । फंसे हुए यात्रियों को दुर्घटना स्थल से एक विशेष गाड़ी द्वारा 8.25 बजे रवाना कर दिया गया था। घायलों तथा मृत यात्रियों के संबंधियों को दुर्घटना स्थल तक पहुंचाने के लिए विशेष गाडियों द्वारा प्रबंध किए गए हैं।

प्रथम दृष्टि में, दुर्घटना मानवीय चूक के कारण हुई है। रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए इसकी सांविधिक जांच करेंगे।

सभी रेल कर्मचारी तथा मैं इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना तथा घायलों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। हमने ऐसा संकल्प पहले ही पारित कर दिया है।

पश्च टिप्पण

XIX. फिरोजाबाद के निकट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिन्दी एक्सप्रेस के बीच रेल दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य 21 अगस्त 1995

1. **श्री राजबीर सिंह** (आंवला) : प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी नहीं है। फिरोजाबाद इलाहाबाद के पास नहीं है वह दिल्ली के पास है, आगरा के पास है। बड़े दुःख की बात है कि प्रधानमंत्री के पास रेल विभाग होने के बावजूद इनको पता नहीं है कि फिरोजाबाद कहां है। ये इलाहाबाद के पास कह रहे हैं।

श्री राजवीर सिंह : प्रधानमंत्री जी वहां गये तक नहीं, यहां उत्सव मना रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह इलाहाबाद मण्डल में है।

"इन्सेट - 2 सी" उपग्रह का प्रक्षेपण के संबंध में वक्तव्य

7 दिसम्बर 1995

इस महान सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन एवं निर्मित इन्सैट-2 सी उपग्रह को आज सुबह सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इन्सैट-2 सी उपग्रह को लेकर एरियाने प्रमोचक राकेट ने फ्रेंच गियाना में स्थित कौरू से भारतीय समयानुसार प्रात: 04.53 बजे उड़ान भरी और उसे 200 कि.मी. की उपभू कक्षा और 35976 कि.मी. की अपभू कक्षा के साथ भू-तुल्यकालिक अन्तरण कक्षा में स्थापित किया। उपग्रह अब प्रति साढ़े दस घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है।

कर्नाटक के हासन में स्थित इन्सैट मुख्य नियंत्रण सुविधा ने इन्सैट-2 सी के कक्षा में अन्त:क्षेपण के लगभग दो निमट बाद दूरमिति संकेतों को प्राप्त किया और उपग्रह की कार्य प्रणाली के सामान्य होने की पुष्टि की है। उपग्रह को प्रचालनात्मक बनाने के पहले कई युक्तिचालन कार्य आयोजित किये जाने हैं। उपग्रह में रखी द्रव अपभू मोटर की फायरिंग द्वारा इन्सैट-2 सी की कक्षा को, भूमध्यरेखीय तल में पृथ्वी से लगभग 36,000 कि.मी. ऊपर उसकी अन्तिम भू-तुल्यकालिक कक्षा तक, संवर्धित किया जाएगा। उपग्रह द्वारा निकट भू-तुल्यकालिक कक्षा प्राप्त करने के बाद दो सौर व्यूहों और दो एन्टेनाओं का प्रस्तरण किया जाएगा। तदनन्तर, उपग्रह पर स्थित सभी नीतभारों की जांच की जाएगी। कक्षा संवर्धन, उपांगों का प्रस्तरण तथा सभी नीतभारों की, प्रारंभिक जांच लगभग तीन सप्ताह में हो जाने की संभावना है।

इन्सैट मुख्य नियंत्रण सुविधा से ये सभी प्रचालन कार्य आयोजित किये जायेंगें और मुझे विश्वास है कि इन्सैट-2सी को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने के उनके मिशन में सम्पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए इसरों के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को शुभकामनाएं देने के लिए इस सदन के सभी सदस्य मेरा साथ देंगे।

पश्च टिप्पण

XX. इन्सैट-2 सी उपग्रह का प्रक्षेपण के संबंध में वक्तव्य 7 दिसम्बर, 1995

कोई टिप्पण नहीं ।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संबंधी संकल्प

8 मार्च 1996

महोदय, सरकार की ओर से मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम संकल्प में निहित भावना के साथ पूरी तरह सहमत हैं। वर्षों से उपाय किए जाते रहे हैं। महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें तथा संपत्ति के मामले में प्रत्येक वर्ष उनके लिए नए-नए कदम उठाए जाते रहे हैं। अब, उन्हें पंचायतों तथा अन्य निकायों में आरक्षण प्रदान करके हमने उनके अधिकारों को राजनीतिक रूप से स्वीकार कर लिया है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में उन्हें अन्य संस्थाओं में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि यह अभी इसी समय हो जाएगा, किन्तु ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस संकल्प से पूरी तरह सहमत हैं। महिला सदस्य तथा अन्य सदस्य इस विषय पर वर्षों से गहनतापूर्वक जो सोचते आ रहे हैं तथा जो सुझाव देते हैं, उन सुझावों पर सरकार तत्परता से विचार करती है।

पश्च टिप्पण

XXI. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संबंधी संकल्प 8 मार्च 1996

कोई टिप्पण नहीं।

'हवाला मामले' से संबंधित प्रस्ताव

8 मार्च 1996

अध्यक्ष महोदय, मेरी सहयोगी, श्रीमती आल्वा इस संबंध में एक विस्तृत एवं संक्षिप्त तथ्यों पर आधारित उत्तर देंगी। इस बीच, मैं अति संक्षिप्त रूप में यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने कभी भी जांच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है। माननीय उच्चतम न्यायालय इस जांच के विभिन्न स्तरों पर निगरानी रखता आया है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो केवल उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ही काम करता रहा है।

प्रारंभ से ही उच्चतम न्यायालय ने अपने 1.3.1996 के आदेश में जो टिप्पणी की है उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं, "किसी पक्षपात की धारणा को समाप्त करने के लिए तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच की विश्वसनीयता की समाप्ति तथा इस जांच में निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता के न होने के संबंध में किसी युक्तिसंगत धारणा से बचने के लिए, निर्देश दिया जाता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखने वाले अथवा किसी आरोप में जांच के परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाले किसी प्राधिकारी से कोई अनुदेश नहीं लेगा अथवा उसे कोई रिपोर्ट नहीं देगा अथवा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराएगा"।

मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए। मेरी बात सुनने के लिए यहां इतना अधिक जोर डाला गया है कि मैं चाहूंगा कि मेरी बात सुननी चाहिए। यह निर्देश उस किसी भी प्राधिकारी पर बिना किसी भेदभाव के लागू होता है जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह, इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से निर्देश के बारे में विद्वान महाधिवक्ता ने आगे कहा है कि न तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक और न ही उनका कोई अधिकारी किसी प्राधिकारी को इस जांच के संबंध में कोई ब्यौरा दे रहा है।

पिछला वाक्य महाधिवक्ता का ही है। दूसरा पैरा पुन: न्यायालय में उपस्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की सलाह पर ही महाधिवक्ता ने कहा है।

इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किस प्रकार कार्य करना चाहिए इस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण को ही उच्चतम न्यायालय के आदेश में प्रतिपादित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहा है, जो उसने अभी तक नहीं किया है तथा जो नहीं करना चाहता है। देश के कानून को अपने हिसाब से काम करने दिया जाए; किसी भी स्थिति में इसका परित्याग न किया जाए।

चूंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, अत: इस समय कुछ भी अधिक कहना उचित नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए कई मामले सौंपे गए हैं। इन मामलों में कोयला एजेन्सियों की कथित असफलता मानव अधिकारों का उल्लंघन, व्यक्तियों का गायब होना, हत्या, हिरासत में मौतें, महिलाओं के प्रति अत्याचार आदि तरह-तरह के विभिन्न मामले सम्मिलित हैं। उनमें से कुछ मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तराखंड; मुजफ्फरनगर की घटनाओं, श्री जे. एस. कालरा, पीलीभीत, भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों द्वारा हिसार के कुछ व्यक्तियों को गैर-कानूनी रूप से नजरबन्द रखने, धोखाधड़ी और भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को झूठा शपथ-पत्र (एफीडेविट) प्रस्तुत करने, गुरदासपुर के निकट कुछ व्यक्तियों के गायब हो जाने आदि से संबंधित है। इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और संबंधित उच्च न्यायालयों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। तद्नुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीधे सम्बन्धित न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

इन मामलों में सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। केवल जब मुकद्दमा चलाने की आवश्यकता होती है, या संसद को कोई जानकारी देनी होती है तभी उक्त प्रयोजन विशेष के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सीधे सम्बन्धित न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देता है तो इसमें कोई असाधारण बात नहीं है। सरकार ने न तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो से ये रिपोर्ट मांगी है और न ही इन मामलों में कोई हस्तक्षेप किया है। इन मामलों में पूरी कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप चल रही है।

पश्च टिप्पण

XXII. 'हवाला मामले' से संबंधित प्रस्ताव 8 मार्च 1996

कोई टिप्पण नहीं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

12 मार्च 1996

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल श्री अहमद के प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में एक-दो अच्छे सुझाव दिए हैं। वह यह जानते हैं कि स्थिति में जो भी सुधार दिखाई पड़ रहा है वह केवल हमारे ही प्रयासों का परिणाम है। हम निगम को निश्चित रूप से और अधिक धन उपलब्ध कराएंगे। हम प्रत्येक कार्य पूरा करेंगे और वह इस बात का विश्वास रखें कि जो कुछ उन्होंने कहा है, उस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

अब न तो आलोचना के लिए कोई अन्य मामला शेष है और न ही उत्तर के लिए उठाया गया कोई अन्य मुद्दा है। अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव कृपया सदन के मतदान हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए।

पश्च टिप्पण

XXIII. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर 12 मार्च, 1996

कोई टिप्पण नहीं।

विदाई संबंधी उल्लेख

12 मार्च 1996

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं और सर्वप्रथम मैं, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय तथा पीठासीन अधिकारियों के पैनल की, उनके द्वारा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए भूरि-भूरि सराहना तथा प्रशंसा करता हूं, उन्होंने न केवल सदन की कार्यवाही को चलाया अपितु वास्तव में देश के प्रजातंत्र को नई रोशनी दी है।

समिति प्रणाली ने जिसे आपने प्रारम्भ किया है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम में से अधिकांश को इस प्रणाली की सफलता के संबंध में संदेह था — बहुत अच्छी तरह कार्य किया है तथा इसको देखकर यह कहा जा सकता है कि इससे चर्चा के विषय को आवश्यक गंभीरता मिलेगी। समितियों का यही प्रयोजन है। वे विषय की अधिक व्यापकता में जाती हैं, उसकी विस्तृत जांच-पड़ताल करती हैं तथा ऐसी रिपोर्ट तैयार करती है, जो कि अत्यंत अन्तदृष्टिपूर्ण होती है, तथा जो अन्यथा किसी प्रकार कभी भी हमें नहीं मिल सकती थी।

मैं यह कहूंगा कि अनेक अर्थों में दसवीं लोक सभा अन्य लोक सभाओं से अत्यंत भिन्न रही है। सर्वप्रथम, इसे अल्पकालिक समझा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति का यही पूर्वानुमान था कि यह अधिक समय तक नहीं चलेगी तथा कुछ ही महीनों में हमें जनमत के लिए जाना पड़ेगा। स्वयं मुझे भी एक काम चलाऊ प्रधानमंत्री कहा गया। इसीलिए इस सभा को भी काम चलाऊ सभा कहा गया। लेकिन हुआ यह कि यह अंतराल पांच वर्षों तक चला। इसका श्रेय पार्टियों के नेताओं को सदस्यगणों को तथा प्रत्येक व्यक्ति को जाता है जिन्होंने इसे संभव किया। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस दसवीं लोक सभा को अपने कार्यकाल को पूर्ण करने में, केवल एक ही पार्टी नहीं अपितु दूसरी अन्य पार्टियों का भी सहयोग रहा। मुझे याद है कि इसके समक्ष लगभग तीन अविश्वास प्रस्ताव आए। मैं एक अल्पमत सरकार की 60 और 40 वोटों से विजय को स्पष्ट तौर पर नहीं समझा सकता, अपितु केवल इतना कह सकता हूं कि दूसरी ओर भी हमारे कुछ अदृश्य मित्र हैं। महोदय, यह सर्वथा, लोकतंत्र के भविष्य के लिए तथा लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करने के लिए अच्छा होगा तथा मैं यह सोचता हूं कि ऐसा होना भी चाहिए। मुझे आशा है कि आगामी वर्षों में आगामी लोक सभा में हमारा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की जड़ें और गहरी तथा मजबूत करने के अपने कर्तव्य को वस्तुत: पूरा करेगा ताकि संसार की कोई भी शक्ति-चाहे कोई पार्टी हारे या जीते, चाहे कोई पार्टी सरकार बनाए या न बनाए देश में प्रजातंत्र की जड़ों को न हिला सके।

मुझे इस बात की जानकारी भी है कि लोक सभा सचिवालय का स्टाफ भी पूरी कार्यकुशलता से कार्य कर रहा है। उन्होंने निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्य कर के हमारी चर्चाओं को सफल बनाया तथा हम उन सभी जिन्होंने इस लोक सभा को सफल बनाया तथा इसके

लिए कार्य किया, के प्रति आभार प्रकट करते हैं। विशेषत: आपके कार्य करने के तौर तरीके से सदस्यों को अपनी कठिनाइयों का निवारण करने में तथा हमेशा उपयोगी वाद-विवाद करने में सहायता मिली। वास्तव में हमने एक-दो चीजें धैर्य व दृढ़ता का प्रयोग आपसे सीखा है, यह दोनों चीजें इस प्रकार से जुड़ी होती थी कि हमें यह नहीं मालूम चल पाता था कि कब आप हम पर कृपा कर रहे थे और कब आप दृढ़ता/कठोरता का प्रयोग कर रहे थे। इन दोनों का समावेश सुन्दर तरीके से किया गया है। यह हम केवल आपकी प्रशंसा दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। मैं वास्तव में यह महसूस करता हूं कि संभवत: यह वर्ष 5 वर्षों में सदन का सबसे अधिक अशांत वर्ष रहा है जिसमें सभी प्रकार की अनिश्चिताएं रहीं हैं। महोदय, मैं आपका अभिवादन करता हूं। मैं इस संबंध में सजग हूं कि प्रेस तथा मीडिया ने भी अनेक तरीकों से हमारी मदद की है। उन्होंने समय-समय पर हमने जो कुछ भी कहा उसको उजागर किया है विशेषत: वे चीजें जिन्हें हम प्रेस को ध्यान में रखकर उजागर करना चाहते थे, तथा कभी-कभी उन्होंने हमें भरपूर कवरेज दी है। मैं यह भी प्रतिवाद किसी के डर के बिना अवश्य कहूंगा कि इस कार्यकाल के दौरान प्रेस की रिपोर्टिंग कुल मिलाकर वस्तुपरक रही है तथा वस्तुनिष्ठता के मानदण्डों के अनुरूप रही है। मैं पुन: उनको धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं सदन के सभी सदस्यों को आपको व देश को शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि इस लम्बी दौड़ में हम प्रजातंत्र की दौड़ में मील के एक पत्थर को पार करके दूसरे की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

पश्च टिप्पण

XXIV. विदाई संबंधी उल्लेख 12 मार्च 1996

कोई टिप्पण नहीं।